वार्षिक योजना

प्रगति प्रतिवेदन

1967-68

भारत सरकार
योजना आयोग

वार्षिक योजना

प्रगति प्रतिवेदन

1967-68

भारत सरकार
योजना आयोग

प्रगति प्रतिवेदन—1967-68

अध्याय	विषय-सूची	पृष्ठ
1.	अर्थ व्यवस्था की स्थिति	1
2.	योजना परिव्यय और उसकी वित्तीय-व्यवस्था	12
3.	कृषि	22
4.	पशु पालन, मत्स्य पालन तथा वन	32
5.	खाद्य नीति तथा प्रशासन	38
6.	सहकारिता, सामुदायिक विकास तथा भूमि सुधार	42
	(1) सहकारिता	42
	(2) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज	45
	(3) भूमि सुधार	46
7.	सिंचाई	48
8.	बिजली	51
9.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	55
10.	उद्योग और खनिज	62
	(1) उद्योग	62
	(2) खनिज	75
11.	परिवहन और संचार	80
12.	शिक्षा	88
13.	वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्राकृतिक संसाधन	95
	(1) वैज्ञानिक अनुसंधान	96
	(2) प्राकृतिक संसाधन	98
14.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	102
	(1) स्वास्थ्य कार्यक्रम	102
	(2) परिवार नियोजन	105
15.	आवास, शहरी विकास तथा जल संभरण	108
	(1) आवास	108
	(2) शहरी विकास तथा नगर आयोजन	112
	(3) स्थानीय स्वायत्तशासी योजनाएं	112
	(4) जल संभरण तथा स्वच्छता	113

पृष्ठ

16 समाज-कल्याण 115

17. पिछड़े वर्गों का कल्याण 119

18. शिल्पियों का प्रशिक्षण और श्रम कल्याण . . . 123

19. जन-सहयोग 125

20. पुनर्वास 129

21. अन्य कार्यक्रम 130

परिशिष्ट 135-192

अध्याय 1

अर्थ व्यवस्था की स्थिति

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से अर्थ व्यवस्था पर जो कठिनाई आई थी वह वर्ष 1967-68 के लगभग मध्य भाग तक जारी रही, पर इस वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थ व्यवस्था मे मोड आया। देश के लगभग सभी भागो मे मौसम अच्छा रहा और इसके साथ ही अधिक उपज देने वाली किस्मो के कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहू की उपज मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिससे अन्न का उत्पादन बढ गया। वाणिज्यिक फसलो के उत्पादन मे भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्ष के उत्तरार्ध मे औद्योगिक उत्पादन मे भी थोडा सा सुधार हुआ। कृषि के लिए निवेश सामग्री तैयार करने वाले उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि जारी रही और नई फसलो से कच्चे माल की अच्छी उपलब्धि होने पर कृषि आधारित उद्योगो के उत्पादन मे भी सुधार हुआ। टिकाऊ उपभोक्ता सामग्री तैयार करने वाले कुछ उद्योगो के उत्पादन मे भी सुधार हुआ पर पूजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगो का उत्पादन कम बना रहा। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर मे 1964-65 मे जो घटती की प्रवृत्ति दिखाई दी थी वह रुक गई और 1967-68 मे वृद्धि की दर 1966-67 की अपेक्षा थोडी सी अधिक हुई।

1 2. मूल्यो की वृद्धि की ओर दबाव अक्तूबर, 1967 के मध्य भाग तक बना रहा। पर खरीफ की नई फसल आने पर मूल्यो मे कमी आने से इसमे आशिक रूप मे कमी आई। वर्ष की अन्तिम तिमाही मे रबी के अनाजो के भाव, बहुत अच्छी फसल की प्रत्याशा मे बने रहे। परिणामस्वरूप थोक मूल्यो मे गत वर्ष की अपेक्षा थोडी कम वृद्धि हुई। उपलब्धि अच्छी होने से कृषि और कृषि आधारित उद्योगो का निर्यात बढ़ा और गैर परम्परागत निर्यात में भी प्रोत्साहन के लिए किये गये अधिक तीव्र प्रयत्नों के फलस्वरूप और उन्नति हुई। दूसरी ओर, कुछ उद्योगों में व्यापारिक मन्दी के जारी रहने के कारण और आयात प्रतिस्थापन में आगे और प्रगति होने के कारण आयात में और भी कमी हुई। परिणामस्वरूप, आरम्भ के कुछ महीनों में कठिनाई की स्थिति की अपेक्षा भुगतान स्थिति कुछ अच्छी हो गई। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई पर घरेलू बचत की दर मे और कमी आई। अर्थ व्यवस्था में निवेश की दर धीमी पड गई।

कृषि उत्पादन :

1.3. देश के लगभग सभी भागो मे वर्षा समय पर, पर्याप्त मात्रा मे और सुवितरित ढग से हुई। कृषि उत्पादन की नई नीति के अनुसार सघन कृषि के योजना कार्यक्रम में सतोषजनक प्रगति होती रही। गत वर्ष 18 9 लाख हेक्टर क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मो के कार्यक्रम का प्रसार हुआ था जब कि इस वर्ष लगभग 60 लाख हेक्टर क्षेत्र में इसका प्रसार हुआ। लगभग 33, 4 लाख हेक्टर क्षेत्र में बहुफसली खेती आरम्भ की गई। सिंचाई वाले क्षेत्र में 29 लाख हेक्टर की वृद्धि हुई। अधिक आयात और देश में अधिक उत्पादन के द्वारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरको का उपयोग गतवर्ष की अपेक्षा 23 प्रतिशत बढाया गया और फास्फेट युक्त उर्वरकों का 34 प्रतिशत। पोषक सामग्री के रूप मे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का देश में

उत्पादन जहां 1966-67 में 307,900 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) था वहां 1967-68 में बढ़कर 336,800 मीट्रिक टन हो गया और फास्फेट युक्त उर्वरकों का उत्पादन 144,900 मीट्रिक टन ($पी_2 ओ_5$) से बढ़कर 190,400 मीट्रिक टन हो गया। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का आयात 1966-67 में 630,000 मीट्रिक टन था जो 1967-68 में बढ़कर 868,000 मीट्रिक टन हो गया और फास्फेटयुक्त उर्वरकों का आयात 150,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 349,000 मीट्रिक टन हो गया। वनस्पति रक्षण का क्षेत्र भी 48.6 प्रतिशत बढ़ गया। सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पावधि और मध्यावधि ऋणों का वितरण 1965-66 में 542 करोड़ रुपये था और 1966-67 में 366 करोड़ रुपये, जो कि इस वर्ष बढ़कर 405 करोड़ रुपये हो गया। भूमि बन्धक बैंकों द्वारा 1967-68 के दौरान 83 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण दिये गये जब कि पिछले दोनों वर्षों में प्रत्येक में 58 करोड़ रुपये के लगभग ऋण दिये गये थे। किसानों द्वारा ट्रैक्टरों, पम्प सेटों, और अन्य उन्नत कृषि औजारों में किये जाने वाले पूंजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई। कृषि की नई पद्धतियों को अपनाने के उनके उत्साह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1.4. इस सब से कृषि के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अन्न का उत्पादन बढ़कर 1956 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया जो कि गत वर्ष के 742 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन से 28.8 प्रतिशत अधिक है। यह उत्पादन 1964-65 में हुए 890 लाख मीट्रिक टन के रिकार्ड उत्पादन से 7.4 प्रतिशत अधिक है। नीचे की सारणी में प्रमुख अन्नों और वाणिज्यिक फसलों का 1964-65, 1966-67 और 1967-68 का उत्पादन दिया गया है :

सारणी 1 : अन्नों और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

	इकाई	1964-65	1966-67	1967-68
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनाज	दस लाख मीट्रिक टन	**89.0**	74.2	**95.6**
चावल . .	,,	39.0	30.4	37.9
गेहूं . .	,,	12.3	11.4	16.6
मक्का . .	,,	4.6	4.9	6.3
बाजरा . .	,,	4.4	4.5	5.1
ज्वार . .	,,	9.75	9.2	10.1
दालें . .	,,	12.4	8.3	12.2
तिलहन . .	,,	8.5	6.4	8.2
रूई . .	दस लाख गांठें	5.7	5.0	5.6
पटसन और मेस्ता .	,,	7.6	6.6	7.5
गन्ना (गुड़) .	,,	12.0	9 5	10.0

1.5. अन्न उत्पादन का सूचकांक 1966-67 में 123.8 था, इसमें 29.1 प्रतिशत वृद्धि हुई और 1967-68 में सूचकाक 159.9 हो गया, गैर-अन्न उत्पादन के सूचकांक में 11.6 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह सूचकाक 148.5 से बढ़कर 165.7 हो गया। कुल मिलाकर कृषि के उत्पादन के औसत सूचकांक मे 22.6 प्रतिशत वृद्धि हुई और 1967-68 मे यह सूचकाक 161 8 हो गया जब कि 1966-67 मे यह 132.0 था।

औद्योगिक पुनरुज्जीवन :

1.6. जैसा कि 1966-67 मे किया गया था, 1967-68 के औद्योगिक कार्यक्रम मे अधिक जोर उन परियोजनाओं की पूर्ति पर दिया गया जो निर्माणाधीन हैं और उनका काम अनुमोदित निर्माण तालिका के अनुसार पूरा किया गया। वर्ष 1967-68 के दौरान नई परियोजनायें आरम्भ की जानी थी। तीन उर्वरक परियोजनाये, अर्थात बरौनी और ट्राम्बे व नामरूप का विस्तार, गुजरात की ऐरोमेटिक परियोजना, दूसरी कैबिल परियोजना और हल्दिया तेल शोधन परियोजना। इनके अतिरिक्त उर्वरक और रसायन कारखाना, ट्रावनकोर के लिए गढ़ाई घर, कृषि ट्रैक्टर परियोजना, पम्प और कम्प्रेसर परियोजना और अखबारी कागज परियोजना के लिए सांकेतिक व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष पूरी होने वाली परियोजनाओं से आशा है क्षमताओं में और वृद्धि होगी। इनमे से अधिक महत्वपूर्ण परियोजनायें ये हैं : भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के विस्तार के प्रथम सोपान की पूर्ति, मैसूर लोहा और इस्पात कम्पनी को मिश्रित इस्पात तैयार करने के लिए रूपान्तरित करने की परियोजना कोयाली और बरौनी तेल शोधक कारखानों मे तीस लाख मीट्रिक टन निवेश क्षमता की प्राप्ति तथा दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयन्त्र और गोरखपुर व नामरूप उर्वरक परियोजनाओं मे उत्पादन का आरम्भ। इन परियोजनाओं की पूर्ति और विशेष रूप से सरकारी और निजी क्षेत्रों की उपयोग मे न आनेवाली क्षमता के बेहतर उपयोग से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना थी। क्षमता के बेहतर उपयोग की संभावना विशेषरूप से इन उद्योगों में थी : सीमेन्ट, इस्पात, मिश्रित इस्पात, ऐल्यूमिनियम, जस्ता, उर्वरक, कीटनाशक, खेती के ट्रैक्टर, बिजली की मशीनरी, मोटर कार, मोटर साइकिल और स्कूटर।

1.7. वर्ष 1967-68 के औद्योगिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति से स्पष्ट है कि नामरूप-द्वितीय और बरौनी उर्वरक परियोजना के निर्माण का आरम्भिक कार्य पूरा हो चुका है। सरकारी क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान पूरी की गई अथवा चालू की गई प्रमुख परियोजनायें ये हैं — गोरखपुर उर्वरक उदयपुर जस्ता प्रद्रावक, ऋषीकेश ऐन्टीबायोटिक्स, हैदराबाद संश्लिष्ट औषधि कारखाना, होशंगाबाद सेक्योरिटी पेपर मिल और कोचीन तेलशोधक कारखाना। कोयाली तेल शोधक कारखाने की क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन हो गई। बरौनी तेल शोधक कारखाने के कोक-निर्माण एकक में कठिनाई के कारण पूर्ण क्षमता नहीं प्राप्त की जा सकी। बेलाडिला लोह धातुक खान संख्या 14 का विकास किया गया। तिरुचि के उच्च दाब बायलर संयत्र और उच्च शक्ति उपकरण संयन्त्र तथा हैदराबाद के स्विचगीयर एकक का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मद्रास, नामरूप, दुर्गापुर और कोचीन की उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण के कार्य में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। बोकारो इस्पात परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है।

1.8. निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्बनिक रसायन उद्योग का नप्था क्रैकर संयन्त्र चालू हो गया। बड़ौदा और विशाखापटनम के उर्वरक कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो गया। एन्नोर उर्वरक

कारखाने के विस्तार से सम्बन्धित निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। कोटा उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर था और कानपुर की उर्वरक परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य की व्यवस्था पूरी करली गई और निर्माण आरम्भ कर दिया गया।

1.9. क्षमता के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए देश में माग को बढाने के लिए और औद्योगिक उत्पादनों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए और कदम उठाये गये। रेलवे तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को निदेश दिया गया कि वे 1968-69 की आवश्यकताओं के लिए अग्रिम आदेश दें। भारतीय उद्योग विकास निगम ने पटसन के वस्त्र, चीनी, सीमेंट, कागज मशीनरी और संयन्त्र, कीमती मशीनरी औजार और कृषि उपकरणो के लिए सात वर्ष तक की आस्थगित अदायगी के आधार पर पुनर्वित्त सुविधायें उपलब्ध थीं। सड़क परिवहन संचालकों को मोटर गाड़ियों की उधार बिक्री के लिए मोटर गाड़ियो का निर्माण करने वाली कम्पनियों को और मान्यता प्राप्त किराया खरीद कम्पनियो को पुनर्वित्त उपलब्ध किया गया। इसके लिए 6 प्रतिशत पुनर्बट्टे की दर इस शर्त पर रखी गई कि पुनर्वित्त चाहने वाले बैंक 9 प्रतिशत से अधिक और निर्माण व किराया खरीद कम्पनियां साढ़े सात प्रतिशत से अधिक ब्याज नही लेगे। उद्योगों को यह छूट दी गई कि वे अपनी लाइसेंस क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन मे विविधता ला सकते हैं, इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उन्हें इसके लिए पूजीगत उपकरणो और कच्चे माल का आयात भी करना पड़े। बिना नया लाइसेंस प्राप्त किये पहले की लाइसेंस क्षमता में 25 प्रतिशत तक वृद्धि करने की भी अनुमति दी गई। इंजीनियरी उत्पादनो के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऋणों को उदार बनाया गया और नकद सहायता के क्षेत्र और दर में भी वृद्धि की गई। बिजली चालित पम्प, साइकिलें और इनके पुर्जे और इस्पात के विविधि उत्पादनों को एक नई श्रेणी में रखा गया जिसके लिए 25 प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती है। बहुत सी नयी वस्तुओं को, जिनमें डीजल पम्प और पावर कैबिल शामिल हैं, नकद सहायता के लिए ग्राह्य मान लिया गया। इंजीनियरी और धातु उत्पादनो के निर्यातकर्त्ताओं को पोत लदान पूर्व ऋण के लिए वाणिज्यिक बैंको को साढे चार प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त की स्वीकृति रिजर्व बैंक द्वारा दी गई पर इसके साथ शर्त यह है कि ये बैंक इन ऋणों पर 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज नही लगायेंगे। ऋण चाहने वाले बैंको की कुल नकदी स्थिति पर ध्यान दिये बिना ही यह पुनर्वित्त की सुविधा सुलभ की गई थी अतः इसमें ऋण की उदारता निहित ही थी। वर्ष के अन्त के लगभग बैंक दर घटाकर 6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई थी।

1.10. यद्यपि इन उपायों का पूर्ण प्रभाव समय बीतने पर ही प्रकट होगा पर वर्ष के उत्तरार्ध में औद्योगिक स्थिति में कुछ सुधार दिखाई देने लगा था। कृषि निवेश सामग्री तैयार करने-वाले उद्योगों में उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही। बिजली चालित पम्पो, (अचल) डीजल इंजनों, कृषि के ट्रैक्टरो (200 अश्व शक्ति और इससे बडी) बिजली मोटरों, ट्रासफार्मरो, उर्वरको और कीटनाशकों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि हुई। इस वर्ष के दौरान इनमें से अधिकाश उद्योगों की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कच्चे माल की उपलब्धि बेहतर होने से कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन में सुधार आया। टाट, रुई के धागे, चीनी, चाय, काफी, वनस्पति, कागज और काचज निर्मित वस्तुओ के उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में रेडियो रिसीवरों, बिजली के पंखों, टाइपराइटरों, मोटरकारों, मोटर साइकिलों और स्कूटरों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, रबर टायर, कृत्रिम धागे और इनसे बने वस्त्र और शोधित पेट्रोलियम से निर्मित वस्तुओं जैसे आयातित

कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। सीमेन्ट, ऊनसह और ऐल्यूमिनियम कन्डक्टरों के उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि के सिवाय अन्य पूंजीगत वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योगों के उत्पादन में कुल मिलाकर शिथिलता बनी रही। मशीनी औजारों, सूतीवस्त्र-मशीनरी, चीनी मिल मशीनरी, रेल-वैगनों, वाणिज्यिक गाड़ियों, (गाड़ियों के) डीजल इंजनों, बिजली लैम्पों और खुले-ताबे के कन्डक्टरों के उत्पादन में विशेष कमी आयी।

1.11. वर्ष के आरम्भिक तीन चौथाई भाग में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में कमी होने की जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी वह कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन में सुधार होने से रूक गई। अन्तिम तिमाही में कुल मिलाकर वृद्धि की दर धनात्मक अंक में 5.8 प्रतिशत रही जब कि पहले तीन तिमाहियों में ऋणात्मक अंक में थी। पर कुल मिलाकर पूरे वर्ष के लिए औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की दर बहुत थोड़ी, केवल 0.5 प्रतिशत रही। 1966-67 में वृद्धि की यह दर 0.2 प्रतिशत थी पर यह थोड़ी सी वृद्धि भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी कि औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि में कमी होने की प्रवृत्ति 1964-65 से दिखाई दे रही थी वह पलट गई।

मूल्य और वेतन के दबाव :

1.12. वार्षिक योजना 1967-68 में परिकल्पना की गई थी कि कमी वाले महीनो में मूल्यों पर वृद्धि की ओर दबाव बना रहेगा। इस दबाव को रोकने के लिए मुद्रा पूर्ति और वस्तुओं के उत्पादन के बेहतर संतुलन और खाद्य प्रबन्ध की कुशल व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इन दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की गई। मुद्रा पूर्ति में वास्तविक वृद्धि 1967-68 के दौरान 8.1 प्रतिशत रही जबकि 1966-67 में यह वृद्धि 9.3 प्रतिशत और 1965-66 में 11 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय आय, वास्तविक रूप में 1967-68 में 8.9 प्रतिशत अधिक रही जब-कि 1965-66 में 5.6 प्रतिशत की कमी हुई थी और 1966-67 में केवल थोड़ी सी 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर और वास्तविक उत्पादन में बेहतर संतुलन पहली बार 1964-65 में प्राप्त किया गया था। बैंक में सरकार के खाते में जमा राशि 1965-66 में 512 करोड़ रुपये थी जो घटकर 1966-67 में 273 करोड़ रुपये और 1967-68 में 261 करोड़ रुपये रह गई। कमी वाले महीनों में मूल्यों की वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए ऋण नीति में सुधार किया गया। कमी वाली जिन्सों पर बैंकों से दी जाने वाली ऋण राशि में और बिना जमानत के दी जाने वाली ऋण राशि में कमी करने पर जोर दिया जाता रहा और ऋण नीति प्रतिबन्धात्मक बनी रही। कमी वाले महीनों में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए खाद्यव्यवस्था में भी सुधार किया गया। राशन और उचित मूल्य की दूकानों के सार्वजनिक वितरण माध्यमों से 137 लाख मीट्रिक टन अन्न वितरित किया गया। इस प्रक्रिया में आयात किये गये अन्न की 87 लाख मीट्रिक टन की पूरी राशि और देश के अन्दर वसूल की गई 45 लाख मीट्रिक टन राशि समाप्त हो गई और सरकारी प्राधिकारियों के अन्न भण्डार में भी 5 लाख मीट्रिक टन की सीमान्त कमी करनी पड़ी। इस कार्रवाई का अधिकांश भाग वर्ष 1967 के कमी वाले अंश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के तीव्र सूखे से पीड़ित क्षेत्रों में अकाल या कमी की स्थिति को रोकने के लिए किया गया।

1.13. इन सब प्रयत्नों के होने पर भी, कमी वाले महीनों में मूल्यों पर वृद्धि की ओर दबाव बना रहा। वर्ष के आरम्भिक सात महीनों में थोक मूल्यों का सूचकांक गत वर्ष की इसी अवधि

के औसत की अपेक्षा 16 प्रतिशत अधिक था। खरीफ की फसल आने पर सूचकांक कम होने लगा। पर यह कमी पहले हुई वृद्धि को प्रभावहीन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। थोक मूल्यों में कमी होने पर भी नवम्बर-मार्च 1968 का औसत सूचकांक गत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 5 प्रतिशत अधिक था। कुल मिलाकर पूरे वर्ष के लिए थोक मूल्यों के औसत सूचकांक में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई और सम्पूर्ण वृद्धि कृषि वस्तुओं के, विशेषरूप से अनाज, चीनी, और कपास के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई जिनकी पूर्ति कम थी। यद्यपि यह वृद्धि पूर्व वर्ष की अपेक्षा कम थी पर पर्याप्त अधिक थी और गम्भीर चिन्ता का विषय थी क्योंकि यह वृद्धि 1966-67 में हुई 16 प्रतिशत वृद्धि के और ऊपर हुई थी।

1.14. थोक मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति का अनुसरण अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी गैर श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी हुआ। श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्यों का सामान्य सूचकांक मार्च 1967 में 200 था जो बढ़कर अक्तूबर 1967 में 217 हो गया पर इसके बाद उसमें कमी आई। इसी प्रकार शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों का सूचकांक जो मार्च 1967 में 151 था अक्तूबर, 1967 में 163 हो गया और इसके बाद घट गया। दोनों सूचकांकों में जनवरी, 1968 में अन्न उपदान हटा देने के कारण अस्थायी कठोरता आई पर शीघ्र ही फिर नीचे की ओर प्रवृत्ति जारी हो गई। पूरे वर्ष मे कुल मिलाकर श्रमिक वर्ग उपभोक्ता सूचकांक में 11.5 प्रतिशत की और शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारी सूचकांक में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई। जीवन निर्वाह का खर्च बढ़ने से वेतन दरावों में वृद्धि हुई और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की मांग हुई। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों को इस वर्ष के दौरान लगभग 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ते के रूप में देने पड़े। निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ा।

बाह्य स्थिरता :

1.15. भुगतान संतुलन पर दबाव बना रहा। वर्ष की आरम्भिक दो तिमाहियों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से निकाली गई राशि के अतिरिक्त सुरक्षित विदेशी मुद्रा निधि पर दबाव जारी रहा। पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा निधि में से 17 करोड़ रुपये और दूसरी तिमाही में 27 करोड़ रुपये निकालने पड़े। तीसरी तिमाही में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादनों के निर्यात में वृद्धि से स्थिति में सुधार आया। तीसरी तिमाही में सुरक्षित विदेशी मुद्रा निधि से केवल 4·1 करोड़ रुपये निकाले गये। लगातार राशि निकाले जाने से क्षीण हुई सुरक्षित निधि को सुदृढ़ करने के लिए 67.5 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से अतिपूरक वित्तीयन स्कीम के अधीन दिसम्बर, 1967 में प्राप्त की गई। वर्ष की अन्तिम तिमाही में स्थिति में और सुधार हुआ। इस सुधार से अन्तर्राष्ट्रीय निधि को 43.1 करोड़ रुपये की अदायगी करना सम्भव हुआ और साथ ही विदेशी मुद्रा की सुरक्षित निधि में खासी वृद्धि की जा सकी। पूरे वर्ष में कुल मिलाकर भुगतान की स्थिति गत वर्ष की अपेक्षा काफी अच्छी रही। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से निकाली गई कुल राशि 1967-68 में 24.4 करोड़ रुपये थी जबकि 1967 में यह राशि 97·5 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त यदि इन दोनों वर्षों में से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ली गई राशि को निकाल दें तो 1967-68 के दौरान विदेशी मुद्रा की सुरक्षित निधि में 36 करोड़ रुपये (480 लाख डालर) की वृद्धि हुई जबकि 1966-67 में 84 करोड़ रुपये (1180 लाख डालर) की कमी हुई।

निर्यात :

1.16. व्यापार घाटे में कमी होना वर्ष 1967-68 के दौरान भुगतान की स्थिति स्पष्टतया अच्छी होने का मुख्य कारण था। सीमाशुल्क के आंकड़ों के अनुसार 1967-68 में व्यापार घाटा 809 करोड़ रुपये हुआ जबकि 1966-67 में व्यापार घाटा 921 करोड़ रुपये था। निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होने से यह सुधार हुआ। निर्यात में 1967-68 के दौरान 42 करोड़ की वृद्धि हुई जिससे निर्यात की राशि 1199 करोड़ रुपये हो गई जबकि 1966-67 में निर्यात में 112 करोड़ रुपये की कमी हुई और निर्यात की राशि 1157 करोड़ रुपये रही। इस प्रकार 1967-68 के दौरान निर्यात में 4 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इसके पूर्व वर्ष में 9 प्रतिशत की कमी हुई। दूसरी ओर आयात में 1967-68 के दौरान 70 करोड़ रुपये की कमी आई और कुल आयात 2008 करोड़ रुपये हुआ और 1966-67 के दौरान आयात में 140 करोड़ रुपये की कमी हुई और कुल आयात 2078 करोड़ रुपये का हुआ था।

1.17. कृषि उत्पादन में सुधार होने से कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादनों की पूर्ति की वे बाधायें हट गईं जिनके कारण गत वर्ष में अवमूल्यन का प्रोत्साहन होने पर भी निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाई थीं। पूर्ति में सुधार होने से 1967-68 के दौरान इन उत्पादनों के निर्यात में वृद्धि हुई। मात्रात्मक रूप में, तम्बाकू के निर्यात में 46 प्रतिशत, कार्फी-चाय के निर्यात में 31 प्रतिशत, कपास के निर्यात में 36 प्रतिशत और चाय के निर्यात में 7 प्रतिशत वृद्धि हुई। मिलों में बने सूती कपड़े के निर्यात में 6 प्रतिशत वृद्धि हुई और जूट निर्मित वस्तुओं व काजू की गिरी के निर्यात में 2 प्रतिशत। परन्तु जूट निर्मित वस्तुओं, काजू की गिरी, कपास और काफी के इकाई-मूल्य में तीव्र कमी हुई जब कि चाय और तम्बाकू के इकाई मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मिल में बने सूती कपड़े और खली के इकाई-मूल्य स्थिर रहे। परिणामस्वरूप जूट निर्मित वस्तुओं का परिमाण 6 प्रतिशत घट गया और काजू की गिरी का साढ़े पांच प्रतिशत—इन दोनों परिस्थितियों में निर्यात के परिमाण में जो भी वृद्धि हुई थी वह इकाई-मूल्य में कमी होने से बिल्कुल प्रभावहीन हो गई। कपास और काफी के निर्यात परिमाण में जो वृद्धि हुई वह इकाई-मूल्य में कमी होने से आंशिक रूप से प्रभावहीन हो गई जिससे निर्यात के परिमाण में हुई वृद्धि के अनुपात में निर्यात मूल्य में वृद्धि कम हुई। कपास के निर्यात मूल्य में 25 प्रतिशत और काफी के निर्यात मूल्य में केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चाय और तम्बाकू के निर्यात मूल्य में हुई वृद्धि निर्यात परिमाण में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी क्योंकि इन दोनों के इकाई मूल्य में वृद्धि हुई मूल्य की दृष्टि से चाय के निर्यात में 14 प्रतिशत और तम्बाकू के निर्यात में 62 प्रतिशत वृद्धि हुई। मिल निर्मित वस्त्रों के निर्यात-मूल्य में हुई वृद्धि और खली के निर्यात मूल्य में हुई कमी इनके निर्यात के परिमाण में हुई वृद्धि और कमी के परिणाम स्वरूप हैं। अन्य वस्तुएं जिनके निर्यात मूल्यों में कमी आई है वे ये हैं:—पटसन, फल और सब्जियां, कच्चा चमड़ा और खालें, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुए और मैंगनीज अयस्क। इसके विपरीत लोहे अयस्क में (6.5 प्रतिशत), लोहा और इस्पात[1] उत्पादनों में (119 प्रतिशत), इंजीनियरी वस्तुओं में (42 प्रतिशत) और दस्तकारी की वस्तुओं में (27 प्रतिशत) निर्यात मूल्य की वृद्धि हुई। इन वस्तुओ के निर्यात में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण ये माने जा सकते हैं : निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये किये गये विविध उपाय जैसे कि अधिक नकद

[1] इसमें मुख्यतया कच्चा लोहा, इस्पात की रेल पटरी, गोले, घड़े, चद्दरें और कड़ियां शामिल हैं।

सहायता, रियायती आधार पर निर्यात ऋण की उपलब्धि में सुधार, देसी कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर पूर्ति और रेल भाड़े में रियायतें। देश के अन्दर भांग में ढिलाई आ जाने से भी जूट और इस्पात से बनी वस्तुओं और इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई।

आयात :

1.18. देश में उत्पादन की वृद्धि से खाद्यान्न के आयात मूल्य में 20 प्रतिशत की कमी हुई कच्चे पटसन के आयात मूल्य में भी तीव्र कमी हुई जबकि 1966-67 में 21 करोड़ रुपये का पटसन आयात किया गया, 1967-68 में केवल 2 करोड़ रुपये का पटसन आयात किया गया। पूंजीगत वस्तुओं में बिजली और गैर-बिजली मशीनरी और इसके पुर्जों के आयात मूल्य में 18 प्रतिशत की कमी हुई। निवेश कार्य कलापों में ढिलाई और कुछ आयात को जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में बनी मशीनों और बने पुर्जों के कारण यह कमी हुई। परन्तु इन वस्तुओं के आयात की आंशिक स्थान-पूर्ति परिवहन उपकरण और औद्योगिक निवेश सामग्री के आयात में हुई वृद्धि से हो गई। परिवहन उपकरणों के आयात मूल्य में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और औद्योगिक कच्चेमाल व मध्यवर्ती सामग्री के आयात में 17 प्रतिशत की। इस दूसरे वर्ग में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं ये हैं—कपास, अशोधित पेट्रोलियम, रसायन, धातु भिन्न खनिज उत्पादन, लोहा और इस्पात[2], अलौह धातुएं, उर्वरक और उर्वरक सामग्री।

विदेशी सहायता :

1.19. पी० एल० 480 को छोड कर 1967-68 में नई स्वीकृत विदेशी सहायता, जिसमें ऋण राहत भी शामिल है, 489 करोड़ रुपये थी जब कि गत वर्ष विदेशी सहायता की राशि 1148 करोड रुपये थी। वर्ष 1967-68 के दौरान अधिकृत विदेशी सहायता में कमी होने के कारण ये हैं : अमरीकी संसद द्वारा कुल सहायता विनियोग में कमी किये जाने की वजह से अमरीका से प्राधिकृत सहायता में कमी होना, आई० डी० ए० से सहायता प्राप्त न होना जिसका कारण उसके साधनों की असंपूर्ति है, और रूस व अन्य पूर्व-योरोपीय देशों से पांच वर्ष के लिए एक साथ 1966-67 में सहायता अधिकृत होना। बलोरिया से अधिकृत होने वाली 11 करोड़ की अल्प राशि के सिवाय यह सहायता मुख्यतया कंसोर्टियम देशों से अधिकृत हुई थी। अमरीका से अधिकृत होने वाली पी० एल० 480 सहायता की राशि भी 1967-68 के दौरान कम रही। वर्ष 1966-67 में यह राशि 307 करोड़ रुपये थी जबकि 1967-68 में 243 करोड़ रुपये थी। यह अधिकृत सहायता कुछ कड़ी शर्तों पर अधिकृत है क्योंकि इसका एक पांचवा भाग अमरीकी डालरों में अथवा संपरिवर्तनीय रुपयों में देय होगा। पर सहायता देने वाले कई कंसोर्टियम देशों ने अपनी सहायता शर्तों को, मुख्यतया ऋण सहायता पर देय ब्याज की दरों में कमी करके उदार बना दिया है। इन देशों में बेल्जियम, आस्ट्रिया, जापान और पश्चिम जर्मनी शामिल है।

1.20. ऊपर उल्लिखित 489 करोड़ रुपये की गैर पी० एल० 480 सहायता के अतिरिक्त 1967 के अन्त में गैर पी० एल० 480 सहायता की अविनियत मार्गवर्ती राशि मार्च 1967 में 1574 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार 1967-68 के दौरान गैर पी० एल० 480 सहायता की कुल 2063 करोड़ रुपये की राशि उपयोग के लिए उपलब्ध थी। यह राशि पूर्व वर्ष में उपयोग के लिए उपलब्ध 2308 करोड़ रुपये की राशि से कम थी। वर्ष 1967-68 में गैर पी० एल० 480 सहायता की उपलब्ध राशि 2063 करोड़ रुपये थी पर इस वर्ष के दौरान वास्तविक उपयोग केवल 879 करोड़ रुपये की राशि का ही हुआ। इस प्रकार गैर पी० एल० 480 सहायता की 1184

[2] इसमें मुख्यतया प्लेटें, चद्दरें और अन्य खण्ड शामिल हैं।

करोड़ रुपये की राशि आगे के लिए अवशिष्ट रह गई। वर्ष 1967-68 के दौरान पी० एल० 480 सहायता की 311 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग हुआ जब कि 1966-67 में 324 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग हुआ था। पी० एल० 480 सहायता को शामिल करके 1967-68 में कुल विदेशी सहायता का उपयोग 1190 करोड़ रुपये था जब कि गत वर्ष उपयोग की राशि 1053 करोड़ रुपये थी। अतः सब मिलाकर 1967-68 के दौरान कुल उपयोग गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रहा। भुगतान संतुलन पर आधारित ऋण अदायगी की राशि (जिसमें ब्याज और मूल दोनों की आदयगी शामिल है) 1967-68 के दौरान 354 करोड़ रुपये थी जब कि 1966-67 में यह राशि 292 करोड़ रुपये थी। अतः उपयोग में लाई गई सहायता की कुल राशि 1967-68 में 836 करोड़ रुपये थी और 1966-67 में 761 करोड़ रुपये।

आन्तरिक बचत और निवेश :

1.21. मोटे हिसाब से ज्ञात होता है कि अर्थ व्यवस्था में कुल आन्तरिक बचत की दर जहां 1966-67 में 8.2 प्रतिशत थी वहां 1967-68 में घटकर 7.8 प्रतिशत रह गई। यह कमी पूरे तौर पर सरकारी बचत दर में हुई जो कि 1966-67 में 1.8 प्रतिशत थी और 1967-68 में घटकर 1.3 प्रतिशत रह गई। इस का कारण था केन्द्र और राज्य सरकारों के चालू खर्च में हुई वृद्धि जो कि सूखे के कारण सहायता कार्य, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और सरकार द्वारा ऊंची कीमतों पर जिन्सों की खरीद के कारण हुई पर तदनुरूप राजस्व में वृद्धि नहीं हुई। दूसरी निजी बचत की दर में थोड़ी सी वृद्धि हुई, 1966-67 में निजी बचत की दर 6.4 प्रतिशत की और 1967-68 में 6.5 प्रतिशत। ऋण अदायगी की राशि को निकालकर कुल विदेशी सहायता की राशि यद्यपि निरपेक्ष रूप में बड़ी दिखाई देती है पर 1967-68 में राष्ट्रीय आय की केवल 3.5 प्रतिशत थी और 1966-67 में 3.6 प्रतिशत। अर्थ व्यवस्था में निवेश की दर 1966-67 में 11.8 प्रतिशत थी जो घटकर 1967-68 में 11.3 प्रतिशत रह गई। अधिक कमी सरकारी निवेश दर में ही हुई 1966-67 में यह दर 7.9 प्रतिशत थी और 1967-68 में घट कर केवल 6.4 प्रतिशत रह गई इसका कारण यह था कि सरकारी बचत में भी कमी हुई और केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निजी बचत से लिये गये विभिन्न प्रकार के ऋणों में भी कमी आई। दूसरी ओर निजी निवेश दर में वृद्धि हुई, 1966-67 में निजी निवेश की दर 3.9 प्रतिशत थी जो कि 1967-68 में बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो गई। इसका प्रमुख कारण खाद्य भण्डार की संपूर्ति और कुछ उद्योगों में वस्तु सूची संचय था। स्थिर निवेश की दर निजी क्षेत्र में भी कुंठित रही।

आवश्यक ऊपरी व्यवस्था का निर्माण :

1.22. बिजली, परिवहन, संचार आदि की व्यवस्था का उद्योग, खान और कृषि के क्षेत्र में होने वाली प्रगति से सीधा सम्बन्ध है। वर्ष 1967-68 के दौरान 17.6 लाख किलोवाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता तैयार हुई जिससे देश में स्थापित क्षमता का कुलयोग 131.3 लाख किलोवाट हो गई। पर कुछ परियोजनाओं की पूर्ति में देरी होने के कारण योजना के निर्धारित लक्ष्य में 3 लाख किलोवाट की कमी रही। राजस्थान और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सामान्यतया बिजली पूर्ति की स्थिति सन्तोषजनक रही। गांवों में बिजली पहुंचाने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई। परिवहन और संचार व्यवस्था के विकास में सामान्यतया सभी ओर प्रगति हुई, केवल रेल-परिवहन में प्रगति नहीं हुई क्योंकि गत वर्ष आर्थिक कार्यकलापों की गति मन्द रहने के कारण रेल परिवहन सुविधाओं की घटी हुई मांग के अनुरूप कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा। सड़क निर्माण की वे स्कीमें लगभग पूरी कर ली गईं जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वित्त की व्यवस्था की गई थी।

1.23. संक्षेप में, थोड़े समय से आर्थिक स्थिति में आया हुआ सुधार जो कि वर्ष के उत्तरार्ध में मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति, औद्योगिक पुनश्चेतना और निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति के पलटने के रूप में सामने आया है, उसका मुख्य कारण कृषि उत्पादन में हुई महत्वपूर्ण प्रगति है। कृषि उत्पादन की नई नीति की सफलता, विशेषरूप से गेहूं की खेती की सफलता बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे यह संकेत मिलता है कि अन्य अनाजों और वाणिज्यिक फसलों में भी सफलता के क्षेत्र का विस्तार करके कृषि उत्पादन में सुस्थिर ढग से प्रगति होते रहने की सम्भावना है। इस सन्दर्भ में अनुसन्धान और विस्तार कार्य में तेजी लाने और आवश्यक निवेश सामग्री की उपलब्धि और वितरण में सुधार लाने का महत्व बढ़ गया है।

1.24. केवल एक वर्ष कृषि-फसल अच्छी होने से अर्थ व्यवस्था में आवश्यक सुस्थिरता प्राप्त कर पाना और विशेष रूप से अर्थ व्यवस्था के विकास और वृद्धि की गति को बढ़ा पाना सम्भव नही है, यह बात 1967-68 के अनुभव से सिद्ध हो गई है। इस अनुभव से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कुल मांग को प्रभावित करने में और विशेषरूप से पूंजीगत माल की मांग को प्रभावित करके आर्थिक कार्यकलापों की गति को बनाये रखने में सरकारी निवेश का योग महत्त्वपूर्ण है। मूल्यों में वृद्धि, यद्यपि गतवर्ष की अपेक्षा कम हुई फिर भी काफी अधिक हुई जिससे विकास के साधनों में और कमी आई। योजनाबद्ध विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के साधन कुल मिलाकर बहुत क्षीण हो गये और सरकारी निवेश में भारी कमी करनी पड़ी। निजी क्षेत्र में भी स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण में उल्लखनीय प्रगति नही हुई। अर्थ व्यवस्था में निवेश की दर और भी धीमी पड़ गई। विकास की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि गैर-मुद्रास्फीतिकारी उपायों से देश के आन्तरिक साधनों को पर्याप्त मात्रा में बढाने और जुटाने के कारगर कदम उठाए जायें।

रोजगार की स्थिति :

1.25. वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थ व्यवस्था में सुधार के लक्षण दिखाई दिए पर रोजगार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, विशेषरूप से संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। रोजगार बाजार की सूचना के आंकड़ों के अनुसार नौकरी, व्यापार और वाणिज्य, बिजली, गैस, जल और स्वच्छता सेवाओं में रोजगार की स्थिति में कुछ सुधार हुआ पर खान और खदान व निर्माण में रोजगार से लगे लोगों की संख्या में कमी आने से उपर्युक्त सुधार का प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो गया।

तारणी 2: मार्च, 1967 और मार्च 1968[1] में उद्योगवार रोजगार

उद्योग	मार्च 1969			मार्च 1968			(खाना 7 में खाना 4 से)
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग क्षेत्र	प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (—)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कृषि, बागान, पशुपालन, वन, मछलीपालन	2.3	8.7	11.0	2.5	8.5	11.0	—
खान और खदान	1.8	4.8	6.6	1.7	4.3	6.0	(—)9.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वस्तु निर्माण	6.9	37.5	44.4	7.3	37.1	44.4	—
निर्माण	7.6	2.3	9.9	7.5	1.5	9.0	(−)9.1
बिजली, गैर जल और स्वच्छता सेवायें	3.4	0.4	3.8	5.4	0.5	3.9	(−)2.6
व्यापार और वाणिज्य	1.7	3.5	5.2	1.8	3.5	5.3	(+)1.9
परिवहन, भंडारण और संचार	21.1	1 2	22.3	21.4	1.1	22.5	(+)0.9
सेवायें	51.5	8.5	60.0	52.4	8.8	61.2	(+)2.0
योग	96.3	66.9	163.2	98.0	65.3	163.3	(+)0.1

[1] ये आंकड़े उन संस्थानों के है जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति रोजगार से लगे हैं।

1.26. विभिन्न सामान्य विकास कार्य कलापों द्वारा उत्पन्न हुए नये रोजगार के अवसर 1967-68 के पूर्वार्ध में सहायता कार्य के रूप में विशेष रूप से उन राज्यों में उत्पन्न हुए जो सूखे से ग्रस्त थे। ये कार्यक्रम बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और उड़ीसा में चल रहे थे। भूमि संरक्षण, वन रोपण, लघु और मझोले सिंचाई कार्य, कुओं का निर्माण, तालाब और तत्सम्बन्धी परियोजनाओं के द्वारा अतिरिक्त रोजगार की तो व्यवस्था हुई ही साथ ही इन परियोजनाओं से स्थायी परिसम्पत्ति का निर्माण भी हुआ। सहायता कार्यों में 1967-68 के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई रोजगार की व्यवस्था का मोटा अनुमान 3760 लाख श्रम-दिवस था।

अध्याय 2

योजना परिव्यय और उसकी वित्तीय-व्यवस्था

1. योजना परिव्यय और लक्ष्य

वार्षिक योजना 1967-68 (गत) चौथी योजना की रूपरेखा (अगस्त 1966) में निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों के सम्पूर्ण ढांचे के अन्तर्गत दो चरणों में बनाई गई थी। फरवरी, 1967, में आम चुनाव होने के कारण वार्षिक योजना की तैयारी का काम दो चरणों में करना पड़ा। पहले चरण में, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अन्तरिम बजटों के अनुरूप, कराधान के विद्यमान स्तर के आधार पर योजना बनाई गई थी। अन्तिम बजटों के प्रस्तुतीकरण के बाद जब ससाधनों की समस्त स्थिति का पूरा विवरण उपलब्ध होने पर तो दूसरे चरण में वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर पुन: विचार किया गया। वर्ष 1968-69 के लिए मूलत. 2246 करोड के कुल परिव्यय का निश्चय किया गया था जो कि 1966-67 के 2221 करोड रुपये के सम्भावित योजना परिव्यय से थोड़ा ही ज्यादा था। तदनन्तर, कतिपय राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में तालमेल बढ़ाने के बाद यह रकम पुनरीक्षित कर 2240 करोड रुपये कर दी गई।

2.2. वर्ष 1967-68 के दौरान केन्द्र, राज्य तथा संघशासित क्षेत्रों में योजना खर्चों और परिव्यय का विवरण तथा तदनुरूप गत वर्षों के खर्चे का ब्यौरा निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। योजना परिव्यय का और अधिक विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है, और केन्द्र, राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के मध्य योजना का ब्यौरा परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

सारणी 1 : योजना खर्च और परिव्यय का वितरण : 1965-66 से 1967-68

(करोड रुपये)

	1965-66 वास्तविक	1966-67 वास्तविक	1967-68		स्तम्भ 5 का 4 से घट-बढ़ी (+) या घाटा (—)
			पुनरीक्षित परिव्यय	वास्तविक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
केन्द्र	1141	1125	1172	1030	(—) 142
राज्य	1129	991	999[1]	1002	(+) 3
संघशासित क्षेत्र	59	49	69[1]	58	(—) 11
कुल	2329	2165	2240	2090	(—) 150

[1] इन आकडों में वर्ष के दौरान स्वीकृत सीमान्त तालमेल भी ध्यान में रखा गया है।

2.3. वर्ष 1967-68 के लिए पुनरीक्षित योजना प्रावधान 2240 करोड़ रुपये का रखा गया था, इसके विपरीत वास्तविक खर्चा 2090 करोड़ रुपये का हुआ। इस प्रकार 150 करोड़ कम खर्च हुए, जिसमे सर्वाधिक क्षेत्र केन्द्र का था। अलग अलग राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का ब्यौरा परिशिष्ट 2.3 तथा 2.4 में दिया गया है।

2.4. तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1965-66 में योजना व्यय 2329 करोड़ रुपये था। 1966-67 में यह घट कर 2165 करोड़ रुपये रह गया यानी 7.0 प्रतिशत की कमी आई। सभीक्षाधीन वर्ष के दौरान वास्तविक योजना व्यय में और भी 3.5 प्रतिशत की कमी आई। यदि सामान्य मूल्य स्तर को भी देखा जाय तो वस्तुतः और भी कमी परिलक्षित होगी।

2.5. वर्ष 1966-67 की भांति आलोच्य वर्ष के लिए प्रस्तावित अधिकांश व्यय चालू योजनाओं के संबंध में था. विशेषकर उन योजनाओं के लिए जो शीघ्र पूरी की जा सकती हैं और या अब तक निर्मित क्षमताओं का उपयोग कर सकती हैं। सामान्यतया परियोजाओं और कार्यक्रमों का चयन निर्यात वृद्धि और आयात प्रतिस्थापना के आधार पर की जाती रही। सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों और समाज सेवाओं के क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम को दी जाती रही। वर्ष 1967-68 की योजना में बिजली, परिवहन तथा संचार जैसे अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार की भी व्यवस्था थी। उद्योग और खनिज क्षेत्र में औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने और उसमें कुछ विस्तार करने के लिए प्रावधान किया गया।

2.6. निम्न सारणी में 1967-68 के दौरान मुख्य मदो के अनुसार सरकारी क्षेत्र परिव्ययों का वितरण दिखाया गया है तथा उक्त वर्ष के खर्चे की दो पिछले वर्षों से भी तुलना की गई है।

सारणी 2: कुल योजना व्यय का मुख्य मदों के अनुसार वितरण :

1965-66 से 1967-68 तक

(करोड़ रुपये)

मुख्य मद	1965-66 (वास्तविक)		1966-67 (वास्तविक)		1967-68 परिव्यय	1967-68 (वास्तविक)	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कृषि कार्यक्रम . . .	231.04	9 92	260.10	12 02	295.31	248.12	11.87
सामुदायिक विकास व सहकारिता .	76 39	3 28	74 17	3 43	79.80	69 74	3.34
मुख्य तथा मध्यम सिंचाई (बाढ नियंत्रण सहित) . . .	174.59	7 50	149.39	6 90	140.80	144.68	6.92
बिजली	362.93	15.58	403.69	18.65	384.65	391.68	18.74
उद्योग व खनन . . .	527.02	22 63	514 24	23.75	520.23	472.19	22.60
ग्रामोद्योग व लघु उद्योग . .	53 31	2 29	42 98	2 00	42.61	43.82	2.10
परिवहन व संचार . . .	474 73	20 38	423.86	19 58	417 18	393.56	18.83
समाज सेवाएं . . .	393.64	16 90	268 78	12.41	317.19	294.73	14.10
अन्य कार्यक्रम . . .	35.49	1 52	27.30	1.26	42.77	31.31	1.50
कुल	2329.14	100.00	2164.51	100.00	2240.57	2089.83	100.00

2.7. स्पष्ट है गत वर्ष की तुलना में ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों (+ 1 करोड़) समाज सेवायें (+ 26 करोड़ और अन्य कार्यक्रम (+ 4 करोड़) को छोड़कर, अन्य सभी मुख्य मदों के योजना व्यय मे कमी हुई। उद्योग व खनन बिजली तथा कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता में क्रमश: 42 करोड़ रुपये, 12 करोड़ रुपये तथा 16 करोड़ रुपये की कमी आई। सिंचाई (मुख्य तथा मध्यम) में भी लगभग 5 करोड़ रुपये की कमी आई।

2.8. वर्ष 1967-68 की योजना परिव्यय की तुलना मे, सिंचाई, बिजली तथा ग्रामोद्योगों एवं लघु उद्योगों को छोड़कर सभी मुख्य मदों के वास्तविक व्यय में, जिसमें समस्त रूप से सभी भागीदार हैं, में 6.7 प्रतिशत की कमी हुई। कृषि कार्यक्रमों (16 प्रतिशत), सामुदायिक विकास एवं सहकारिता (12.6) प्रतिशत, उद्योग व खनन (9.2) प्रतिशत और समाज सेवाएं (7.1 प्रतिशत) कार्यक्रमों में उल्लेखनीय कमी परिलक्षित हुई। परिवहन और संचार तथा अन्य कार्यक्रमों में भी कमी दिखाई दी। कृषि उत्पादन, मछलीपालन एवं सहकार के अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमों में कमी का मुख्य भाग रिकार्ड किया गया। मुख्य कारण सम्बद्ध अध्यायों में बताये गये हैं। उद्योग व खनन क्षेत्र में कमी मुख्यत: बोकारो इस्पात संयंत्र, कोयना व कोरबा अलुमीनियम परियोजनाओं और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, भारतीय तेल निगम और वित्तीय संस्थानों को मिलने वाली ऋण सहायता में हुई। यह कमी मुख्यत: बोकारो शहर तथा अन्य असैनिक कार्यों के निर्माण को निलम्बित करने या देर से करने, उपरण व अनिवार्य चीजों के देर से मिलने और कोयना तथा कोरबा अलुमीनियम परियोजनाओं के लिए परामर्श- दात्री व्यवस्थाओं में समीक्षा करने के लिए निर्णय के कारण हुई। विभिन्न वित्तीय संस्थानों को ऋण सहायता की जो वास्तविक राशि उपलब्ध की गई वह भी स्वीकृत परिव्यय से कम रही क्योंकि संगठित औद्योगिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण भागों में मंदी का दौर रहा।

2.9. समाज सेवाओं के अन्तर्गत, स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर जिसमें योजना परिव्यय तथा वास्तविक व्यय में शायद ही कोई व्यवधान रहा हो और पिछड़े वर्गों के कल्याण जिसमें काफी वृद्धि हुई, अन्य सभी सेवाओं में कमी आई। शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, समाज कल्याण, शिल्पी प्रशिक्षण श्रम व श्रम कल्याण व आवास, देहाती विकास और जल सम्भरण में बहुत ज्यादा कमी हुई। वित्तीय बंदिशों तथा सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए शिक्षा से अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मे धन को व्ययवर्तन करने के कारण मुख्यत: सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत प्रगति धीमी रही। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत खर्चे में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि वर्ष के दौरान कोई नई संस्था नहीं खोली गई क्योंकि इंजीनियरों मे बेरोजगारी बढ़ी हुई थी और अंशत: विदेशी मुद्रा की कमी होना भी इस का अन्य कारण है। असैनिक निर्माण कार्यों के पूरा होने में और कर्मचारियों की भर्ती में देरी होने के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत कतिपय योजनाओं की प्रगति हुई। समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कमी अधिकांशत: कुछ मदों का लेखा शीर्ष "समाज कल्याण विभाग" से शिक्षा मंत्रालय में हस्तान्तरण होना है। कुछ राज्यों में समाज कल्याण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संगठन भी नहीं थे। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में कमी होने की अधिकांश जिम्मेदारी अतिरिक्त पदों की स्वीकृति में प्रशासनिक देरी, तकनीकी कर्मचारियों की कमी और परिवार नियोजन केन्द्रों व उप-केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण कार्य में अन्तराल आदि का होना है। शिल्पी प्रशिक्षण और श्रम कल्याण को भी इस समस्त कमी में भागीदार बनना पड़ा। इसका मुख्य कारण यह था कि वार्षिक योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परिकल्पित

अतिरिक्त स्थानों का 60 प्रतिशत वस्तुत: 1967-68 में भरा गया। गंदी बस्ती में रहने वाले अन्य स्थानों पर जाने के लिए अनिच्छुक हैं इसके अलावा आवास और शहरी विकास के खर्चे की गति शिथिल होने के मुख्य कारण थे सामान्यतया आवास योजनाओं को निम्न प्राथमिकता दिया जाना, कतिपय राज्यों में आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त प्रशासनिक ढांचे की कमी होना और गंदी बस्तियों के अधिग्रहण में कानूनी अड़चने पड़ना।

2.10. विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक लक्ष्यो और उपलब्धियो को दर्शाते हुए एक विवरण परिशिष्ट 2 5 में दिया गया है।

2. योजना के लिए वित्तीय-व्यवस्था

2.11. नीचे की सारणी में 1967-68 में सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था का वास्तविक ढांचा दर्शाया गया है। इस के साथ साथ वित्त व्यवस्था की मूल योजना और जुलाई, 1968 में तैयार किये गये पुरनीक्षित अनुमान भी दिए गए है।

सारणी 3 : वर्ष 1967-68 में योजना परिव्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था

(करोड़ रुपये)

	मूल अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान[1]	वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)
क. योजना परिव्यय	2246[2]	2205	2090
ख. योजना परिव्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था			
1. घरेलू बजट संसाधन			
1 1965-66 की कराधान दर मे चालू राजस्व से बचत	246	−11	71
2. 1965-66 की किराये एव भाडे की दरो मे रेलो का अशदान	−29	−62	−62
3 योजना क लिए अतिरिक्त संसाधन जुटा ने के लिए अपनाए गये तरीकों मे होने वाली आय को छोड कर अन्य सरकारी उद्यमों मे बचत।	239	174	171
4. सरकारी उद्यमों के अधिशेष को बढाने के लिए अपनाए गए उपायों सहित अतिरिक्त कराधान			
(क) केन्द्र द्वारा (रेल सहित)			
(1) 1966-6 के उपाय	155	144	144

(1)	(2)	(3)	(4)
(2) 1967-68 के उपाय	125	107	107
(ख) राज्यों द्वारा			
(1) 1966-67 के उपाय	26	23	23
(2) 1967-68 के उपाय	26	25	23
5. जनता से ऋण (शुद्ध)	204	204	224
6. अल्प बचत . .	136	110	123
7. स्वर्ण बांड, इनामी बांड और अनिवार्य जमा . .	−3	−1	−1
8. वार्षिकी जमा . .	22	28	35
9. राज्य भविष्य निधिया .	85	120	113
10. विविध पूंजीगत प्राप्तियां (शुद्ध)	−50	34	−82
जोड़—1	**1182**	**891**	**896**
2. विदेशी सहायता के अनुरूप बजट से प्राप्तियां			
1. पी० एल० 480 से अतिरिक्त	712	590	597
2. पी० एल० 480 सहायता .	284	365	373
कुल—2	**996**	**955**	**970**
3. कुल बजटीय संसाधन . .	**2178**	**1846**	**1866**
4. घाटे की वित्तीय व्यवस्था .	**14**	**359**	**224**
5. कुल संसाधन . . .	**2192**	**2205**	**2090**
6. संसाधनों में अन्तर . .	54[3]	—	—

[1] 1968-69 में केन्द्र के बजट कागजों में अंकित पनरीक्षित अनुमान और अक्तूबर-दिसम्बर, 1967 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा विचारविनिमय के लिए प्रस्तुत अद्यतन अनुमान।

[2] 1967-68 की वार्षिक योजना तैयार करते समय जैसा स्वीकृत किया गया। उक्त वर्ष के दौरान कतिपय फेर-बदल के परिणामस्वरूप, कुल स्वीकृत परिव्यय का पुनरीक्षण कर उसे 2240 करोड़ रुपये कर दिया गया।

[3] इस अन्तर को पूरा करने के लिए उपायों का निश्चय बाद में होना था।

स्पष्ट है कि 1967-68 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के घरेलू बजट संसाधनों से 896 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई यानी उक्त वर्ष के कुल योजना परिव्यय के 42.9 प्रतिशत। विदेशी सहायता के अनुरूप बजट प्राप्तिया 970 करोड़ रुपये यानी योजना परिव्यय के 46.4 प्रतिशत थी। बकाया 224 करोड़ रुपये यानी कुल के 10.7 प्रतिशत योजना परिव्यय की पूर्ति घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा की गई। केन्द्र और राज्यों का क्रमिक ब्यौरा परिशिष्ट 2.6 में दिया गया है। योजना के लिए पृथक-पृथक संसाधनों के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी नीचे दी जा रही है :

चालू राजस्व से बकाया :

2.12. 1965-66 की कराधान की दर से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के चालू राजस्व से 1967-68 की वार्षिक योजना के लिए 71 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त हुई। यद्यपि मूल अनुमान की तूलना में यह बहुत बड़ी कमी थी परन्तु जुलाई 1968 में तैयार किये गये पुनरीक्षित अनुमानों की परिकल्पना के अनुसार यह कमी थोड़ी थी।

2.13. केन्द्र में, बकाया राशि 23 करोड़ रुपये हुई, जबकि मूल अनुमान 173 करोड़ रुपये का था। इसका मूल कारण राजस्व से होने वाली प्राप्तियों का घटना है। गैर-योजना व्यय वास्तव में मूल अनुमान में की गई परिकल्पना से कुछ कम ही रहा। राजस्व प्राप्तियों से कमी का अधिकाश भाग लगभग 125 करोड़ रुपये से अधिक केवल सीमा शुल्क में कमी के कारण था। उत्पादन शल्क तथा निगम कर से होने वाली प्राप्तियां भी काफी कम थी। आय कर से अधिक प्राप्तिया हुई, परन्तु यह वृद्धि राज्यों के भाग में हुई वृद्धि करने के लिए भी पर्याप्त न थी। गैर-कर राजस्व में भी सुधार हुआ।

2.14. राज्यों में, योजना के लिए वस्तुत. जो बकाया राशि उपलब्ध की गई वह मूल अनुमानो से लगभग 25 करोड़ कम थी। राज्य करों से प्राप्तियां और केन्द्रीय करों का भाग पहले के अनुमानों से अधिक प्राप्त हुआ परन्तु विभागीय उद्यमों, ब्याज इत्यादि से कम प्राप्तिया होने के कारण करेत्तर राजस्व मे कमी हो गई और यह वृद्धि अंशत. बराबर हो गई। दूसरी तरफ गैर-योजना व्यय मे मुख्यत. सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन देने, अकाल सहायता पर अधिक खर्चा करने और नार्मल पुलिस पर किए जाने वाले खर्च मे बढ़ोत्तरी के कारण, काफी वृद्धि हुई।

रेलों का अंशदान :

2.15. 1965-66 के किराये और माल भाड़े की दरो के अनुसार, 1967-68 में अपने विकास कार्यक्रम को वित्त उपलब्ध करने मे रेलो का वास्तविक अशदान (–) 62 करोड़ रूपये का था, जब कि मूल अनुमान –(29) करोड़ रुपये का था। बहरहाल, यह राशि वही थी जो पुनरीक्षित अनुमानों में अंकित की गई थी। मूल अनुमान की तूलना में रेलों के अंश में जो गिरावट आई उसमें मुख्यतया ये कारण है : (1) 1965-66 के किराये और माल भाड़े की दरों के अनुसार, रेलों की कुल आमदनी में लगभग 27 करोड़ रुपये की कमी हुई। यह मुख्यत: 1967-68 में वार्षिक योजना तैयार करने समय परिकल्पित 85 लाख मीट्रिक टन वृद्धि की अपेक्षा कम थी क्योंकि राजस्व प्रदान करने वाले माल के यातायात में 1966-67 में 16 लाख मीट्रिक टन की कमी हो गई। (2) रेलवे कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने और कोयला, डीजल और बिजली की लागत में वृद्धि के कारण चालू खर्चे में 21 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और (3) वर्तमान प्रतिस्थापना व्यय में लगभग 16 करोड़ रुपये की कमी हुई।

अन्य सरकारी उद्यमों का अंशदान :

2.16. अन्य सरकारी उद्यमों का अंशदान यद्यपि पुनरीक्षित अनुमानों में जैसा अंकित किया गया है उससे कुछ अधिक था, परन्तु वित्त-व्यवस्था की मूल योजना की परिकल्पना से काफी कम था। अंशदान में कमी का मुख्य कारण अर्थ व्यवस्था में आई मंदी तथा कुछ उद्यमों में क्षमता का अपूर्ण उपयोग होना था। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जो बिजली का उत्पादन और बिक्री की गई वह भी पूर्व कल्पनाओं से कम थी।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना :

2.17. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा जो उपाय अपनाए गये उनसे 1967-68 में लगभग 167 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

2.18. 1967-68 की वार्षिक योजना तैयार करते समय 1967-68 में केन्द्रीय सरकार तथा रेलों द्वारा जिन अन्य उपायों की घोषणा की गई उनसे 1967-68 में लगभग 125 करोड़ रुपये और पूरे वर्ष में 151 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी। जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी 4 : केन्द्रीय सरकार और रेलों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना

(करोड़ रुपये)

	1967-68 में प्राप्ति	पूरे वर्ष में प्राप्ति
क. **केन्द्रीय सरकार**		
संघीय उत्पादन शुल्क . . .	98.1	115.5
आयात शुल्क	5.8	7.3
निर्यात शुल्क	(−) 16.7	(−) 19.0
डाक दर में परिवर्तन	3.0	4.4
कुल	92.2[1]	108.2[1]
ख. **रेलें**		
रेल किराये और भाड़े में वृद्धि . . .	35.0[2]	43.3[2]
कुल जोड़	125.2	151.5

[1]इन अनुमानों में आय तथा निगम करों में दी जाने वाली रियायतों से होने वाली 5 करोड़ की अनुमानित हानि को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि सम्भावना यह थी कि स्रोत में कर की अदायगी के विस्तार के कारण अच्छी वसूली होगी और इससे हानि की पूर्ति हो जायेगी।

[2]तदनन्तर रेल बजट प्रस्तावों में घोषित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए।

2.19. बाद में, केन्द्रीय सरकार के बजट प्रस्तावों में कुछ रियायतों की घोषणा की गई। इसके अलावा, वर्ष के दौरान निर्यात और उत्पादन शुल्कों में कुछ रियायतें दी गई। इन रियायतों की लागत और 1968-69 के केन्द्र के बजट में घोषित सीमा तथा उत्पादन शुल्कों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए रेल सहित केन्द्र द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने से 1967-68 के दौरान कुल शुद्ध प्राप्ति अब लगभग 107 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस राशि में से लगभग 17 करोड़ रुपये राज्यों का अंश है।

2.20. जहां तक राज्यों का संबंध है 1967-68 की वार्षिक योजना बनाते समय उन्होंने उक्त वर्ष 5.1 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त संसाधन जुटाने का निश्चय किया था। लगान और अन्य करों में दी गई रियायतों पर उस समय लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना थी, इस राशि को निकाल कर राज्य सरकारों को लगभग 26 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने थे। इसके विपरीत, राज्य सरकारों द्वारा जो उपाय अपनाए गए उनसे अब 1967-68 के दौरान लगभग 23 करोड़ रुपये तथा 1968-69 में 43 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी 5 : 1967–68 में राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना

(करोड़ रुपये)

	1967-68 में प्राप्ति	1968-69 में प्राप्ति
लगान तथा कृषि आय कर	0.1	0.7
सिंचाई दर	0.2	0.2
बिक्री कर	9.1	16.8
राज्य उत्पादन कर में परिवर्तन और मद्य निषेध में छूट	12.3	14.2
मोटरगाड़ियों, सवारियों और माल पर कर	3.6	5.2
स्टाम्प शुल्क	2.2	3.2
मनोरंजन कर	0.6	0.8
बिजली शुल्क और तटकर	2.7	3.6
बस किराये का पुनरीक्षण	1.7	3.4
अन्य	2.3	2.3
जोड़	34.8	55.4
इसमें लगान तथा अन्य करों में दी गई रियायतों को घटाओं	(–) 12.2	(–) 12.8
शुद्ध अतिरिक्त संसाधन जुटाना	22.6	42.6

जनता से ऋण, लघु बचत, राज्य भविष्य निधियां, आदि :

2.21. 1967-68 के दौरान जनता द्वारा दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों में कुल 224 करोड़ रुपये जमा किये गये। यह राशि मूल अनुमान से काफी ज्यादा थी। वार्षिक योजना 1967-68 तैयार करते समय वार्षिक जमाओं तथा राज्य भविष्य निधियों, से प्राप्ति के जो अनुमान लगाये गये थे, इन मदों से उनसे कहीं ज्यादा प्राप्ति हुई। राज्य भविष्य निधियों में सुधार होने का मूल कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों को जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया गया, उसका एक अंश उनकी भविष्य निधि में जमा किया गया। लघु बचत के सम्बन्ध में जो मूल अनुमान लगाये गये थे प्राप्तियां उससे कम हुई।

विविध पूंजीगत प्राप्तियां :

2.22. शुद्ध विविध पूंजीगत प्राप्तियां अब लगभग (–) 82 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि मूल अनुमान (–) 50 करोड़ रुपये का था। उसमें 32 करोड़ रुपये की कमी हुई। अनाज के राज्य व्यापार की योजना के अन्तर्गत मुख्यत: भण्डारों की वृद्धि पर अधिक परिव्यय होने के कारण यह कमी आई।

विदेशी सहायता से तदनुरूप बचट से प्राप्तियां :

2.23. पी० एल० 480 से प्राप्त सहायता मूल अनुमान से लगभग 89 करोड़ रुपये अधिक थी क्योंकि पी० एल० 480 के अन्तर्गत अधिक मात्रा में अनाज का आयात किया गया। परन्तु अन्य विदेशी सहायता में कमी इस वृद्धि से ज्यादा हुई। परिणामस्वरूप, विदेशी सहायता के अनुरूप कुल बजट संसाधन मूल अनुमान से लगभग 26 करोड़ रुपये कम थे।

केन्द्रीय सहायता :

2.24. 1967-68 में राज्य योजनाओं के लिए मूलत: 590 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई। इसके बाद वृद्धि कर कुल आवंटन 595 करोड़ रुपये का हो गया। इसके विपरीत 1967-68 में केन्द्रीय सहायता का वास्तविक भुगतान लगभग 580 करोड़ रुपये का हुआ, यह राशि 15 करोड़ रुपये कम थी। इसका कारण कतिपय राज्यों की योजनाओं के वास्तविक व्यय, विशेष कर कृषि कार्यक्रमों में जिनके लिए सहायता प्रदान की गई थी, में कमी होना है। रिजर्व बैंक से लिये गये ओवर ड्राफ्टों के भुगतान के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को 1967-68 के दौरान 118 करोड़ रुपये का तदर्थ ऋण प्रदान किया गया।

घाटे की वित्त-व्यवस्था :

2.25. केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 1967-68 के दौरान 224 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त-व्यवस्था की गई। परन्तु यह राशि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पहले उपलब्ध किये गये पुनरीक्षित अनुमानों से काफी कम थी।

अध्याय 3

कृषि

योजना परिव्यय और व्यय :

सारणी 3.1 में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों सहित विकास की विभिन्न मदों का 1967-68 में वार्षिक योजना परिव्यय एवं व्यय दिखाया गया है। ऐसा देखा जा सकता है कि 375.14 करोड़ रुपये की कुल व्यय-व्यवस्था में से वास्तविक व्यय 317.86 करोड़ रुपया हुआ था, इस प्रकार 57.28 करोड़ रुपया कम खर्च हुए थे। इस राशि मे से ज्यादा अंश केन्द्र में कम खर्च हुआ था जहां 42.49 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। केन्द्र के खर्च में बड़ी कमी विकास की इन तीन कृषि उत्पादन, मत्स्य-पालन और सहकारिता मदो में हुई मत्स्य-पालन तथा सहकारिता मदों में कम खर्च के कारण सम्बद्ध अध्यायों में बताये गये है। कृषि उत्पादन में कम खर्च मुख्यरूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विस्तार और प्रशिक्षण की स्कीमो मे तथा वाणिज्यिक फसलो के विकास से सम्बन्धित स्कीमों में हुआ था।

कृषि उत्पादन की समीक्षा :

3.2. कुल उत्पादन के रूप में 1967-68 का वर्ष सर्वाधिक उत्पादन का वर्ष सिद्ध हुआ है। नीचे की सारणी में 1964-65 से आगे के वर्षों का कृषि उत्पादन का सूचकाक दिखाया गया है :

सारणी 1 : कृषि उत्पादन का परिशिष्ट : 1964-65 से 1967-68

(1949-50=100)

1964-65	158.5
1965-66	132.7
1966-67	132.0
1967-68	161.8

यह देखा जा सकता है कि 1967-68 के वर्ष में पिछले दो वर्षों की अपेक्षा काफी उत्पादन हुआ है, दोनों वर्ष सूखा-पीडित वर्ष थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष 1964-65 के रिकार्ड से आगे बढ़ गया था, यद्यपि यह बहुत थोड़ा ही था। यहा पर यह कहना भी आवश्यक है कि इतना होते हुए भी 1967-68 का कृषि उत्पादन 1949-50 से 1964-65 तक प्राप्त वास्तविक वृद्धि दर से होने वाले उत्पादन स्तर की अपेक्षा कम था।

3.3. विभिन्न फसलों के रूप में 1967-68 के वर्ष मे खाद्यान्न की फसलों का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। नीचे की सारणी में 1964-65 और उससे आगे वर्षों का चावल, गेहू, दाले आदि का उत्पादन दिखाया गया है

सारणी 2 : खाद्यान्न का उत्पादन : 1964-65 से 1967-68

(दस लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	चावल	गेहूं	अन्य अन्न	कुल अन्य	कुल दालें	कुल खाद्यान्न
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1964-65 . .	39.0	12.3	25.3	76.6	12.4	89.0
1965-66 . .	30.7	10.4	21.1	62.2	9.8	72.0
1966-67 . .	30.4	11.4	24.1	65.9	8.3	74.2
1967-68 . .	37.9	16.6	28.9	83.4	12.2	95.6

यह देखा जा सकता है कि 1967-68 में संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन एक तिहाई रिकार्ड उत्पादन तक पहुंच गया है, इसका मुख्य कारण गेहूं उत्पादन मे प्रत्यक्ष वृद्धि है। ज्वार, बाजरा, मक्का तथा अन्य अन्नों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। चावल के उत्पादन में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है परन्तु 1967-68 में इसका उत्पादन 1964-65 के स्तर तक नही पहुंचा था। दालों के बारे मे भी यही बात सही थी। यह कहा जा सकता है कि 1967-68 का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 1000 लाख मीट्रिक टन था। इस उपलब्धि में कमी का कारण चावल और दालों के उत्पादन में कमी होना था।

3.4. नीचे की सारणी में 1964-65 और उससे वर्षों का प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन दिखाया गया है :

सारणी 3 : प्रमुख वाणिज्य फसलों का उत्पादन : 1964-65 से 1967-68

फसल	इकाई	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	
					लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गन्ना (गुड़)	दस लाख मी० टन	12.03	12.10	9.50	12.00	9.96
कपास	दस लाख गांठे	5.66	4.76	4.97	7.00	5.56
तिलहन	दस लाख मी० टन	8.46	6.35	6.43	9.00	8.24
पटसन	दस लाख गांठे	6.02	4.47	5 36	7.50	6.37

यह देखा जा सकता है कि 1967-68 में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है फिर भी यह निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम थी। वास्तव में 1967-68 में केवल पटसन का उत्पादन स्तर ही 1964-65 की अपेक्षा आगे बढ़ा था। कपास, चीनी और तिलहन का उत्पादन 1967-68 में उत्पादन 1964-65 की अपेक्षा कम हो गया था।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा :

3.5. 1967-68 में कृषि अनुसधान एव शिक्षा के संस्थागत ढांचे को दृढ़ बनाया गया था। पिछले वर्षों में लिये गये सामान्य नीति निर्णयों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 1967-68 में केन्द्रीय सरकार से तीन मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थाओं को ले लिया था। इसी प्रकार आठ भूमि संरक्षण प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का उत्तरदायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को हस्तानरित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप 1967-68 की समाप्ति तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को 29 राष्ट्रीय अनुसधान संस्थाओ/केन्द्रो/प्रयोगशालाओं के प्रशासन का सीधा उत्तरदायित्व प्राप्त हो गया था। राज्य स्तर पर 1967-68 में राहुरी, महाराष्ट्र में एक और कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था इससे देश में कृषि विश्व-विद्यालयों की कुल सख्या 9 तक पहुच गई थी। जोरहाट, असम मे एक ऐसा ही विश्वविद्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित एक विधेयक आलोच्य वर्ष की समाप्ति के समय राज्य विधान सभा के पास विचाराधीन है।

3.6 जैसा पहले कहा जा चुका है, 1967-68 में कृषि अनुसधान के लिए योजना आवटन में से वास्तविक उपयोग बहुत कम हुआ था। इसका मुख्य कारण यह था कि अनेक नई अनुसधान परियोजनाए शुरू नही की जा सकी थी। यद्यपि हाथ मे लिए हुए अनुसधान कार्यों में अच्छी प्रगति हुई। 1967-68 मे गेहू की चार नई किस्मे, कल्याण सेना, सोनालिका, सफेद लरमा और एस 331 उगाई गई थी। इन किस्मों को स्टाक के लिए भंडार एव जंकरास्ट रावी विकसित किया गया, तथा उपभोक्ता पसन्द के अनुसार तैयार अबर रग का गेहू, लाल मेक्सिन गेहू से अलग निकाला गया था। इसी अवधि मे चावल को टाइचूग नेटिव से अच्छी किस्म की आइ आर-8 नम्स जो अधिक उपज वाली और कीडों से बचाने वाली है तैयार की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति कुफरी सिन्दूरी और कुफरी चन्द्रमुखी नाम की आलू की अधिक पैदावार वाली किस्मे पैदा होना है। ये किस्में केन्द्रीय आलू अनुसधान सस्थान द्वारा तैयार की गई है।

कृषि सामग्री :

3.7 1967-68 का वर्ष पूरे देश में बीज उत्पादन की दृष्टि से परावर्तन का बिन्दु था। पहली बार सकर किस्म की मक्का, ज्वार और बाजरा के प्रमाणित बीज एवं आधार बीजों की कमी को दूर किया गया था। देश उस स्थिति में पहुच गया था जब अधिक उपज वाली किस्मो के कार्यक्रम को सीमित बनाने में पर्याप्त मात्रा में बीजों का नही मिलना एक कारण नही रहा था। वास्तव में पर्याप्त दिये जाने की अवधि में हमारा देश इन बीजो का निर्यात कुछ पडोसी देशो को कर सका था, यद्यपि यह मात्रा थोडी थी।

3.8. इस वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम ने 121,450 हेक्टर मक्का के लिए, 36,000 हेक्टर सोरगम के लिए और 121,460 हेक्टर बाजरा के लिए काफी मात्रा में बीज तैयार किए गये थे। इसके अतिरिक्त निगम के अधीक्षण और प्रमाणीकरण के अधीन 445.000 हेक्टर

मक्का के लिए, 729000 हैक्टर सोरगम के लिए और 526,000 हेक्टर बाजरा के लिए बीज तैयार किये गये थे। निगम ने 31,000 हेक्टर क्षेत्र के लिए संकर बीज की प्रमानीकरण सेवा की व्यवस्था की थी। 1967-68 में निगम ने राज्यों के बीज उत्पादन कार्यक्रमों के अलावा 162,000 हेक्टर भूमि के लिए पर्याप्त धान का बीज तैयार किया था। गेहूं के लिए निगम ने दक्षिण के नीलगिरी क्षेत्र में गैर-मौसम में गेहूं की कुछ आधार बीजों की किस्मों को बहुगुणित किया था। इससे गेहूं के बीजों को बहुगुणित करने में तथा नई किस्मों की कमी को दूर करने में बहुत सहायता मिली है।

3.9. राष्ट्रीय बीज निगम के अलावा राज्य सरकारों, कृषि विश्व-विद्यालयों तथा निजी क्षेत्र की बीज कम्पनियों और बीज सहकारी संस्थाओं द्वारा उन्नत बीज उत्पादन की दिशा में काफी प्रयत्न किये गये थे। महत्वपूर्ण विकास कार्यों में एक बीज उगाने के कारखाने लगाये गये थे जिससे यह प्रतिवेदन दिये जाने वाले वर्ष के अन्त तक संख्या 82 हो गई थी। 1967-68 में दूसरा महत्वपूर्ण विकास कार्य भारत सरकार द्वारा बीज जांच दल गठित किया जाना था। यह दल बीज उत्पादन और वितरण की वर्तमान पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए गठित किया गया था। साल पूरा होने पर दल अपने प्रतिवेदन को पूरा कर रही थी।

3.10. नीचे की सारणी में रासायनिक उर्वरकों की खपत के आंकड़े दिखाये गये हैं:

सारणी 4 : रासायनिक उर्वरकों की खपत : 1966-67 और 1967-68

कार्यक्रम	इकाई	1966-67	1967-68	
			लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रासायनिक उर्वरकों की खपत				
(क) नाइट्रोजनीय (एन)	000 मी० टन	840	1350	1035
(ख) फास्फेट ($पी_2 ओ_5$)	,,	250	500	335
(ग) पोटाश ($के_2 ओ$)	,,	115	300	170

नाइट्रोजन की कुल उपलब्धता, मंडारगत माल, निर्यात तथा देशी उत्पादन सहित 12,50,000 मी० टन था। यह मात्रा लक्षित स्तर से कम थी रासायनिक उर्वरकों की खपत में कुल मिलाकर पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई यद्यपि यह मात्रा इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थी। इसके अनेक कारण थे। एक कारण यह था कि अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम में अनेक किस्मों के लिए सिफारिश की गई अधिकाधिक मात्रा सदैव वही नहीं रही। दूसरा कारण यह था कि उपयुक्त वितरण केन्द्रों और ऋण सुविधाओं के अभाव ने भी खपत के स्तर को प्रभावित किया था। अधिक निकासी की सुविधा के लिए इस वर्ष अपनाये गये तरीकों

में से एक देसी उर्वरक निर्माताओं का खुला बाजार कोटा बढ़ाना था। पहली अक्तूबर 1967 से यह कोटा 30 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था।

3.11. ग्रामीण तथा शहरी कम्पोस्ट तैयार करने से सम्बन्धित स्कीमें, हरी खाद तैयार करने के तरीकों को आगे बढ़ाना और मलमूत्र एवं मैले पानी के उपयोग की स्कीमें इस वर्ष चालू रही थी। हरी खाद तैयार करने का क्षेत्र 1966-67 में 80 लाख हैक्टर से बढ़ाकर 1967-68 में 84 लाख हैक्टर हो गया था। 1967-68 मे लगभग 40 लाख मी० टन शहरी कम्पोस्ट तैयार किया गया था जबकि पिछले वर्ष 37 लाख मी० टन तैयार हुआ था। 1967-68 में 1390 लाख मी० टन ग्रामीण कम्पोस्ट तैयार करने का अनुमान था। इसकी तुलना मे 1966-67 में 1220 लाख मी० टन तैयार हुआ था। योजना आयोग द्वारा शुरू में गठित की गई समिति ने 1967-68 में देश में कम्पोस्ट खाद कार्यक्रम को तेज करने के अवसर और संभावनाओं के बारे में प्रतिवेदन दिया था। समिति ने मार्गदर्शी आधार पर मशीन से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के कारखाने शुरू करने की सिफारिश की थी। प्रतिवेदन दिये जाने के वर्ष के अन्त तक इस दिशा में कोई खास प्रगति नही हुई थी।

3 12 अधिक पैदावार वाली किस्मो के लागू करने से तथा अन्य सघन कृषि विकास कार्यक्रमो के साथ फसलो की बीमारी एव कीडो पर नियत्रण को अधिक महत्व मिला था। वर्ष 1967-68 मे 360 लाख हेक्टर क्षेत्रफल मे पोध सुरक्षा के तरीके अपनाये गये थे, जबकि 1966-67 में 243 लाख हैक्टर क्षेत्रफल था, इस पर 38,266 मी० टन तकनीकी ग्रेड कीटनाशी औषधियो का इस्तेमाल हुआ था जिसका मूल्य 3450 लाख रुपया सूत्र के अनुसार तैयार को गई कीटनाशी था। देश मे कीटनाशी दवाइया तैयार करने वाले 66 कारखानो ने तकनीकी ग्रेड सामग्री की 30 विभिन्न कीटनाशी औषधिया कुल 31,145 मी० टन तैयार की थी। देशी एव आयातित कीटनाशी दवाओ को 93 कारखानो मे सूत्र के अनुसार मिश्रित किया गया था। कीटनाशी औषधि उद्योग के लिए प्राथमिकता के आधार पर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी की गई थी।

3.13. कृषि मशीनो के लिए इस वर्ष मुख्य बल कृषि उद्योग निगम के गठन और विकास पर दिया गया था। इसमे राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार के इक्विटी पूजी और प्रबंध दोनो मे ही हिस्सेदार है। 1967-68 से पहले महाराष्ट्र, पजाब, बिहार, असम, हरयाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सात कृषि उद्योग निगम बनाये गये थे। 1967-68 मे चार नए निगम आध्र प्रदेश, केरल, मैसूर और उड़ीसा मे गठित किये गये थे। यह देखा गया कि यद्यपि इन निगमों की गति-विधियो का केन्द्र-बिन्दु कृषि मशीने था फिर भी कुछ निगम पहले से ही उत्पादन कार्य जैसे उर्वरक कारखानों की स्थापना मे लगे हुए थे।

लघु सिंचाई :

3.14. 1967-68 में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 108.20 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था मे से 107 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ था। इसके अलावा इस वर्ष निजी लघु सिंचाई निर्माण कार्यों में संस्थागत वित्त का 70 करोड़ रुपया खर्च हुआ था जबकि 1966-67 में 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। लघु सिंचाई कार्यों से 13.7 लाख हेक्टर क्षेत्रफल लाभान्वित हुआ था जबकि लक्ष्य 14 लाख हेक्टर था। देश में शुरू किये गये सघन कृषि कार्यक्रमों ने इस वर्ष

इन निर्माण कार्यों की मांग को बहुत बढ़ा दिया है । इस कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को यहां नीचे की सारणी में दिया गया है :

सारणी 5 : वघु सिंचाई 1967-68 प्रगति

मद	लक्ष्य		उपलब्धि	
	संख्या	लाभान्वित क्षेत्रफल (हेक्टर)	संख्या	लाभान्वित क्षेत्रफल (हेक्टर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खोदे गए कुएं	160000	162000	197000	199400
बोरिंग किये गये कुए .	80000	32400	34000	34000
निजी नलकूप	23800	115600	47000	228300
डीजल पम्पसेट .	70000	141700	65000	131600
बिजली के पम्पसेट .	150000	242900	183000	296300
राज्य नलकूप .	1000	101200	1000	101200

फिलहाल वर्तमान बहती सिंचाई परियोजनाओं वाले अग्रिम क्षेत्रो मे इनमे से अनेक निर्माण कार्य सपादित किये गये थे ताकि सहायक सिंचाई की व्यवस्था हो सके ।

3.15. विभिन्न राज्यो मे तकनीकी संगठनो को ड्रिलिंग के साधन देकर सुदृढ बनाया गया था । इसके अलावा समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा समन्वेषण कार्य किया गया था, वह 1967-68 मे शुरू किया गया भूमिगत जल सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए एक केन्द्र संचालित कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरयाणा, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, मैसूर और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इस वर्ष भूमिगत जल सेल गठित किये थे । सतही जल भंडारण और सिंचाई परियोजनाओं के रुख परिवर्तन के सम्बन्ध मे इस वर्ष राज्य सरकारों ने मुख्यरूप से चालू स्कीमों को पूरा करने पर बल दिया था ।

भूमि संरक्षण :

3.16. 1967-68 में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के लिए 24.37 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था और व्यय 27.37 करोड़ रुपया हुआ था । व्यय में यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्य योजनाओं में हुई थी । विभिन्न राज्यों में लगभग 250 भूमि संरक्षण स्कीमे शुरू हुई थी जिन से लगभग 13 लाख हैक्टर कृषि भूमि लाभान्वित हुई थी ।

3.17. तेरह नदी घाटी परियोजनाओं के अपवाह क्षेत्र में केन्द्र संचालित भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अधीन जलाशयों में मिट्टी जमा होने की गति को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य से

साधनों को तेज किया गया था। कटाव सघनता के अनुसार क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए हवाई फोटो व्याख्या अधिकांश अपवाह क्षेत्रों मे पूरी हो चुकी थी और भूमि संरक्षण कार्य मुख्य रूप से खतरनाक क्षेत्रों तक सीमित रहा था।

3.18. क्षारीय, अम्लीय एवं जल प्लावित क्षेत्रों के सुधार के लिए मार्गदर्शी परियोजना गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में जारी रही थी। खादर क्षेत्रों के सर्वेक्षण की स्कीम तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश मे क्रियान्वित हुई थी। 1967-68 में केन्द्रीय खादर सुधार बोर्ड राज्यो के प्रतिनिधि के साथ गठित किया गया था। इसका लक्ष्य कृषि योग्य भूमि की तरफ खादर को बढ़ने से रोकना था और समन्वित आधार पर उसके समुचित उपयोग की स्कीमें बनाना था।

3.19. अखिल भारतीय मिट्टी एवं भूमि सर्वेक्षण को केन्द्रीय स्कीम के अधीन इस वर्ष पांच लाख हैक्टर क्षेत्रफल का सर्वेक्षण किया गया था। छब्बीस भूमि सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार हुई थी और सम्बध राज्यो को भूमि सर्वेक्षण तथा अन्य कृषि विकास कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन और आयोजन के लिये भेज दी गई थी। राज्यों के तथा अन्य अधिकारियो के लिए भूमि सर्वेक्षण के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये गये थे। विकास के विभिन्न पहलुओ के आंकड़े एकत्रित करने, परिसुलन करने, विश्लेषण करने और मानचित्र बनाने के लिए एक स्रोत सूची केन्द्र भी खोला गया था।

सघन कृषि कार्यक्रम :

3.20. सघन कृषि कार्यक्रमो के मुख्य तीन अंग हैं, जैसे सघन कृषि जिला कार्यक्रम, अधिक उपज वाली किस्मो का कार्यक्रम और बहुफसली खेती। सघन कृषि जिला कार्यक्रम। तीसरी योजना में सात चुनीदा जिलो मे शुरू हुआ था। बाद मे इसे आठ अन्य जिलों में शुरू कर दिया गया प्रत्येक राज्य के एक जिले में शुरू हुआ केवल केरल राज्य के दो जिलों मे शुरू हुआ था। 1967-68 में हरयाणा राज्य बनने पर करनाल जिला भी सघन कृषि जिला कार्यक्रम की सूची मे जोड़ लिया गया। 1967-68 की समाप्ति तक सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिलो के 278 खडो के 25,639 गांवों में 13 लाख काश्त करने वाले परिवार आ गए थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाला कृषि क्षेत्र 31.8 लाख हेक्टर था जबकि इन जिलो का कुल कृषि क्षेत्रफल 85.5 लाख हेक्टर था। उन्नत प्रोद्योगिकी अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करने नया वैज्ञानिक ढग से निवेश की आवश्यकताए निधारित करने के साधन के रूप में इन जिलो मे प्रत्येक भाग लेने वाले काश्तकार का फार्म आयोजन जारी रहा था। फार्म योजनाओं की सख्या में हर वर्ष तेजी से वृद्धि हुई थी और 1967-68 मे यह 12.8 लाख हो गई थी। इस प्रकार कुल फार्म परिवारों की संख्या का 42 प्रतिशत इस स्कीम में आ गया था। इस फार्म नियोजन कार्यक्रम को और भी बल देने के लिए विभिन्न फसलो के अनेक समन्वित प्रदर्शन आयोजित किये गये थे ताकि सिफारिश की गई पद्धतियो के प्रभाव के बारे मे किसानों को आश्वस्त किया जा सके। 1967-68 में विस्तार कर्मचारियों द्वारा ऐसे 12,000 प्रदर्शन आयोजित किये गये थे।

3.21. अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के दूसरे वर्ष 1967-68 मे कुल 60.4 लाख हैक्टर भूमि आई थी जो पिछले वर्ष के वास्तविक क्षेत्रफल की अपेक्षा तीन गनी थी। नीचे

दी गई फसल-वार तालिका से यह देखा जा सकेगा कि खरीफ में कमी से ही रबी की उपलब्धि के आसार थे :

सारणी 6 : अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम : 1967-68

(दस लाख हैक्टर)

फसल	खरीफ		रबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
धान . .	1.62	1.11	0.81	0.67	2.43	1.78
ज्वार . .	0.60	0.28	0.43	0.32	1.03	0.60
बाजरा . .	0.45	0.26	0.04	0.05	0.49	0.41
मक्का . .	0.41	0.20	0.20	0.09	0.71	0.29
गेहूं . .	—	—	1.42	2.96	1.42	2.96
कुल . .	3.18	1.95	2.90	4.09	6.08	6.04

3.22. 1967-68 में हुई कुल प्रगति उत्साहवर्धक है। गेहूं के परिणाम बहुत ही अच्छे रहे, इसका क्षेत्र भी बहुत ज्यादा था तथा फसल की मात्रा में भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा और राजस्थान जैसे अधिक गेहूं पैदा करने वाले राज्यों के किसानों की कल्पना को साकार किया। उत्तर प्रदेश में गेहूं के उन्नत किस्में सर्वाधिक 16 लाख हेक्टर क्षेत्र में पैदा की गई। बाजरा भी अच्छा रहा। परन्तु चावल, मक्का और ज्वार कुछ ज्यादा अच्छे नही रहे। धान में अधिक कमी का कारण मुख्यरूप से उपभोक्ताओं द्वारा कुछ किस्मों को नही अपनाना था विशेषरूप से ताइनान-3 और ताईचुंग नेटिव को नही अपनाया था। इसलिए कमी का कारण उत्पादित माल के बाजार का अभाव होना था। इसके अलावा चावल की कुछ विशेष समस्याएं थी जैसे कुछ नई किस्मों में कीड़े एवं बीमारियों के लगने की संभावना। मक्का में तथा कुछ मात्रा तक संकर ज्वार में कमी का मुख्य कारण किसानों द्वारा स्थानीय किस्मों को प्राथमिकता देना था जिनकी उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मांग थी।

3.23. अन्य अच्छे परिणाम देने वाली नई किस्मों में एक आई आर-8 धान की किस्म है वह तेजी से ताइनान-3 का स्थान ले रही है इसके दो कारण हैं, एक तो उपभोक्ताओं द्वारा इसे पसन्द किया जाना है तथा दूसरा, इसकी अधिक रोग-रोधी क्षमता। गेहूं की मैक्सिकन बोनी किस्में उत्तर के राज्यों के किसानों में बहुत लोकप्रिय हुई है। महाराष्ट्र ने संकर ज्वार को सफल बना लिया है। गेहूं की नई किस्मों की औसत पैदावार प्रति हैक्टर 2740 किलोग्राम से 5040 किलोग्राम के बीच है और धान की उपज प्रति हैक्टर 2465 किलोग्राम से 7230 किलोग्राम के बीच है। मक्का और ज्वार की प्रति एकड़ पैदावार क्रमशः 2240 किलोग्राम से 4115 किलोग्राम एवं 1805 किलाग्राम से 4510 किलोग्राम रही है। स्थानीय किस्मों की अपेक्षा नई किस्मों की ज्येष्ठता का अहग्राम बढ़ता जा रहा है तथा आने वाले वर्षों में इनकी स्वीकृति की संभावना है।

3.24. कार्यक्रम का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न फसलों में अलग अलग रहा, फिर भी कुल मिलाकर परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। जिन राज्यों में सिंचाई सुविधाएं या पर्याप्त वर्षा होती है तथा अन्य चीजें, विशेष रूप से उर्वरक समय पर उपलब्ध होते हैं वहां काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

बहु-फसली खेती :

3.25. बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य उपयुक्त क्षेत्रों में पर्याप्त अन्य सामग्री की सहायता से अल्पावधि में तैयार होने वाली किस्में चालू करके तथा वर्ष में दो या तीन फसलें उगाना है। यह कार्यक्रम 1967-68 में शुरू किया गया था जब बहुफसली खेती के अन्तर्गत 30 लाख हेक्टर भूमि लाने का प्रस्ताव था। वास्तविक उपलब्धि 36.4 लाख हेक्टर होने के करण लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया गया था। इस वर्ष तमिलनाडु के थंजोर जिले में सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अधीन बहुफसली खेती के परीक्षण की सफलता से किये गये थे जहां एक फसली सम्बा धान के बजाय अल्पावधि वाली ए डी टी-27 की स्थानीय उन्नत द्वि-फसली धान की किस्म को उगाना संभव बनाया गया था। मशीन से सुखाने, भंडार करने, तैयार करने और माल की ढुलाई करके कार्यक्रम की सहायता की गई थी।

कृषि के लिए ऋण :

3.26. जून, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में कृषि ऋण दिये जाने का संस्थागत उत्तरदायित्व मुख्यरूप से सहकारी संस्थाओं पर बना रहा था। उनके कार्यों का विश्लेषण और पुनरीक्षण अलग से सहकारिता के अध्याय में किया गया है। फिर भी, वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण के लिए सन्स्थागत सहायता को अधिकाधिक बढ़ाने के प्रयत्नों को तेज किया गया था। समुचित नीति और पद्धतियों को निर्धारित करने के लिए अनेक राज्यों में बैंकों और सरकार के प्रतिनिधियों के सम्मेलन किये गये थे। रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से रियायती ब्याज दर लेने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। यह दर रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये इस ऋण के लिये होगी जो उन बैंकों द्वारा प्राथमिकता के क्षेत्रों, जिसमें कृषि की आवश्यकता आ जाती है, को दिये गये पेशगी धन के कारण बढ़ी हुई राशि के बराबर होगी। अप्रैल 1968 में वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से कृषि वित्त निगम की स्थापना हुई थी।

3.27. कृषि पुनर्वित्त निगम ने 1967-68 में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया था। इसने 89 नई परियोजनाएं स्वीकृत की थी, जिनके लिए कुल 68.16 करोड़ रुपये का परिव्यय था। फिर भी, निगम द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति और धन की वास्तविक प्राप्ति में समय का काफी अन्तराल रहा था। 30 जून, 1968 तक निगम ने कुल 12.65 करोड़ रुपया वितरित किया था जबकि वादा 90.59 करोड़ रुपये का था।

3.28. आलोच्य वर्ष में कृषि उद्योग निगम ने 11 राज्यों में कृषि सम्बंधी मशीनें किराया खरीद पद्धति पर देने की सुविधा की शुरूआत की। मई, 1968 में संसद में असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में जहां सहकारी ऋण का ढ़ाचा विशेष रूप से कमजोर है, कृषि ऋण निगम स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाया गया था।

भंडार और भण्डारण :

3.29. 1967-68 के अंत तक खाद्य विभाग (खाद्य और कृषि मंत्रालय) एवं भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 21.1 लाख मी० टन भंडारण क्षमता थी जबकि 1966-67 के अंत

तक वह क्षमता 20.2 लाख मी० टन थी। इस वर्ष भंडार निर्माण कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा। 1967-68 में अच्छी फसल पैदा होने के कारण पंजाब और हरयाणा जैसे काफी बचत वाले राज्यों में भंडारण सुविधा की भारी कमी महसूस हुई है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन राज्यों में जनवरी, 1968 में 75,000 मी० टन क्षमता के भंडारों के निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम शुरू हुआ था। खाद्य विभाग के पास 1964 के प्रारम्भ में भाड़े के भंडारों की क्षमता 12 लाख मी० टन थी जो 1957 के प्रारम्भ में घटकर लगभग आधी रह गई और उस वर्ष के अन्त तक वह और भी घटकर 450,000 मी० टन हो गई थी। बन्दरगाहों पर अनाज की मशीनों से ढोने की सुविधा के कार्यक्रम के अंग के रूप में कांडला बन्दरगाह पर 50,000 मी० टन क्षमता का एक सीलों निर्माण करने के बारे में प्रारम्भिक कार्यवाही की गई थी।

3.30. 1966-67 की समाप्ति तक केन्द्रीय भंडारण निगम 80 भंडार ग्रह और 21 त्वरित कार्यक्रम भंडारग्रह चला रहा था जिनकी कुल भंडारण क्षमता 7.94 लाख मी० टन थी। 1967-68 में 0.96 लाख मी० टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ा दी गई थी। 1967-68 की समाप्ति तक 80 समाप्य भंडारग्रह और 21 त्वरित कार्यक्रम भंडारग्रह थे जिनकी कुल क्षमता 8.45 लाख मी० टन थी।

3.31 प्रतिवेदन दिये जाने वाले वर्ष में राज्य भंडारण निगमों ने अपनी भंडारण क्षमता में 15,552 मी० टन क्षमता और जोड़ दी थी। 1967-68 के अन्त तक 127 केन्द्रों में अपने ही गोदामों में कुल भंडारण क्षमता 227,000 मी० टन थी।

3.32. इस दिशा में सहकारी संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति 'सहकारिता एवं सामुदायिक विकास' के अध्याय में बताई गई है।

कृषि विपणन :

3.33. देश में बाजारों के नियमन की दिशा में काफी प्रगति हुई थी। 1968 के प्रारम्भ में नियमित बाजारों की संख्या 1810 थी जबकि 1967 के प्रारम्भ में यह संख्या 1707 थी। कृषि, बागवानी एवं पशुओं के सम्बन्ध में अनेक विपणन सर्वेक्षण किये गये थे। चुनीदा जिंसों के लिए निर्यात से पूर्व एगमार्क के अधीन अनिवार्य ग्रेडिंग की पद्धति जारी रही थी। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए तथा उन्हें अच्छा माल उपलब्ध कराने के लिए देश में ही खपत की अनेक कृषि जिन्सों को भी एगमार्क के अधीन वर्गीकृत कर दिया गया था। किसान स्तर पर ही वर्गीकरण किया गया ताकि किसान को अपने माल की किस्म के अनुसार मूल्य प्राप्त हो सके, यह कार्य 377 एककों में चालू था। पटसन उत्पादन वाले राज्यों में 40 पटसन वर्गीकरण केन्द्रों की स्थापना के अलावा एक लिंट एकक सूरत में और 30 कपास वर्गीकरण केन्द्र कपास उगाने वाले राज्यों में खोले गये थे।

3.34. 1967-68 में अनेक कृषि जिन्सों—खाद्यान्न और खाद्यान्नेतर के न्यूनतम सहायक मूल्यों को बढ़ाया गया था। कपास के सम्बन्ध में कानूनी मूल्य नियंत्रण हटा दिया गया था, परन्तु न्यूनतम सहायक मूल्य पिछले निम्नतम मूल्य की अपेक्षा अधिक निश्चित किया गया था। कच्चे पटसन के मूल्य शुरू में गिरे थे और वे 1967-68 के सहायक मूल्य स्तर से भी नीचे पहुंच गये थे। इससे अन्तर्वर्ती बाजारों में कच्चे पटसन की अपर्याप्त क्रय मशीनरी होने का आभास मिलता है। फिर भी, वर्ष के उत्तरार्ध में पटसन के मूल्य फिर ऊंचे उठ गये थे। यह राज्य व्यापार निगम का पटसन बाजार में प्रवेश तथा निगम द्वारा मूल्य सहायक क्रय कार्यों का आंशिक प्रभाव था।

अध्याय–4

पशु पालन, मत्स्य पालन तथा वन

1—पशुपालन

1967-68 की वार्षिक योजना मे पशुपालन तथा दुग्ध उद्योग के लिए कुल 22 30 करोड़ रुपये का कुल आवटन किया गया था। इस परिव्यय की तुलना मे वास्तविक व्यय केवल 19 19 करोड़ रुपये हुआ। परिव्यय तथा व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार था:

(करोड रुपये)

उपशीर्ष	परिव्यय			व्यय		
	केन्द्र	राज्य तथा सघशासित क्षेत्र	कुल	केन्द्र	राज्य तथा सघशासित क्षेत्र	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पशुपालन	1 18	20.21	21.39	1 97	9 97	11 94
दुग्ध उद्योग तथा	0.91	[1]	0.91	0.57	0.68	7.25
दुग्ध सभरण	2.09	20 21	22.30	2.54	16 64	19 19

4.2 वर्ष के दौरान वर्तमान 22 परियोजनाओ के अतिरिक्त गोहाटी, जम्मू, अल्वाय, राजकोट तथा बरासत (पश्चिम बगाल) मे पाच नई सघन पशु विकास परियोजनाए चालू की गई। इन परियोजनाओं की व्यवस्था वर्तमान दुग्ध सयत्रो तथा जम्मू में प्रस्तावित सयत्र की दुग्ध शालाओं मे दूध के उत्पादन को बढाने के लिए की गई है। मेरठ स्थित वर्तमान योजना के अतिरिक्त दिल्ली केन्द्रीय दुग्ध योजना की सभरण पूर्ति के लिए हरयाणा मे करनाल तथा गुडगाव एवं राजस्थान के बीकानेर में तीन केन्द्र सचालित सघन पशु विकास परियोजनाओ की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी गई। पशु विकास के क्षेत्र मे द्वितीय प्रमुख योजना, भारतीय मुख्य ग्राम योजना 17 नए खडों मे प्रारम्भ की गई तथा वर्तमान 12 खण्डो मे स्थित योजनाओ को विस्तृत किया गया। नस्ल परीक्षा वाले सांडों की पूर्ति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से चिप्लिमा (उडीसा) में रेड सिन्धी, सूरतगढ (राजस्थान) मे थार पारकर तथा अक्लेश्वर (गुजरात) मे सूर्ति भैंस के लिए तीन केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मो का आरम्भ करना स्वीकार किया गया।

4.3. बछडा पालन योजना के अन्तर्गत आरे तथा हारिघाट की पशु कालोनियों से विभिन्न संगठनों को उत्तम श्रेणी के 1150 कटडे दिए गए। गोसदन योजना, जिसका लक्ष्य अनुत्पादक तथा अनुपयोगी पशुओं को सक्रिय पशु विकास कार्य वाले क्षेत्रो से अलग रखना है जारी रखा गया तथा आलेख्य वर्ष के अन्त तक इस दिशा मे विभिन्न राज्यो मे 62 संस्थाएं कार्य कर रही थी।

[1]इसको पशुपालन में सम्मिलित कर लिया गया है।

1967-68 के दौरान 20 गौशालाओं को पशु-विकास तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए हाथ में लिया गया। केसरपल्ली (आन्ध्र प्रदेश) में एक चमड़ा उतारने तथा पशु शव के उपयोग तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित केन्द्र की स्थापना की गई। बंगलौर में भी इसी प्रकार के एक केन्द्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई।

4.4. सघन पशु विकास परियोजनाओं तथा मुख्य ग्राम खंडों में चारा तथा भूसा विकास कार्यक्रम जारी रहे। पशुओं के लिए संतुलित चारे की पूर्ति के लिए तीन दुग्ध संयंत्रों के दुग्धशाला क्षेत्रों में सघन पशु विकास परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में चारा मिश्रण संयंत्रों की स्थापना की गई। इन तीन केन्द्रों की स्थापना के लिए कल्याणी, हिसार तथा अंकलेश्वर में भूमि निश्चित कर ली गई है तथा अन्य प्रारम्भिक व्यवस्थाएं कर ली गई है। ये उन पांच क्षेत्रीय दावा प्रदर्शन केन्द्रों में से हैं जिनकी स्थापना यू० एन० डी० पी० की सहायता से की जाने का प्रस्ताव है। मध्यप्रदेश में एक चारा बैंक की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की गई।

4.5. भेड़ों को ऊन उतारने, ऊन का वर्गीकरण करने तथा विपणन से सम्बन्धित कार्यक्रम का ऊन पैदा करने वाले 8 महत्वपूर्ण राज्यों में विस्तार करना स्वीकार किया गया। यू० एन० डी० पी० की सहायता से यह कार्यक्रम राजस्थान मे चालू है। जयपुर व जोधपुर के वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त बीकानेर में भी एक ऊन वर्गीकरण तथा विपणन केन्द्र ने कार्य प्रारम्भ कर दिया। चुने हुए देसी नस्ल के भेड़ों तथा विदेशी नस्ल के भेड़ों के उत्तम साड तैयार करने के लिए तीन नए भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना की गई तथा वर्तमान छः फार्मों का विस्तार किया गया। 14 महत्वपूर्ण भेड़ पालन क्षेत्रों में भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्रों की स्थापना की गई। आस्ट्रेलिया की सहायता से हिसार में एक बड़े केन्द्र भेड़ प्रजनन फार्म की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव का एक विशेषज्ञ दल द्वारा सम्भाव्यता का अध्ययन किया गया।

4.6. सघन मुर्गी पालन विकास से सम्बन्धित एक कार्यक्रम चालू किया गया। इसके लिए प्रजनन की दृष्टि से उत्तम किस्म की मुर्गियों की वृद्धि की गई। 1967-68 के दौरान सघन कृषि कार्यक्रमों की भांति क्षमता उपयोग केन्द्रों के निकट छः सघन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों की स्थापना की गई जिससे इस प्रकार के केन्द्रों की कुल संख्या 92 हो गई। नए तथा वर्तमान केन्द्रों को देने के लिए पांच क्षेत्रीय मुर्गी फार्मों ने लगभग 23 लाख अच्छे किस्म के अंडों का उत्पादन किया तथा प्रजनन के लिए लगभग 6 लाख मुर्गियों का वितरण किया। "भूख से मुक्ति अभियान" के अंतर्गत मुर्गी प्रजनन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आस्ट्रेलिया से एक दिन के दस हजार चूजे प्राप्त किये गये ताकि अधिक अंडे पैदा किए जा सकें। चंडीगढ़ में एक मुर्गी ड्रेसिंग संयंत्र चालू किया गया जिसकी ड्रेसिंग क्षमता चार हजार पक्षी प्रतिदिन है। मुर्गीयां के चारे की पूर्ति को बढ़ाने के लिए सहायता के रूप में विश्व खाद्य-कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग पांच हजार मीट्रिक टन मक्का प्राप्त हुआ। एक नई योजना भी अनुमोदित की गई जिसके अन्तर्गत 25 सघन मुर्गी पालन खंड पांच वर्ष की अवधि में 50 हजार मीट्रिक टन मक्का प्राप्त करेंगे।

4.7. समन्वित सूअर पालन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1967-68 के अन्त तक 7 सूअर प्रजनन केन्द्र एवं बैकन कारखाने, 27 सूअर प्रजनन फार्म तथा 105 मुर्गीपालन विकास खंड चालू थे। स्थानीय सूअरों की नस्ल को सुधारने की दृष्टि से सघन सूअर पालन विकास क्षेत्रों में किसानों में बांटने के लिए मुख्य सूअर प्रजनन केन्द्रों ने 2700 योर्कशायर, लैंड-रेस, टाम वर्थ तथा सैडल बैक नस्ल के शुद्ध नस्ल वाले सूअर तैयार किए।

4.8. 1967-68 के दौरान पशुपालन अनुसंधान के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकास में भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर मे पांव तथा मुख की बीमारी के टीकों के विकास तथा परीक्षण के लिए स्थापित नस सुधार प्रयोगशाला का उल्लेख किया जा सकता है। पांव तथा मुख की बीमारी की रोकथाम के लिए निष्क्रिय बहुसंयोजक नस सुधार टीके तैयार किए गए। प्रारम्भिक प्रयोग इन टीकों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। भेडों तथा बकरियों की न्युमोनिया की रोक थाम के लिए एक लाभकारी टीके का विकास किया गया। स्तन के रोग की रोकथाम के लिए शीघ्र विश्वसनीय तथा सस्ता परीक्षण व्यवस्था का भी विकास किया गया।

दुग्ध उद्योग तथा दुग्ध सम्भरण :

4.9. एर्नाकुलम के दुग्ध सयंत्र के चालू होने से 1967-68 के दौरान चालू दुग्ध संयंत्रों की कुल संख्या बढ़कर 84 हो गई जिसमें 43 तरल दुग्ध सयंत्र, 34 मार्गदर्शी दुग्ध योजना, 4 दुग्ध चूर्ण कारखाने तथा 3 क्रेमरी सम्मिलित है। संयंत्रो का औसत दैनिक दुग्ध निवेश लगभग 16.0 लाख लिटर था जबकि पूर्व वर्ष मे 15.5 लाख लिटर था। सघन पशु विकास परियोजनाओ के माध्यम से दुग्धशाला क्षेत्रो में दूध का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया। बृहद कलकत्ता दुग्ध योजना को दूध का संग्रह करने में कुछ कठिनाई हुई। परिणामस्वरुप बिना चिकनाई वाले दुग्ध चूर्ण का उपयोग बढ़ गया। बृहद बम्बई दुग्ध योजना तथा महाराष्ट्र तथा गुजरात में अन्य दुग्ध योजनाओं ने दूध की प्राप्ति मे उल्लेखनीय प्रगति दर्शायी तथा इन्होंने अपनी स्थापित क्षमता के 70–90 प्रतिशत का उपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता प्राप्त बड़ौदा तथा हैदराबाद के दुग्ध सयंत्रों का संग्रह इनकी स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत तक पहुंच गई जबकि बंगलौर का दुग्ध सयत्र अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा था। त्रिवेन्द्रम संयत्र की संग्रह क्षमता इसकी स्थापित क्षमता से भी आगे बढ गई।

4.10 आनन्द, अमृतसर, मेहसाना तथा राजकोट के दुग्ध चूर्ण कारखानों मे प्रतिदिन लगभग 170 लाख मोट्रिक टन दुग्ध चूर्ण तथा शिशु दुग्ध खाद्य तैयार हुआ। अलीगढ़, बरौनी तथा जूनागढ़ की क्रीमरियो मे, चार दुग्ध चूर्ण कारखानो मे तथा दिल्ली तथा कलकत्ता के सयत्रो में प्रतिदिन औसतन 15 मीट्रिक टन मक्खन तथा घी तैयार हुआ। मिराज, विजयवाड़ा तथा मुरादाबाद में दुग्ध चूर्ण कारखानों की स्थापना के लिए निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया। युगो-स्लाविया ऋण कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन और दुग्ध उत्पादन कारखानों की स्थापना का कार्य भी हाथ में लिया गया। इनमें से दो पंजाब मे तथा एक हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है।

4.11. कलकत्ता तथा विजयवाड़ा दुग्ध-संयंत्रो के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने अतिरिक्त सहायता देनी स्वीकार की। सिलीगुड़ी की बहुद्देश्यीय दुग्धशाला के लिए न्यूजीलैण्ड सरकार ने सहायता देना स्वीकार किया। स्वीडिश ऋण के अन्तर्गत 13 दुग्ध परियोजनाओ के लिए डेयरी उपकरण प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई। गोरखपुर, भद्रावती, कोट्टायम, मथुरा, मंगलौर, राजमुद्रि तथा त्रिवेन्द्रम की सात दुग्ध परियोजानाओं के लिए भी लगभग 38 लाख रुपये के डेयरी उपकरण प्राप्त हुए। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1500 मीट्रिक टन तथा डेनिस खाद्य ऋण के अन्तर्गत लगभग 5700 मीट्रिक टन बिना चिकनाई वाला दुग्ध चूर्ण प्राप्त हुआ।

4.12. 1967-68 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना में प्रतिदिन दूध का निवेश 222,000 लिटर था। जबकि 1966-67 में 199,000 लिटर दूध था, संयंत्र की दैनिक स्थापित क्षमता 5,25000 लिटर को दृष्टि में रखते हुए, 1967-68 में उपयोग क्षमता 78 प्रतिशत से बढ़कर

86 प्रतिशत हो गई। यह सुधार मुख्यरूप से आयातित दुग्ध चूर्ण के अधिक उपयोग के कारण हुआ। जहां तक स्थानीय दूध का सम्बन्ध है पूर्व वर्ष की तुलना में 1967-68 में इसकी उपलब्धि में कमी आई। 1967-68 में पूरे साल में कुल 578 लाख लिटर दुग्ध प्राप्त हुआ जबकि पूर्व वर्ष में 628 लाख लिटर दूध प्राप्त हुआ था, इस पृष्ठभूमि में वर्ष के दौरान ऐसे प्रस्ताव तैयार करने पर बल दिया गया जिससे दिल्ली दुग्ध योजना अधिक दूध प्राप्त कर सके। बीकानेर में एक संतुलन केन्द्र की स्थापना की जानी थी जिसके लिए आलोच्य वर्ष में भूमि का अभिग्रहण किया गया।

2. मत्स्य पालन

4.13. 1967-68 की वार्षिक योजना में मत्स्य पालन विकास के लिए 17 57 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि वास्तविक व्यय केवल 9.38 करोड़ रुपये हुए। सबसे अधिक कमी केन्द्रीय क्षेत्र में हुई। इसका मुख्य कारण मुख्य तथा छोटे बन्दरगाहों के विकास तथा मछली पकड़ने के जहाजों की व्यवस्था से सम्बन्धित योजनाओं का कार्यान्वित न होना था।

4.14. गैर-समुद्री क्षेत्र में वर्ष के दौरान अपनाए गए विभिन्न प्रबन्ध पद्धतियों मे साधनों के सम्वर्द्धन तथा संग्रह की पद्धति जारी रखी गई। लगभग सभी राज्यों में अण्डसमूह समृद्ध नदियों का सर्वेक्षण किया गया तथा रुके हुए पानी के लिए अभिप्रेरित प्रजनन की तकनीक अपनाई गई। लगभग 4,000 हैक्टर क्षेत्र सघन मत्स्य-पालन मे सम्मिलित किया गया। बिहार, पश्चिम बंगाल, उडीसा तथा आन्ध्र प्रदेश मे हवा मे सास लेने वाली मछलियों के उत्पादन का छोटे-छोटे तालाबों में लाभदायक प्रदर्शन किया गया। 1967-68 के दौरान 80 हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र नर्सरी के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया तथा 2800 लाख अण्डसमूहों तथा 500 लाख बहुत छोटी मछलियों का सग्रह किया गया।

4.15. खारे पानी मे मछली पालन के विकास के लिए एक मार्गदर्शी योजना तैयार की गई थी जिसको 1965 में प्रारम्भ किया गया था। इसमें बहुत ही कम प्रगति हुई। इसका कारण खारे पानी की मछलियों के बीज की कमी होना तथा इससे सम्बद्ध तकनीकों की अनिश्चितता का होना है। इसके परिणामस्वरूप 1967-68 के दौरान केवल 255 हैक्टर क्षेत्र ही खारे जल मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाया गया। सहकारी समितियों के माध्यम से अन्य जलाशयों से मछलियों उपलब्ध करने के अतिरिक्त यद्यपि केन्द्रीय मतस्यपालन निगम ने चारों दामोदरघाटी निगम जलाशयों में-9 जलाशय गुजरात मे, 8 उत्तर प्रदेश मे तथा एक पश्चिम बंगाल मे स्वयं मछली पकड़ने का काम प्रारम्भ किया तथापि बड़े तालाबों का दोहन नही किया गया। औद्योगिक स्रवण के फलस्वरूप नदियों में मिलने वाले गन्दे पानी की समस्या का हल नहीं किया गया क्योंकि इससे नदियों में मछलियां का विनाश होता है।

4.16. समुद्री क्षेत्र में यंत्रीकरण पर अधिक ध्यान दिया गया। 1967-68 में 947 नावों का यंत्रीकरण किया गया जिससे यंत्रीकृत नावों की संख्या बढ़कर 6953 हो गई। समन्वेषी मत्स्य कार्य तथा दूरस्थ जल मे मछली पकडने के कार्य को बढ़ाने के लिए दो बड़े जलयान प्राप्त किए गए तथा देशी जहाज निर्माताओं को 40 श्रिम्प ट्रावलरों का निर्माण करने का आदेश दिया गया।

4.17. चुने हुए ग्राम समूहों मे सामान्य नीति के रूप में एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अपनाया गया। चुनी हुई योजनाओं के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम के माध्यम से संस्थागत वित्त की व्यवस्था की गई। कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से मैसूर में दक्षिण तथा उत्तरी कनाडा में दो समन्वित

मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम चालू किए गए। केरल में कोझिकोड तथा गुजरात में उम्बरगांव तमिलनाडु में रोयापुरम तथा टूचीकोरिन, आन्ध्र प्रदेश में देवीसीमा और कोलैर कोलापर तथा महाराष्ट्र में रतनागिरि तथा थाना के लिए भी इसी प्रकार की समन्वित परियोजनाएं तैयार की गईं। समुद्रवर्ती क्षेत्रों तथा दूरस्थ एवं गहरे जल में समुद्री मच्छली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए गए। तटवर्ती क्षेत्र के लिए शिल्प साधनों का सुधार किया गया। सभी समुद्रतटीय राज्यों में दूरस्थ जल में अधिक मच्छली पकड़ने के लिए मच्छली पकड़ने के शिल्प का यंत्रीकरण किया गया।

4.18. मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहो तथा उनके संस्थापन का काम उद्योग को सौंपा गया है अत: सर्पण मार्गों, कर्मशालाओं, ड्राई-गोदियो, सर्विसिंग स्टेशनो आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही बन्दरगाह सुविधाओ पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 1967-68 के दौरान साटकल तथा बेपोर में मच्छली बन्दरगाह चालू हुए तथा गुजरात में पोरबन्दर, जद्धरावाड तथा उमरगांव में, मैसूर मे करवार में, केरल मे कन्नौर, बलियापटन तथा विझिनग्राम में तथा तमिलनाडु में कुड्डालौर में मछली बन्दरगाहों का निर्माण कार्य जारी रहा। यू० एन० डी० पी० विशेष निधि के तत्वावधान में मछली बन्दरगाहो के पूर्व निदेश सर्वेक्षण के लिए एक परियोजना चालू की गई। मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए उतरने तथा लंगर सम्बन्धित व्यवस्था की प्रगति के पुनरीक्षण से यह स्पष्ट है कि बड़े बन्दरगाहो की तुलना मे छोटे बन्दरगाहो में अधिक संतोषजनक प्रगति हुई।

4.19. विपणन सुविधाओ के विस्तार तथा उत्पादन केन्द्रो से मुख्य उपयोग केन्द्रों को मछलियो के द्रुत परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छ: प्रतिशत रेल के डिब्बे काम में लाए गए तथा तीन और डिब्बों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। साथ ही तीन डिब्बों के संभरण के लिए आदेश दिया गया। निर्माणाधीन 50 बर्फ सयंत्रो, 50 शीत भंडारो, 8 हिमीकरण संयंत्रो तथा 11 हिमीकृत भंडारों में से वर्ष के दौरान 4 बर्फ सयंत्र तथा 11 शीत भडार पूरे हुए। भारत-नार्वे परियोजना के अन्तर्गत भाण्डापम में मत्स्य-चूर्ण संयंत्र का कार्य तथा कारवार में बर्फ एवं हिमीकरण संयंत्र का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर था। कोचीन के बर्फ संयंत्र में उत्पादन चालू हुआ तथा माल तैयार करने का कारखाना भी चालू हो गया। साथ ही कारखाने द्वारा तैयार हिमीकृत अण्डसमूहो का निर्यात भी किया गया। भारत-नार्वे परियोजना के अन्तर्गत समन्वेषी मत्स्य जहाजो से गहरे जल में श्रिम्प को पकड़ने का अवसर मिला।

1. वन

4.20. 1967-68 मे वन विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमो के लिए 16.23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, परन्तु वास्तविक व्यय 14.14 करोड रुपये हुए। इसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

सारणी 2 : वन विकास पर परिव्यय तथा व्यय : 1967-68

(करोड़ रुपये)

	परिव्यय	व्यय
राज्य	9.66	9.04
केन्द्र	4.66	3.36
संघशासित क्षेत्र	2.01	1.74
कुल	16.33	14.14

4.21. आलोच्य वर्ष में वन क्षेत्र में वैज्ञानिक संरक्षण उपायों के माध्यम से वन उत्पादकता में सुधार करना मुख्य उद्देश्य रहा है। अत: परित्यक्त वनों वाले क्षेत्रों में वृक्षोरोपण की वृद्धि पर विशेष बल दिया जाता रहा है। औद्योगिक तथा व्यापारिक उपयोग के लिए कुल 4900 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। वक्षारोपण में लगाए गए महत्वपूर्ण वृक्षों में ये सम्मिलित हैं—सागौन, साल, जयपत्र, गुरूजन, राजउड इत्यादि। वृक्षों को शीघ्र उगने वाली किस्मों मुख्यता लुगदी तथा कागज उद्योग के लिए युलिप्टस को 56,400 हैक्टर क्षेत्र में उगाया गया जब कि पूर्व वर्ष में 47,350 हेक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण का एक विशेष गुण यह है कि वृक्षारोपण सामान्यत: सघन क्षेत्रों में किया गया। ऐसा मुख्य उद्योगों के लिए सस्ते माल संभरण की दृष्टि से किया गया।

4.22. तीन चुने हुए क्षेत्रों में लकड़ी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में निवेशपूर्व सर्वेक्षण परियोजना से अन्वेषण कार्य जारी रखा गया। परियोजना क्षेत्रों में हवाई फोटो लेने के अतिरिक्त केन्द्रीय तथा उत्तरी क्षेत्रों में स्थल सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा किया गया। लट्ठे बनाने के प्रशिक्षण में सम्बन्धित परियोजना के अन्तर्गत लट्ठे बनाने के आधुनिक उपकरणों तथा इमारती लकड़ी तैयार करने के यंत्रीकृत साधनों के उपयोग के संबंध में 48 प्रतिशिक्षण पाठ्यक्रम जारी रखे गये। इन में 500 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

4.23. वन अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान कार्य को और बढ़ाया गया। लट्ठे तैयार करने के स्थानीय उपकरणों की परीक्षा की गई तथा माल तैयार करने वाली फर्मों को आवश्यक सुधार सुझाये गये। ऊंचाई वाले स्थानों के लिए लकड़ी के ढांचे तैयार किये गये। व्यापारिक क्षमता का अध्ययन करने के लिए कई वृक्षों का रासायनिक परीक्षण किया गया। आन्ध्र प्रदेश के लिए बड़े स्तर पर बांस गणना सर्वेक्षण के लिए एक नमूना योजना तैयार की गई। त्वरित प्रयोगशाला वातावरण में इमारती लकड़ी को दीमक प्रतिरोधी शक्ति का निर्धारण तथा मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किए गए अर्थात् कई प्रकार की इमारती लकड़ियों का भट्टों में पकाकर परीक्षण किया गया।

अध्याय 5

खाद्य नीति तथा प्रशासन

खाद्यस्थिति :

भारी सूखे के कारण लगातार दो वर्षों तक उत्पादन में अत्यधिक कमी के पश्चात् 1967-68 में देश में 956 लाख मीट्रिक टन खादान्नों का उत्पादन हुआ जो अपने आप में एक रिकार्ड उत्पादन है । यह पहले उल्लेख किया जा चुका है कि यह उत्पादन 1966–67 के उत्पादन से 214 लाख मीट्रिक टन अधिक था तथा 1964–65 के रिकार्ड उत्पादन से 66 लाख मीट्रिक टन अधिक था । गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक हुआ । कुल 166 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ जो 1964-65 के उत्पादन से 43 लाख मीट्रिक टन अधिक है । परिणामस्वरूप खाद्य-स्थिति कुछ अच्छी हो गई तथा बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धि में काफी वृद्धि हो गई। साथ ही कीमतों में भी कमी आई।

मूल्य नीति :

5.2. 1967–68 में कृषि वस्तुओं के लिए निम्न सहायक मूल्य निर्धारित करने की नीति जारी रखी गई। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1967–68 में खरीफ के अनाजों के निम्नतम सहायक मूल्यों में वृद्धि की गई। 1965–66 से 1966–67 तक में अपरिवर्तित रहे। निम्नसारणी में 1967–68 की खरीफ फसलों के लिए घोषित निम्नतम सहायक मूल्यों के वास्तविक स्तरों की तुलना पूर्व वर्ष के स्तरों से की गई :

सारणी : खरीफ की फसलों के घोषित न्यूनतम सहायक मूल्य : 1966–67 और 1967–68

(रुपये प्रति क्विंटल)

खरीफ खाद्यान्न	1966–67	1967–68
(1)	(2)	(3)
धान	35–40	42–44
ज्वार	38	42
बाजरा	40	42
मक्का	36	42

1967–68 में मुख्य उत्पादक राज्यों में गेहूं के निम्नतम सहायक मूल्यों में प्रति क्विंटल 2.50 रुपये की वृद्धि हुई तथा अन्य राज्यों में 2.25 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हुई। चने का निम्नतम सहायक मूल्य 3 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। निम्न सारणी में 1967–68 के गेहूं तथा चने के निम्नतम सहायक मूल्यों के वास्तविक स्तर की पूर्व वर्ष के स्तर से तुलना की गई है :—

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार तथा उत्तर प्रदेश

सारणी 2 : गेहूं तथा चने के न्यूनतम सहायक मूल्य : 1966–67 और 1967–68

(रुपये प्रति क्विंटल)

	1966–67	1967–68	1966–67	1967–68
1	2	3	4	5
गेहूं				
लाल . .	49.50	52.00	52.75	55.00
सफेद . .	53.50	56.00	56.75	59.00
श्रेष्ठतम . .	57.50	60.00	60.75	63.00
चना . . .	43.00	46.00	43.00	46.00

5.3 यद्यपि 1967 में सरकार द्वारा वितरित खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य व्यवहारिक रूप से अपवर्तित रहे तथापि उनकी आर्थिक लागत काफी बढ़ गई जिसका कारण विभिन्न राज्यों में वसूली मूल्यों में वृद्धि होना तथा आयातित खाद्यान्नों की लागत में वृद्धि होना था। इसके फल-स्वरूप आर्थिक सहायता पर भी अधिक बोझ हो गया। देशी अनाज तथा आयातित अनाज के मूल्यों के अन्तर को दूर करने तथा आर्थिक सहायता के कारण राष्ट्रीय कोष पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए आयातित गेहूं पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त करने तथा आयातित चावल एवं माइलो पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कम करने का निर्णय किया गया। 1 जनवरी, 1968 को संशोधित निर्गम मूल्य निम्न प्रकार है :

सारणी 3 : खाद्यानों का संशोधित निगंम मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

खाद्यान्न	संशोधित निर्गम मूल्य
आयातित गेहूं	67
माइलो	48
चावल	
मोटा	96
मध्यम	102
बढ़िया	110
श्रेष्ठतर-2	115
श्रेष्ठतर-3	125
बढ़िया बास्मती	135

क्षेत्रीय व्यवस्था :

5.4. अप्रैल, 1967 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में क्षेत्रीय व्यवस्था को जारी रखने के प्रश्न पर फिर से विचार किया गया। गेहूं तथा चने के बड़े क्षेत्र को जिसमें पंजाब, उत्तर-प्रदेश तथा हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के संघशासित क्षेत्र (जिसमें कानूनी राशन वाले क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं) का विखण्डन किया गया। इसके बदले प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को स्वतंत्र क्षेत्र बनाया गया। परन्तु संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को चने के लिए हरियाणा में सम्मिलित किया गया। पंजाब, हरियाणा तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश को भी चावल, धान व मक्के के लिए अलग राज्य-क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पंजाब तथा हरियाणा से चण्डीगड़ को गेहूं, चावल तथा मक्का के स्वतंत्र संचरण की छूट दी गई।

5.5. मुख्य मंत्रियों के सितम्बर, 1967 तथा मार्च, 1968 के सम्मेलनों में क्षेत्रीय व्यवस्था का फिर से पुनरीक्षण किया गया। मुख्य मंत्रियों के मार्च, 1968 के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार एक बड़ा उत्तरी क्षेत्र बनाया गया जिसमें पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू एवं काश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश सम्मिलित किए गए। सीमान्तर्गत चावल, गेहूं तथा गेहूं की वस्तुओं के स्वतंत्र संचारण की छूट दी गई। परन्तु पंजाब तथा हरियाणा से धान के संचारण पर प्रतिबन्ध लगाया गया ताकि इन राज्यों में मिलों पर लगा गए चावल कर की पूरी वसूली सुनिश्चित की जा सके। सारे देश में 28 मार्च, 1968

को चने तथा जौ के स्वतन्त्र संचारण की छूट दी गई। 28 मार्च 1968 को ज्वार, बाजरा तथा मक्का पैदा करने वाले राज्यों—पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में इनके संचारण की भी छूट दी गई।

वसूली :

5.6. गेहूं के रिकार्ड उत्पादन से तथा मूल्यों में प्रत्याशित कमी से 1967–68 में सरकार द्वारा गेहूं की वसूली में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। बाजार की सहायता के लिए वसूली कार्य को बढ़ाया गया। आधिक्य वाले क्षेत्रों में ऐसा विशेष रूप से किया गया। 1964 में 1.43 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 1968 में खाद्यान्न की कुल वसूली बढ़कर 6.70 लाख मीट्रिक टन हो गई। यह बात निम्न सारणी से स्पष्ट हो जाती है :

सारणी 4 : खाद्यानों की वसूली : 1964 से 1968

(दस लाख मीट्रिक टन)

पंचाग वर्ष	वसूली		
	गेहूं	अन्य खाद्यान्न	कुल खाद्यान्न
(1)	(2)	(3)	(4)
1964	0 09	1 34	1 43
1965	0 37	3 66	4 03
1966	0 22	3 79	4 01
1967	0 78	3 69	4 47
1968	2 27	4 43	6 70

सार्वजनिक वितरण :

5 7. 1967–68 के दौरान यद्यपि खाद्यान्न उत्पादन अधिकतम हुआ तथापि सार्वजनिक वितरण पद्धति को लगभग अछूता रखा गया। दिसम्बर, 1968 के अन्त तक देश में उचित मूल्य की दुकानों तथा राशन की दुकानों की संख्या लगभग 136 हजार हो गई जब कि दिसम्बर, 1967 तक 142 दुकानें थी। कानूनी राशनिंग के अन्तर्गत कुल लगभग 254 लाख जनता आ गई तथा अनौपचारिक राशनिंग के अन्तर्गत 2332 लाख जनता आ गई जिससे दिसम्बर 1968 के अन्त तक कुल 2586 लाख जनता राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत आ गई जब कि पूर्व वर्ष में इसके अन्तर्गत 2770 लाख लोग थे।

आयात :

5.8. इससे पूर्व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से आयात पर निर्भर किया गया। आयात 1966 में बढ़कर 104 लाख मीट्रिक टन हो गया था। लेकिन खाद्यान्न के आयात में 1967 में 87 लाख मीट्रिक टन तथा 1968 में 57 लाख मीट्रिक टन की कमी हो गई। खाद्यान्न आयात से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को ठीक रखने तथा 1965–66 तथा 1966–67 के सूखे वाले वर्षों में व्यवस्था बनाये रखने में सहायता मिली।

भारतीय खाद्य निगम :

5.9. भारतीय खाद्य निगम की 1 जनवरी, 1965 में स्थापना हुई थी। तब से इसके क्रियाकलापों का काफी विस्तार हो गया है। केवल महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में निगम कार्यरत है। हां इसकी मूल्यसूची तथा इसके कार्यक्षेत्र प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। 1967–68 में केन्द्रीय सरकार अथवा विभिन्न राज्य सरकारों को ओर से इस निगम ने 42 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न खरीदा जबकि पूर्व वर्ष 1966–67 में 19 लाख मीट्रिक टन अन्न खरीदा। 1967-68 में पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं की भारी फसल की वसूली, उसके परिवहन तथा भण्डारण में निगम ने उल्लेखनीय काम किया।

सहायक खाद्य योजनाएं :

5.10. भारतीय खाद्य निगम द्वारा बालाहार का उत्पादन हाथ में लिया गया। बालाहार शिशुओं तथा बच्चों के लिए एक प्रोटीन युक्त पोषक खाद्य है जिसमें 25 प्रतिशत खाद्य मूंगफली का आटा, 75 प्रतिशत भोज्य आटा तथा 5 प्रतिशत बिना चिकनाई वाला दुग्ध चूर्ण है साथ ही इसमे विटामिनों तथा खनिजों का भी समुचित सम्मिश्रण है। सी० ए० आर० ई नामक एक अन्तर्राष्टीय अभिकरण दारा संचालित कार्यक्रम के एक अंग के रूप में बिहार, मैसूर, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यो मे बालाहार का पोषण कार्यक्रमो में उपयोग किया गया।

5.11. पोषक ब्रेड के उत्पादन तथा वितरण के लिए सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा स्थापित माडर्न बैक्री लिमिटेड नामक एक कम्पनी ने पाच आधुनिक बैक्री एककों को स्थापना की। ये कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया सरकार से उपहार स्वरूप प्राप्त हुए थे। 1968 के पूर्वार्ध में बम्बई, मद्रास, कोचीन, दिल्ली तथा अहमदाबाद के एककों में उत्पादन चालू हुआ। 1968 मे इन एककों ने विटामिन, लाइसिन तथा खनिज युक्त 215.0 लाख ब्रेड का उत्पादन किया तथा उन्हें बेचा।

अध्याय 6

सहकारिता, सामुदायिक विकास तथा भूमि सुधार

1. सहकारिता

योजना परिव्यय तथा व्यय :

1967–68 मे सहकारिता के लिए कुल योजना परिव्यय 47.26 करोड़ रुपये था। इसमें कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए रखी गई 10 करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित है। इस परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय 38.29 करोड़ रुपये हुआ। केन्द्र, राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के परिव्यय तथा व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सारणी 1 : सहकारिता परिव्यय तथा : व्यय : 1967–68

(करोड़ रूपये)

	परिव्यय				वास्तविक			
	कुल	केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	कुल	केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र
सहकारिता	47.26	36.09[1]	10 50	0.67	38 29	27.99	9 76	0 54

उपर्युक्त आकड़ों से यह स्पष्ट है कि मुख्य रूप से कमी केन्द्रीय क्षेत्र मे हुई। केन्द्रीय क्षेत्र में कमी मुख्य रूप से कृषि पुनर्वित निगम द्वारा ली गई छोटी राशियो तथा शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्र संचालित योजना मे बचत के कारण हुई ।

सहकारी ऋण :

6.2. प्रारंभिक ऋणदात्री समितियो द्वारा दिए जाने वाले अल्पावधि तथा मध्यम अवधि के ऋणों की राशि 1966–67 में 366 करोड़ रुपये से बढ़कर 1967–68 मे 405 करोड़ रुपये हो गई। प्रारंभिक कृषि ऋणदात्री समितियों की सदस्य संख्या 1967–68 में 26.7 लाख से बढ़कर 28.3 लाख हो गई। 1967–68 के अन्त तक भारत में 175,000 प्रारंभिक कृषि ऋणदात्री समितियो के अन्तर्गत लगभग 90 प्रतिशत गाव आ गए।

6.3. प्रारंभिक स्तर पर बकाया राशि 1965–66 मे 125.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 1966–67 के अन्त तक 160.15 करोड़ रुपये हो गई। इसका आंशिक कारण दो क्रमिक वर्षों में फसल उपलब्ध न होना है। 1967–68 में थोड़ी सी कमी हुई अर्थात् 156.75 करोड़ रुपये बकाया रहा। प्रारंभिक स्तर पर बकाया राशि का अनुपात इस प्रकार था।

[1]इसमें कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपये तथा भूमि बंधक बैंकों की 15 करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित है।

1965–66 में 29 प्रतिशत, 1966–67 में 34 प्रतिशत तथा 1967–68 में 30 प्रतिशत था। अनुकूल मौसम होने तथा कृषि उत्पादन में सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त, जिससे वसूली भी अच्छी हुई, 1967–68 में अधिक सुधार स्थायी ऋण व्यवस्था के कारण हुआ। इस संबंध में केन्द्र का अंशदान 1966–67 में 6.77 करोड़ रुपये तथा 1967–68 में 3.50 करोड़ रुपये था। इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप 1966–67 तथा 1967–68 में सहकारी बैंक लगभग 13.2 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में बदलने में सफल हुए।

6.4. राज्य सरकारें प्रारंभिक ऋणदात्री समितियों को पुनर्जीवित करने तथा उनका पुनगठन करने के लिए एक नीति अख्तियार कर रही है ताकि इन समितियों को जीवनक्षम किया जा सके। इस नीति के परिणामस्वरूप देश में प्रारंभिक कृषि समितियों की संख्या जून, 1967 मे 179,000 से घटकर जून, 1968 में 175,000 हो गई।

6.5. भूमि विकास/बंधक बैंकों ने उल्लेखनीय प्रगति की। ये बैंक किसानों के लिए दीर्घावधि ऋण व्यवस्था करने मे मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि 1966–67 मे 58 करोड़ रुपये से बढ़कर 1967–68 में 83 करोड़ रुपये हो गई। उत्पादन कार्यों के लिए ऋणों की बढ़ती हुई माग को पूरा करने के लिए, विशेषकर लघु-सिंचाई के लिए, 1967–68 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को 15 करोड़ रुपये तक ऋण पत्रों की खरीदारी के लिए सहायता दी। परन्तु ऋण के सम्बध में इस बढ़े हुए कार्य के लिए पर्याप्त प्रबन्ध तथा पर्यवेक्षण कर्मचारियों की व्यवस्था नही की गई है। परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में बकायाराशि काफी बढ़ गई, विशेषकर मध्य-प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, केरल तथा राजस्थान मे ऐसा हुआ।

सहकारी विपणन :

6.6. 1967–68 के दौरान सहकारी विपणन की दिशा में जो मुख्य कार्य हाथ में लिया गया था वह वर्तमान विपणन समितियो का समेकन करना। मुख्यतया नई सिंचाई परियोजनाओ के अन्तगत आने वाले ऐसे क्षेत्रों की लगभग चालीस नई समितियों के गठन का काम हाथ मे लिया गया जहां नए थोक-व्यापार-केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। 30 जून, 1968 तक 3300 प्रारंभिक विपणन समितियां थी जिनमे से 500 विशेष वस्तु-विपणन समितियां थी। ऊचे स्तर की सहकारी विपणन व्यवस्था में राज्य स्तर की 20 बड़ी विपणन समितियां तथा अखिल भारतीय स्तर का एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ सम्मिलित थीं। 173 केन्द्रीय विपणन समितियां भी थीं जिनमें 15 विशेष वस्तु समितिया थीं। ये समितियां मुख्य रूप से जिला स्तर पर थी।

6.7. 1966-67 में 338 करोड़ रुपये की तुलना में 1967–68 में सहकारी समितियों ने 462 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि वस्तुओं का विपणन किया। कुल व्यापार में गल्ले का अंश लगभग 39 प्रतिशत था। लगभग इतना ही अंश खाद्यान्न का था। अन्य विपणन वस्तुओं में कपास, तिलहन, फल तथा सब्जी एवं बागान-फसलें सम्मिलित है। 1967–68 में सहकारी समितियों ने 1.6 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि वस्तुओं का सीधा निर्यात भी किया। निर्यात की गई महत्वपूण वस्तुओं में दालें, केले, तिलहन खली तथा कालीमिर्च सम्मिलित हैं

सहकारी माल तैयारी :

6.8. माल तैयार करने वाले सहकारी एककों की संख्या 1966–67 में 928 से बढ़ कर 1967–68 के अन्त में 1008 हो गई। एककों के अतिरिक्त इनमें 470 चावल मिलें, 186 कपास ओटने वाले एकक, 108 तेल मिल तथा 58 चीनी के कारखाने सम्मिलित हैं। स्थापित एककों के अतिरिक्त लगभग 500 एककों का काम विभिन्न चरणों में चल रहा था। पंजीकृत तथा लाइसेंस प्राप्त कुल 77 चीनी के कारखाने मे से 1967–68 के मौसम में 58 में उत्पादन हो रहा था। लगभग 700,000 मीट्रिक टन चीनी अथवा भारत में उत्पादित कुल चीनी की लगभग एक-तिहाई इन कारखानो में तैयार हुई। इन कारखानों ने पावर-ऐल्कोहाल जैसे सहायक उत्पादन के विकास में काफी रुचि दिखाई है। 1967–68 के अन्त तक 9 सहकारी मद्यशालाओं को पंजीकृत किया गया जिन को प्रति वर्ष कुल पंजीकृत किया गया जिन को प्रति वर्ष कुल 345 लाख लिटर पावर-ऐल्कोहाल तैयार करने का लाइसेंस प्राप्त था।

सहकारी समितियां तथा कृषि निवेश सामग्री :

6.9. 1966–67 में सहकारी समितियों द्वारा वितरित 162 करोड़ रुपये मूल्य की निवेश सामग्री की तुलना में 1967–68 मे अधिक अर्थात् 229 करोड़ रुपये मूल्य की निवेश-सामग्री वितरित की गई। इस वृद्धि का एक मात्र कारण रासायनिक उर्वरक थे। सहकारी समितियो ने 1966–67 में 114 करोड़ रुपये मूल्य के उर्वरकों का वितरण किया। बीज-वितरण के मामले में केवल सीमान्त वृद्धि हुई अर्थात् यह लगभग 25.5 करोड़ रुपये से बढकर 26.1 करोड़ रुपये हो गया। कृषि उपकरणों तथा मशीनरी के मामले में सहकारी समितियों की भूमिका मे कमी आई। सहकारी समितियों द्वारा व्यवस्थित उपकरणों तथा मशीनरी का मूल्य 1966–67 में 5.4 करोड़ रुपये से घटकर 1967–68 मे 3.7 करोड रुपये हो गया। सहकारी समितियो द्वारा वितरित कीटनाशक तथा कृमिनाशी के मूल्य मे भी थोड़ी कमी आई।

6.10. कृषि निवेश-सामग्री के निर्माण मे सहकारी समितियो ने बीज उत्पादन, कीटनाशियां तैयार करने तथा कृषि मशीनरी की गढाई से पहले धीरे-धीरे कार्य प्रारम्भ किया। आलोच्य वर्ष में एक महत्वपूर्ण प्रगति यह हुई कि कोडला मे लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत से एक मिश्रित उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए एक बड़ी अन्नतर्राज्य सहकारी समिति का गठन किया गया। संबंधित सहाकरी समिति ने प्रति वर्ष 318,500 मीट्रिक टन अमोनियां, 382,000 मीट्रिक टन यूरिया तथा 367,000 मीट्रिक टन मिश्रित उर्वरक तैयार करने के आशय का प्रथ निकाला है। परियोजना के लिए तकनीकी सहायता अमरीकी सहकारी समितियों द्वारा दी जा रही है।

सहकारी भण्डारण :

6.11. 1967–68 के दौरान 215 मण्डी स्तर के भण्डारो तथा 688 ग्रामीण भण्डारो के निर्माण के लिए सहायता दी गई। इस प्रकार दूसरी योजना के प्रारम्भ से मार्च, 1968 तक कुल 3500 मण्डी/रिलपर्यन्त भण्डागारो तथा लगभग 15,000 ग्रामीण भण्डागारों को सहायता दी गई। इन भण्डागारों में से लगभग 70 प्रतिशत भण्डागारों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इनके अतिरिक्त सहकारी समितियों ने अपने साधनों से मण्डीस्तर के 1200 भण्डागारों का तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 200 भण्डागारों का निर्माण किया। यह अनुमान है कि 1967–68 के अन्त तक सहकारी समितियों के भण्डागारों की भण्डारण क्षमता 25 लाख मीट्रिक टन थी।

उपभोक्ता सरकारी समितियां :

6.12. 1967–68 तक शहरी उपभोक्ता सहकारी ढांचे के अन्तर्गत 10617 फुल कर बिक्री एकक, 351 थोक विक्रय भण्डार, 14 राज्य संघ तथा एक प्रमुख राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ सम्मिलित थे। 50,000 अथवा इससे अधिक शहरी जनसंख्या वाले लगभग सभी 270 जिले इसके अन्तर्गत आ गए। 1966–67 में 173.6 करोड़ रुपये की तुलना में 1967–68 में थोक विक्रय-भण्डारों केन्द्रिय भण्डारों का कुल विक्रय 171 करोड़ रुपये था। पूर्व वर्ष की तुलना में विक्रय में जो कमी हुई उसका मुल्यकारण नियंत्रित चीनी तथा कुछ अन्य वस्तुओं की कमी था। बड़े नगरों तथा शहरों में विभागीय भण्डारों/सुपरबाजारों की व्यवस्था से संबधित कार्यक्रम का विस्तार चुनीदा आधार पर 200,000 से कम जनसंख्या वालेनगरों में भी किया गया। इस प्रकार की व्यवस्था अवमूल्यन के कारण की गई थी। जून, 1968 को सहकारी वर्ष की समाप्ति तक 60 सहकारी भण्डारों/सुपरबाजारों की स्थापना हुई जब कि जून, 1967 के अन्त तक इस प्रकार के 38 भण्डारों की स्थापना हुई।

6.13. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी कार्यकलाप ऐसी ग्राम बहुद्देशीय समितिवों को सौपा गया है जो फुटकर विक्रय करती है तथा जिन्हें सहकारी विपणन समितियों से सहायता मिलती है। 1967–68 में इस कार्य मे लगभग 40,000 ग्राम सहकारी समितिया तथा 2100 विपणन समितिया लगी हुई थी। परन्तु उपभोक्ता व्यापार मे लगभग 250 करोड़ रुपये मूल्य का व्यापार ही जारी रहा।

सहकारी खेती :

6.14. 31 मार्च, 1968 तक 8582 सहकारी कृषि समितियां थी जिनकी सदस्य सख्या 214,000 थी। इनमे से केवल लगभग आधी समितियों के ठीक से काम करने की सूचना मिली। 1967–68 मे 449 नई सहकारी कृषि समितियों का गठन हुआ। बल मुख्य रूप से कमजोर तथा निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने पर दिया जाता रहा। नई समितियों का गठन केवल ऐसे क्षेत्रों मे किया गया जिनमे कार्यक्रम को बड़ाने की क्षमता थी।

2. सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज

सामुदायिक विकास :

6.15. 1967–68 में सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के लिए 32.48 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस परिव्यय की तुलना में व्यय 31.45 करोड़ रुपये हुए।

6.16. 1967–68 के प्रारंभ मे सारे देश में कुल 5265 सामुदायिक विकास खण्डों मे से 1850 खण्ड चरण-1, 2220 खण्ड चरण-2 तथा 1195 खण्ड चरण-2 की बाद की स्थिति मे थे जबकि चार खण्ड विस्तार-पूर्व चरण-1 के खण्डों की संख्या बढ़कर 1338, चरण-2 की 2356 तथा चरण-2 के बाद की 1571 हो गई।

पंचायती राज :

6.17. आलोच्य वर्ष में पंचायतों की संख्या 212, 465 से बढ़कर 214,935 हो गई जबकि पंचायतों के परिवेष में आए गांवों का प्रतिशत 98 ही रहा। 1967–68 के अन्त तक 3297 पंचायत समितियां तथा 253 जिला परिषदें थीं। उपलब्ध आंकड़ों से यह विदित

होता है कि सभी राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा पंचायत समितियों के लिए विभागीय कार्यक्रमों में जो साधन उपलब्ध किए गए उनकी राशि 1963–64 में लग भग 138 करोड़ रुपये से बढ़कर 1967–68 में लगभग 215 करोड़ रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान पंचायतीराज संस्थाओं ने अनुमान्तया 20 करोड़ रुपये की कर वसूली की।

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम :

6.18. 1967–68 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 181 और सामान्य व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम खण्ड आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तथा मैसूर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में 31 विशेष व्यवहारिक पोषण खण्ड आवंटित किए गए जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातनिधि के माध्यम से कई विदेशी स्वैच्छिक अधिकरणों द्वारा सहायता दी गई। 1967–68 के दौरान प्रदर्शन पोषण कार्यक्रम से बच्चों को लगभग 70 लाख बाल-दिवस का लाभ हुआ। परिचर्या तथा भावी माताओं के लिए लगभग 16 लाख महिला दिवस का लाभ हुआ।

ग्राम निर्माण कार्यक्रम :

6.19. खाली कृषि मौसम में, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां मौसमी रोज़गार तथा अर्द्ध रोज़गार की स्थिति खराब है ग्रामीण मज़दूरों के लिए अतिरिक्त रोज़गार की व्यवस्था के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम निर्माण कार्यक्रम चलाया गया। 1967–68 की वार्षिक योजना में इसके लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जब कि व्यय 5.51 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष के दौरान 200 लाख मनुष्य दिन के बराबर रोज़गार अवसर पैदा हुए।

3 – भूमि सुधार

मध्यस्थों की समाप्ति :

6.20. आलोच्य वर्ष में केरल में श्री पदम भूमि व श्री पदभंका भूमि को मुक्त करने तथा थिरुप्पुवरम अदायगी की समाप्ति के लिए कानून बनाया गया। इसी प्रकार मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुखों के अधिकारों को वापस लेने के लिए कानून बनाया गया। कार्यान्वयन की सुविधा के लिए बम्बई ईनाम (कच्छ क्षेत्र) अधिनियम, बम्बई तुलुकदारी पट्टा उनमूलन अधिनियम तथा दामन-ग्राम स्वामित्व उन्मूलन अधिनियम में संशोधित किये गये।

पट्टेदारी सुधार :

6.21. वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में साधारण पट्टेदारों को स्वामित्व के अनिवार्य हस्तांतरण के लिए आदेश जारी किये गए। इस दिशा में आन्ध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में भी प्रगति हुई। गुजरात में उन पट्टेदारों को भूमि खरीदने का और अवसर प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया जिसके कब्जे में भूमि है। खरीदारी को अप्रभावी होने से बचाने के लिए ऐसे पट्टेदारों के लिए तकावी ऋणों की व्यवस्था करने के लिए नियम बनाए गए। 1966–67 के अन्त तक 18,895 पट्टेदारों के लिए कुल 60.7 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए गए तथा 1967–68 के दौरान 50 लाख रुपये की मंजूरी और की गई। माहे (पाण्डिचेरी) में केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की भांति कानून बनाया गया। यहां पर अधिकतम लगान उत्पादन के अंश

के बराबर निश्चित किया गया तथा पट्टेदारों को पट्टे की सुरक्षा प्रदान की गई। केरल में सभी बेदखली के मामलों को रोकने के लिए भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने के लिए जो अन्तरिम कानून बनाए जाने थे वे बनाए गए।

जोत की अधिक सीमा का निर्धारण :

6.22 माहे में जो भूमि सुधार अधिनियम बनाया गया उसके अन्तर्गत वर्तमान जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई तथा भूमि की श्रेणी के अनुसार भविष्य में 15 से 36 एकड़ तक भूमि अभिग्रहण की गई।

चकबन्दी :

6.23. हरियाणा तथा पजाब मे चकबंदी का कार्य पूर्ण किया गया। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र मे इस दिशा मे अच्छी प्रगति हुई। अन्य राज्यों मे अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई। 1967–68 के दौरान लगभग 18 लाख हेक्टर क्षेत्र की चकबन्दी की गई। 1967–68 के अन्त तक अनुमानतया लगभग 46.3 करोड रुपये की लागत से लगभग 278 लाख हेक्टर क्षेत्र की चकबन्दी हुई।

भूमिहीन कृषि मजदूरों का पुनर्वास :

6 24. 1965-66 के अन्त तक सामान्य आवटन नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने लगभग 43 5 लाख हेक्टर क्षेत्र का वितरण किया। भूमिहीन कृषि मजदूरों को बसाने के लिए तीसरी योजना अवधि मे एक केन्द्र संचालित योजना प्रारम्भ की गई। 1967–68 के दौरान लगभग 13,360 हेक्टर क्षेत्र मे लगभग 8000 परिवारों को बसाया गया। परिणाम-स्वरूप 1967–68 के अन्त तक लगभग 100,000 परिवार बसाये गए तथा 1.9 लाख हेक्टर क्षेत्र का सुधार हुआ।

अध्याय 7

सिंचाई

देश में कुल कृषि योग्य भूमि 1940 लाख हेक्टर है, जिसमें से 1580 लाख हेक्टर क्षेत्र में खेती हो रही है। इस में से भी 360 लाख हेक्टर अर्थात् 23 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती है। सूखे के कारण 1965–66 और 1966–67 के दो वर्षों के दौरान पैदावार कम हुई जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह भी साफ जाहिर है कि कृषि की नई प्राविधिकियों की सफलता, काफी हद तक निश्चित जल सम्भरण की उपलब्धि पर निर्भर है।

7.2. विगत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर किए गए खर्चे का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

सारणी 1 : सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर व्यय : 1965-66 से 1967-68

(करोड़ रुपये)

	1965–66	1966–67	1967–68	
			स्वीकृत परिव्यय	व्यय
सिंचाई . . .	155.77	134.83	129.19[1]	131.29
बाढ़ नियंत्रण . .	18.82	14.56	11.61	13.39
कुल . .	174.59	149.39	140.80	144.68

7.3. जिन परियोजनाओं पर सापेक्षतया पर कम खर्च हुआ था, आलोच्य वर्ष के दौरान उनकी समीक्षा कर उन्हें पुनः क्रमबद्ध किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिकता योजनाओं के लिए पर्याप्त संवाधन उपलब्ध थे। यद्यपि सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण दोनों पर किया गया खर्चा योजना प्रावधान से थोड़ा अधिक था, परन्तु उपलब्ध सिंचाई लक्ष्य निर्धारित लक्ष्यों से कम रहे। इसका मुख्य कारण सामान के मूल्यों तथा वेतनों में साधारण बढ़ोत्तरी होना है।

7.4. निम्नांकित सारिणी में योजना स्कीमों से तीसरी योजना और 1966–67 के अन्त में तथा 1967–68 के दौरान लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की संचित क्षमता व उपयोग को दर्शाया गया है।

सारणी 2 : सिंचाई कार्यक्रम की संचित व उपयोग : 1965–66 से 1967–68

(लाख हेक्टर)

	तीसरी योजना का अंत (1965–66)	1966–67 के अंत में	1967–68 के अंत में	
			लक्ष्य	उपलब्धि
क्षमता . . .	70	76	85	81
उपयोग . . .	55	60	70	67

[1]इसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण के लिए केन्द्र में किया गया प्रावधान भी आता है।

7.5. सामान्यतया, सिंचाई सुविधाओं के निर्माण और निर्मित क्षमताओं के उपयोग में काफी ज्यादा समय का अन्तर है। अत: यह युक्तिसंगत होगा यदि किसी भी वर्ष के उपयोग को विगत वर्ष के अन्त तक निर्मित क्षमता से परस्पर सम्बद्ध कर दिया जाए। इस आधार पर, निर्मित क्षमता के उपयोग की समस्त दर में शनै: शनै: बढ़ोत्तरी हुई। यह दर पहली योजना के अन्त में लगभग 48 प्रतिशत थी और तीसरी योजना के अन्त मे बढ़ कर 87 प्रतिशत तथा 1967–68 के अन्त में बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई। इस क्षेत्र में संतोषप्रद प्रगति हुई है, फिर भी 1967–68 के अन्त में निर्मित क्षमता और उसके उपयोग के मध्य लगभग 14 लाख हेक्टर का अन्तर था। कतिपय मुख्य परियोजनाओं में उपयोग का स्तर काफी नीचे रहा जैसे : (1) माही और ककड़ापड़ (गुजरात) ; (2) तुंगभद्रा (मैसूर): (3) चम्बल (राजस्थान और मध्य प्रदेश); और (4) राजस्थान नहर में। माही और ककापार मे अन्तर का कारण नदी प्रणालियों में जल संग्रह की व्यवस्था न होना तथा जल की उपलब्धि मे अनिश्चितता का होना है। आशा है कि माही कडाना जलबन्ध और उकाय जलबन्ध के बनने से स्थिति मे सुधार होगा। तुंगभद्रा का जहां तक प्रश्न है अन्तर का मुख्य कारण निम्न स्तर नहर के बायें किनारे आदि में जल मार्गों के निर्माण कार्य तथा भूमि का समतल करने के कार्य मे मंथर गति से प्रगति का होना है। वर्ष के दौरान चम्बल परियोजना मे ताल से सापेक्षतया कम मात्रा मे उपयोग का कारण यह है कि गंगासागर जलबंध से अपर्याप्त अन्त: प्रवाह हुआ जिससे सिंचाई के लिए कम मात्रा में जल उपलब्ध हुआ। इस संबंध मे जिन अन्य घटकों ने योगदान दिया वे है राजस्थान के भाग में जल निकासी की समस्या और मध्य प्रदेश की नहरों मे घास-पात का उग आना। राजस्थान नहर से निर्मित क्षमता का अच्छा उपयोग करने के लिए यह उपयोगी होगा कि इस नगर के क्षेत्र मे शीघ्रता से बस्तियां बसाने और उसका विकास करने की ओर समुचित ध्यान दिया जाय।

सिंचाई परियोजनाओं से वित्तीय प्राप्तियां :

7.6. सिंचाई परियोजनाओं मे पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के संबंध में निजलिंगप्पा समिति की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को पहले ही भेजी जा चुकी है। फिर भी, सुधार महसूल एकत्रित करने के लिए केवल कुछेक राज्यों ने कानून बनाए। समुचित जल दर निश्चित करने के बारे मे समिति की जो सिफारिशें है उस पर भी राज्य स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए अधिकांश राज्यों में जल दर संरचना को तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है।

7.7. कतिपय सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की परिशिष्ट 7.1 में समीक्षा की गई है।

बाढ़ नियंत्रण :

7.8. 1967 के दौरान, मानसून ऋतु में वर्षा सामान्य हुई। बहरहाल कुछ भागों में थोड़े थोड़े समय भारी वर्षा हुई। इससे बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और संबंधित क्षेत्र दिल्ली में भारी बाढ़ आई। 1967 की इस बाढ़ के कारण 29 लाख हेक्टर फसल के अन्तर्गत क्षेत्र सहित लगभग 62 लाख हेक्टर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। लगभग 75 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई जिस मे से केवल फसलों को लगभग 64 करोड़ रुपये की हानि हुई। लगभग 2 करोड़ 40 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई और लगभग 48,000 मकानों को नुकसान पहुंचा था वे ध्वस्थ हो गये। 1954 की भयानक बाढ़ के बाद बाढ़ नियंत्रण

का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया। बाढ़ नियंत्रण उपायों जैसे नये तटबंधों का निर्माण और पुरानों को उठाना या मजबूत करना, नदी का प्रवाह ठीक करने के कार्य और गांवों के स्तर उठाने आदि पर योजनाबद्ध विकास के आरम्भ से लगभग 164 करोड़ रुपये खर्च हुए। व्यय का क्रम जो कि 13 वर्ष (1954–55 से 1966–67 तक) की अवधि में किया गया उससे बाढ़ से प्रभावित अनुमानित 160 लाख हेक्टर क्षेत्र से 55 लाख हेक्टर को काफी संरक्षण प्रदान किया गया।

7.9. लगभग 3 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ नियंत्रण, जलनिकासी और समुद्र के तट का कटाव रोकने वाली स्कीमों पर 1967–68 के दौरान 13.39 करोड़ रुपये खर्च किए गये। केरल में समुद्र से तट का कटाव रोकने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर ध्यान दिया जाता रहा। वर्ष 1967–68 के दौरान 50 लाख रुपये व्यय किए गए जिससे 8 किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षण प्रदान हुआ। 75 किलोमीटर लम्बे तटीय क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने पर 1967–68 के दौरान लगभग 7.53 करोड़ रुपये की कुल राशि खर्च की गई।

अध्याय 8
बिजली

लक्ष्य और उपलब्धि :

वर्ष 1966–67 के अन्त में, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा स्थापित अनुपयुक्त क्षमता सहित कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 114.7 लाख किलोवाट थी। वर्ष 1967–68 के दौरान, 20.6 लाख किलोवाट अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु वास्तविक उपलब्धि 17.6 लाख किलोवाट थी। पुराने और अप्रचलित संयत्रों के बेकार होने से घटने वाले उत्पादन के लिए कुछ कटौती करने के बाद, 1967–68 के अन्त तक कुल स्थापित क्षमता में लगभग 131.3 लाख किलोवाट की वृद्धि हुई। इसकी तुलना तीसरी योजना के अन्त (1965–66) मे 107.7 लाख किलोवाट से की जा सकती है। 1967–68 के दौरान, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और उपलब्धियो के लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाते हुए एक विवरण परिशिष्ठ 8.1 पर दिया गया है।

8 2 लक्ष्यो की प्राप्ति मे 1967–68 के दौरान जो कमी हुई वह मुख्यत: कतिपय बिजली एकको जैसे—बिहार मे बरौनी (50 मैगावाट) और पथराटू (50 मैगावाट) तमिलनाडू मे परमबिकुलम (130 मैगावाट), मैसूर में शरावथी (89 मैगावाट), उड़ीसा में तलचर (62 5 मैगावाट) तथा पजाब मे भाखड़ा राइट बैंक (120 मैगावाट) के देर से चालू होने के कारण है। जहा तक बरौनी विस्तार का मामला है समय-सारणी में बाधा पडने का कारण यह है कि 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान ने जो सामान जब्त कर लिया था उसके स्थान पर नये साज-सामान की व्यवस्था करने मे समय लगा। परमबिकुलम की प्रगति शिथिल होने का मुख्य कारण यह है कि सिविल निर्माण कार्यों मे देरी हुई। अन्य एककों का कार्य कार्यक्रमानुसार पूरा न होने का मुख्य कारण यह है कि सयत्र तथा उपकरण देर मे प्राप्त हुए।

8 3 आन्ध्र प्रदेश में ऊपर सिलेरू (60 मैगावाट) और परस (62 मैगावाट), और राजस्थान मे राणा प्रताप सागर (43 मैगावाट) जैसे कुछ बिजली एककों को पूरा करने का समय थोड़ा आगे बढ़ गया और उनको 1967–68 के दौरान चालू किया गया।

राज्यों में बिजली की स्थिति :

8 4 वर्ष के दौरान, देश मे बिजली की स्थिति सामान्यतया संतोषप्रद थी। पर्याप्त अन्त. राज्य संचारण सुविधाओं के अभाव के कारण और चम्बल जलाशय में असंतोषप्रद भण्डारण स्थिति के कारण राजस्थान में बिजली की कमी बनी रही। उत्तरप्रदेश में भी, रिहन्द जलाशय का स्तर गिर जाने के कारण बिजली की खपत में कटौती करनी पडी। गुजरात में, धुवरान बिजली स्टेशन में यात्रिक गड़बड़ी के कारण कुछ समय तक बिजली के उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। कई राज्यों में विशेषकर, दक्षिणी क्षेत्र में वर्ष के दौरान अधिशेष क्षमता उपलब्ध थी।

अत: राज्य और अन्त: परियोजना ट्राई लाइन्स :

8.5. सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि राष्ट्रीय ग्रिड स्थापना के पूर्व कार्रवाई के रूप में पहले अन्त: सम्बद्ध क्षेत्रीय ग्रिडों की स्थापना के लिए कदम उठाये जाएं। और इसमें विभिन्न बिजली प्रणालियों के समेकित संचारण पर बल दिया जाय। इस नीति का अनुसरण करते

हुए अन्त: राज्य सम्बन्धों और अन्य 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइनों पर बल दिया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न तीन अन्त: राज्य सम्बन्ध स्थापित किये गये।

(1) नवसारी—नारापुर अणु बिजली घर-220 किलोवाट (गुजरात-महाराष्ट्र),
(2) मोरवा—रिहंद 132 किलोवाट सिंगल सरकिट (मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश), और
(3) गोलाघाट—दीमापुर 66 किलोवाट (असम-नागालैंड)।

8.6. वर्ष के दौरान मुख्य 220 किलोवाट-132 किलोवाट ट्रक संचारण लाइनो का निर्माण कार्य होता रहा। वर्ष के दौरान जो मुख्य लाइनें पूरी हुई, चालू हुई, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:

तालिका 1 : वर्ष के दौरान कुछ मुख्य लाइनें पूरी हुईं/चालू हुईं

(1)	अपर सिलेरू—कोयागुदम (आन्ध्र प्रदेश)	220 किलोवाट
(2)	नागार्जुन सागर—श्रीसेलम (आन्ध्र प्रदेश)	220 किलोवाट
(3)	गुहाटी—तेजपुर (असम)	132 किलोवाट
(4)	कोरबा—भिलाई (मध्य प्रदेश)	220 किलोवाट
(5)	भिलाई—बोधघाट (मध्र प्रदेश)	220 किलोवाट
(6)	बोधघाट—बैलाडिला (मध्य प्रदेश)	132 किलोवाट
(7)	इटारसी—बुरवाहा (मध्य प्रदेश)	220 किलोवाट
(8)	नेवेली—सिंगारापेट (तमिलनाडु)	230 किलोवाट
(9)	खादरखेदा—अम्बाजारी (महाराष्ट्र)	132 किलोवाट
(10)	अम्बाजारी—अमरावती (महाराष्ट्र)	132 किलोवाट
(11)	अमरावती—परम (महाराष्ट्र)	132 किलोवाट
(12)	शारावथी—बगलौर (मैसूर)	220 किलोवाट
(13)	शारावथी—हुबली (मैसूर)	220 किलोवाट
(14)	हुबली—मुनिराबाद (मैसूर)	220 किलोवाट
(15)	नालचर—जोदा (उडीसा)	220 किलोवाट
(16)	भाखडाराइट बेक—लुधियाना (पजाब)	220 किलोवाट
(17)	इलाहाबाद—सुलतानपुर गोडा (उत्तर प्रदेश)	132 किलोवाट

संचारण और वितरण :

8.7. 1967–68 की वार्षिक योजना दस्तावेज में बताया गया था कि पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण संचारण और वितरण-स्कीमों पर परिव्ययो की अपेक्षित धनराशि नहीं लगाई जा सकी। बिजली उपलब्धि से, इन सुविधाओं के पीछे रहने का प्रतिफल यह हुआ कि कतिपय पिछली दरो की क्षमता का पूरा उपयोग नही हो सका। कतिपय राज्य, विशेषकर बिहार और आन्ध्र प्रदेश इससे प्रभावित हुए।

उपलब्ध क्षमता का उपयोग :

8.8. 1963–64 से उपलब्ध क्षमता का निम्नतर उपयोग की ओर प्रवृत्ति रही है। नीचे की ओर यह प्रवृत्ति 1967–68 मे भी रही और उपयोग पूर्व चार वर्षों की तुलना में 18 प्रतिशत कम था, जैसा कि निम्न सारणी में देखा जा सकता है.

सारणी 2 : बिजली की क्षमता और उपयोग : 1963–64 से 1967–68

वर्ष	स्थापित क्षमता हजार किलोवाट	जनन हजार किलोवाट घटे	ऊर्ज क्षमता का उपयोग किलोवोल्ट घंटे प्रति किलोवोल्ट	अधिकतम माग हजार किलोवाट	उपयोग (प्रतिशत) स्तम्भ-5 / स्तम्भ-2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1963–64	6576	26818	4080	4705	71 5
1964–65	7397	29563	4000	5193	70 0
1965–66	9024	32990	3660	5605	62 0
1966–67	10099	36376	3600	6166	61 0
1967–68	12006	40948	3412	7020	58 5

टिप्पणी उपर्युक्त आकडे केवल सार्वजनिक उपयोगिताओ के बारे मे है ।

ग्रामीण बिजलीकरण :

8 9. ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था के सर्वतोमुखी विकास के लिए यह आवश्यक है कि बिजली गावो तक पहुचाई जाए। ग्रामो के उपयोगीकरण को प्रोत्साहित करने मे इसका निकटस्थ सम्बन्ध है और इससे भी अधिक यह ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि के आधुनिकीकरण और लोगो के जीवन स्तर को उठाने मे संबधित है। जैसा कि नीचे के विवरण मे दर्शाया गया है, यदि सत्रह वर्ष पूर्व योजना बद्ध विकास के आरम्भ मे देखा जाए तो गावो के बिजलीकरण कार्य मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है.

सारणी 3: ग्रामीण बिजलीकरण तथा कार्यशील पम्पसेट: 1950-51 से-1967-68

के अन्त मे	उन गावो की सख्या जिनमे बिजली पहुचाई गई	कार्यशील पम्पसेटो की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)
1950–51	3631	18709
1955–56	9679	51969
1960–61	25630	191836
1965–66	44370	513449
1966–67	53406	650836
1967–68	62237	851–853

8.10 जिन गांवो को बिजली पहुचाई गई है, उनकी सख्या कुल गांवो की संख्या का ग्यारह प्रतिशत है और इसके अन्तर्गत देश का तीस प्रतिशत जन समुदाय आ जाता है। गावो के बिजलीकरण में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है और बाद मे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मैसूर का नम्बर आता है। ये राज्य गावों के बिजलीकरण मे अन्य राज्यो से आगे हैं। 1964-65 से गावो के बिजलीकरण कार्यक्रम मे एक नया परिवर्तन आया और अधिक पम्पसैटो/नलकूपो को गतिशील करने पर बल दिया जाने लगा, ताकि सिचाई सुविधाओ के सुधार द्वारा जमीन की पैदावार बढ़ाई जा सके। 1967–68 मे लगभग 852,000 पम्पसैट चालू थे जबकि 1960–61 में केवल 192,000 थे। वर्ष 1967-68 के लिए 1, 41,000 अतिरिक्त पम्पसैट चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परन्तु वास्तविक उपलब्धि अनुमानत काफी ज्यादा यानि 199,000 थी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और खास कर पजाब ने इस दिशा मे अच्छी प्रगति की है।

8.11 बिजली के वितरण के लिए संयुक्त राज्य की सहायता पर पाच ग्रामीण बिजलीकरण सहकारी समितिया गठित करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण (जो कि 1966–67 में शुरू किया गया था) किया गया। आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र मे से प्रत्येक मे एक सहकारी समिति गठित की जायेगी।

योजना परिव्यय :

8.12 वर्ष 1967–68 की बिजली की योजना 384.65 करोड रुपये की थी जो कि विगत वर्ष के 403.69 करोड रुपये के अकित वास्तविक खर्चे से कम थी। 1967-68 मे 391.68 का खर्चा हुआ जो कि योजना परिव्यय की तुलना मे 7 करोड रुपये अधिक था। इसका कारण यह है कि 1967-68 वर्ष के दौरान ग्रामीण बिजलीकरण पर 21.23 करोड की बढ़ोतरी हुई और जनन कार्यक्रम पर 16.60 करोड रुपये का विनियोजन था, जैसा कि निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है

सारिणी 4 : बिजली का परिव्यय और खर्चा : 1967-68

(करोड रुपये)

	स्वीकृत योजना परिव्यय	वास्तविक खर्चा
(1)	(2)	(3)
जनन	233.18	216.58
संचारण और वितरण	92.17	94.23
ग्रामीण बिजलीकरण	55.25	76.58
विविध	4.05	4.29
कुल	384.65	391.68

अध्याय—9

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

1967-68 मे ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के विकास के लिए प्रारम्भ में 43.55 करोड़ व्यय-व्यवस्था का प्रस्ताव था। बाद मे बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य योजनाओं का पुनरीक्षण होने के फलस्वरूप ग्रामोद्योग और लघु उद्योग की व्यय-व्यवस्था 42.61 करोड रुपया पुनरीक्षित कर दी गई। इसके मुकाबिले मे 1967-68 के वास्तविक व्यय का स्तर 43.82 करोड रुपये तक पहुच गया था। उद्योग वार ब्यौरा परिशिष्ट 9.1 मे दिया गया है। यह 1966-67 की अपेक्षा लगभग एक करोड रुपया अधिक था परन्तु यह राशि तीसरी योजना के अंतिम वर्ष में 1965-66 के व्यय से जो कि 53 करोड रुपये मे काफी कम थी। पिछले दो वर्षों में व्यय के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण अनेक राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र को कम प्राथमिकता दिया जाना था। परिशिष्ट 9.2 और 9.3 में 1966-67 और 1967-68 के राज्य और संघीय क्षेत्रों के व्यय के ब्यौरे दिये गये है। देखा जा सकता है कि 1967-68 में पिछले वर्ष की तुलना मे राज्यों और संघीय क्षेत्रों मे कुल व्यय मे वृद्धि हुई थी जब कि केन्द्रीय तथा केन्द्र सचालित स्कीमों का व्यय 1966-67 के स्तर का ही रहा था।

ऋण और वित्त :

9.2. उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम/नियम के अधीन राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा 1967-68 मे लगभग 3.56 करोड रुपया वितरित किया गया था जबकि 1966-67 मे 3 39 करोड रुपया वितरित किया गया था। सरकारी क्षेत्र के परिव्यय मे की गई वित्त व्यवस्था के अलावा अनेक सस्थागत अभिकरणों द्वारा भी ऋण सुविधाए उपलब्ध की गई थी। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा छोटे पैमाने के एककों को मार्च 1968 की समाप्ति तक 3806 आवेदकों को कुल 33.74 करोड रुपया स्वीकृत किया गया था जबकि मार्च 1967 के अत तक 3126 आवेदकों को 25.30 करोड स्वीकृत हुआ था। इन तारीखों को बकाया राशि क्रमश 18.41 करोड और 12.92 करोड रुपया थी। इन निगमों में से नौ ने उद्योगो को राज्य सहायता अधिनियम/नियम के अधीन छोटे पैमाने के उद्योगों को रियायती वित्त दिलाने के लिए अपनी अपनी राज्य सरकारों के एजेन्ट के रूप मे भी काम किया था। सितम्बर, 1967 के अंत तक निगमो द्वारा वितरित किया गया ऋण 6.92 लाख था, जब कि मार्च 1967 की समाप्ति तक यह राशि 4.5 करोड रुपया थी।

9.3. उदारीकृत स्कीम के अधीन भारतीय स्टेट बैंक और उसके नियंत्रित बैंको द्वारा मार्च 1968 की समाप्ति तक 18 079 एककों को सहायता दी गई थी जबकि मार्च 1967 के अन्त तक 14,275 एककों को सहायता दी गई थी। उन्हे स्वीकृत की गई कार्यकारी पूजी 101.7 करोड से बढ़कर 119 करोड रुपया हो गई थी। जुलाई 1960 मे शुरू की गई ऋण गारण्टी योजना के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ने आलोच्य वर्ष मे जारी की गई 21,511 गारण्टियों के लिए कुल 100.92 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी दी गई थी जबकि पिछले वर्ष मे 14,544 गारंटियों के लिए 53.1 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी दी गई थी। इसमें 1967-68 मे औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की 32 गारंटियों को दिया गया। 6.56 लाख

रुपया शामिल है। रिज़र्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन एवं विपणन के लिए उनकी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधाएं देना जारी रखा था। इस कार्य के लिए 1967-68 में स्वीकृत ऋण 7.59 करोड़ रुपये का था जबकि पिछले वर्ष इस मद की राशि 6.98 करोड़ रुपया था। जुलाई 1968 में इस स्कीम को रेशम एवं उन हथकरघा बुनकर समितियों तथा सहकारी क्षेत्र के शक्तिचालित करघों के लिए भी लागू कर दिया गया था। मार्च 1968 की समाप्ति तक बकाया राशि 5.61 करोड रुपया थी।

9.4. छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र में संस्थागत ऋण को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 1968 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को रियायती दर पर पुनर्वित्त देना शुरू किया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी छोटे पैमाने के उद्योगों को अवधि वित्त देने की दिशा में कुछ पूरक कदम उठाये थे। जिन तकनीकी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के पास उपयोग परियोजनाओं में लगाने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे ऐसे होनहार नये उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य बैंक ने एक स्कीम चालू की थी। मार्च 1969 की समाप्ति तक भारतीय जीवन बीमा निगम ने 26 सहकारी औद्योगिक बस्तियों को 105.35 लाख रुपये के ऋण दिये थे कि जून 1965 तक 18 सहकारी बस्तियों को 60.88 लाख रुपया दिया गया था।

औद्योगिक सहकारी संस्थाएं :

9.5. औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की संख्या (माल तैयार करने वाले एककों के अलावा) 1967 की समाप्ति तक 50,000 होने का अनुमान था वह 1968 की समाप्ति तक बढ़कर 51,700 हो गई थी। इस अवधि में, सदस्य संख्या 31 7 लाख से बढ़कर 32.5 लाख हो गई थी। कार्यकारी पूंजी 142 करोड रुपये से बढ़कर 163 करोड रुपया हो गई। उत्पादन 100 करोड रुपये से बढकर 107 करोड हो गया और बिक्री 155 करोड रुपये से बढ़कर 176 करोड़ रुपया हो गई थी। 1968 के अन्त तक लगभग 900 व्यक्तियों ने केन्द्रीय सरकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को सहकारी बैंकों में धन दिये जाने से सम्बन्धित विशेष कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त निधि दिये जाने के बारे में अनुगामी कार्यवाही शुरू की गई थी।

ग्रामीण उद्योग परियोजनाएँ :

9.6. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम 1962-63 में 45 चुनींदा क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य चुनींदा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के सघन विकास के लिए उपयुक्त तकनीक, पद्धति और कार्यक्रम तैयार करना था। यह कार्यक्रम, जो बाद में चार नये परियोजना क्षेत्रों में भी लागू किया गया था, मुख्य रूप से अभिवृद्धि के साधनों का था, इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं सामान्य सुविधाएं, किराया खरीद शर्तों पर मशीनों की आपूर्ति, विपणन में सहायता और कच्चे माल की आपूर्ति, शेड बनाने के लिए तथा मशीनों की खरीद के लिए ऋण देना आदि शामिल है। कार्यक्रम शुरू होने से सहायता दी जाने वाले छोटे कारखानों की संख्या अनुमानतः 19,370 थी। इसमें लगभग 8,430 नए कारखाने भी शामिल हैं। 1967-68 में सहायता प्राप्त कारखानों में उत्पादित माल का मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपया था। इनमें से

निर्मित रोजगार के अवसर 79,700 होने का अनुमान है। कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे योजना प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रबन्ध, ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए दी गई सुविधाएं और ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन द्वारा किया गया था। मूल्यांकन अध्ययन ने ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के सचालन की कुछ खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जैसे प्रशासनिक प्रबन्ध की खामियों, विपणन एव जल तथा बिजली की सप्लाई की अपर्याप्त सुविधाए। प्रतिवेदन में कहा गया है कि सामान्य रुप से ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के साथ खंड और जिला कार्यक्रमों का कोई समन्वय नही था। इसमे मुख्य समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये गये है। ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के प्रशासनिक नियत्रण को जनवरी 1968 से योजना आयोग से औद्योगिक विकास और कम्पनी समवाय मत्रालय को हस्तातरित कर दिया गया था।

विकास कार्यक्रम :

9.7. 1967-68 मे कुछ छोटे उद्योगों के उत्पादन एव निर्यात के कतिपय अस्थायी रुख/लक्ष्यो का वार्षिक योजना दस्तावेज मे सकेत दिया गया था। इनकी भौतिक उपलब्धिया नीचे की सारणी मे दी गई है।

सारणी : कतिपय लघु उद्योगों का उत्पादन और निर्यात 1966-67 और 1967-68

	एकक	1966-67 वास्तविक	1967-68 अस्थायी लक्ष्य	1967-68 अनुमानित लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्पादन				
हथकरघा, शक्तिचालित करघा और खादी का कपडा . .	दस लाख मीटर	3180	3300	3260
कच्चा रेशम . .	'000 किलोग्राम	2046	2300	2229
निर्यात	करोड रुपये			
हथकरघा मानक कपडा .		6 73	7 50	6 85
हस्तशिल्प . .		40 41	43 00	54.76
नारियल जटा और उत्पाद		13 90	16 00	13 23
रेशमी कपडा और छीजन .		3 50	4.50	4 46
औद्योगिक बस्तियां				
पूरी हुई . .	सख्या	336[1]	360[1]	361[1]

[1]सरकार द्वारा निर्मित बस्तिया, विकसित स्थल और निजी सहायता प्राप्त औद्योगिक बस्तिया शामिल है।

9.8. यह देखा जा सकता है कि 1967-68 में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने से सम्बद्ध आशाएं पूरी हुई थीं और कपड़े के उत्पादन तथा रेशम एवं छीजन के निर्यात के लक्ष्य लगभग पूरे हो गये थे। हस्तशिल्प के निर्यात में तो लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये थे। हथकरघा मानक वस्त्र तथा नारियल जटा धागा एवं उसके उत्पाद के निर्यात के लक्ष्य पूरे नहीं हुए थे। कमी के कारणों पर सम्बद्ध अनुच्छेदों में विचार-विमर्श किया गया है।

हथकरघा और शक्तिचालित करघा उद्योग :

9.9. 1967-68 के सूती कपड़ा उद्योग (हथकरघा शक्तिचालित करघा और खादी उद्योग, के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 3,26,00 लाख मीटर होने का अनुमान था जबकि 1966-67 में 31,800 लाख मीटर हुआ था। 1967-68 में 33,000 लाख मीटर के लक्ष्य के मुकाबिले में उत्पादन में थोड़ी सी कमी थी। सहकारी क्षेत्र में हाथकरघा कपड़े का बहुत बड़ा भंडार लगभग 8 करोड़ रुपये के मूल्य का जमा था। इस अवधि के माल को निकालने के लिए जुलाई 1968 में एक रुपये की बिक्री पर 5 पैसे की अतिरिक्त रियायत दी गई थी, शुरू में यह रियायत चार सप्ताह के लिए थी यदि आवश्यकता हो तो आगे परिस्थिति के अनुसार बढ़ाया जा सकता था परन्तु कुल मिलाकर तीन माह से अधिक नहीं। यह विशेष रियायत एक रुपये पर पांच पैसे की सामान्य छूट के अलावा थी तथा वर्ष में 15 दिन के लिए एक रुपये पर पांच पैसा अतिरिक्त छूट से भी अलग थी। इस व्यय को 1968-69 में ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग क्षेत्र की योजना राशि सीमा से अलग माना गया था। 1967-68 मे हथकरघा कपड़े के निर्यात मे लक्ष्य से कमी का मुख्य कारण 'ब्लीडिंग मद्रास' की माग में कमी आना था, शुरू के वर्ष मे निर्यात माल मे इस कपड़े की बड़ी मात्रा होती थी। इस कपड़े के निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम ने अमेरिका मे बहुत बडा प्रचार अभियान चलाया था इस के लिए भारत सरकार ने 1,50,000 डालर का अनुदान दिया। अमेरिका के बाजार में इस कपड़े के बारे में वाणिज्यिक सूचना देने के लिये निर्यात एजेन्सी नियुक्त की गई थी। अपनाये गये अन्य तरीकों में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम का मोंट्रियल मेले में भाग लेना तथा 'ब्लीडिंग मद्रास' के निर्यात पर हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद की तदर्थ समिति द्वारा विशेष अध्ययन किया जाना था।

9.10. वर्ष 1966-67 की वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन में शक्ति चालित करघा जांच समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 1966 से 71 तक की पाच वर्ष की अवधि में 110,000 शक्तिचालित करघे लगाये जाने के कार्यक्रम का संकेत दिया गया था। 1967-68 में हुई प्रगति असंतोषजनक थी। दिसम्बर 1967 की समाप्ति तक केवल 5,800 करघे लगाये गये थे। विदेश व्यापार और आपूर्ति मंत्रालय द्वारा पूरे कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया गया था ताकि कार्यक्रम में रुकावट डालने वाली कठिनाइयो का पता लग सके तथा कपड़ा उद्योग की वर्तमान स्थिति के प्रकाश में इसके चरण पुर्ननिधारण करने की संभावनाओं की जांच की जा सके।

खादी और ग्रामोद्योग :

9.11. 1966-67 मे खादी की सभी किस्मो का उत्पादन सूती, रेशमी और ऊनी सहित लगभग 785.6 लाख मीटर होने का अनुमान था जिसकी कीमत 27.84 करोड़ रुपये थी। 1967-68 में उत्पादन काफी कम था, लगभग 639 लाख मीटर जिसका मूल्य 4.32 करोड़ रुपया था इसका मुख्य कारण खादी का भंडार जमा हो जाना था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 6 तकुओ के दो नये माडल के चरखों 'टेक्सवूल' और 'राजकोट' पर अपने सीमित क्षेत्रीय

परीक्षण जारी रखे थे। इन दो चरखों के लाभ का मूल्यांकन करने के लिए इस वर्ष शीघ्र मौके पर अध्ययन किया गया था। खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास कार्यक्रमों की प्रगति की जांच करने के लिये जून 1966 में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1968 में दी। समिति ने यह सिफारिश की कि इन उद्योगों के कार्यक्रम का बुनियादी दृष्टिकोण विकासोन्मुख एवं आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में तथा देश की सामान्य रोजगार स्थिति के अनुसार होना चाहिए। समिति ने आगे यह भी सिफारिश की थी कि खादी सहित प्रत्येक परम्परागत उद्योग के लिए तकनीक सम्बन्धी प्रगतिमान विकास के लिए एक 7 वर्षीय कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि उद्योगों को सक्षम स्तर पर लाया जा सके। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन थी।

रेशम उद्योग :

9.12. 1967-68 में सभी प्रकार के कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले वर्ष लगभग 18000 किलोग्राम से बढ़कर 22.3 लाख किलोग्राम हो गया था, परन्तु यह अपने लक्ष्य से 23 लाख किलोग्राम कम था। 1967-68 में शहतूत से रेशम का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत कम हुआ था। गैर-शहतूती क्षेत्र में सीमान्त वृद्धि हुई थी। 1966-67 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में बिहार और मध्यप्रदेश में शुरू की गई मूल्य सहायक स्कीम का उल्लेख किया गया था। इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड को, नये कोकून का मूल्य 1280 कोकून के प्रति काहन को 65 रुपये तक खरीदने का अधिकार था। टसर कच्चा रेशम (कोकून) जो अप्रैल 1967 में 30 रुपया प्रति काहन थी वह मार्च 1968 तक बढ़ कर 50 रुपया प्रति काहन हो गई थी।

नारियल जटा उद्योग :

9.13. 1966-67 मे 13.90 करोड़ रुपये की नारियल जटा निर्यात हुआ था वह 1967-68 में घटकर 13.23 करोड़ रुपये रह गया। मात्रा में भी गिरावट आई थी। 1966-67 में 64,900 मी० टन से गिरकर 1967-68 में 57,850 मी० टन हो गई थी। निर्यात स्थिति की जांच के फलस्वरूप नारियल जटा धागे पर से निर्यात कर यथामूल्य 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था और नारियल जटा के उत्पादों पर से फरवरी 1968 से यथामूल्य 10 प्रतिशत कर समाप्त कर दिया। इस वर्ष नारियल जटा से गलीचे बनाने वाली तीन शक्ति-चालित कारखाने शुरू हुए, इनमें से एक स्वयं नारियल जटा बोर्ड ने शुरू किया और शेष दो निजी क्षेत्रों में खोले गये थे।

हस्तशिल्प :

9.14. दस्तकारी जिनमें कीमती अर्ध-कीमती एंव सांश्लिष्ट पत्थर, नकली एवं सोने के जेवरात, ऊनी गलीचे और कलात्मक धातु के बर्तन आदि शामिल हैं का निर्यात 1966-67 में 40.41 करोड़ से बढ़ कर 1967-68 में 54.76 करोड़ रुपया हो गया। आलोच्य वर्ष में लकड़ी, हाथी दांत और पत्थर पर खुदाई, धातु के बर्तन, तंजोरी सजावटी सामान, घड़े, जेवरात, खिलौने आदि के दस्तकारी के 1500 नये डिज़ाइन दस्तकारी बोर्ड के बम्बई, बेंगलौर, कलकत्ता और नई दिल्ली के चार क्षेत्रीय केन्द्रों में तैयार किये गये। इस वर्ष दस्तकारी के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा वाले 15 दस्तकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये गये। अनेक दस्तकारियों के क्षेत्रीय

अध्ययन पूरे हुए थे और 10 सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार की गईं। इस प्रकार अब तक कुल 132 सर्वेक्षण रिपोर्टें पूरी हुई थी।

छोटे पैमाने के उद्योग :

9.15. 1966-67 में औद्योगिक क्षेत्र में आई मंदी ने भी कुछ छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रभावित किया था। इससे छोटे उद्योगों के क्षेत्र की कुछ कमियां सामने आईं जैसे कम उत्पादकता, कमजोर प्रबन्ध व्यवस्था, गुणात्मक नियंत्रण का अभाव आदि। छोटे पैमाने के क्षेत्र मे उत्पादन पर मंदी के प्रभाव की जांच के लिए तथा मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए समुचित तरीको की सिफारिश के लिए डा० पी० एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में फरवरी 1968 मे एक अध्ययन दल गठित किया गया था।

9 16. छोटे पैमाने के क्षेत्र की तथा कुछ बडे पैमाने के औद्योगिक कारखानों की भी एक कमजोरी है कि उनकी पुरानी मशीनें और साज सामान उनकी प्रतियोगात्मक क्षमता पर बुरा प्रभाव डालते है। पिछले 10-15 वर्षों मे छोटे पैमाने के कारखानों में कहा तक मशीने पुरानी हो गई है इस बात की जाच करने के लिए तथा छोटे उद्योगो उद्योगपतियो को अपनी प्रोद्योगिकी विकसित करने एवं आधुनिक अद्यातन मशीने लगाने के लिए प्रेरणा देने हेतु समुचित तरीके सुझाने के लिए सितम्बर 1967 मे श्री जी० बी० नवलकर की अध्यक्षता मे एक अध्ययन दल गठित किया गया था।

9.17. 1967-68 मे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किराया खरीद आधार पर 3.83 करोड रुपये की मशीने सप्लाई की थी जबकि 1966-67 मे 2 95 करोड रुपये की मशीने दी गई थी। 1967-68 मे आपूर्ति एवं निपटान के महा निदेशालय द्वारा छोटे उद्योगो के लिए कुल 26.20 करोड रुपये की खरीद की गई जबकि पिछले वर्ष 24.16 करोड रुपये की खरीद की गई थी। इनमे से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता से छोटे उद्योगो को प्राप्त आर्डर क्रमश. 19 16 करोड और 20.50 करोड के थे। सरकारी खरीद के लिए निगम मे पंजीकृत एककों की सख्या मार्च 1967 मे 16,000 से बढकर 1967-68 की समाप्ति तक 17,758 हो गई थी। छोटे पैमाने के क्षेत्र से केवल केन्द्र सरकार के विभागो की खरीद के लिए आरक्षित वस्तुओ की सख्या इसी अवधि मे 84 से बढकर 110 हो गई थी। राज्यो के औद्योगिक निदेशालयो में स्वेच्छा से पजीकृत कराने वाले छोटे कारखानों की सख्या 1966 की समाप्ति तक लगभग 1,13,000 से बढकर मार्च 1968 तक 1,25,000 हो गई थी। छोटे पैमाने के कारखानों के माल के निर्यात को बढाने के लिए लघु उद्योग सेवा सस्था ने विदेशो मे खरीददार तथा विदेशी बाजार की सूचना और सामान्य सहायता भी दी थी। लघु उद्योग स्कीम मे निर्यात की सहायता के लिए अनेक एककों को राज्य व्यापार निगम की सिफारिश की गई थी। छोटे उद्योगपतियो के लाभ के लिए निर्यात तकनीक के अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाये गये थे।

9.18. केन्द्रीय लघु उद्योग विकास सगठन द्वारा 1967-68 मे प्लास्टिक, मृतिका-शिल्प, आर्गेनिक रसायनो और कृषि उपकरणो के लिए पैनल गठित किये गये थे। इन पैनलो के विचाराधीन विषय ये थे, छोटे पैमाने के उद्योगो की विद्यमान क्षमता का अनुमान लगाने के कार्यक्रम का प्रारम्भ करना तथा विकास की दिशा एव पूर्ण उपयोग के तरीकों की सिफारिश करना, इसमे छोटे उद्योग क्षेत्र को बड़े उद्योग क्षेत्र के साथ मिलाना और उचित वितरण के लिए उद्योग की कच्ची सामग्री की उपलब्धता का अध्ययन करना भी शामिल है।

कृषि उद्योग :

9.19. लघु क्षेत्र में कृषि उद्योगों के विकास में लगी विभिन्न एजेन्सियों, विभागों और मंत्रालयों के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए एक स्थायी समन्वय समिति नियुक्त की गई थी।

औद्योगिक बस्तियां :

9.20. मार्च 1968 तक औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम की प्रगति यहां नीचे दिखाई गई है :

तालिका 2 : औद्योगिक बस्तियों में कार्यक्रम की प्रगति

	31 मार्च, 1967 तक	31 मार्च, 1968 तक
(1)	(2)	(3)
औद्योगिक बस्तियों की संख्या		
—स्वीकृत/संचालित . . .	486	493
—बिना सुविधाओं की पूरी हुई . . .	70	50
—सुविधाओं के साथ पूरी हुई . . .	266	311
—कार्य कर रही है	231	248
औद्योगिक बस्तियों में शैडों की संख्या		
—पूरे हुए	7496	8124
—दिये गये	6022	6482
—कब्ज़ा किया	5497	6026
—कार्य कर रहे है . . .	4348	4753
कार्य कर रहे कारखानो का वार्षिक उत्पादन (करोड़ रुपये)	80.95	88.64
कार्य कर रहे कारखानों में काम करने वाले लोगों की संख्या .	74109	68537

9.21. ऊपर दिये गये विवरण का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि 1967-68 तक सुविधाओं सहित पूरी की गई 311 बस्तियों में से 248 (80 प्रतिशत) चालू हो गई थीं। पूरे हुए 8124 शेडों में से 6480 (80 प्रतिशत) का नियतन किया जा चुका था। इन में से अधिकांश का कब्ज़ा ले लिया गया था। शेष 7 प्रतिशत का 1967-68 की समाप्ति तक कब्ज़ा नहीं लिया गया था। यह बात उचित ही है कि पूरे हुए 8124 शेडों में से केवल 4753 (58 प्रतिशत) में उत्पादन शुरू हुआ जिनमे 68,537 लोगों को रोज़गार मिला और 1967-68 में 88.64 करोड़ रुपये का माल तैयार हुआ। औद्योगिक बस्तियां शहरी क्षेत्रों जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में सफल नहीं रही थीं। ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों में कार्य कर रहे शेडों में उपयोग की दर लगभग 49 प्रतिशत थी जबकि शहरी औद्योगिक बस्तियों में यह प्रतिशत 74 था। और अर्ध शहरी बस्तियों में 57 था। औद्योगिक बस्तियों में काम शुरू होने में विलम्ब तथा उनका पूरा उपयोग नहीं के कारण ये थे—उन बस्तियों की दोषपूर्ण संरचना, राज्य उद्योग विभागों तथा अन्य विकास विभागों में समन्वय का अभाव तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक बस्तियों को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाना आदि।

अध्याय 10

उद्योग और खनिज

1. उद्योग

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर का औसत तीसरी योजना अवधि में 8.2 प्रतिशत रहा था पर 1966-67 में घटकर केवल 0.2 प्रतिशत रह गया, वर्ष 1967-68 में कुछ सुधार हुआ और वृद्धि 0.5 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1967-68 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 153.6 तथा (1960-100) जबकि 1966-67 में यह सूचकांक 152.8 रहा था। नीचे की सारणी में 1961-62 से लेकर अब तक की औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई है :

सारणी 1 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(1960-100)

वर्ष	उत्पादन का सूचकांक	पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)
1961–62	111.2	8.2
1962–63	121.9	9.6
1963–64	133.1	9.2
1964–65	144.8	8.8
1965–66	152.5	5.3
1966–67	152.8	0.2
1967–68	153.6	0.5

10.2. इस वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में गतिरोध का प्रमुख कारण यह था कि एक तो कच्चे माल की कमी रही और दूसरे मांग का स्तर भी कम रहा। देश के विभिन्न भागों में गत दो वर्ष जो सूखे की स्थिति रही थी उससे कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी तो हुई ही साथ ही जनसंख्या के एक विशाल भाग की क्रम शक्ति भी प्रभावित हुई और औद्योगिक माल की मांग घट गई। औद्योगिक परियोजनाओं में किये जाने वाले सरकारी और निजी निवेश में भी शिथिलता आई। परिणामस्वरूप वर्ष के अधिकांश भाग में औद्योगिक कार्यकलापों की गति मन्द रही।

10.3 इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किये गये। इन उपायों में ये शामिल थे : निजी फार्मों से माल मंगाने के लिए सरकारी क्षेत्र के पेशगी आर्डर, इंजीनियरी वस्तुओं की देश के अन्दर मांग बढ़ाने के लिए चुने हुए ऋण-उपाय, उद्योगों पर नियन्त्रणों में ढिलाई और निर्यात बढ़ाने पर जोर। उद्योग विकास बैंक ने पटसन वस्तुओं, चीनी, सीमेन्ट, और कागज उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनों, कीमती मशीनों और कृषि के उपकरणों की बिक्री के लिए आस्तगित भुगतान की स्कीम को उदार बना दिया। वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग को

बढ़ाने के लिए उद्योग विकास बैंक ने मोटरगाड़ियों के निर्माताओं अथवा मान्यता प्राप्त किराया खरीद कम्पनियों को सड़क परिवहन संचालकों को मोटरगाड़ियां बेचने के लिए ऋणों के पुनर्वित्तीयन की एक स्कीम भी चालू की है।

10.4. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों में और छूट दी गई जिससे उत्पादन में विविधता लाने को प्रोत्साहन मिले। औद्योगिक एककों को छूट दी गई कि वे अपनी लाइसेंस क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन में विविधता बिना लाइसेंस प्राप्त किये ला सकते हैं, चाहे ऐसा करने में पूंजीगत उपकरण और कच्चे माल का आयत भी करना पड़े। बिना नया लाइसेंस प्राप्त किये लाइसेंस क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई, निर्यात आन्दोलन में तेजी लाई गई और निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाये गये। इन के अन्तर्गत नकद सहायता की दर और इसके क्षेत्र में समंजन और प्रोत्साहन के अन्य उपाय शामिल हैं। बिजली चालित पम्प, साइकिलें और उनके पुर्जे, इस्पात निर्मित वस्तुएं जैसे कई औद्योगिक उत्पादन एक नई श्रेणी में रखे गये जो 25 प्रतिशत नकद सहायता के लिए ग्राह्य होंगे।

10.5. उपर्युक्त उपायों से और कृषि पर अच्छे मौसम के प्रभाव स्वरूप समीक्ष्य वर्ष के उत्तरार्ध में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि पुन आरम्भ हुई। यद्यपि सब मिलाकर कुल वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में अधिक सुधार नहीं दिखाई देता है पर कुछ उद्योगों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई जैसा कि नीचे की सारणी में देखा जा सकता है। इस सारणी में वृद्धि और कमी दोनों का विवरण दिया गया है :

सारणी 2 : कुछ चुने हुए उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि

	प्रतिशत वृद्धि (+)		प्रतिशत कमी (—)
(1)	(2)	(1)	(2)
आलौहधातुएं	21 6)	खाद्य निर्माण	0.8
पैट्रोलियम शोधन उत्पादन	16.2)	खान और खदान	1.0
उर्वरक और नूल रसायन	11.3)	मोटर गाड़िया	7.3
कागज और कागज निर्मित वस्तुएं	9.8)	रेल मार्ग उपकरण	21.5
बिजली उत्पादन	12.5)	धातु पदार्थों का	
बिजली मशीनें	4.9)	निर्माण	11.6
औद्योगिक मशीनें (बिजली मशीनों के		लोहा और इस्पात	10 1
अतिरिक्त)	1.1)		
अधातुखनिज उत्पादन	4.3)	ऊनी कपड़ा	5.5
रबड़ के टायर और ट्यूब	2.9)		
पटसन की वस्तुएं	4.1)		
सूती वस्त्र	2.3)		
शराब और तम्बाकू	3.6)		

10.6. **आलौह धातुओं, पेट्रोलियम शोधन जनित पदार्थों,उर्वरकों और मूल रसायनों और कागज जनित पदार्थों के उत्पादनों में तथा बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कुछ अन्य उद्योगों में भी, जिनमें सूती और पटसन के वस्त्र शामिल हैं, थोड़ी प्रगति हुई। परन्तु पूंजीगत माल तयार करने वाले उद्योगों में,** विशेष रूप से लोहा और इस्पात धातु निर्मित पदार्थ, रेल मार्ग उपकरण और मोटरगाडियों आदि के उत्पादन में काफी कमी आई।

लक्ष्यों की पूर्ति :

10.7. चुने हुए उद्योगों के 1967-68 के क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य और 1966-67 और 1967-68 में हुई वास्तविक उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट 10.1 मे दिया गया है। उत्पादन में कमी विशेषरूप से तैयार इस्पात, मिश्र औजार इस्पात और स्टेनलेस इस्पात, एल्यूमिनियम, जस्ता, इस्पात ढलाई और गढ़ाई, भारी धातु उपकरण, मशीनी औजार, वस्त्र मशीने, सीमेंट मशीनें, मोटर गाडिया, भारी बिजली उपकरण, उर्वरक, सीमेन्ट, मोटरगाडियो के टायर, पटसन वस्तुओं और ऊनी वस्त्र इनमे हुई। पर कुछ उद्योगो में उत्पादन का प्रत्याशित स्तर प्राप्त कर लिया गया। ये हैं, चीनी, मशीने, बिजली के पखे, रेडियो रिसीवर, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा एश, कृत्रिम रबड़, सूतीवस्त्र, चीनी और वनस्पति उद्योग। अशोधित तेल और पेट्रोलियम जैसे कुछ उद्योगो मे लक्ष्य तो पूरे कर ही लिए गये उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई।

10.8 पहले आरम्भ की परियोजनाओ की पूर्ति के परिणाम स्वरूप कुछ उद्योगो मे अतिरिक्त क्षमता तैयार हुई। ये है इस्पात, जस्ता, इस्पात कास्टिंग, इस्पाती तार के रस्से, बाल बेयरिंग और रोल बेयरिंग, धातुकार्य उपकरण, मशीनी औजार, खेती के ट्रैक्टर, बिजली के ट्रासफार्मर, सूखा बैटरिया, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक, फास्फेट युक्त उर्वरक, पेट्रोल रसायन जैसे पी० वी० मा० उर्वरक, पोलिस्टिरोन, सीमेन्ट, कृत्रिम रेशे, चीना और पेट्रोलियम शोधन आदि। माग का स्तर घट जाने से अथवा कच्चे माल की कमी के कारण कई उद्योगो के सामने उपयोग में न आने वाला क्षमता की समस्या बनी रही। इस श्रेणी मे विशेष उल्लेखनीय है इस्पात ढलाई, इस्पात गढाई, क्रेन, ढलवा लोहे के पाइप, धातुकर्म उपकरण, कोयला और खान उपकरण, सूती वस्त्र मशाने, मामेन्टमशीनें, मशीनी औजार, वाणिज्यिक गाडिया और सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ अन्य उद्योगों में जैसे कि उर्वरक, इस्पात, एल्यूमिनियम, जस्ता आदि मे स्थापित क्षमता और वर्ष के दौरान हुए वास्तविक उत्पादन में अधिक अन्तर इस लिए रहा कि नई परियोजनाए या विस्तार कार्यक्रम वर्ष के अन्तिम भाग में ही पूरे हुए।

सरकारी क्षेत्र में परिव्यय :

10.9. इस वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के विकासकार्यों की गति धीमी रही। वर्ष 1967-68 की वार्षिक योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 483.02 करोड रुपये की व्यय व्यवस्था की गई थी, पर वास्तविक खर्च 437.38 करोड रुपये रहा। राज्य क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज विकास कार्यक्रम में 34.81 करोड रुपया व्यय हुआ जिसमे सघ शासित क्षेत्रो का 78 लाख रुपया भी शामिल है। परिशिष्ट 10.2 मे औद्योगिक व खान सम्बन्धी केन्द्रीय परियोजनाओ का 1967-68 का परियोजनावार परिव्यय और हुये वास्तविक व्यय का ब्यौरा दिया गया है। मुख्य कमी बोकारो इस्पात परियोजना, कोयना और कोरवा एल्यूमिनियम परियोजना और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारतीय तेल निगम द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों में तथा भारतीय उद्योग विकास बैंक जैसी वित्तीय सस्थाओ द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता में रही। बोकारो इस्पात परियोजना के मामले मे खर्च मे

कमी का कारण नगर निर्माण के कार्यक्रम में विचलन और अन्य निर्माण-कार्यों की पूर्ति में देरी हुई थी। कोयना एल्यूमिनियम परियोजना का आरम्भ इस वर्ष नहीं किया जा सका क्योंकि इस परियोजना की लागत के ऊंचे तखमीनों को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि इस परियोजना की परामर्श-व्यवस्था की फिर से जाच की जाये। कोरबा संयन्त्र की व्यवस्था की भी पुनः जांच की गई। विभिन्न वित्तीय संस्थानों को दी जानेवाली ऋण सहायता में कमी का कारण यह था कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती की स्थिति के कारण लोगों ने ऋण कम लिए। खनिजों के क्षेत्र में कमी का कारण यह था कि उपकरणों व सामग्री के प्राप्त करने में देरी हुई। सरकारी क्षेत्र की कई परियोजनाएं जो पहले के वर्ष में आरम्भ की गई थी समीक्ष्य वर्ष में पूरी हुई। ये हैं गोरखपुर उर्वरक परियोजना, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात परियोजना के विस्तार का प्रथम सोपान, जस्ता प्रद्रावक, उदयपुर, एन्टीबायोटिक फैक्टरी, ऋषीकेश और संश्लिष्ट औषधि परियोजना, हैदराबाद। कई अन्य परियोजनाओं में भी काफी प्रगति हुई। बोकारो इस्पात योजना में निर्माण कार्य का आरम्भ किया गया। नामरूप, दुर्गापुर और कोचीन की उर्वरक परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। केवल गिनी चुनी ही नई परियोजनायें इस वर्ष आरम्भ की गई जैसे कि नामरूप-2 और बरौनी उर्वरक परियोजना।

10.10. सरकारी क्षेत्र के निर्माता उद्योगों का इस वर्ष के दौरान बिक्री मूल्य लगभग 1050 करोड़ रुपये था जबकि गत वर्ष 826 करोड रुपये था। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने भी इस वर्ष के दौरान निर्यात में उल्लेखनीय योगदान किया। निर्माता प्रतिष्ठानों से किये गये निर्यात की राशि 48 करोड़ रुपये थी, जब कि 1966-67 मे यह राशि 20 करोड रुपये थी। निर्यात की राशि में काफी बडा भाग 30.59 करोड रुपये, हिन्दुस्तान स्टील द्वारा निर्मित पदार्थों का था। राष्ट्रीय खान विकास निगम द्वारा जापान को निर्यात किये गये लोह अयस्क की राशि 10.64 करोड़ रुपये की थी। निर्यात किये जाने वाले अन्य पदार्थों में भारतीय तेल निगम द्वारा निर्यात किये गये पेट्रोलियम-पदार्थ (3.83 करोड रुपये), भारतीय दुर्लभ मृत्तिका लिमिटेड द्वारा निर्यात किये गये मृत्तिका रसायन (1.18 करोड रुपये) और भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्यात किये गये टेलीफोन केन्द्र उपकरण (51 लाख रुपये) शामिल थे।

10 11. कई प्रतिष्ठानों ने लाभ कमाया और उसे लेकर 5 प्रतिशत तक लाभांश घोषित किया। लाभ अर्जित करने वाले प्रतिष्ठानों मे उल्लेखनीय ये हैं भारतीय तेल निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जहाजरानी आयोग, भारत इलैक्ट्रोनिक्स, भारतीय टेलीफोन उद्योग, कोचीन तेलशोधक कारखाना, भारत अर्थमूवर्स, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, हिन्दुस्तान कैबिल्स नेशनल न्यूज पेपर एण्ड पेपरर्स मिल्स, उर्वरक और रसायन, त्रावनकोर, हिन्दुस्तान कीट नाशक आदि। दूसरी ओर कुछ बड़े प्रतिष्ठानों में जैसे कि हिन्दुस्तान स्टील, भारी इंजीनियरी निगम, नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन, हैवी एलेक्ट्रिकल्स, भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स, खनन और तत्सम्बन्धी मशीनरी, भारती औषध और भेषज निर्माण, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम आदि में घाटा रहा। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और हिन्दुस्तान जिन्क को भी इस वर्ष घाटा रहा जब कि 1966-67 मे इन्हें लाभ रहा था। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य सम्पादन में सुधार के लिए कई कदम उठाने का विचार किया जा रहा है।

10.12. इस वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख उद्योगों में हुई प्रगति की संक्षिप्त समीक्षा नीचे पैराग्राफों में की जा रही है।

10.13. वर्ष 1967-68 में तैयार इस्पात का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा थोड़ा ही कम हुआ जैसा कि नीचे की सारणी से स्पष्ट है :

सारणी 3 : तैयार इस्पात का उत्पादन : 1965-66 से 1967-68

मद	इकाई	1965-66 वास्तविक		1966-67 वास्तविक		लक्ष्य		1967-68 वास्तविक	
		क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
इस्पात सिल्लियां	10 लाख मीट्रिक टन	6 7	6 5	7 6	6.6	8 9	7 5	8 6	6.31
तैयार इस्पात	,,	5 1	4 5	5 5	4 4	6 2	5 7	6.3	4.15
कच्चा लोहा बिक्री के लिए	,,	1 2	1 2	1 2	1 01	1.2	1 2	1 2	1 12
मिश्र और विशेष इस्पात	हजार मीट्रिक टन	40 0	35 0	50 0	44.9	90 0	70 0	50 0	52 2

10.14. कम उत्पादन होने पर भी कई श्रेणियों की वस्तुओं की बिक्री में उद्योग को कठिनाई आई, इन वस्तुओं में मर्चेंट वस्तुएं, रेल की पटरियां, स्लीपर हैवीस्ट्रक्चरल, छड़ें आदि शामिल हैं। पूर्ति की स्थिति अच्छी होने के कारण मई, 1967 से इस्पात की सभी किस्मों पर से नियन्त्रण हटा लिया गया। लोहे और इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जोर दार प्रयत्न किये गये। इस वर्ष निर्यात की राशि 53.5 करोड़ रुपये रही जबकि पूर्व वर्ष में यह राशि 20 करोड़ रुपये थी और 1965-66 में केवल 5.78 करोड़ रुपये। वर्ष 1967-68 में 627,483 मीट्रिक टन कच्चे लोहे और 600,210 मी० टन इस्पात का निर्यात किया गया। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा 1966-67 में 8·79 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था जो बढ़कर 1967-68 में 30.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। निर्यात मे मुख्यता बिलेट, कच्चा लोहा, स्ट्रक्चरल्स, रेल की पटरिया शामिल थी और यह निर्यात रूस, अमरीका, ब्रिटेन और जापान सहित 30 देशों को किया गया।

10.15. इस वर्ष के दौरान राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई स्थित सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयन्त्रों के विस्तार का प्रथम सोपान लगभग पूरा हो गया। भिलाई के तार-छड़ कारखाने में सितम्बर, 1967 से उत्पादन आरम्भ हो गया और इस वर्ष के दौरान 62,000 मी० टन तार छड़ो का उत्पादन हुआ। पुनर्निमित खुली भट्टी संख्या 6 और तार-छड़ कारखाने मे उत्पादन आरम्भ हो जाने मे भिलाई इस्पात कारखाने का 25 लाख मीट्रिक टन विस्तार का कार्यक्रम, केवल कुछ छोटी मदों को छोड़कर पूरा हो गया। संयंत्र के 32 लाख मीट्रिक टन स्तर तक विस्तार की प्रत्याशा मे छठी धमन-भट्टी का काम प्रगति पर था। दुर्गापुर इस्पात सयत्र की वार्षिक क्षमता का 16 लाख मीट्रिक टन इस्पात सयन्त्र सिल्लियो तक विस्तार करने के काम में श्रमिक संकट के कारण बाधा पड़ी। परन्तु चौथी कोक ओवेन बैटरी, चौथी धमन भट्टी, सिन्टर प्लांट, सोकिंगयिर आदि तैयार कर लिए गये। राउर केला इस्पात संयन्त्र की क्षमता को 18 लाख मीट्रिक टन इस्पात सिल्लियो तक बढ़ाने के काम मे काफी प्रगति हुई और कई एककों में इस वर्ष काम आरम्भ हो गया।

10.16. नीचे की सारणी से देखा जा सकता है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा चलाये जाने वाले तीन इस्पात संयन्त्रों में क्षमता का उपयोग 1966-67 की अपेक्षा समीक्ष्य वर्ष में कम रहा :

सारणी 4 : हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र में क्षमता का प्रतिशत उपयोग

	गरम धातु	इस्पात सिल्लिया	बिक्री योग्य इस्पात
(1)	(2)	(3)	(4)
1966-67	99	88	82
1967-68	87	70	69

10.17. इस वर्ष के दौरान बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 2,419,000 मीट्रिक टन था जबकि 1966-67 में 2,56 1,000 मी० टन जिससे स्पष्ट है कि उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की कमी हुई है। सुधार लाने के लिए उत्पादन में विविधता लाने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। उदाहरणार्थ भिलाई के मर्चेन्ट मिल में 20 मिली मीटर के गोले, 45 मीलीमीटर के ऐंगिल आदि और दुर्गापुर में 40 मिलीमीटर के ऐंगलों का उत्पादन पहली बार आरम्भ किया

गया। भिलाई के तार-छड़ कारखाने में विकुंडलीकरण और काटने की सुविधायें बढ़ाई गई। मैसर्स टोर इस्टैंग कारपोरेशन, लक्जेम्बर्ग के साथ करार करके भिलाई और दुर्गापुर में ठंडी मरोड़ी पहलदार छड़ों का कंक्रीट के प्रबली करण के लिए उत्पादन आरम्भ करके विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

10.18. बोकारो इस्पात संयन्त्र के निर्माण के लिए सिविल इंजीनियरी का काम इस वर्ष के दौरान आरम्भ किया गया। संयन्त्र के पहले सोपान में 17 लाख मीट्रिक टन इस्पात सिल्लियां और 11 6 लाख मीट्रिक टन बिक्री योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन का विचार था। इस संयन्त्र में इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र की नवीनतम तकनीकी विधियो का समावेश किया जायेगा। संयन्त्र के निर्माण के लिए जल की पूर्ति की व्यवस्था जिसमें गर्गा बांध और संयन्त्र के स्थल के चारों और प्रमुख चल नल डालने का काम पूरा हो चुका है। संयन्त्र क्षेत्र मे निर्माण कार्य के लिए बिजली की पूर्ति की व्यवस्था की गई। चाहारदीवारी का निर्माण और संयन्त्र के विभिन्न एककों की नींव की खुदाई और उसमे कंक्रीट बिछाने का कम काम चल रहा था। सयन्त्र का निर्माण कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड को सोपा गया है, यह सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है और इस्पात कारखानों के निर्माण के लिए इसका गठन किया गया है। इस वर्ष के दौरान बोकारो परियोजना पर कुल 55 करोड़ रुपया खर्च हुआ।

10.19. फेरोक्राम के उत्पादन के लिए दो एककों को लाइसेंस दिया गया। इन एककों मे विभिन्न श्रेणियों के मिश्र क्रोमियम की देश की पूरी माग की पूर्ति हो सकेगी। साधारण पैमाने पर फेरोवेनेडियम, फेरोटंगस्टन, फेरोमोलिब्डेनम आदि अन्य लोह मिश्र धातुओ का उत्पादन भी आरम्भ किया गया है।

10.20. दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयन्त्र के कई एककों मे उत्पादन आरम्भ हो गया, यह सयन्त्र देश की मिश्र इस्पात और विशेष इस्पात की मांग की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है। और इस-की आरम्भिक क्षमता 100,000 मीट्रिक टन सिल्ली होगी। वर्ष 1967-68 के दौरान इस संयन्त्र में 13 800 मी० टन सिल्लिया, 27,000 मी० टन गढामाल और 3900 मी० टन बेल्लित माल तैयार हुआ। मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने मे वर्तमान सुविधाओ को मिश्र और विशेष इस्पात तैयार करने के लिए परिवर्तित करने का काम चल रहा है। इस कम्पनी मे उपलब्ध सुविधाओं से कुछ श्रेणियों के विशेष इस्पात का उत्पादन आरम्भ हो गया है। दो द्रावक भट्टियां स्थापित की गई हैं। मिश्र इस्पात की कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता 110,000 मीट्रिक टन है जिसमें से 60,000 मीट्रिक टन सरकारी क्षेत्र मे है।

अलौह धातुएं :

10.21. समीक्ष्य वर्ष के दौरान एल्यूमिनियम के उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा कोरबा, मध्यम प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही सरकारी क्षेत्र की परियोजना पर्याप्त प्रगति कर चुकी है। परियोजना स्थल के विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्य जैसे कि बस्ती निर्माण, दूर संचार, रेल लाइन बिछाने आदि के कार्यों में विभिन्न मात्रा में प्रगति हो चुकी है। इस परियोजना के अन्तर्गत 200.000 मीट्रिक टन ऐलुमिना और 100,000 मी० टन एल्यूमिनियम धातु तथा 50,000 मीट्रिक टन ऐल्यूमिनियम सेमीज (बेल्लित और निस्रावित उत्पादन) का उत्पादन होगा। ऐलुमिना संयंत्र की स्थापना हंगरी के सहयोग से की जायेगी और प्रद्रावक के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की व्यवस्था

रूस करेगा । राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने डिजाइन और परामर्श कार्य में हाथ बटाया है । यह तय किया गया है कि भारत में बने उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया जायेगा । कोयना एल्यूमिनियम परियोजना के बारे में सहयोग सम्बन्धी शर्तों पर इस वर्ष पुन: विचार किया गया । नई व्यवस्था के अन्तर्गत इंजीनियरी सम्बन्धी सारा काम प्रद्रावक की स्थापना और उसे चालू करने तक का काम भारत ऐल्यूमिनियम कम्पनी करेगी और इस कार्य में एक भारती इंजीनियरी परामर्शदाता फर्म का सहयोग रहेगा। हंगरी से प्राप्त होने वाली सहायता मुख्य रूप से प्रक्रिया और तकनीकी जानकारी, और संयन्त्र की स्थापना, आरम्भ और उत्पादन शुरू करने के समय सामान्य मार्गदर्शन के रूप में रहेगी ।

10.22. इस वर्ष की एक विशेष उपलब्धि थी सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र की जस्ता प्रद्रावक परियोजना की पूर्ति । जस्ते का नियमित उत्पादन जनवरी, 1968 से आरम्भ हुआ । मार्च, 1968 से कैडमियम का भी उत्पादन आरम्भ हो गया । संयन्त्र की वार्षिक क्षमता 18,000 मीट्रिक टन है । मैसर्स बिनानी कोमिन्को की निजी क्षेत्र की परियोजना में भी इस वर्ष के दौरान उत्पादन आरम्भ हो गया, यह परियोजना आयात किये हुए जस्ता सान्द्रणो परियोजना पर आधारित है और इसकी वार्षिक क्षमता 20,000 मीट्रिक टन है ।

10 23. सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई, इसका उद्देश्य ताम्र अयस्क की खोज करना, उपयोग करना और खनन करना तथा सरकारी क्षेत्र में तांबे का उत्पादन करना है । यह कम्पनी राजस्थान में खेतरी तांबा कम्लेक्स के विकास मे लगी है । खेतरी की खान और संयन्त्र व्यवस्था में 31,000 मी० टन विद्युत विश्लेषिक तांबे की क्षमता होगी । (इसमे से 21000 मी० टन तांबा खेतरी खान से और 10,000 मी० टन समीप स्थित कोल्हिन खान से प्राप्त होगा) । यह भी प्रस्ताव है कि कौंध प्रद्रावण पद्धति को अपना कर अयस्क मे से गन्धक तत्व निकाल लिया जाये और प्रति दिन लगभग 600 मीट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया जाये । इसका उपयोग प्रतिवर्ष 214,000 मी० टन ट्रिपिल सुपरफास्फेट उर्वरक का उत्पादन करने में किया जायेगा । खेतरी परियोजना में, एसिड और उर्वरक सयन्त्र को शामिल करके, अनुमान है 88 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । यह कम्पनी राखा (बिहार) के ताम्र निक्षेपों और अग्निगुडवा (आन्ध्र प्रदेश) के सीसा और ताम्र निक्षेपों के विकास के बारे मे भी विचार कर रही है ।

इंजीनियरी उद्योग :

10.24. समीक्ष्य वर्ष के अधिकांश भाग में इंजीनियरी उद्योग आर्थिक मन्दी की प्रवृत्ति मे पीड़ित रहे । पर सरकार द्वारा किये गये उपायों के फलस्वरूप 1967 के अन्त में कुछ सुधार दिखाई दिया । सरकारी क्षेत्र के संस्थानों, विशेष रूप से रेलवे द्वारा किय गये आर्डरों से और इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादनों के निर्यात को बढ़ाने में मिली सफलता से स्थिति में कुछ सुधार आया । जिन उद्योगों के उत्पादन मे इस वर्ष के दौरान वृद्धि हुई वे ये हैं—इस्पात-तार के रस्से, बाल बेयरिंग और रालर बेयरिंग, सीमेन्ट मशीनरी, चीनी मशीनरी, औज़ार, कृषि ट्रैक्टर, रेडियो रिसीवर आदि । दूसरी ओर इस्पात-ढलाई, इस्पात पाइप और ट्यूब, सूती कपड़े की मशीनरी और कामर्शल गाड़ियां जैसे कुछ उद्योगों मे उत्पादन घट गया । आंतरिक मांग और विद्यमान विशाल क्षमता में अन्तर के कारण निर्यात बाजारों की खोज करनी पड़ी इसमें कुछ मात्रा में सफलता प्राप्त हुई और इस वर्ष इंजीनियरिंग माल का निर्यात बढ कर 32.7 करोड़ रुपये हो गया जबकि 1966-67 में यह निर्यात 23 करोड़ रुपये था ।

10.25. कुछ सरकारी परियोजनाओं में क्रमश: उत्पादन आरम्भ हो जाने के कारण बिजली उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारी बिजली उपकरण लिमिटेड, भोपाल म स्विचगीयर, कन्ट्रोलगीयर, ट्रांसफार्मर कैपैसिटर, कर्षण उपकरण, औद्योगिक मोटर आदि का निर्माण सुस्थिर रूप से होने लगा। इस वर्ष के दौरान 220 के० वी० सिस्टम के लिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरो का और 120 मेगावाट स्टीम टर्बाइनो का तथा जनरेटरो का उत्पादन भी आरम्भ हो गया। इस संयन्त्र मे हाइड्रो और टर्बो सेट जैसे अत्यन्त आधुनिकतम उपकरणों के निर्माण की क्षमता तैयार हो गई है। वर्ष 1967-68 के दौरान इस संयन्त्र मे उत्पादित तैयार माल का मूल्य लगभग 23 करोड रुपये था जबकि विगत वर्ष 17.42 करोड रुपये का माल तैयार हुआ था।

10 26. फाउन्डीफोर्ज एकक को छोडकर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के सभी एककों में इस वर्ष के दौरान आंशिक उत्पादन हुआ। हाई प्रैशर वायलर प्लाट, तिरुचि, हाई पावर इक्विपमेन्ट प्लान्ट, हैदराबाद और स्विच गियर एकक हैदराबाद में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया। हैवी एलैक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट प्लान्ट, हरिद्वार, मे निर्माण कार्य अभी चल रहा है पर वहां जो खण्ड पूरे हो चुके हैं उनमें उत्पादन आरम्भ हो गया है। हाई प्रेशर वायलर प्लाट, तिरुचि ने 1967-68 के दौरान अलाभ की स्थिति पार कर ली और वहा 42 लाख रुपये का थोडा-सा लाभ हुआ। पर कम्पनी के अन्य एककों मे जो घाटा हुआ वह इस लाभ की अपेक्षा कही अधिक था।

10 27. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को तैयार माल का भण्डार जमा हो जाने की समस्या का सामना करना पडा, पहली अप्रैल, 1968 को वहा 687 मशीनो का स्टाक था जिनका मूल्य 318 लाख रुपये था। आगे अधिक माल इकट्ठा न होने पाये इस दृष्टि से कम्पनी को अपना उत्पादन अपनी क्षमता के 40 से 50 प्रतिशत तक सीमित करना पडा। स्थापित क्षमता के उपयोग के लिए उत्पादनो मे विविधता लाने के लिए कई कदम उठाये गये। शार्ट पीस टर्निंग मशीन, नये सिलिन्ड्रिकल ग्राइन्डर, रैम टाइप मिलिंग मशीन, हैवी डिअल ड्रिल और लेथ के आदि रूपो का विकास किया गया। कम्पनी ने बोरिंग और ब्रोचिंग मशीनों के उत्पादन के लिए सहयोग के करार भी किये। निर्यात को बढाने के भी प्रयत्न किये गये और कम्पनी ने समीक्ष्य वर्ष के दौरान 43 लाख रुपये के मशीनी औज़ार और घडिया निर्यात की गई।

10 28. नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड के सामने भी ऐसी ही समस्या आई और वहा भी क्रमागत मदो के उत्पादन मे कमी करनी पडी और उत्पादन मे बहुविधता लानी पडी। इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड के कोटा सयन्त्र में परीक्षणात्मक उत्पादन आरम्भ हुआ। कारखाने के सशोधित कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन मे विविधता लाने, आधुनिक सूक्ष्म उपकरणो का उत्पादन करने और पहले जिन पूरक उपकरणो का उत्पादन पालघाट फैक्टरी मे करने की योजना थी उनमें से कुछ का न्यूनतम आवश्यक उत्पादन कोटा मे करने की परिकल्पना की गई है।

उर्वरक :

10.29. नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की उत्पादन क्षमता 1966-67 में 585,000 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) थी जो कि 1967-68 में बढ़कर 849,900 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) हो गई। यह वृद्धि विशाखापटनम, बड़ौदा, एन्नोर और गोरखपुर में नए एककों की स्थापना और आलवाय के उर्वरक संयन्त्र के विस्तार के कारण हुई।

10.30. नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन 307,900 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) से बढ़कर 1967-68 में 336,800 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) हुआ। स्थापित क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर भी वास्तविक उत्पादन 520,000 मी० टन (नाइट्रोजन) के लक्ष्य की अपेक्षा काफी कम रहा ।

10.31. सिंदरी एकक में 1967-68 के दौरान उत्पादन 79,435 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) हुआ जबकि क्षमता 117,000 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) थी, गत वर्ष उत्पादन 95,447 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) था। उत्पादन कम होने के कारण थे जिप्सम की निम्न कोटि (मिट्टी और नमी का अंश अधिक होना), मजदूर हड़ताल, कोयला गैस की कमी और 17 वर्ष के पुराने संयन्त्र के अनुरक्षण की बढ़ी हुई आवश्यकता । अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में सबसे अधिक कमी आई ।

10.32. ट्राम्बे एकक में इस वर्ष के दौरान उत्पादन में सुधार हुआ। वर्ष 1966-67 में 35,927 मी० टन (नाइट्रोजन) और 9,312 मी० टन ($पी_2ओ_5$) का उत्पादन हुआ और 1967-68 में 44,128 मी० टन (नाइट्रोजन) और 17,036 मी० टन ($पी_2ओ_5$) का । ऐसा होने पर भी उत्पादन निर्धारित क्षमता से बहुत अधिक कम हुआ । कम उत्पादन का कारण आयात किये हुये संयन्त्र के डिजाइन में दोष बताया गया है ।

10.33. नेवेली एकक मे केवल 32,850 मीट्रिक टन (नाइट्रोजन) का उत्पादन हुआ जब कि इस एकक की क्षमता 70,000 मी० टन (नाइट्रोजन) है । क्षमता का कम उपयोग आयातित पुर्जो और रसायनों की कमी के कारण हुआ । कोयले की गैस की कमी के कारण राउरकेला एकक की क्षमता का भी न्यून उपयोग जारी रहा । वोल्टेज में बार-बार घटा-बढ़ो होने के कारण उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड के एकक में भी काम संतोषजनक नहीं हुआ है ।

10.34. इसके विपरीत नांगल संयन्त्र का काम अच्छा रहा । इस एकक में 1966-67 में 71,852 मी० टन (नाइट्रोजन) उत्पादन हुआ था । 1967-68 में वृद्धि हो कर उत्पादन 77,665 मीट्रिक टन तक पहुंच गया । नये-नये कैन उर्वरक में 25 प्रतिशत (नाइट्रोजन) था जबकि गत वर्षों में 20.5 प्रतिशत (नाइट्रोजन) रहा था ।

10.35. गैस की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए सिंदरी और राउरकेला में नफ्था गैसकरण संयन्त्र स्थापित किये जा रहे हैं । ट्राम्बे की डिजाइन की त्रुटियों की जांच की जा रही है जिससे कि उन्हें दूर करने के उपाय किये जा सकें ।

10.36 फास्फेट उर्वरकों की स्थापित क्षमता 1966-67 में 237,000 मीट्रिक टन ($पी_2ओ_5$) थी जो 1967-68 में बढ़कर 383,400 मीट्रिक टन ($पी_2ओ_5$) हो गई । क्षमता वृद्धि मुख्यरूप से विशाखापटनम और बड़ौदा एककों के द्वारा हुई । वर्ष 1967-68 में यद्यपि उत्पादन 190,400 मी० टन ($पी_2ओ_5$) हुआ फिर भी वह 266,000 मी० टन ($पी_2ओ_5$) के लक्ष्य से बहुत कम था । विशाखापटनम संयन्त्र का योगदान कम रहा क्योंकि यह संयन्त्र वर्ष के अन्त की ओर ही चालू हुआ था । वर्ष के आरम्भिक भाग में कुछ संयंत्रों के लिए गंधक के उपलब्ध होने में कठिनाई हुई ।

10.37. बरौनी और नामरूप 2 में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक परियोजना को स्थापित करने के लिए आरम्भिक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। मद्रास, कोचीन और दुर्गापुर में उर्वरक एककों को स्थापित करने का काम चल रहा है। कोटा की निजी क्षेत्रीय परियोजना के लिए भी निर्माण कार्य चल रहा था। कानपुर में निजी क्षेत्र के निर्माण कार्य की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

10.38. सिन्दरी के सल्फ्यूरिक एसिड संयन्त्र का सस्थापना कार्य योजनानुसार चल रहा है। यह संयन्त्र अमजोर से प्राप्त होने वाले पाइराइट पर आधारित है। पाइराइटस ऐंड कैमिकल्स कम्पनी ने तथ्येन इस सयन्त्र का हस्तान्तरण वर्ष के अन्त मे भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक को कर दिया था।

भारी रसायन :

10.39. कास्टिक सोडा की स्थापित क्षमता 1966-67 में 296,000 मी० टन थी जो कि बढ़कर 1967-68 मे 378,000 मी० टन हो गयी। पर उत्पादन मे उपेक्षाकृत थोड़ी सी ही वृद्धि हुई, पहले उत्पादन 233,000 मीट्रिक टन था जो इस वर्ष बढ़कर 274,200 मीट्रिक टन हो गया। क्षमता और उत्पादन दोनो के ही लक्ष्य प्राप्त नही किये जा सके। सम्भवत. उत्पादन कम होने का एक कारण यह था कि आन्तरिक मांग कम थी। कुछ मामलो मे विद्युत शक्ति की कमी की सूचना भी प्राप्त हुई थी।

10.40. सोडा ऐश की स्थापित क्षमता मे थोड़ी सी वृद्धि हुई, पहले यह क्षमता 363,000 मीट्रिक टन थी जो 1967-68 मे बढ़कर 399,000 मीट्रिक टन हो गई। वर्ष के दौरान उत्पादन 374,000 मीट्रिक टन हुआ जिससे स्पष्ट है कि 93.4 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ। सोडा ऐश का उत्पादन देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त था।

10 41. सल्फ्यूरिक एसिड की स्थापित क्षमता 1966-67 मे 1,353,000 मी० टन थी 1967-68 मे यह क्षमता बढकर 1,828,850 मीट्रिक टन हो गई। पर उत्पादन में केवल 210,000 मी० टन वृद्धि हुई जिससे उत्पादन का अक 1967-68 मे बढ़कर 912,940 मी० टन हो गया। इसका कुछ कारण गंधक की अस्थायी कमी कही जा सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन स्तर अधिकतर फास्फेटयुक्त उर्वरको के उद्योग पर निर्भर है जिसमे सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है।

10.42. अमजोर की पाइराइट परियोजना की प्रगति कुछ धीमी रही। पर इस बात को ध्यान मे रखकर आवश्यक कदम उठाये जा रहे है कि 1968 के अन्त तक यह परियोजना सिन्दरी के सल्फ्यूरिक एसिड प्लाट को कच्चे माल की पूर्ति करने मे समर्थ हो जाये।

पेट्रो-रसायन :

10 43. ऐल्कोहल की कमी के कारण पोलीथिलीन, कृत्रिम रबड़ और अन्य ऐल्कोहल आश्रित रसायनों के उत्पादन में बाधा बनी रही। गन्ने की फसल अच्छी न होने के कारण औद्योगिक ऐल्कोहल के मुख्य कच्चे माल चीनी और शीरे का उत्पादन इस वर्ष के दौरान कम हुआ था।

10.44. कार्बन ब्लैक की स्थापित क्षमता 31,800 मीट्रिक टन ही बनी रही पर उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई, 1966-67 मे उत्पादन 17,600 मीट्रिक टन था, जो 1967-68 मे बढ़कर 24,000 मी० टन हो गया। पी० बी० सी० की स्थापित क्षमता 1966-67 मे 9,600 मी० टन थी, इसमे काफी वृद्धि हुई और 1967-68 मे यह 22,600 मीट्रिक टन हो गई। उत्पादन 1966- 67 मे 10,700 मी० टन था जो बढ़कर 14,400 मीट्रिक टन हो गया।

10.45. पालीथिलीन की स्थापित क्षमता गत वर्ष के स्तर 17,500 मी० टन पर ही बनी रही। पर उत्पादन 11,300 मी० टन से घटकर 10,000 मी० टन रह गया। ऐसा कच्चे माल की ओर विशेष रूप से एल्कोहल की कमी के कारण हुआ। पेट्रो रसायन पालीथिलीन का उत्पादन यूनियन कार्बाइड संयन्त्र, बम्बई मे आरम्भ किया गया, यह सयन्त्र गत वर्ष के अन्त मे चालू हुआ था।

कार्बनिक रसायन :

10 46. राष्ट्रीय कार्बनिक रसायन उद्योग लिमिटेड के नफ्था क्रैकर सयन्त्र मे इस वर्ष के दौरान उत्पादन आरम्भ हुआ। दि यूनियन कार्बाइड के नफ्था क्रैकर मे उत्पादन पहले ही आरम्भ हो चुका है। इन क्रैकरो का उत्पादन भारत के कार्बनिक रसायन उद्योग के इतिहास मे महत्वपूर्ण सीमा चिह्न है।

10.47. भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित सयन्त्र मे मेथैनोल के उत्पादन का स्तर उपयुक्त नही था। ठेकेदार द्वारा सभरित किया गया नफ्था रिफार्मर कैटेलिस्ट काम नही दे सका और उसके स्थान पर एक नया विदेशी कैटेलिस्ट काम मे लाया गया जिससे किसी सीमा तक उत्पादन मे सुधार हुआ। परन्तु उपयुक्त स्थानापन्न कैटेलिस्ट को ढूढ निकालने की समस्या अभी हल नही हो पाई है। हिदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स कम्लेक्स मे कुछ कार्बनिक रसायन सयन्त्रो के स्थापना की दिशा मे पर्याप्त प्रगति हुई।

औषधियां और भेषज रसायन:

10 48. भारतीय औषधि और भेषज रसायन लिमिटेड के ऋषी केश स्थित एन्टीबायोटिक संयन्त्र को परीक्षण के लिए कुछ बार चलाया गया है परन्तु इसमे अभी उत्पादन नही हुआ है। अधिक देरी होने का कारण यह था कि पेन्सिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन सयत्र मे परीक्षण से पहले ही अनेक सुधार किये गये। यदि सयन्त्र मे पहले उत्पादन आरम्भ हो गया होता तो बहुत सम्भावना थी कि पेन्सिलीन की कुछ बिक्री होती, पर जो लम्बी अवधि इस बीच बीत गई है उसमे चिकित्सा क्षेत्र मे पेन्सलीन का प्रचलन कम हो गया है। इस एकक मे नये एन्टीबायोटिकों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है।

10.49. हैदराबाद के संश्लिष्ट औषधि सयन्त्र मे अनेक औषधियों का उत्पादन आरम्भ हो चुका है। समीक्ष्य वर्ष के दौरान निर्धारित क्षमता प्राप्त करने की ही समस्या नही थी बल्कि यह भी समस्या थी कि उत्पादन के आर्थिक पक्ष मे किस प्रकार सुधार किया जाये। भारतीय औषधि और भेषज-रसायन लिमिटेड के मद्रास स्थित सर्जरी उपकरण संयन्त्र को अपने उत्पादनों के बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। मांग का और आवश्यक नये डिजाइन के उपकरणों का पुन: प्राक्कलन करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

चीनी:

10.50. गत वर्ष (21.5 लाख मी० टन) की अपेक्षा इस वर्ष चीनी का उत्पादन थोड़ा अधिक, 22.5 लाख मी० टन हुआ। इसका मुख्य कारण चीनी का आंशिक विनियन्त्रण करने की नीति और गन्ने का अधिक मूल्य अदा करने के लिए चीनी मिलों को दिया गया प्रोत्साहन था।

कागज और अखबारी कागज:

10.51. कागज और गत्ते की स्थापित क्षमता और उत्पादन मे इस वर्ष के दौरान थोडी-सी वृद्धि हुई। उत्पादन देश की आन्तरिक माग की पूर्ति के लिए न्यूनाधिक पर्याप्त था। अखबारी कागज के उत्पादन मे लगभग 1,500 मी० टन की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण नेपा मिल की क्षमता का बेहतर उपयोग था। नेपा मिल के विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है जो सम्भवत. 1969-70 तक पूरा हो जयेगा।

10.52. होशगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल का चालू हो जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह मिल सरकारी क्षेत्र मे इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि करेसी और बैंक-नोटो के लिए जो कागज अभी तक विदेशों से आयात किया जाता रहा है उसका उत्पादन देश मे किया जा सके। इस परियोजना पर पूजी परिव्यय 21 करोड रुपये हुआ है। इस वर्ष इसमे उत्पादन 695 मी० टन हुआ है और आशा है 1969-70 तक इसमे 2700 मी० टन की पूर्ण स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन होने लगेगा।

सीमेंट :

10.53. सीमेन्ट की स्थापित क्षमता मे इस वर्ष 15 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। पर उत्पादन मे केवल थोडी सी 4 7 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर वर्ष के दौरान सीमेन्ट की पूर्ति की स्थिति सतोषजनक रही। भारतीय सीमेन्ट निगम ने मध्य प्रदेश के मनधर और मैसूर के कुर कुन्त के सयन्त्रों पर निर्माण कार्य आरम्भ किया। इन दोनों सयन्त्रों में से प्रत्येक की क्षमता 200,000 मीट्रिक टन है। मनधर परियोजना मे आशा है 1969 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। निगम की शेयर पूजी मे इस वर्ष के दौरान 2 करोड रुपये का अतिरिक्त निवेश किया गया।

सूती वस्त्र :

10.54. सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1967-68 का वर्ष लगातार तीसरा बुरा वर्ष था। वर्ष के आरम्भ के कुछ महीनों में रुई की पूर्ति की स्थिति कष्टकर बनी रही। रुई की कमी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी मिलों से कहा गया था कि 1966 के दिसम्बर के मध्य से 1967 के अप्रैल के मध्य तक प्रति सप्ताह एक अतिरिक्त छुट्टी मनाई जाये। इसके बाद अल्पावधि काम के लिए पक्ष में एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मनाई गई। रुई की नई फसल आने पर सितम्बर, 1967 से काम के समय में कमी समाप्त कर दी गई।

10.55 सूती उद्योग की स्पिंडिल क्षमता 1966-67 में 167 लाख थी जो बढकर 1967-68 मे 172.5 लाख हो गई। पर वस्त्र और सूत दोनों का उत्पादन लगभग उतना ही हुआ जितना कि 1966-67 में हुआ था। वर्ष के उत्तरार्ध में उत्पादन में वृद्धि हुई और देश के विभिन्न भागों से सूत इकट्ठा हो जाने की सूचना मिली।

10.56. कुल उत्पादन की अपेक्षा धोती, साड़ी लांग क्लाथ, शर्टिंग और ड्रिल जैसी लोक प्रिय किस्मों के वस्त्रों के 40 प्रतिशत तक के उत्पादन और मूल्य नियन्त्रण का सांविधिक नियन्त्रण बना रहा। नियन्त्रित किस्मों के कपड़ों के मूल्यों में 15 अप्रैल, 1967 से साढ़े चार प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत की गई।

पटसन निर्मित वस्तुएँ :

10.57. पटसन उद्योग के लिए 1967-68 का वर्ष भी कठिनाई का वर्ष था। यद्यपि इस वर्ष पटसन वस्तुओं का उत्पादन 1966-67 की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक हुआ तो भी गतवर्षों में प्राप्त स्तरों की अपेक्षा यह काफी कम था। नई फसल आने के पहले वर्ष के आरम्भ के कुछ महीनों में पटसन के कच्चे माल की पूर्ति कम रही। पाकिस्तान से सिन्थेटिक्स और टाट के मामले में और सामान्यतया सिन्थेटिक्स के मामले में प्रतियोगिता के कारण निर्यात में कमी की प्रवृत्ति बनी रही। परन्तु गलीचों के नीचे के टाट के उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

जहाज निर्माण :

10.58. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तीन पोतों का निर्माण पूरा कर लिया और उन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया। पांच जहाजों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 1968 को विभिन्न स्तरों पर चल रहा था। ग्रेविंग डाक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति जुलाई 1967 में दे दी गई, इस परियोजना की कुल संशोधित लागत 408.5 लाख रुपये है। परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय से आगे चल रहा है और सम्भावना है कि यह गोदी सितम्बर 1970 तक चालू हो जायेगी।

2. खनिज

खनिज तेल :

10.59. इस वर्ष के दौरान तेल की खोज जारी रही और गुजरात के क्षेत्र में नयी अनुकूल संरचनाओं की खोज हुई। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विदेशी फार्मों के सहयोग से फारस की खाड़ी में आर-संरचना का पता चला है। यह आशा है कि तेल क्षेत्रों में प्रति वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के उत्पादन की क्षमता है। आगे काम चल रहा है। असम में लकवा और गुजरात क्षेत्र में ढोलका में परीक्षणात्मक उत्पादन आरम्भ हो गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा संचालित विभिन्न तेल क्षेत्रों में इस वर्ष के अन्त में उत्पादन की दरें इस प्रकार थी :

सारणी 5 : विभिन्न तेल के क्षेत्रों के उत्पादन की दरें

	(मीट्रिक टन प्रति दिन)
1	(2)
अंकलेश्वर . .	7600
कलोल . .	150/200
नवगम . .	150/200
खड़सागर . .	600

10.60. इस वर्ष के दौरान कच्चे तेल का कुल उत्पादन 58 लाख मीट्रिक टन के लगभग हुआ। हाल के कुछ वर्षों में हुआ कच्चे तेल का उत्पादन नीचे दिखाया जा रहा है :

सारणी 6 : कच्चे तेल के उत्पादन का रुख 1950-51 से 1967-68

(मीट्रिक टन)

वर्ष	उत्पादन
1950-51 . .	261000
1960-61 . .	446000
1965-66 . .	3500000
1966-67 . .	4800000
1967-68 . .	5800000

तेल शोधक कारखाने :

10.61. तेल शोधन क्षमता में हुई वृद्धि का विवरण नीचे की सारणी मे दिया गया है। इस से स्पष्ट है कि 1967-68 के दौरान शोधन के प्रयोजन मे लिये जाने वाले कच्चे तेल की क्षमता लगभग 148 लाख मीट्रिक टन थी और शोधित तेल की क्षमता 138 लाख मीट्रिक टन के लगभग थी। इसके परिणाम स्वरूप थोडे से पदार्थों की अल्पमात्रा में कमी की पूर्ति के लिये किये जाने वाले आयात को छोड कर पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बिल्कुल बन्द हो गया।

सारणी 7 : विभिन्न तेल शोधक कारखानों की क्षमता और उत्पादन

(हज़ार मीट्रिक टन)

	1966-67		1967-68	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र				
(भारतीय तेल निगम)				
बरौनी .	1111	985	1624	1462
गौहाटी . .	740	652	811	733
कोयाली . .	1381	1286	1920	1735
कोचीन .	897	817	2417	2322
योग	4129	3740	6772	6252
निजी क्षेत्र				
असम तेल कम्पनी .	499	493	533	500
कालटैक्स .	1278	1194	1293	1199
बर्माशैल	4023	3827	3763	3492
एस्सो	2748	2628	2442	2321
योग	8548	8142	8031	7512
कुल योग	12677	11882	14803	13764

10.62. देश के आन्तरिक स्रोतों से कच्चे तेल का उत्पादन पर्याप्त नहीं था इस लिये कुछ कच्चा तेल आयात करना पड़ा। जब तक अतिरिक्त स्रोत स्थापित न हो जाए कच्चे तेल का आयात जारी रहेगा। देश में तेल सुरक्षित भंडार का वर्तमान अनुमान 1,580 लाख मीट्रिक टन है और आशा है 1973-74 तक यह भण्डार 2,000 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा।

10.63. भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा तेल उत्पादनों की बिक्री में और वृद्धि हुई और 1967-68 में यह बिक्री 6.3 लाख किलो लिटर तक पहुंच गई।

कोयला :

10.64. वर्ष 1967-68 के दौरान कोयले का उत्पादन 68.5 लाख मीट्रिक टन था, जबकि 1966-67 में 68.6 लाख मीट्रिक टन रहा था। औद्योगिक क्षेत्र की आर्थिक मन्दी का प्रभाव कोयले के उत्पादन पर भी पड़ा। मार्च 1968 के अन्त में खानों पर निकले हुए और उपभोक्ताओं के पास विद्यमान कोयले का स्टाक 89.3 लाख मीट्रिक टन था, जबकि मार्च 1967 के अन्त में यह स्टाक 93.8 लाख मीट्रिक टन था। कोककर कोयले का उत्पादन लगभग 161.2 लाख मीट्रिक टन हुआ जबकि 1966-67 में इसका उत्पादन 165.8 लाख मीट्रिक टन हुआ था। गैर कोककर कोयले के क्षेत्र मे पश्चिमी बंगाल और बिहार की कोयला खानों में उत्पादन में घटने की प्रवृत्ति दिखाई दी जबकि दूरस्थ कोयला क्षेत्रों के उत्पादन में कुछ सुधार हुआ। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में 1967-68 के दौरान 103.5 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ, 1966-67 मे 94.9 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ था। सिंगरेनी की कोयला खानों में उत्पादन 1966-67 के स्तर के लगभग बराबर ही रहा।

10.65. वर्ष 1966-67 के दौरान जहां खानों से भेजे जाने वाले कोयले की राशि (जिसमें लिग्नाइट शामिल है) 619.7 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़ कर इस वर्ष 647.7 लाख मीट्रिक टन हो गई। यह वृद्धि नेवेली से समीप के बिजली घरों को अधिक लिग्नाइट भेजने के कारण हुई।

10.66. कुछ नमूने की खानों में प्रति मनुष्य पारी उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। वर्ष 1967-68 में यह उत्पादन 0.59 मी० टन था, जबकि गत वर्ष 0.56 मी० टन था। भूमिगत यन्त्रीकृत खानों का प्रति मनुष्य पारी औसत उत्पादन 0.67 मी० टन था और खुली खानों का 0.73 मी० टन।

10.67. वर्ष 1967-68 के दौरान साफ्ट कोक का उत्पादन 28.3 लाख मी० टन, बीहाइव कोक का उत्पादन 5.2 लाख मी० टन और बी० पी० हार्ड कोक का उत्पादन 6.1 लाख मीट्रिक टन हुआ। पर इन आंकड़ों में कोक का वह उत्पादन शामिल नहीं है, जो कि इस्पात और रसायन संयन्त्रों में आन्तरिक उपयोग के लिये किया जाता है।

10.68. भारत सरकार ने जुलाई, 1967 में गैर कोककर कोयले पर से मूल्य और वितरण का नियन्त्रण और कोककर कोयले पर से मूल्य का नियन्त्रण हटा दिया।

लिग्नाइट :

10.69. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा नेवेली, दक्षिण आर्काट में खानों से निकाला जाने वाला लिग्नाइट वहीं पर बिजली उत्पादन के लिये और उर्वरकों के उत्पादन के लिए काम में लाया जा रहा है। लिग्नाइट के गोले भी बनाये जाते हैं और उन्हें धूम-रहित घरेलू ईंधन के रूप में बेचा जाता है। लिग्नाइट के उत्पादन में बढ़ने की प्रवृत्ति रही और 1967-68 में यह उत्पादन 34.4 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जबकि 1966-67 में लिग्नाइट का उत्पादन 24.6 लाख मीट्रिक टन था ।

10.70. नीचे की सारणी में पिछले कुछ वर्षों का कोयले, गैर कोककर कोयले और लिग्नाइट का उत्पादन किया गया है :

सारणी 8 : कोयले का उत्पादन : 1961-62 से 1967-68

(दस लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	कोककर कोयला			गैर कोककर कोयला		कुल कोयला			
	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	निजी क्षेत्र	योग	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	निजी क्षेत्र	योग	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	लिग्नाइट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1961-62 . .	2.91	14.08	16.99	3.14	2.82	32.22	38.18	8.87	46.30	55.17	0.05
1964-65 . .	2.76	13.76	16 52	5.50	3.65	37.11	46.26	11.91	50.87	62 78	1.60
1965-66 . .	2.78	14.18	16.96	6.83	4.04	39.91	50 78	13.65	54.09	67.74	2.56
1966-67 . .	2.89	13.69	16.58	6.50	4.12	41.35	51.97	13.51	55.04	68.55	2.46
1967-68 . .	3.04	13.08	16.12	7.31	4.08	41.02	52.41	14.43	54.10	68.53	3.44

कोयला धुलाई कारखाना :

10.71. नौ कोयला धुलाई कारखानों में उत्पादन हो रहा है जिनका सामान्य ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

सारणी : 9 कोयला धुलाई कारखाने की क्षमता

स्वामी/प्रबंधक	स्थान	निर्धारित क्षमता (प्रति घंटा मीट्रिक टनों में)
(1)	(2)	(3)
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड . .	पाथरडीह (बिहार)	500
	दुरडा (बिहार)	600
	भोजूडीह (पश्चिम बंगाल)	500
	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	360
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, लिमिटेड	कारगली (बिहार)	470
टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड	पश्चिम बोकारो (बिहार)	137
	जमदोबा (बिहार)	300
टर्नर मैरीसन एसोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनी, लिमिटेड . . .	लोदना (बिहार)	70
	नौरोजाबाद (मध्य प्रदेश)	120

10.72. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने नये कोयला धुलाई कारखाना दुरदा-2 में परीक्षणात्मक उत्पादन आरम्भ कर दिया। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड द्वारा दीगी में स्थापित किये जाने वाले कोयला धुलाई कारखाने में मिश्रण योग्य कोयले का उत्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कथरा, सवांग और करगाली (बिस्तार) में तीन नये कोयला धुलाई कारखाने स्थापित कर रहा है, आशा है 1969-70 के दौरान इनमें परीक्षणात्मक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

लौह-अयस्क :

10.73. लौह-अयस्क का कुल उत्पादन 1966-67 के दौरान 262 लाख मीट्रिक टन हुआ था, इस वर्ष का उत्पादन 259 लाख मीट्रिक टन है। सरकारी क्षेत्र की किरिबुस स्थित खान मे उत्पादन बढ़ाया गया और यह प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुच गया है। बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) में सरकारी क्षेत्र को एक और खान बैलाडीला सं०-14 का विकास इस वर्ष के दौरान किया गया। इसका निर्धारित उत्पादन (प्रति वर्ष) लगभग 40 लाख मीट्रिक टन साइज्ड और है जो कि जापान को निर्यात किया जायेगा। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम लौह अयस्क गुटिकाकरण संयन्त्र गोआ में स्थापित किया गया, इसकी क्षमता प्रति वर्ष लगभग 6 लाख मीट्रिक टन है।

अध्याय 11

परिवहन और संचार

परिवहन और संचार की 1967-68 की योजना में, मुख्यतः तीसरी योजना से चली आ रही परियोजनाओं के लिये व्यवस्था की गई थी। कतिपय नई योजनाएं, विशेषकर पत्तन विकास के क्षेत्र में, जो अनिवार्य समझी गईं उन पर भी काम किया गया। वार्षिक योजना 1967-68 में परिवहन और संचार के लिये 417.18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से 337.49 करोड़ रुपये केन्द्रीय कार्यक्रमों के लिये और 79.69 करोड़ रुपये राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिये था। इसकी तुलना में, वास्तविक खर्चा 393.56 करोड़ रुपये का हुआ। इस खर्चे में 316.40 करोड़ रुपये केन्द्रीय कार्यक्रमों और 77.16 करोड़ रुपये संघ शासित कार्यक्रमों का खर्चा शामिल है। खर्चों में जो कमी आई, वह मुख्यतः 'रेलों' तथा 'संचारों' के अन्तर्गत हुई और इसके कारण संबंधित सैक्शन बताए गए हैं। 1967-68 की वार्षिक योजना के प्रावधान की तुलना में मुख्य कार्यक्रमों पर जो खर्चा किया गया वह निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी 1 : योजना परिव्यय और वास्तविक खर्चा : 1967–68

(करोड़ रुपये)

	योजना परिव्यय	वास्तविक खर्चा
(1)	(2)	(3)
रेलें	195.00	164.41
सड़कें	88.69	96.47
सड़क परिवहन	15.68	17.10
पत्तनें	16.53	18.04
जहाज रानी	9.16	10.97
गैर-समुद्री जल परिवहन . . .	2.34	3.43
प्रकाश स्तम्भ	0.48	0.62
नागरिक विमान परिवहन . . .	17.24	18.81
फरक्का बांध	17.94	14.85
पर्यटन	3.58	2.87
संचार	44.99	41.08
प्रसारण	5.55	4.91
जोड़	417.18	393.56

रेलें :

11.2. वर्ष 1966-67 में रेलों द्वारा 20.16 लाख मीट्रिक टन मूल सामान एक स्थान से दूसरे स्थानों को ले जाया गया, जबकि 1965-66 में 2,030 लाख मीट्रिक टन माल ढोया गया था। 1967-68 की वार्षिक योजना तैयार करते समय, यह आशा की गई थी कि वर्ष के दौरान मूल माल की ढुलाई में 86 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हो जाएगी। 86 लाख मीट्रिक टन में से अधिकांश बढ़ोत्तरी कोयले, निर्यात के लिये कच्चे लोहे और 'अन्य सामानों' के यातायात से होने की सम्भावना थी। परन्तु वर्ष के दौरान सामान की ढुलाई में धीमापन आया और रेलों में वास्तविक यातायात 1966-67 में 2,016 लाख मीट्रिक टन से घट कर 1967-68 में 1966 मीट्रिक टन रह गया, जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है :

सारणी 2 : 1967–68 के दौरान रेलों में पूर्वानुमान और वास्तविक यातायात

(दस लाख मीट्रिक टन)

	1966-67	1967-68	
	वास्तविक	पूर्वानुमान	यातायात प्रकट
(1)	(2)	(3)	(4)
कोयला . . .	66.0	68.7	66.5
तैयार इस्पात और ढलवा लोहा .	46.3	6.5	6.3
लोहा संयंत्रों के लिये कच्चा माल .	16.5	16.5	17.4
कच्चे लोहे का निर्यात . .	6.3	8.3	6.8
सीमेंट	8.9	9.6	9.4
रेल सामग्री . . .	17.9	17.9	15.4
अन्य सामान . . .	79.7	82.7	74.8
जोड़ . . .	201.6	210.2	196.6

11.3. वर्ष के दौरान कोयला, निर्यात के लिये कच्चा लोहा और सीमेन्ट के यातायात में वृद्धि हुई, परन्तु यह सम्भावना से कम थी। रेल सामग्री के यातायात में 25 लाख मीट्रिक टन की कमी आई, जिसका मुख्य कारण रेलों पर निर्माण कार्य की गति शिथिल होना था। अन्य सामान के यातायात में 49 लाख मीट्रिक टन की कमी आई। यह कमी मुख्यतः अनाजों, लोहा और इस्पात (इस्पात संयंत्रों के अलावा स्थानों से आरम्भ होने वाला), चीनी और गन्ना और सामान्य सामान के यातायात के कारण आई। यद्यपि रेलों द्वारा मूल ढोए गए माल में मीट्रिक टन के हिसाब से 1967-68 में कमी आई, परन्तु टन-किलोमीटर के हिसाब से यातायात में वृद्धि हुई, यह 1966-67 से 116,6070 लाख था वह 1967-68 में जाकर 118,8600 लाख हो गया यानी

लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का कारण यह है कि यातायात की औसत दर 1966-67 के 578 किलोमीटर से बढ़कर 1967-68 में 605 किलोमीटर हो गई। मूल यात्रियो के रूप मे, वर्ष के दौरान यात्रियो के यातायात मे तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई (अर्थात् 1966-67 के 21,920 लाख से बढ़ कर 1967-68 मे 22,570 लाख हो गई) और यात्री किलोमीटर के अनुसार लगभग पाच प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी 1,02,145 लाख से बढ़ कर 10,71,630 लाख हो गई।

11.4. वर्ष 1967-68 मे माल के यातायात मे अपेक्षित वृद्धि नही हुई। जिससे रेल विकास कार्यक्रमो को कुछ हद तक सीमित स्तर पर ही बनाये रखा गया। नीचे दी गई सारणी मे बजट प्रावधान तथा तदनुरूप वास्तविक खर्चा दर्शाया गया है।

सारणी 3 : रेल विकास कार्यक्रम संबंधी परिव्यय : 1967-68

(करोड रुपये)

	बजट	वास्तविक
(1)	(2)	(3)
रेल के डिब्बे, इजिन आदि . . .	115.18	113.17
निर्माण कार्यक्रम	189.82	145.06
मूल ह्रास घटा कर . .	(—) 110.00	(—) 93.82
कुल . .	195.00	164.41

मूल लक्ष्य की तुलना मे 1967-68 के दौरान रेल के डिब्बो और इजिनो की उपलब्धि नीचे अकित की जा रही है

सारणी 4 : 1967–68 के दौरान रेल डिब्बों और इंजनों की उपलब्धि

(सख्या)

	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)
(क) रेल के इंजिन		
भाप से चलने वाले	155	155
डीजल से चलने वाले	127	121
बिजली से चलने वाले	37	32
जोड़	319	308
(ख) माल के डिब्बे		
(चार पहियों के अनुसार) . . .	19321	17634
(ग) सवारी के डिब्बे	1523	1258

11.5. 1967-68 के कार्यक्रमों में मुख्यतः उन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये व्यवस्था की गई है जिन पर तीसरी योजना अवधि में काम शुरू हो गया था। वर्ष के दौरान 532 किलोमीटर रेल पटरी को दोहरा करने का काम पूरा किया गया और 3,093 किलोमीटर पटरी नई बदली गई। इसमें 1,367 किलोमीटर प्रारंभिक रेल नवीनीकरण और 1,726 किलोमीटर प्रारंभिक स्लीपर नवीनीकरण मार्ग शामिल हैं। इटारसी, नई कटनी, बलहरशाह, काजीपेट और अरकोनम के यार्डों का पुनः निर्माण करने का कार्य पूरा हो गया। वॉल्टियर में एक नये विन्यस्त यार्ड का निर्माण किया गया। वर्ष के दौरान, निम्नांकित नई लाइनें यातायात के लिये खोल दी गईं :

सारणी 5 : वर्ष 1967–68 के दौरान यातायात के लिए खोली गई नई लाइनें

रेलें	नई लाइनें	गेज	लम्बाई (किलोमीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)
उत्तरी . .	जैसलमेर-पोकरन	मीटर गेज	105.0
दक्षिणी . .	सेलम-धर्मपुरी सेलम-बंगलौर लाइन का भाग)	मीटर गेज	67.4
पश्चिमी . .	झुण्ड-धरगंधरा (झुण्ड-कंडला का भाग)	मीटर गेज	52.7

केन्द्रीय रेल के इगतपुरी-नासिक सड़क भाग, दक्षिण-पूर्वी रेल का हावड़ा-बोरी भाग में बिजलीकरण का काम पूरा किया गया और पूर्वी रेल के हावड़ा-बंडल और स्योराफुलि-तारकेश्वर भागो में डी०सी० से ए०सी० में परिवर्तन करने का काम पूरा किया गया।

सड़कें :

11.6. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा जिन निर्माण कार्यों को धन उपलब्ध किया जा रहा था तथा जिन सड़कों के निर्माण का काम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति के बाद शुरू किया गया, उनको पूरा करने के लिये केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम में व्यवस्था की गई थी। तीसरी योजना काल से जिन राष्ट्रीय राजपथों पर काम हो रहा है उनके लिये और बरेली से अमिनगांव तक पार्श्व सड़क तथा गुजरात व राजस्थान में विशेष सड़कों के लिये भी प्रावधान किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त योजनाओं को पूरा करने का काम 1967-68 के अन्त तक लगभग पूरा हो गया, बाकी निर्माण कार्यों पर संतोषप्रद प्रगति हुई। निर्माण कार्यों को जो तीव्रता प्रदान कर दी गई थी, उसके कारण योजना में किये गए मूल प्रावधान से कुछ अधिक ही सड़क कार्यक्रमों पर खर्चा किया गया। केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम के लिये 1967-68 के दौरान मूल प्रावधान 29 करोड़ रुपये का किया गया था, परन्तु कुल व्यय 39.5 करोड़ रुपये का हुआ।

11.7. राज्य क्षेत्र (संघशासित क्षेत्र सहित) में मुख्यतः उन सड़कों के लिये प्रावधान किया गया था कि जिन पर पहले से काम हो रहा है या जो नई सड़कें विशिष्ट औद्योगिक या अन्य प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में आवश्यक थे। राज्य क्षेत्र में सड़क

कार्यक्रमों पर 2.77 करोड़ रुपये का खर्चा कम हुआ । वार्षिक योजना 1967-68 में 59.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, परन्तु वास्तविक खर्चा केवल 56.86 करोड़ रुपये हुआ ।

सड़क परिवहन :

11.8. केन्द्रीय योजना में, केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्मशाला के निर्माण के लिये ऋण सहायता देने हेतु दस लाख रुपये का छोटा-सा प्रावधान किया गया है । परन्तु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में देरी होने के कारण यह योजना आगे न बढ़ सकी । वर्ष के दौरान, उड़ीसा में नरमुण्डी से प्रदीप बन्दरगाह तक कच्चे लोहे को ले जाने के लिये निगम को खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने ठेका दिया । इस काम के लिये निगम ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर 25 और गाड़ियां लीं । राज्य क्षेत्र में, वर्तमान भागों पर सेवाएं बढ़ाने की ओर प्रयत्न किये गए । राज्य सड़क परिवहन कार्यक्रमों पर 15.92 करोड़ रुपये खर्च किये गए, जबकि वार्षिक योजना में 15.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था ।

पत्तने :

11.9. वर्ष 1967-68 के दौरान मुख्य पत्तनों से 552 लाख मीट्रिक टन का यातायात हुआ, जबकि 1966-67 में 532 लाख मीट्रिक टन तथा 1965-66 में 502 लाख मीट्रिक टन का हुआ था ।

11.10. वर्ष के दौरान सरकार ने तुत्तुकुडी और मंगलौर का मुख्य पत्तनों के रूप में विकास करने का अनुमोदन किया । इन दोनों पत्तनों के विकास करने के काम में प्रत्येक पर 24 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था । इन दोनों पत्तनों पर प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका था । वर्ष के दौरान जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का काम आगे बढ़ा उनमें हल्दिया गोदी, गोदी विस्तार और बेलर्ड पायर विस्तार तथा बम्बई में मुख्य बन्दरगाह मार्गों का गहरा करना, मद्रास में तेल एवं कच्चे लोहे की गोदी, विशाखापटनम में कच्चा लोहा निर्यात करने वाले संयंत्र में सुधार तथा संशोधन, कोचीन में खुले लंगर डालने के स्थान का निर्माण व बेलाडिला के कच्चे लोहे की दूसरी निकासी के लिये अन्वेषण शामिल हैं । मोरमुगाव पत्तन को कच्चे लोहे का भारी मात्रा में प्रबंध के विकास का काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि परियोजना की आवश्यकताओं के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था न हो सकी ।

11.11. 1967-68 में मुख्य पत्तनों के लिये 43.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, इनमें पत्तनों के अपने साधन भी शामिल हैं । इसके विपरीत जो 25.49 करोड़ रुपये का खर्चा किया गया, उसमें पत्तनों के अपने संसाधनों से 10.59 करोड़ रुपये और सरकार द्वारा उपलब्ध 14.90 करोड़ रुपये शामिल हैं । प्रावधान से कम खर्चा होने का कारण यह है कि कतिपय परियोजनाओं में मूल संभावनाएं शिथिल गति से आगे बढ़ीं, किफायतसारी के रूप में कलकत्ता के कई कार्यों का निलम्बन हुआ तथा विशाखापटनम पत्तन पर कतिपय ऐसे कार्य नहीं किये गए, जो बाद में अनावश्यक हो गए ।

जहाजरानी :

11.12. मुख्यतः विदेशी मुद्रा की कठिनाइयो के कारण जहाजरानी की प्रगति धीमी रही। वर्ष के दौरान, देश की जहाजरानी का टनभार 18.7 लाख (कुल पंजीकृत भार) से बढ़ कर 18.9 लाख (कुल पंजीकृत भार) हो गया, अर्थात् 20,000 पंजीकृत भार की वृद्धि हुई जबकि 1966-67 में 330,000 कुल पंजीकृत भार की वृद्धि हुई थी।

गैर-समुद्री जल-परिवहन :

11.13. केन्द्रीय क्षेत्र में वर्ष के दौरान गैर समुद्री जल परिवहन पर 3.27 करोड रुपये खर्च हुए। इसमे गैर समुद्री जल परिवहन से सबंधित विकास स्कीमों के लिये राज्य सरकारों को दी गई 28 करोड रुपये की ऋण सहायता तथा बाकी असम क्षेत्र में नदी सेवाएं शुरू करने के लिये केन्द्रीय गैर-समुद्री जल परिवहन के लिये किया गया प्रावधान शामिल था।

फरक्का बांध :

11 14 फरक्का बाध का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता पत्तन पर नौपरिवहन का सुधार करना है। वर्ष के दौरान, नदी के दोनों किनारों पर मुख्य बाध तथा पोषक आदि में आगे और प्रगति हुई।

पर्यटन :

11.15 अनुमान है कि वर्ष 1967-68 के दौरान लगभग 185,000 विदेशी पर्यटक भारत आए। पर्यटक कार्यक्रम मे कतिपय चुने हुए केन्द्रो का समेकित विकास और पर्यटन की योजनाओं के लिए राज्य सरकारों की सहायता शामिल की गई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यक्रम मे परिवहन सेवाए चालू करने के लिये होटलों का निर्माण और गाड़ियों की खरीद भी शामिल थी। चुने हुए केन्द्रों के समेकित विकास की प्रगति कुछ धीमी हो रही और वर्ष के दौरान गुलमर्ग के केन्द्र का ही काम हाथ में लिया जा सका।

नागरिक विमान परिवहन :

11 16. नागरिक विमानन विभाग के जो निर्माण कार्य 1967-68 के दौरान किये गए, उनमें गया में धावनपट्टी का विस्तार, पोर्ट बलियर में हवाई अड्डे का विकास, कुल्लू मे धावन पट्टी का निर्माण, अमृतसर में दूसरी धावन पट्टी का परिवर्तन तथा परिवर्धन और श्रीनगर हवाई अड्डे में एप्रन और टैक्सी मार्ग को सुदृढ़ करना शामिल थे। वर्ष के अन्त में जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य प्रगति पर थे, उनमें दिल्ली में पर्यन्त भवनों में परिवर्तन तथा परिवर्धन, दमदम में नये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यन्त भवन का निर्माण, दमदम, शान्ताकुर्ज, मगलौर, भुवनेश्वर, वाराणसी, बड़ौदा और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों में धावन पट्टियों का सुदृढ़ीकरण 1 विस्तार तथा स्थाई धावनपट्टी का निर्माण व खजूराहो में एप्रन और टैक्सी-मार्ग थे।

11.17. वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइन्स ने एक कैरेविल हवाई जहाज, दो एफ-27 हवाईजहाज, दो पुराने वाईकाउन्ट और चार एच एस-748 हवाई जहाज खरीदे। इन्डियन एयरलाइन्स की क्षमता 1966-67 में 1,650 लाख टन किलोमीटर थी, वह 1967-68 में बढ़ कर 2,060 लाख किलोमीटर के सम हो गई और यात्रियों की संख्या 14 लाख से बढ़ कर 17 लाख हो गई। वर्ष के दौरान एयर इंडिया ने एक बोविंग 707 खरीदा जिससे इसके बेड़े में वर्ष 1967-68 के अन्त में दस बोइंग-707 हो गए। एयर इंडिया की क्षमता 1966-67 में 3,530 लाख टन किलोमीटर के सम थी, वह 1967-68 में बढ़ कर 4,350 लाख टन किलोमीटर के सम हो गई। एयर इंडिया से 1967-68 के दौरान लगभग 286,000 यात्रियों ने सफर किया जबकि विगत वर्ष 255,000 यात्रियों ने सफर किया था।

संचार-साधन :

11.18. संचार-साधनों के लिये योजना में लगभग 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, परन्तु खर्चा लगभग 41 करोड़ रुपये हुआ। मुख्य कमी डाक-तार, भारतीय टेलीफोन उद्योग और दूर-संचार सेवा के अन्तर्गत हुई। टेलीफोनों के अन्तर्गत खर्चे में कमी आने का मुख्य कारण शुल्कदाताओं के लिये भूमिगत तारों की अपर्याप्त उपलब्धि थी। जहां तक भारतीय टेलीफोन उद्योग का सम्बन्ध है, दूर संचारण उपकरण निर्माण के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी और उसके लिये 1967-68 में 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। परन्तु कार्य आरम्भ न हो सका और इस धनराशि को वापिस करना पड़ा। दूर संचार सेवा के अन्तर्गत कमी आने का मुख्य कारण यह है कि अर्वी (पूना के समीप) इस ग्रह संचार भूमि स्टेशन स्थापित करने की परियोजना की प्रगति बहुत धीमी रही।

11.19. वर्ष 1967-68 के दौरान लगभग 85,000 अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गए जबकि लक्ष्य 126,000 कनेक्शनों का था। हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड केबल उपलब्ध करने का देश के अन्दर एकमात्र स्रोत से मांग के अनुरूप केबल उपलब्ध नहीं किये जा सके और यथेष्ठ विदेशी मुद्रा के अभाव में उनका आयात भी न किया जा सका।

11.20. संचार साधन कार्यक्रम की अन्य योजनाओं में ठीक प्रगति हुई। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

सारणी 6 : संचार साधन कार्यक्रम की प्रगति

	एकक	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)
समास के बल मार्ग प्रणाली .	किलोमीटर	1000	1093
सार्वजनिक काल कार्यालय .	किलोमीटर	200	200
टेलीफोन कार्यालय . .	अतिरिक्त संख्या	300	321
तार घर . . .	अतिरिक्त संख्या	400	378

भारतीय टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने लगभग 2.17 लाख टेलीफोनों का निर्माण किया जबकि लक्ष्य 2.20 लाख टेलीफोनों का था। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड में लगभग 3,504 टेलीप्रिंटर्स का निर्माण किया, जो कि वर्ष के लिये निश्चित 3,500 संख्या लक्ष्य के तुल्य ही था।

प्रसारण :

11.21. वर्ष 1967-68 के दौरान दो ट्रांस्मीटर, एक पाण्डीचेरी तथा दूसरा नेफा में तेजू नामक स्थान पर चालू किये गए। महाराष्ट्र के मरथवाड़ा क्षेत्र को प्रसारण सेवाएं उपलब्ध करने के लिये परभानी में एक सहायक प्रेषण केन्द्र स्थापित किया गया। नवम्बर, 1967 से बम्बई, पूना और नागपुर स्टेशनों से वाणिज्यिक प्रसारण सेवाएं आरम्भ की गईं। विदेशी सेवाएं सुदृढ़ करने के लिये दिल्ली मे हाई पावर शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने का कार्य लगभग पूरा हो रहा है। कलकत्ता और राजकोट में दो सुपर-पावर मीडियम वेव ट्रांस्मीटरों के लिये और अलीगढ़ में दो हाई पावर ट्रांस्मीटरों के लिये भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दूरदर्शन, दिल्ली केन्द्र को काल-समीकरण में रिकार्डिंग स्टुडियो के लिये फिल्म परिष्करण संयंत्र तथा उपकरण उपलब्ध कर, वर्तमान सुविधाओं मे सुधार किया गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकारों तथा संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा लगभग 8,250 सार्वजनिक रेडियो सेट खरीदे गए।

अध्याय 12

शिक्षा

शिक्षा का योजना व्यय 1966-67 में 89.3 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1967-68 में 103.1 करोड़ रुपये हो गया था। 1967-68 की योजना व्यय व्यवस्था के मुकाबिले में लगभग 11 करोड़ रुपये की कमी थी, यह कमी केन्द्र और राज्यों (संघीय क्षेत्र सहित) में बराबर हुई थी। व्यय-व्यवस्था और व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट 12.1 में दिया गया है।

छात्र संख्या के लक्ष्य :

12.2. 1967-68 मे सामान्य शिक्षा के विभिन्न चरणों में छात्र संख्या के लक्ष्य और उपलब्धियो की स्थिति यहा नीचे दी गई है :

सारणी 1 : 1966–67 और 1967–68 में छात्र-संख्या

चरण (आयु वर्ग)	इकाई	कुल छात्र संख्या		
		1965-66	1966-67	1967-68
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्राइमरी (6–11)				
कक्षा 1 से 5				
लड़के . . .	दस लाख	31.60	32.81	33.86
लड़किया . .	,,	17.67	18.84	19.67
कुल . .	,,	49.27	51.65	53.53
मिडिल (11–14)				
कक्षाएं 6 से 8				
लड़के . . .	दस लाख	7.57	8.19	8.70
लड़किया . .	,,	2.76	3.16	3.45
कुल . .	,,	10.33	11.35	12.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
माध्यमिक (14–17)				
कक्षाएं 9 से 11				
लड़के . . .	दस लाख	4.01	4.39	4.68
लड़कियां . .	,,	1.18	1.34	1.46
कुल . .	,,	5.19	5.73	6.14
विश्वविद्यालय शिक्षा				
कला, विज्ञान और वाणिज्य .	दस लाख	1.23	1.39	1.61

चरण (आय वर्ग)	इकाई	छात्र संख्या से संबंधित आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में		छात्र संख्या में वृद्धि प्रतिशत	
		1966-67	1967-68	1965-66 से 1966-67 तक	1966-67 से 1967-68 तक
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
कक्षा 1 से 5					
लड़के . .	दस लाख	95.1	95.1	3.8	3.2
लड़कियां . .	,,	56.6	57.4	6.6	4.4
कुल . .	,,	76.1	76.6	4.8	3.6
कक्षाएं 6 से 8					
लड़के . .	दस लाख	45.5	46.7	8.2	6.2
लड़कियां . .	,,	18.1	19.1	14.5	9.2
कुल . .	,,	32.1	33.1	9.9	7.0
कक्षाएं 9 से 11					
लड़के . .	दस लाख	26.8	27.8	9.5	6.6
लड़कियां . .	,,	8.6	9.0	13.6	9.0
कुल . .	,,	17.9	18.6	10.4	7.2
कला, विज्ञान और वाणिज्य	दस लाख	2.5	2.8	13.0	15.8

1967-68 में छात्र संख्या वृद्धि दर विश्वविद्यालय स्तर को छोड़ कर सभी चरणों में कम हो गई थी। 6–11, 11–14 और 14–17 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में इन आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई। लड़कियों और लड़कों की संख्या में बहुत बड़ा अन्तर सारणी से स्पष्ट है। फिर भी, स्थिति कुछ उत्साहवर्धक है, क्योंकि लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा अधिक है।

प्रारम्भिक शिक्षा :

12.3. एक राज्य शिक्षा संस्था दिल्ली के संघीय क्षेत्र में खोली गई। इस संस्था के खुलने के साथ-साथ इस वर्ष तक नागालैंड और हरियाणा को छोड़ कर सभी राज्यों में राज्य शिक्षा संस्थाएं कार्य कर रही थी। ये संस्थाएं अध्यापक शिक्षकों एवं निरीक्षण अधिकारियो को सेवा काल मे प्रशिक्षण देने, शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में अध्ययन और अनुसंधान करने तथा शैक्षणिक साहित्य के प्रकाशन करने का कार्य करती रहीं। केयर, यूनीसेफ और कैथोलिक रिलीफ सेवा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से स्कूल के बच्चों को भोजन देने का कार्यक्रम पिछले वर्ष के स्तर तक रहा यानी लगभग 90 लाख बच्चों ने इससे लाभ उठाया। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनो को सहायता देने की स्कीम के अधीन 40 संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई। फिर भी, शिक्षण सुविधाओ का विस्तार ही प्रमुख कार्य बना रहा।

माध्यमिक शिक्षा :

12 4. माध्यमिक स्कूलो मे विज्ञान उपकरण जुटाने के चालू कार्यक्रम मे वास्तविक व्यय लगभग 49 लाख रुपया था जबकि बजट व्यवस्था 150 लाख रुपये की थी। यह अनुमान है कि लगभग 2,000 माध्यमिक स्कूल इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए है। विज्ञान शिक्षा की दो और राज्य सस्थाओं को स्वीकृति दी गई—एक जम्मू तथा कश्मीर में और दूसरी हरियाणा मे। इनमे से केवल जम्मू तथा कश्मीर मे यह संस्था स्थापित हुई। जम्मू तथा कश्मीर मे एक राज्य मूल्याकन शाखा भी स्थापित की गई। शिक्षा एव व्यावसायिक मार्ग निर्देशन के दो राज्य ब्यूरो, एक हरियाणा और एक जम्मू तथा कश्मीर में खोले गए।

12.5. मुख्य प्रयत्न इस चरण मे नाम लिखाने वाले अतिरिक्त बच्चो को स्कूली सुविधाए देने का था। गुणात्मक कार्यक्रमो मे जैसे शिक्षक-प्रशिक्षण, कालेजों का विकास और माध्यमिक स्तर तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करने मे बहुत कम प्रगति हुई। स्कूल की इमारतों की स्थिति के बारे मे भी कुछ अधिक प्रगति नही हुई।

उच्च शिक्षा :

12.6. विश्वविद्यालयों और कालेजों की छात्र सख्या मे (उत्तर प्रदेश की इंटर-मीडिएट कक्षाओ के अलावा) लगभग 220 हज़ार की बढ़ोतरी हुई जो पिछले वर्ष की छात्र संख्या से लगभग 16 प्रतिशत अधिक थी। विश्वविद्यालयों की सख्या 68 से 70 बढ़ गई और कला, विज्ञान और वाणिज्य के कालेज 1,915 से बढ़ कर 2,054 हो गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नैनीताल (उत्तर प्रदेश) मे कुमाऊं विश्वविद्यालय और कालीकट, केरल मे एक विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी। रिपोर्ट दिये जाने वाले वर्ष में केरल के विश्वविद्यालय ने कार्य शुरू कर दिया। दिल्ली में जवाहरलाल

नेहरू विश्वविद्यालय खोलने के लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। सरकार ने भारतीय खान स्कूल, धनबाद को विश्वविद्यालय समझे जाने योग्य संस्था घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 27 चुनींदा विश्वविद्यालय विभागों में उच्चतर अध्ययन के केन्द्र स्थापित किये जिन्हें शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिये विशेष सहायता देना जारी रखा। इस वर्ष कोई नया केन्द्र नहीं खोला गया। इनमें से कुछ केन्द्र यूनेस्को से सहायता प्राप्त करते रहे। 1967-68 में स्कूल अध्यापकों के लिये विज्ञान विषयों की 16 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन संस्थाएं और कालेज अध्यापकों के लिये 15 संस्थाएं आयोजित की गईं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 740 और 632 थी। दो और विश्वविद्यालयों—पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई। ग्रामीण उच्च शिक्षा स्कीम की प्रगति की जांच के लिये तथा उसकी कार्य प्रणाली मे सुधार करने के तरीके सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई।

पाठ्य पुस्तकें :

12.7. विदेशी मानक ग्रंथों तथा पाठ्य पुस्तकों के कम मूल्य के संस्करणों के पुनर्प्रकाशन की स्कीम कुछ विदेशी राज्यों की सहायता से जारी रही। अब तक 530 पुस्तकें भारत-अमरीका स्कीम के अधीन तथा 104 पुस्तकें भारत-रूस स्कीम के अधीन पुनः प्रकाशित हुई हैं। सभी प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड बनाया है, जो सामान्य रूप से शिक्षा तथा विशेष रूप से उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं के संदर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा। जर्मन गणतंत्र सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिस के अनुसार वह सरकार तीन मुद्रणालय भेंट में देगी, जो मैसूर, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में स्थापित किये जाएंगे। ये मुद्रणालय विभिन्न भारतीय भाषाओं में अच्छे स्तर की पाठ्य पुस्तके तथा अन्य साहित्य मुद्रित करेंगे।

12.8. स्कूल स्तर पर, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने 31 आदर्श पाठ्य पुस्तके निकाली हैं और भी 25 पुस्तकें तैयार हो रही हैं। परिषद् के विज्ञान शिक्षा विभाग ने मध्यम चरण के पहले दो वर्षों के लिये पाठ्य-कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तके, शिक्षक-मार्ग निर्देशिकाएं आदि तैयार की और तीसरे वर्ष के लिये भी इसी प्रकार की सामग्री तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

वजीफे :

12.9. राष्ट्रीय वजीफे, राष्ट्रीय ऋण वजीफे, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के अध्यापको के बच्चों के लिये वजीफे और आवासीय एवं पब्लिक स्कूलों के लिये वजीफों की स्कीमें इस वर्ष जारी रहीं। साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ऋण वजीफा स्कीम के अन्तर्गत कुल पुरस्कारों की संख्या 1966-67 में 18,500 से 1967-68 में घटा कर 14,825 कर दी गई और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के बच्चों को वजीफे भी इसी अवधि में 750 से घटा कर 412 कर दिये गए। राष्ट्रीय वजीफों की संख्या पिछले वर्ष के समान 7,000 ही रही। गैर-हिन्दीभाषी राज्यों में मैट्रिक के बाद हिन्दी में अध्ययन करने वाले छात्रों को 1,000 वजीफे और विभिन्न

सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कार्यकर्ताओं को 25 वज़ीफ़े देने की इन दो स्कीमों को पिछले वर्ष के स्तर पर ही बनाए रखा गया। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने विज्ञान में जो मेधावान युवा लड़कों एवं लड़कियों को वज़ीफे देने तथा ग्रीष्मकालीन स्कूलों के माध्यम से उन पर विशेष ध्यान देने की स्कीम को जारी रखा। इस स्कीम के अधीन प्रति वर्ष 350 पुरस्कार दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् :

12.10. 1967-68 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभाग 32 अनुसंधान परियोजनाओं में लगे थे। इनमें ये शामिल हैं—माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का सर्वेक्षण, प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षुओं में अनुपयोगिता और निष्क्रियता का अध्ययन और माध्यमिक स्कूल के अधिकतम आकार का निर्धारण। केन्द्रीय विज्ञान कारखाने ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किये गए नए विज्ञान-पाठ्यक्रम के लिये देसी साज-सामान विकसित किया। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विज्ञान कारखाना भौतिक शास्त्र के 29 प्रयोग करने के लिये एक भौतिक विज्ञान अध्ययन किट (अमेरिका का पी० एस० एस० सी० किट) तैयार करने की परियोजना में लगा रहा। प्राथमिक चरण के लिये कक्षा 1 से 5 तक के लिये सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम विकसित किया गया और इसी पर आधारित प्राथमिक अध्यापकों के लिये एक विज्ञान की पुस्तिका तीन खंडों में तैयार की गई। परिषद् ने अनुसंधान आयोजन, विकास और प्रशासन आदि में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिये एक वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चालू किया।

ग्रामीण शिक्षा :

12.11. निरक्षरता उन्मूलन के लिये चुनीदा कार्यक्रम जारी रखे गए। किसानों की शिक्षा एवं कार्यवाहक साक्षरता के लिये केन्द्रीय शिक्षा खाद्य एवं कृषि तथा सूचना एवं प्रसार मंत्रालयों ने मिलजुल कर पंजाब, उत्तर प्रदेश और मैसूर के एक-एक चुनींदा जिले में एक नया प्रोजैक्ट चलाया।

शारीरिक शिक्षा, खेल कूद और युवक कल्याण :

12.12. शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक कल्याण के अनेक विकास कार्यक्रम जारी रहे। इस वर्ष 15 लाख के लक्ष्य में से लगभग 12 लाख लोग राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के अंतर्गत आ गए। अनेक खेलकूद संघों और पर्वतारोही संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी रही। राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला और लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर जैसे संगठनों का आगे विकास किया गया। युवा नेतृत्व एवं प्रशिक्षण शिविर गठित करने के लिये भी अनेक युवक कल्याण बोर्डों को अनुदान दिये गये।

12.13. अनिवार्यता की अवधि को तीन वर्ष से दो वर्ष तक घटाने के निर्णय के फलस्वरूप राष्ट्रीय कैडट कोर की संख्या 1966-67 में 1000,000 से गिर कर 1967-68 में लगभग 750,000 हो गई।

भाषाएं :

12.14. सरकारी भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 तथा उस पर भारत सरकार के संकल्प के अनुसार हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास की स्कीम

इस वर्ष चालू रही। अन्य चालू रहने वाली स्कीमें ये थी—संस्कृत का विकास, हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति, गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये कालेजों की स्थापना और गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के विकास के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की सहायता। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिये राज्य भाषा संस्थाएं खोलने की एक नमूना स्कीम तैयार की गई। राष्ट्रीय भाषा संस्थान स्थापित करने के लिये भी एक स्कीम बनाई गई।

सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम :

12.15. भारत के गजेटियर के अंग के रूप में "भारत के धर्म", "भारत की भौताकृतिकत्व", "भारत की भाषाएं" और "भारत के लोग" के खंड तैयार करने से सम्बन्धित कार्य हाथ में लिया गया। 1967-68 में पाच जिला गजेटियर प्रकाशित हुए थे, 16 अन्य प्रैस में थे और 40 तैयारी एवं प्रकाशन के विभिन्न चरणों में थे।

संग्रहालय और पुरातत्व :

12.16. संग्रहालयों के लिये पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह के अनुसार केन्द्र सरकार ने संग्रहालयों के विकास के लिये सहायता देना जारी रखा। इसके अलावा, सग्रहालय विज्ञान और सग्रहालय शिविर आयोजित करने के लिये भी सहायता दी गई। राष्ट्रीय सग्रहालय, दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता और सालार-जंग संग्रहालय, हैदराबाद का विकास किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विभिन्न शाखाओ ने भी काफी तरक्की की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से भड़ौच से दमन तक गुजरात के समुद्री तट के मैदानी भाग मे विस्तृत खोज कार्य किया गया। इससे मध्य पाषाण युग से सूदूर मध्यकालीन युग तक के 26 नये स्थल प्रकाश मे आए है।

तकनीकी शिक्षा :

12.17. इजीनियरो मे बेरोजगारी के कारण इस वर्ष तकनीकी शिक्षा की सुविधाओ का विस्तार नही किया गया। हाल के वर्षो के विस्तार का रुख नीचे की सारणी मे दिखाया गया है.

सारणी 2 : तकनीकी शिक्षा में प्रगति : 1960-61 से 1967-1968 तक

वर्ष	डिग्री			
	संस्थाओं की संख्या	दाखिला क्षमता	वास्तविक दाखिले	उत्तीर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1960-61 . .	102	13824	13692	5703
1961-62 .	111	15850	15497	7026
1965-66 . .	133	24695	23315	10282
1966-67 . .	137	25006	24934	13051
1967-68 . .	137	25006	24237	13772

वर्ष			डिप्लोमा			
			सस्थाओ की संख्या	दाखिला क्षमता	वास्तविक दाखिले	उत्तीर्ण
(1)			(6)	(7)	(8)	(9)
1960-61	.	.	195	25801	23736	7970
1961-62	.	.	209	27701	26525	10349
1965-66	.	.	274	48048	43981	17699
1966-67		.	284	48579	46461	22260
1967-68	.		284	48579	42935	21191

तकनीकी अध्यापको के प्रशिक्षण की स्कीम के अधीन लगभग 250 शिक्षावृत्तिया दी गई, जबकि पिछले वर्ष 200 दी गई थी। पोलीटेक्निको के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण देने हेतु चौथे प्रादेशिक केन्द्र ने चडीगढ मे कार्य करना शुरू कर दिया। अन्य तीन केन्द्रो से विद्यार्थियो का पहला दल बाहर आया है। अध्यापको को प्रशिक्षण देने वाले ग्रीष्मकालीन स्कूलो की सख्या 1966-67 मे 20 से बढ कर 27 हो गई और भाग लेने वाले अध्यापकों की सख्या लगभग 1,000 हो गई थी, जबकि 1966-67 मे 800 थी। अनेक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू हुए, जैसे सगणक प्रौद्योगिकी नाप शक्ति पद्धति, उच्च निर्यात तकनीक तथा अनेक एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (प्लास्टिक इजीनियरिंग, इलैक्ट्रिफिकेशन, सख्यात्मक विश्लेषण आदि) भारतीय प्रौद्योगिकी सस्था मे शुरू किये गए। अन्य सस्थाओ मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सुगठित किये गए। कुछ प्रादेशिक इजीनियरिंग कालेजों मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किये गए थे। राष्ट्रीय गलाई एव ढलाई सस्था की स्थापना से सम्बन्धित आरम्भिक कार्य पूरा किया गया। औद्योगिकी इजीनियरिंग मे प्रशिक्षण की राष्ट्रीय सस्था ने 51 पाठ्यक्रम चलाए थे जिनमे से लगभग 600 प्रशिक्षु थे। ऐसी ही स्थिति 1966-67 मे थी। डिग्री एवं डिप्लोमा वालो के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों की सख्या 1966-67 में 200 से 1967-68 मे लगभग 2,500 तक पहुच गई। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण वैज्ञानिक एव तकनीकी संस्थाओं को सुसज्जित करने की प्रगति बहुत धीमी थी। जून 1967 मे अमेरिका सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार शिक्षण सामग्री के आधुनिक साज-सामान और अन्य सामग्री के आयात के लिये 120 लाख डालर का ऋण मिलना था।

अध्याय 13

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्राकृतिक संसधान

1. वैज्ञानिक अनुसंधान

वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान खर्चे का ब्यौरा अनुबन्ध 13.1 में दिया गया है ।

परमाणु ऊर्जा विभाग :

13.2. आलोच्य वर्ष के दौरान, नाभिकीय ऊर्जा के अनुसंधान कार्यकलापों और व्यावहारिक उपयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई ।

13.3. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे में अप्सरा, सिरस और ज़ेटलिना नामक तीनों ही भट्टियों (रिएक्टरों) का अनुसंधान के लिये भरपूर उपयोग किया गया । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र उद्योग एवं कृषि में अनुसंधान तथा उपयोग के उपकरण की नई मदों को निरन्तर विकसित तथा उत्पादन करता रहा । इन में विकरिणी चित्रण कैमरे गामा चैम्बर, एक समस्थानिक (आइसोटोप) औषध योजना संयंत्र, एक ग्लास वर्किंग लेथ, आमिलोस्कोप और प्रभाजी आसवन के लिये एक आणविक अपकेन्द्री भभका हैं ।

13.4. रासायनिक इंजीनियरिंग प्रभाग ने प्रति सी सी 10.8 ग्राम घनत्व के सिन्टरित यूरेनियम ओक्साइड उत्पादन के लिये प्रक्रिया को विकसित किया । निम्न दो प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं :

(1) इलेक्ट्रानिकी आदि प्रारूप इंजीनियरिंग प्रयोगशाला : विभिन्न अन्य प्रयोगशालाओं में अभिकल्पित व विकसित इलेक्ट्रानिक व सम्बद्ध उपकरण का उत्पादन इंजीनियरिंग करने के लिये; और

(2) इलेक्ट्रोनिक उपकरण, औज़ार और प्रणालियो की जांच करने, माप करने व विश्वसनीयता मूल्यांकित करने के लिये विश्वसनीयता मूल्यांकन प्रयोगशाला । भारत सरकार द्वारा 1963 में स्थापित इलाक्ट्रोनिक समिति की सिफारिशों के आधार पर दोनों प्रकार के कार्यकलाप किये गए । तारापुर परमाणु शक्ति परियोजना के लिये इलाक्ट्रोनिक प्रभाग द्वारा 6 लाख मूल्य के नाभिकीय उपकरण एवं गणन प्रणाली की रचना की । अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाइलैंड और स्वीडन सहित कतिपय देशों को 1.3 लाख के मूल्य के रेडियो आइसोटोप भेजे गए ।

13.5. जीव विज्ञान प्रभाग ने अपना पौधा उत्परिवर्तन प्रजनन कार्यक्रम जारी रखा । कृषि-आर्थिक स्वरूप से युक्त कतिपय नये विकीरण-उत्प्रेरित उत्परिवर्ती प्राप्त किये गए ।

13.6. टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ने 85,000 क्यूबिक मीटर तक आयतन के प्लास्टिक बेलूनों का निर्माण किया। फरवरी-अप्रैल 1967 के दौरान हैदराबाद से पृथ्वी के कक्ष में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलून छोड़े गए। इन बैलूनों में 600 किलोग्राम तक भार था। बड़े बेलनाकार रेडियो दूरबीन, जो कि ऊटकमंड में निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत थे, के लिये सभी आवश्यक इलेक्ट्रोनिक उपकरण इस संस्थान में अभिकल्पित तथा निर्मित किये गए।

13.7. टाटा स्मारक अस्पताल और भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र को मिला कर एक संगठन बनाया गया और उसका नाम टाटा स्मारक केन्द्र रखा गया।

13.8. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने भारत म अन्तरिक्ष अनुसंधान को मुख्य रूप से प्रेरणा प्रदान की। वर्ष के दौरान उसने थुम्बा से आयन मंडल में कई शीर्ष परिज्ञापन (वर्टिकल साउंडिंग्स) बनायें। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह थी कि थुम्बा में भू-मध्य रेखीय राकेट केन्द्र, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के फलस्वरूप स्थापित किया गया। तब तक यह केन्द्र 65 राकेट छोड़ चुका था। शाह आणविक भौतिकी संस्था के अनुसंधान कार्यों में अन्य कार्यों के अलावा, इसी संस्था द्वारा तैयार किये गए अल्पावधि आइसोटोप की आम योजना का अध्ययन, तत्काल विभंजन से उत्पादों की पुनर्प्राप्ति की तकनीक, न्यूट्रान गतिशीलता के माध्यम से रासायनिक विश्लेषण करने की पद्धतियां आदि शामिल हैं।

13.9. उच्च सघनता विकिरण उपयोग परियोजना और मोनेजाइट सर्वेक्षण नामक दो परियोजनाओं के लिये 1967-68 की वार्षिक योजना में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। परन्तु वर्ष के दौरान दोनों में से किसी भी परियोजना का काम शुरू न किया जा सका। विकिरण-चिकित्सात्मक किरण प्रयोगालाओं और भाभा आणुविक अनुसंधान केन्द्र की केन्द्रीय कर्मशालाओं जैसी पीछे से चली आ रही परियोजनाओं की प्रगति भी धीमी रही।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् :

13.10. वर्ष के दौरान 30 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थाएं, दो औद्योगिक और प्राद्योगिकी संग्रहालय और वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध करने वाले दो संघटन कार्य कर रहे थे। इनके अलावा 63 प्रयोग/सर्वेक्षण स्टेशन, क्षेत्रीय केन्द्र और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के केन्द्र इस दौरान कार्य कर रहे थे।

13.11. स्पष्ट उद्देश्यों और समय लक्ष्यों के अनुरूप राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में अनुसंधान कार्यक्रम को परियोजनोमुख के आधार पर आगे गतिशील किया गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासकीय निकाय के आदेशों के अधीन इन कार्यक्रमों को आयात प्रतिस्थापना, निर्यात प्रोत्साहन खाद्य व कृषि तथा सम्बद्ध आधारभूत अनुसंधान के लिये अपने महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया गया।

13.12. वर्ष के दौरान किये गए अनुसंधान द्वारा प्राप्त कतिपय अधिक महत्वपूर्ण प्रतिफलों का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। कतिपय विदेशी विकसित प्रक्रियाओं के अधिमान में मद्रास के तैल शोधक कारखाने द्वारा गैस तैलों से गंधक अलग करने के

लिये भारतीय पैट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित प्रक्रिया को स्वीकार किया गया। वर्ष के दौरान भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा संचालित बरौनी शोधशाला में सुगन्ध के सत्व से शुद्ध बेन्जीन, टाल्युइन और जाइलीन तैयार करने के लिये एक मार्गदर्शी संयंत्र स्थापित किया जा रहा था।

13.13. गोआ से कच्चे लोहे के गोले बनाने संबंधी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के कार्य का प्रतिफल यह हुआ कि कच्चे लोहे के गोलों का निर्यात के लिये उपयुक्त वाणिज्यिक उत्पादन होने लगा।

13.14. केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर द्वारा निरूपित अभिकल्प के आधार पर निजी उद्योगों में 600 अश्वशक्ति के डाइनामोमीटर का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ।

13.15. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने विभिन्न 25 उपकरणों वाला एक पूर्ण सूक्ष्म तरंग परीक्षण यंत्र विकसित किया और उसे अनेक विश्वविद्यालयों, तकनीकी कालेजों तथा अनुसंधान संस्थाओं को उपलब्ध किया। केन्द्रीय इलाक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये चल क्वायल माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और सूक्ष्म तरंग के पुर्जे बनाए और इनके सामूहिक उत्पादन के लिये सुविधाएं उपलब्ध की।

13.16. इस वर्ष के दौरान 22 मार्गदर्शी संयंत्र शुरू किये गए। इनमें से विद्युत् विश्लेषी मैग्नेशियम और निर्मित कोक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। परिषद् द्वारा 143 पेटेन्ट प्रस्तुत किये गए, जिनमें से 6 बाहरी देशों में पेटेन्ट कराए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार की गईं 84 प्रक्रियाओं को वाणिज्यिक उपयोग के लिये जारी किया गया और इनमे से 24 निःशुल्क थी। उद्योग द्वारा अपने उत्पादन में 22 प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया।

शिक्षा मंत्रालय (वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विकास प्रभाग)

भारतीय सर्वेक्षण :

13.17. निम्नांकित तीन परियोजनाओं की कार्यगति कुछ धीमी रही :

(1) सिंचाई और हाइडल योजनाओं का सर्वेक्षण;

(2) हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से एक मार्गदर्शी उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना; और

(3) भारतीय छायाचित्र व्याख्या संस्था, देहरादून।

धीमी प्रगति के मुख्य कारण थे—निर्माण कार्यों का पूरा होने व अन्य सुविधाओं और कर्मचारियों की भर्ती में देरी होना। जहां तक (2) का संबंध है, मार्गदर्शी उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये भवनों का निर्माण कार्य पीछे रहा।

(1) सिंचाई और हाइडल योजनाओं का सर्वेक्षण :

13.18. सिंचाई और बिजली मंत्रालय के लिये विभिन्न जल-विद्युत् एवं सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण एवं मानचित्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गठित क्षेत्रीय इकाई

ने अपना क्षेत्रीय कार्य यथावत् जारी रखा । इस कार्य हेतु 1967-68 में 71.50 लाख रुपये के बजट अनुमान थे, परन्तु खर्चा 59.34 लाख रुपये हुआ ।

(2) हैदराबाद में मार्गदर्शी उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र :

13.19. यह परियोजना हैदराबाद में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विशेष निधि की सहायता से पांच वर्ष की अवधि के लिये आरम्भ की गई थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लगभग 500 सर्वेक्षकों को प्रति-वर्ष प्रशिक्षित करना था । इस योजना के लिये 1967-68 में 18 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी, परन्तु खर्चा 4.47 लाख रुपये का हुआ ।

(3) भारतीय छायाचित्र व्याख्या संस्था देहरादून :

13.20. यह परियोजना नीदरलैंड की सरकार की सहायता से भारतीय सर्वेक्षण द्वारा आरम्भ की गई थी । इसके अन्तर्गत भू-वैज्ञानिकों, भूमि सर्वेक्षकों, वनपालों, सिंचाई अभियन्ताओं आदि को छायाचित्र व्याख्या तकनीक में प्रशिक्षित किया गया । इस योजना के लिये 1967-68 के दौरान अनुमानत. दस लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी, परन्तु खर्चा 5.7 लाख रुपये हुआ ।

(4) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से वन संसाधनों के पूर्व-निवेष सर्वेक्षण के लिए परियोजना :

13.21. वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों को हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उडीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर व केरल में स्थापना को सुनियोजित करने के लिये तकनीकी दलों ने अपना अधिक क्षमता वाले वन क्षेत्रों बुनियादी मानचित्रों के स्वच्छ नक्शे बनाने और स्थल विह्नि करने का काम जारी रखा ।

भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण :

13.22. 1967-68 के दौरान भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण की पांच योज-नाओं के लिये 2 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और इस समस्त राशि का भरपूर उपयोग हुआ ।

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम :

13.23 वर्ष 1967-68 के दौरान, 21 अनुसंधान संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा 163 आविष्कारों के विकास की सूचना दी गई । इस प्रकार मार्च 1968 तक के कुल आविष्कारों की संख्या 971 हो गई । इस कुल संख्या में से, अधिकांश ने कार्य करना बन्द कर दिया या छोड़ दिया और इस प्रकार 679 प्रभावी आविष्कार शेष रह गए । निगम ने इस वर्ष में विभिन्न प्रक्रियाओं के वाणिज्यिक विकास के लिये 57 लाइसेंस जारी किये । वर्ष के दौरान सात प्रक्रियाओं का उत्पादन के लिये उपयोग किया गया ।

2. प्राकृतिक संसाधन

13.24 क्षारीय, नमकीन एवं जलमग्न भूमियों सहित पड़ती भूमि संबंधी अध्ययन की सिफारिश का अनुसरण करते हुए और प्राकृतिक संसाधन संबंधी समिति के तत्वाव-धान में तैयार किये गए भूमि को कृषि योग्य बनाने संबंधी सुझावों को ध्यान में रखते हुए

केन्द्रीय जल व बिजली आयोग के बाढ़ निर्माण निदेशालय में एक जल निकासी प्रभाग स्थापित किया गया जो कि देश में सिंचाई और जल निकासी कार्यक्रमों के नियोजन एवं समन्वय कार्य की देखरेख करेगा ।

13.25. सात चुनी हुई नदी घाटी योजनाओं यानी भाखड़ा, व्यास, दामोदर घाटी, चोड, कंसाबति, कुंदाह, मच कुण्ड और मयूराक्षी के अपवाद क्षेत्रों में भूमि संरक्षण उपायों का अध्ययन कार्य प्राकृतिक संसाधन संबंधी समिति द्वारा गठित कार्यकारी दलों ने पूरा किया । इनके प्रतिफल जिसमें भूमि की किस्मों, ढालों, भूक्षरण की मात्रा, गाद भार, मौसम-विज्ञान दशाओं, स्रोत प्रवाह, कल्पन दर इत्यादि परियोजनाओं को अपवाद क्षेत्रों में, जलाशयों का जीवन बढ़ाने के लिये अपनाए जाने वाले उपायो और कारगर जलघाट नियोजन का विशद् विवरण एक प्रतिवेदन में प्रकाशित किया गया ।

13.26. कई सर्वेक्षण संगठनों को सुदृढ़ किया गया तथा प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाया गया । भूकर सर्वेक्षणों में अधिक समानता प्राप्त करने की सुनिश्चितता के लिये कदम उठाए गए । भूमि सर्वेक्षण के आधारभूत मानचित्रों संबंधी हैदराबाद के मार्गदर्शी उत्पादन केन्द्र ने अपनी सुविधाओं का विस्तार किया । वन सर्वेक्षणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक वन सर्वेक्षण दल गठित किया गया ।

वन-सम्पदा :

13.27. वन संसाधन फेहरिस्त तैयार करने का काम वर्ष के दौरान किया जाता रहा । पूर्व निवेश सर्वेक्षण परियोजना के अन्तर्गत चुने हुए तीन क्षेत्रों में नये हवाई फोटो लेने का काम लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया गया । जबकि उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया । महत्वपूर्ण वन आधारित उद्योगों के लिये कच्चे माल की माग और सप्लाई के संबंध में क्रमिक दीर्घकालीन अध्ययनों के दौरान माचिस की लकड़ी और लकडी सन्तालन पोलों की सम्भाव्यता पर व्यापक कार्य किया गया । वन उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, सारे देश भर में भूमि तथा जलवायु घटकों के आधार पर 27 आदर्श विशेष स्थानों पर विदेशी शीघ्र उगने वाली किस्मों की क्षेत्रीय जांच का सूत्रपात किया गया ।

जल संसाधन :

13.28. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने भारत का एक मान चित्र तैयार किया जिसमें भूमिगत जल सम्भावनाओं को दर्शाया गया और भूमिगत संसाधनों के विकास को निर्दिष्ट करने और विकास के लिए प्राथमिकताओं को दर्शाने के एक भारत का भूजल विज्ञान संबंधी मान चित्र बनाने का काम हाथ में लिया । योजना आयोग में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया जो भूमि गत जल संसाधनों के विकास के लिए उन परियोजनाओं का निर्धारण करे जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सहायता प्राप्त की जा सके । अन्तर्राष्ट्रीय भूगर्भीय जल दशक के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति ने धरातल वायुमंडल तथा भूमिगत के लिए समेकित अध्ययन करने के कार्य का सूत्रपात किया ।

ऊर्जा संसाधन :

13.29. ऊर्जा सर्वेक्षण समिति, (1965), की सिफारिशों का अनुसरण करतें हुए, वर्ष के दौरान ऊर्जा के उत्पादन, रूपान्तरण और अन्तिम उपयोगी संबंधी प्राथमिक आंकड़ों के एककीकरण एवं विश्लेषण का काम होता रहा । ये आंकड़ें ऊर्जा तुलन पत्र तैयार करने के लिये

आवश्यक हैं, क्योंकि यह भावी वर्षों में मांग की प्रणाली का पूर्वानुमान लगाने के लियें आवश्यक हैं । बिजली का देश भर में क्षेत्रवार आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए पांचवाँ वार्षिक बिजली सर्वेक्षण किया गया ।

वर्ष के दौरान जिन अध्ययनों का सूत्रपात किया गया उनमे निम्नांकित का उल्लेख किया जा सकता है ।

(1) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अठारवे दौर में सग्रहीत आकड़ो पर आधारित ईंधन, कृषि छीजन तथा गोबर का अखिल भारतीय एवं राज्यवार उपभोग ।

(2) कृषि की ऊर्जा आवश्यकताएं ।

(3) रेलो मे डीजल और बिजली कर्षण के सापेक्ष मितव्ययिता; और

(4) पैट्रोलियम उत्पादनो का अन्तिम उपयोग ।

खनिज संसाधन :

13 30. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, खानो का भारतीय ब्यूरो, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा परमाण् ऊर्जा विभाग, ने अपने-अपने क्रमिक क्षेत्रो मे देश मे खनिज ससाधनो के विश्लेषण का कार्य करते रहे और विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानो तथा गैर सरकारो सगठनो के द्वारा इन कार्यों को करने से कुछ सीमा तक उनमे वृद्धि की गई । वर्ष के दौरान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के मुख्य कार्य कलापों को विगत वर्ष के समान कार्यकलापो से तुलना कर नीचे दिया जा रहा है ।

सारणी 1 : भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुख्य कार्य-कलाप

कार्य की मद	एकक	परिमाण	
		1966-67	1967-68
(1)	(2)	(3)	(4)
मान चित्रांकन 1@263,360 पैमाने पर	वर्ग किलोमीटर	16464	18096
मान चित्रांकन 1@31,680 पैमाने या बडे पर	वर्ग किलोमीटर	3090	2508
आरपार करने का काम	किलोमीटर	6524	6437
भूमिकत चित्रांकन	वर्ग किलोमीटर	4621	2404
ड्रिलिंग	मीटर	100561	66800
विकास	मीटर	उपलब्ध नही	1680

13.31 तात्कालिक भविष्य तथा दीर्घ कालीन आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए भारतीय भूर्गभीय सर्वेक्षण ने खनिजो की प्रारभिक एंव व्यापक खोज की । इन खोज कार्यकलापो की मुख्य उपलब्धि के रूप में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फास्फेट के विस्तृत भण्डारो का पता लगा इन भण्डारो की मात्रा तथा परिमाण मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर था । आशा है कि इन खनिजो के शीघ्र दोहन और उर्वरक निर्माण में उनका उपयोग करने से विदेशी मुद्रा की उल्लेखनीय बचत होगी ।

13.32. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने विभिन्न आधार की धातुओं विशेष कर ताम्बा, सीसा और जिंक के लिए काफी क्षेत्रों में अन्वेषण किया। अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आन्ध्र प्रदेश में अग्नि गुंडाला, बिहार में राखा, राजस्थान में कोलिहान, खुदन, खुन्दन, दरिबा राजपुरा और सलादिपुरा थे।

13.33. अमेरिका के सहयोग से वर्ष के दौरान एक हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण (आपरेशन हार्डराक) का सूत्रपात किया गया। 14,000 लाइन किलोमीटर पर काम करने का कार्यक्रम बनाया गया। आन्ध्र प्रदेश के 32,700 किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण का कार्य पूरा किया गया। इसमें कई प्रकार की असंगतियां दृष्टिगत हुई हैं और उन पर बाद में भूमि सर्वेक्षण किया गया। अन्य क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर था।

13.34. कौरवा और कोयना अलुमीमियम संयंत्रों को यथा समय बौक्साईट की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बौक्साईट की व्यापक खोज की गई।

13.35. दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा कोयले की व्यापक खोज जारी रखी गई और गोदावरी घाटी, झारिया, उत्तरी कर्णपुरा, बौकारो, रामगढ़, झिलीमिली, तथा घाटी मोहफिनी और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में 7,6300 लाख मीट्रिक टन कोयले होने का सबूत दिया।

13.36. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने देश के विभिन्न भागों में कई मूल धातुओं का और केरल में ग्रेफाईट तथा बिहार व उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल के जमाओं का पता लगाने के लिए अन्वेषण किए।

13.37. इन क्षेत्रों की संरचनात्मक और खनन जमाओं की किस्मों की व्याख्या करने के लिए 27 खनन भूभर्गीय अध्ययन किए गए, ताकि खनिजों के खनन कार्यकलापों और संरक्षण में सहायता पहुंचाई जा सके। फास्फेट, कच्चे मेंगनीज और कच्चे ताम्बें के सम-परिष्करण संबंधी अनुसंधान किए गए।

13.38. प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी समिति के तत्वावधान में भारत में बौक्साईट और फास्फेट के भण्डार और अभ्रक निर्यात संबंधी समस्याओं पर अध्ययन किए गए।

अध्याय 14

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

1. स्वास्थ्य कार्यक्रम

1967-68 में स्वास्थ्य कार्यक्रमो के लिए 44 84 करोड रुपये की व्यवस्था थी जो पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय की अपेक्षा 2.77 करोड़ रूपया अधिक थी। 1966-67 और 1967-68 वर्षों के व्यय का ब्यौरा यहा नीचे की सारणी में दिया गया है :

सारणी 1 : स्वास्थ्य और परिवार नियोजन काय रित्यय और खर्च्च : 1966-67 से 1967-68

(करोड रूपये)

	1966–67	1967-68	
		स्वीकृत व्यय व्यवस्था	प्रत्याशित व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्र	7.03	7.70	7.62
राज्य	33.20	33.97	35.28
संघीय क्षेत्र . . .	1.84	3.17	2.05
कुल	42 07	44 84	44 95

छूत के रोगों पर नियन्त्रण :

14. 2. मलेरिया, फाइलेरिया, चेचक, राजयक्ष्मा, हैजा, कुष्ठ और कुक्रा जैसे छूत के रोगो के नियन्त्रण उन्मूलन पर विशेष बल देना जारी रहा था। अप्रैल 1968 मे शुरू किया गया मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मूल रूप से 10 वर्ष के लिए बनाया गया था। 1968 मे इसने दसवें वर्ष में प्रवेश किया, परन्तु प्रगति अनुसूची के अनुसार नही हुई थी। 1967-68 की वार्षिक योजना के अनुसार 1967-68 की समाप्ति तक लगभग 92 प्रतिशत जनसख्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आनी चाहिए, जिसमे से 70 प्रतिशत निगरानी गतिविधियो या 32 प्रतिशत घेराबदी चरण मे होने चाहियें। स्वतत्र मूल्याकन दलो के अनुसार कुछ एकको (लगभग 25) को रख रखाव चरण में प्रवेश करना था, परन्तु बुनियादी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नही हो सकने के कारण वे ऐसा नही कर सके थे। हाल ही में अनेक कारणो से इस कार्यक्रम को धक्का लगा जैसे डी०डी०टी० की अपर्याप्त मात्रा तथा समय पर उपलब्ध नहीं होना और प्रशास्नात्मक तथा संचालन सबंधी असफलताओं के फलस्वरूप लगभग 23 एकको को मात्र 1966-67 मे घेराव चरण से आक्रमण चरण में लौटना पड़ा था।

14.3. **फाइलेरिया :** राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1965-66 से शुरू हुआ था। 1967 में बोकारो इस्पात शहर, दामोदर घाटी निगम क्षेत्र, विजयवाडा और चक्रधरपुर में सर्वेक्षण किये गये। अनुमानत. लगभग 1220 लाख या लगभग एक चौथाई जनसंख्या फाइलेरिया क्षेत्र में रह रही थी। आलोच्य वर्ष मे दी फाइलेरिया नियंत्रण एकक खोले गए इस प्रकार शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाले एकको की सख्या 72 हो गई थी। उत्तर प्रदेश में एक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एकक शुरू किया गया जिसमे इन एकको की संख्या 3 तक पहुंच गई थी।

14.4. **चेचक :** 1962-63 मे विलम्ब से शुरू हुए राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अतर्गत इस वर्ष लगभग 170 लाख प्राथमिक टीके लगे और 680 लाख पुनर्टीके लगाये गये थे। मूलरुप से यह तीन वर्ष का कार्यक्रम था जो अनुसूची के अनुसार 1965-66 के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए था परन्तु पूरी जनसख्या इसके अन्तर्गत नही आ सकी, अतः इसे आगे बढाया गया। जो क्षेत्र बच गये थे वहा इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये प्रयत्न किये गये थे। 1967 मे लगभग 82,000 चेचक के केस हुए जबकि पिछले वर्ष 33,000 ही हुए थे। अधिकाश केस महाराष्ट्र बिहार और उत्तर प्रदेश मे होने की सूचना मिली थी। हैदराबाद में जमा कर सुखाए जाने वाले टीके बनाने वाले चौथे केन्द्र मे इस वर्ष उत्पादन शुरु किया था।

14.5. **क्षय :** राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम इन दो सिद्धान्तो पर केन्द्रित रहा (1) रोग ग्रसित बीमारो का प्राथमिकता के आधार पर नवीनतम क्षयरोधी औषधियो से उपचार करना (2) 20 वर्ष से कम आयु के लोगा को बिना क्षय परीक्षण किये बी०सी०जी० टीको से रोग मुक्त करना। नवजात शिशुओ को प्राथमिक टीका लगाने की गति को तेज किया गया था। क्षय औषधालय खोलने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। 1967-68 तक क्षय रोगियो को गृहोपचर्या के लिए 502 क्षय औषधालय खोले गए थे। लगभग 51 जिलो मे (कुल 350 जिलो मे से) क्षय औषधालय नही है। इस वर्ष नौ और बी०सी०जी० दल बढाए गए इस प्रकार कुल सख्या 216 हो गई थी। इस वर्ष लगभग ७2 लाख लोगो को बी०सी०जी०के टीके लगाए गए। राज्य क्षय औषधालयो और 46 स्वैच्छिक क्षय सस्थाओ के माध्यम से क्षयरोधी औषधिया वितरण करना जारी रहा था।

14 6. **कुकरा :** 1963 मे शुरू किये गए राष्ट्रीय कुकरा नियत्रण कार्यक्रम के अधीन पजाब राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात को प्रथमिकता दी गई है जहा कुकरा रोग का बहुत जोर था। 1967-68 मे लगभग 110 लाख लोगो को कुकरा नियत्रण गतिविधियो के आधीन लिया गया। साधनो की कमी के कारण यह कार्यक्रम सीमित पैमाने पर अपनाया गया था।

14.7 **कुष्ठ :** राष्ट्रीय कुष्ठ नियत्रण कार्यक्रम के अधीन मार्च 1968 की समाप्ति तक 182 कुष्ठ नियत्रण एकक और 1035 सर्वेक्षण शिक्षा एव उपचार केन्द्र कार्य कर रहे थे। 30 स्वैच्छिक सगठन भी इस कार्यक्रम मे हिस्सा ले रहे थे। इस वर्ष 65 लाख अतिरिक्त लोगो को इस कार्यक्रम के अधीन लिया गया। इस प्रकार 1967-68 की समाप्ति तक कुल 704 लाख व्यक्ति इस कार्यक्रम के अधीन आ गये थे।

14.8. **हैजा :** 1967 के पंचाग वर्ष में हैजे के 11,558 केस होने की और 2491 व्यक्तियो की इसके कारण मृत्यु होने की सूचना मिली। सर्वाधिक केस तमिलनाडु, मैसूर, पश्चिम बगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश मे हुए। यद्यपि हैजे के रोगियों की संख्या में इस वर्ष भी कमी हुई, परन्तु नये क्षेत्रो मे, विशेषरूप से केरल में इसका फैलना चिन्ताजनक है।

पटना और लखनऊ की राज्य टीका संस्थाओं, केन्द्रीय अनुसंधान संस्था कसौली और हाफ-किन्स संस्था बम्बई में हैजा के टीके बनाने के कार्य को आगे बढ़ा दिया गया था।

14.9. **यौन रोग :** नैतिकता एवं स्वास्थ्य विज्ञान संघ तथा दिल्ली प्रसूति अस्पताल को केन्द्रीय सहायता से खोले गए यौन रोग चिकित्सालयों को चालू रखने के लिये सहायता अनुदान जारी रहा था।

चिकित्सा सुविधा :

14.10. तीन पंचवर्षीय योजनाओं में चिकित्सा की संस्थागत सुविधाओं के लिए विस्तार की दर संतोष जनक पाई गई। फिर भी, वित्तीय साधनों की कठिनाई के कारण 1966-67 और 1967-68 में वृद्धि दर मे कमी हुई। 1965-66 की समाप्ति तक देश मे लगभग 240,000 बिस्तरे थे, इससे अनुपात लगभग 0.5 बिस्तर प्रति हजार बैठता था। यह अखिल भारतीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण एव नियोजन समिति (1961-62) द्वारा सिफारिश किये गए अपेक्षित स्तर का आधा था। 1966-67 मे बिस्तरो की कुल संख्या बढ़कर लगभग 247,000 हो गई और बिस्तर जन-सख्या का अनुपात कम या ज्यादा वही रहा था। 1967-68 मे बढ़े बिस्तरो की सख्या केवल 3,518 थी जो लक्ष्य (8,800) से आधी थी परन्तु जनसख्या मे वृद्धि के कारण बिस्तर-जनसंख्या के अनुपात मे थोडी सी गिरावट आ गई थी।

14.11. 1965-66 की समाप्ति तक 4,481 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए और मार्च 1968 तक इनकी सख्या 4,759 तक बढ गई थी, यद्यपि संख्या मे कुछ वृद्धि अवश्य हुई परन्तु यह आशा बहुत कुछ अपूर्ण ही रही कि ग्रामीण क्षेत्रो मे सभी स्वास्थ्य गतिविधिया इन केन्द्रो से प्रकाश पाऐगी। लगभग 10 प्रतिशत प्राथमिक केन्द्रो के बिना डाक्टरो के चलने की सूचना मिली थी।

14.12. चितरंजन राष्ट्रीय केन्सर अनुसधान केन्द्र, कलकत्ता और केन्सर सस्था, मद्रास को सहायता अनुदान दिए गए थे। केन्सर अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र तथा एक परीक्षणात्मक रसायणी चिकित्सा प्रशाखा कलकत्ता के पास चन्द्रनगर मे खोली गई थी।

चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान :

14.13. दो नए कालेज खोले गए इससे कुल सख्या 91 हो गई थी। 1967-68 में इन कालेजो में वार्षिक दाखिलो की संख्या 11,079 से बढ़कर 11,200 हो गई थी। एक नया दन्त चिकित्सा कालेज नागपुर मे खुला जिससे दन्त चिकित्सा कालेजो की जनसख्या 15 तक बढ गई थी। 1967-68 मे वार्षिक दाखिलो की संख्या 575 तक पहुंच गई थी जबकि तीसरी योजना की समाप्ति तक यह सख्या 506 ही थी।

14.14. अध्यापको और विशेषज्ञो की बढती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये स्नातकोत्तर (चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा) विभागो के विकास के लिये राज्य सरकार की सहायता जारी रही थी। इस वर्ष 18 चिकित्सा एव 5 दन्त चिकित्सा स्नातकोत्तर विभागों को स्वीकृति दी गई। 200 से अधिक चिकित्सा विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये वजीफे दिये गये। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की चल रही अनेक अनुसंधान खोजों की सहायता के लिये तथा अनेक नई परियोजनाएं चालू करने के लिए सहायता अनुदान जारी रहा था।

14.15. नर्सों के प्रशिक्षण के लिये 45 निजी संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन सहायक नर्स मिड-वाईफों को प्रशिक्षण देने के लिये 75 निजी संस्थाओं को सहायता दी गई थी। नर्स का काम करने वाले कर्मचारियों के लिये चार अल्पावधि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे जिनमें 76 लोगों ने भाग लिया था प्रशिक्षित नर्सों और सहायक नर्स मिड-वाईफों की संख्या 1967-68 के अन्त तक क्रमश: 55,000 और 48,000 थी जबकि पिछले वर्ष के अंत तक 50,000 और 41,000 थी।

देशी चिकित्सा पद्धति :

14.16. केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसधान परिषद् आयुर्वेद से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर, विशेष रूप से इसके विभिन्न पहलुओ के वैज्ञानिक अनुसधान के बारे में भारत सरकार को सलाह देने के लिये पुनर्गठित की गई थी। देशीचिकित्सा पद्धति के चिकित्सको का परिवार नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने से सम्बन्धित एक कार्यक्रम इस वर्ष अपनाया गया था। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद् की स्थापना के कानूनी मसौदे की जांच के लिये एक समिति गठित की गई थी।

14.17. 1967-68 मे कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्यो की उपलब्धि परिशिष्ट 14.1 में दिखाई गई है

2. परिवार नियोजन

व्यय :

14.18. 1966-67 मे परिवार नियोजन का व्यय 14.5 करोड रुपया था जो 1964-65 की तुलना मे दुगुना था, और 1967-68 मे यह फिर दुगुने से अधिक 28.45 करोड़ रुपया था। 1967-68 के लिए स्वीकृत परिव्यय 33 4 करोड रुपया था जो पूरी तीसरी योजना अवधि के लिये स्वीकृत योजना व्यय व्यवस्था 27 करोड रूपये से अधिक था। केन्द्र ने 1967-68 में 26.53 करोड़ रुपया खर्च के लिए रखा था। राज्यो और संघीय क्षेत्रों का अंश क्रमश: 1.72 करोड़ रुपया और 20 लाख रुपया था। केन्द्रीय सरकार ने प्रशिक्षण शिक्षा, बन्ध्यकारण और गर्भनिरोधकों पर सभी गैर-आवती तथा आवती व्यय पर 100 प्रतिशत सहायता तथा अन्य मदो के आवती व्यय पर 90 प्रतिशत सहायता दी।

14.19. वास्तविक व्यय मे 5 करोड़ रुपये की कमी थी जबकि 1967-68 में परिवार नियोजन के लिये 33.4 करोड़ रूपये की स्वीकृति व्यय-व्यवस्था थी। यह कमी अधिकांशत: नये पदों की स्वीकृति में विलम्ब, भवनो के निर्माण मे धीमी प्रगति और तकनीकी कर्मचारियो के अभाव के कारण थी। औसतन लगभग 50 प्रतिशत स्वीकृति पद इस वर्ष खाली रहे। इसके अलावा, लूप कार्यक्रम को धक्का लगने के फलस्वरुप 'लूप लगवाने वालो को क्षतिपूर्ति' मनद में कुछ बचत हुई थी।

14.20. 1967-68 में पुनर्गठित परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गति को तीव्र करने के लिये अनेक कदम उठाए गए। परिवार नियोजन कायक्रम में लगभग 1,25,000 कर्मचारी लगाये गये थे तथा सम्पूर्ण देश में फैले 450 स्वैच्छिक संगठन इसमें लगे थे। कर्मचारियों

की कमी को पूरा करने के लिये विभिन्न वर्गों के कर्मचारियो के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का काफी विस्तार किया गया। इस वर्ष 41 क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों ने कार्य किया जबकि पिछले वर्ष 28 थे ।

सेवा केन्द्र :

14. 21. इस वर्ष 136 अतिरिक्त ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र तथा 5618 ग्रामीण उपकेन्द्र खोले गये थे । इस प्रकार कुल 4700 ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र 19,168 उपकेन्द्र और 1806 शहरी केन्द्र हो गए थे। एक असतोषजनक बात यह थी कि सहायक नर्स मिड-वाईफों की कमी के कारण उपकेन्द्र पूरी तरह प्रभावित नही हो पाए थे। इस वर्ष 168 सचल लूप एकक और 129 सचल बंध्याकरण एकक भी स्थापित किये गये थे । इन नियमित केन्द्रों के अलावा 9113 चिकित्सा संस्थाओं ने परिवार नियोजन पर सलाह दी तथा गर्भ निरोधक भी सप्लाई किये थे ।

लूप :

14. 22. 1965-66 में शुरू हुए लूप कार्यक्रम का 800,000 लूप लगाने मे बहुत अच्छा प्रारम्भ हुआ। 1966-67 मे 920,000 लूप लगाए गए थे। यह संख्या लक्ष्य से बहुत कम थी। 1967-68 मे इस कार्यक्रम को बडा धक्का लगा, 20 लाख के लक्ष्य के मुकाबले मे लगभग 670,000 लूप लगाये गये थे । अधिक खून आने, अधिक समय तक एव बहुत ज्यादा मासिक धर्म होने तथा कमर-दर्द आदि की शिकायतें मिली थी। ठीक सर्वेक्षण नही किया गया था, ठीक ठीक पात्रो के चयन पर बल न ही दिया गया और नही अनुगामी सेवाओ पर। इस कार्यक्रम ने जनता का विश्वास खो दिया था। इस वर्ष के दौरान समुचित तरीको मे इस कार्यक्रम मे सुधार किया जाना था। प्रति 1000 जनसख्या मे लूप लगवाने वालो के आधार पर पजाब सबसे आगे रहा, इसके बाद हरियाणा था। सबसे कम प्रगति पश्चिम बगाल और नागालैड मे देखी गई थी।

बन्ध्यकरण :

14. 23. बन्ध्यकरण कार्यक्रम ने पिछले दो वर्षों में प्रगति की। 1966-67 में लगभग 8. 9 लाख आपरेशन किये गये। 1967-68 मे यह सख्या दुगुने से भी अधिक 18. 4 लाख हो गई थी। यह उपलब्धि 15 लाख के राष्ट्रीय लक्ष्य से भी अधिक थी। किसी भी एक वर्ष के लिये यह सबसे बड़ा कीर्तिमान था। कार्यक्रम के आरम्भ से सावधि कुल किये गये आपरेशनो की सख्या 42. 5 लाख थी जो औसतन 8. 0 प्रति हजार जनसंख्या बैठती है। राज्यो में महाराष्ट्र की प्रगति सबसे अच्छी रही जबकि अन्य उल्लेखनीय कार्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र-प्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुए थे। जम्मू एवं काश्मीर, असम और राज-स्थान की प्रगति मंद रही। दो राज्य गुजरात और आन्ध्र प्रदेश ने नसबंदी के शिविर लगाये जिनमें उल्लेखनीय सफलता मिली थी ।

अनुसंधान और मूल्यांकन :

14. 24. परिवार नियोजन से सीधे सम्बन्धित अनुसंधान कार्य जनांकिकी संचार कार्य और जीव औषधि के क्षेत्रों में जारी रहे। नौ जनांकिकी अनुसंधान केन्द्रों में 45 सम्बन्धित अध्ययन प्रगति पर थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की देख रेख में विभिन्न संस्थाओं एवं विश्व-विद्यालयों में पाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधियां के, लूप तथा चिकित्सा एवं प्रयोगशालाओं

के अध्ययनों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में स्थित 13 संस्थाओं में 24 संचार कार्य अनुसंधान परियोजनायें प्रगति पर थी। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन जिसने 1963-64 में संक्रमण काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम का सीमित मूल्यांकन अध्ययन किया उसे अब इस कार्यक्रम का दूसरा मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है।

14.25. लूप और इन्सर्टर के निर्माण में लगी कानपुर की फैक्टरी पूरी करती रही थी। देश के उत्पादन सीमित होने के कारण कंडोम का मुख्य रूप से आयात किया गया था। सभी प्रकार के रबड़ के गर्भ निरोधक तैयार करने के लिये एक फैक्टरी त्रिवेन्द्रम में खोली जानी थी। खाने योग्य गर्भ निरोधक औषधियों को लूप कार्यक्रम के सहायक के रूप में शुरू करने का निर्णय किया गया था जिसके लिये परीक्षण एवं प्रदर्शन के आधार पर 120 से अधिक परियोजनाएं शुरू की गई थी।

अध्याय 15

आवास, शहरी विकास तथा जल संभरण

1. आवास

इस अध्याय में योजना में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के आवास कार्यक्रमों के लिये निर्धारित परिव्यय के परिणामो की चर्चा की गई है। इनमें सामाजिक आवास योजनाएं भी सम्मिलित है। आवास की दिशा में निजी क्षेत्र में अधिक कार्य हुआ है।

परिव्यय :

15.2. 1967-68 में विभिन्न आवास योजनाओ के लिए (शहरी विकास सहित) 24.61 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जबकि वास्तविक व्यय 17.69 करोड़ रूपये हुआ। इसकी तुलना 1966-67 के 20.43 करोड रूपये के वास्तविक व्यय से की जा सकती है। केन्द्र, राज्यो तथा संघ शासित क्षेत्रो का 1966-67 तथा 1967-68 का ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है :

सारणी 1 : आवास योजनाओं पर परिव्यय : 1966-67 और 1967-68

(करोड़ रूपये)

	1966–67	1967–68	
	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्र	9.59	12.20	8.49
राज्य	7.76	9.05	6.87
संघशासित क्षेत्र	3.08	3.36	2.32
कुल	20.43	24.61	17.68

आवास कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ रुपए की कमी हुई। इसके कई कारण थे। आवास क्षेत्रों में धीमी योजनाओं की प्रगति का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रो में विकसित भूमि का अभाव व उसकी अधिक कीमत का होना था। इस समस्या के हल के लिए कुछ प्रयत्न किये गए परन्तु भूमि अभिग्रहण तथा विकास में अब तक जो प्रगति हुई है वह प्रयाप्त नही है। केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यालय तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये रिहायशी आवास से सम्बन्धित निर्माण कार्यक्रम में धीमी प्रगति हुई है।

राज्य क्षेत्र (संघशासित क्षेत्रों सहित)

15.3. राज्य योजनाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में सम्मिलित आवास योजनाओं के व्यय का अलग-अलग ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है। राज्य वार ब्यौरा परिशिष्ट 15.1 में दिया गया है।

सारणी 2 : राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की योजनाओं में आवास स्कीमें

(लाख रुपये)

योजना	1967–68	
	परिव्यय	व्यय
(1)	(2)	(3)
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना . .	368.43	276.53
निम्न आर्य वर्ग आवास योजना . . .	282.00	269.62
बागान श्रम आवास योजना .	7.76	5.10
ग्राम आवास परियोजना . . .	95.79	96.17
गन्दी बस्तिया हटाने से संबधित योजना . .	239.09	120.10
मध्यम आय वर्ग आवास योजना (केवल सघशासित क्षेत्रो के लिये) .	60 77	58.07
भूमि अभिग्रहण तथा विकास (केवल सघशासित क्षेत्रो के लिये) . . .	2.10	—
अन्य योजनाएं	94.44	50.45
कुल . .	1150.38	876 04

15 4 उपर्युक्त योजना परिव्ययो के अतिरिक्त 1967-68 मे भारतीय बीमा निगम के ऋणो के लिए 12 करोड रूपए की व्यवस्था की गई। जीवन बीमा निगम से लिया गया पैसा निम्न आय वर्ग आवास योजना, ग्राम आवास योजना तथा भूमि अभिग्रहण तथा भूमि विकास योजनाओ पर खर्च किया गया। राज्य सरकारो की मध्यम आय वर्ग आवास योजना तथा भूमि अभिग्रहण तथा भूमि विकास योजना के लिए धन की पूरी व्यवस्था जीवन बीमा निगम के ऋणो से की गई। इन ऋणो का पूरा उपयोग किया गया।

भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

15.5. 1967-68 में विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के लिए निर्धारित 26,329 मकानों के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि केवल 21,100 मकानों की हुई। विभिन्न

राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का ब्यौरा परिशिष्ट 15.2 में दिया गया है। योजना वार ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है :

सारणी 3 : विभिन्न सामाजिक आवास स्कीमों की स्कीम-वार उपलब्धि

मकानों की संख्या

योजना	1967–68	
	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना . .	7016	4662
निम्न आय वर्ग आवास योजना . . .	5383	4589
गन्दी बस्तियो को हटाने से संबंधित योजना . .	10693	7543
बागान आवास योजना . . .	100	—
ग्राम आवास योजना	2862	4036
मध्यम आय वर्ग आवास योजना . . .	275	270
कुल .	26329	21100

15.6. सभी योजनाएं पूर्व वर्षों से चल रही थी। इस दिशा में कम से कम लक्ष्य भी प्राप्त नही हो सके। इसका एक मात्र अपवाद ग्राम आवास योजना थी जिसमे लक्ष्य से अधिक सफलता मिली। कुछ राज्यो तथा संघ शासित क्षेत्रो में विभिन्न आवास योजना एंव कार्यान्वित करने के लिये प्रयाप्त प्रशासनिक मशीनरी की कमी तथा भूमि अभिग्रहण में आने वाली कठिनाइयाँ कम प्रगति की मुख्य कारण थी। 1967-68 के अन्त तक केवल सात राज्यों में आवास बोर्डों की स्थापना हुई। कुछ चुनी हुई योजनाओ पर उल्लेख यहां नीचे किया गया है।

बागान श्रम आवास योजना :

15.7. यह योजना पांच राज्यों-असम, केरल, तमिलनाडु, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल मे 1956 से चालू है। 1967-68 में 100 मकानों का लक्ष्य रखा गया था परन्तु किसी भी मकान के पूर्ण होने की सूचना नही मिली। इस कार्य पर 5.1 लाख रूपए व्यय हो चुके थे। इस योजना के चालू होने से अब तक कुल 1350 मकान बने है।

झुग्गी तथा झोंपड़ी हटाने से सम्बन्धित योजना :

15.8. यह योजना 1960 में दिल्ली में चालू की गई थी। इसका उद्देश्य विशेष जनगणना में सूची बद्ध भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लगभग 44,000 ऐसे परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करना था जिन्होंने जुलाई 1960 से पहले सरकारी तथा

सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया था। जनवरी 1968 के अंत तक 22,188 परिवारों अथवा कुल सूची बद्ध परिवारों में से लगभग आधे परिवारों के लिये वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की गई।

ग्राम आवास योजना :

15.9. यह योजना 1957 में चालू की गई। इसमें ग्रामीण लोगों के लिये नए मकान बनाने हेतु अथवा वर्तमान मकानों के सुधार के लिए लागत के 80 प्रतिशत तक अधिक से अधिक 3000 रूपये प्रति मकान ऋण सहायता देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था करने तथा चुने हुए गांवों में सड़कों की रोशनी तथा नालियों की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम वासियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता राजकीय ग्राम-आवास सेलों द्वारा दी जाती है। 1967-68 में 2,862 मकानों के लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हुई तथा इस योजना के अंतर्गत 4,036 मकान पूर्ण हुए जिसमें पूर्व वर्षों के कार्यक्रम भी सम्मिलत हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र :

15.10. 1967-68 में केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न आवास योजनाओं के लिए 12.2 करोड़ रुपए की बजट-व्यवस्था की गई। इसके विपरीत व्यय केवल लगभग 8.5 करोड़ रुपये हुए। कार्यालय तथा रिहायशी आवास, गंदी बस्तियां हटाने (केन्द्रीय अंश) तथा गोदी श्रम आवास सहित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में भारी कमी आई। इसका ब्यौरा परिशिष्ट 15.3 में दिया गया है।

गोदी श्रम आवास योजना :

15.11. इस योजना के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापटनम, कोचीन तथा मोरमुगांव के गोदी श्रम बोर्ड केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में निर्माण लागत अथवा सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित अधिकतम लागत का जो भी कम हो 35 प्रतिशत तथा आर्थिक सहायता के रूप में 25 प्रतिशत सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस योजना पर 1967-68 में 21 लाख रुपये की तुलना में 7.4 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है जो कुल व्यवस्था का एक तिहाई है। 288 मकान के पहले बैच का निर्माण कार्य 1967-68 में पूर्ण हुआ। इसका प्रारम्भ 1964-65 में कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड द्वारा किया गया था। बम्बई गोदी श्रम बोर्ड द्वारा चालू 352 मकान का पहला बैच का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला था। मद्रास गोदी श्रम बोर्ड द्वारा प्रारम्भ 60 मकान के तीसरे बैच का काम जारी रहा। आलोच्य वर्ष में विशाखापटनम गोदी श्रम बोर्ड ने प्रारम्भ में 32 मकान का निर्माण कार्य शुरू किया।

अन्य योजनाएं :

15.12. 1967-68 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए कार्यालय तथा रिहायशी आवास से संबंधित कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रूपए की बचट व्यवस्था की गई। इसके विपरीत व्यय केवल 5.3 करोड़ रुपए हुए। आवास सांख्यिकीय योजना के अंतर्गत काफी कमी आई। इस योजना के लिए 4 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। वर्ष के दौरान केवल 40,000 रुपए व्यय हुए। संघ शासित क्षेत्रों में भूमि अभिग्रहण तथा भूमि विकास के लिए 1967-68 की वार्षिक योजना में 2.60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। वर्ष के दौरान इस योजना पर बिल्कुल व्यय नहीं हुआ।

2. शहरी विकास तथा नगर आयोजन

15.13. 1967-68 की वार्षिक योजना में केवल एक शहरी विकास योजना सम्मिलित की गई। इसका संबंध चुने हुए शहरी केन्द्रों में बृहद् योजनाएं तैयार करने से है। 1967-68 के दौरान बृहद् योजनाएं तथा क्षेत्रीय योजनाएं इत्यादि बनाने के लिए राज्यों को 89.25 लाख रुपए तथा संघ शासित क्षेत्रों को 7.5 लाख रुपए के अनुदान दिए गए। आलोच्य वर्ष में जिन अन्तर्राज्य क्षेत्रीय योजनाओं में सम्मिलित परियोजनाओं पर काम जारी रहा उसमें से कुछ ये हैं (1) दिल्ली के चारों ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना (2) दक्षिण पूर्व साधन क्षेत्र जिसके अंतर्गत उडीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है तथा कृष्णा घाटी परियोजना जिसके अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश मैसूर तथा महाराष्ट्र के भाग भी सम्पिलित हैं। इन परियोजनाओ के लिए वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों, बाढ़ समस्याओं, स्थानान्तरण, जनांकिकीय पद्धति परिवहन पद्धति औद्योगिक क्षमता आदि से सम्बन्ध प्रारम्भिक तथा विस्तृत अध्ययन किया गया।

15.14 वर्ष के दौरान नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन ने जिन समस्याओं का अध्ययन किया अथवा जिन समस्याओं का अध्ययन जारी था उनको नीचे दर्शाया है :

(1) क्षेत्रीय विचार, क्षेत्रीय आयोजन के लक्ष्य तथा उद्देश्य, क्षेत्रीय सीमाओं का चित्रण तथा क्षेत्रीय योजनाएं ;

(2) महानगरों मे स्थानान्तरण की पद्धति; तथा

(3) विशेषत: दिल्ली के सन्दर्भ में शहरी क्षेत्रों पर भूमि अनधिकृत कब्जे की समस्या

15.15. पूर्व वर्षों की तरह शहरी विकास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए 1967-68 की वार्षिक योजना में कोई विशेष व्यवस्था नही की गई। इसके लिए व्यवस्था विभिन्न विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत आवंटनों के समेकन से की जानी थी।

15.16. पूर्व अनुभव यह दर्शाता है कि अपेक्षित कानून तथा आवश्यक सगठन के बिना शहरी विकास योजनाए नहीं बनाई जा सकतीं तथा उनका कार्यान्वियन भी नहीं किया जा सकता। कुछ राज्यों ने आवश्यक कानून नहीं बनाए है अथवा इसके लिए वर्तमान कानून अपर्याप्त हैं। नगर तथा ग्राम आयोजन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए आदर्श विधेयक आधार पर राज्य सरकारों को आवश्यक कानून बनाने के लिए प्रेरित करने के प्रयत्न जारी रखे गए।

3. स्थानीय स्वायत्तशासी योजनाएं

15.17. इस वर्ग में दो योजनाएं थी (1) शहरी सामुदायिक विकास परियोजनाएं तथा (2) नगर प्रशासन के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान पहली योजना का संबंध चुने हुए क्षेत्रों में शिक्षा चलाई गई मार्गदर्शी परियोजनाओं से तथा सामुदायिक जीवन से सम्बन्धित कार्यक्रमों में सहयोग के माध्यम से शहरी जनता के लिए स्थानीय पहल से है। 1967-68 के प्रारम्भ में इस प्रकार की 14 परियोजनाएं चालू की गई जिनमें से 9 राज्यों में तथा पांच संघ शासित क्षेत्रों में थी। आलोच्य वर्ष में पश्चिम सरकार को दो परियोजनाओं का और विस्तार किया गया ताकि इनके अंतर्गत और अधिक क्षेत्र आ जाएं तथा हैदराबाद बंगलौर तथासूरत में तीन और परियोजनाए चालू की गई। 1967-68 के अन्त तक 17 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 8,34,615 शहरी जनता आ गई। इन परियोजनाओं के अंतर्गत ये कार्यक्रम उठाए गए-अध्ययन दौरे, प्रदर्शन नाटक, फिल्म प्रदर्शन, नाटक फिल्म प्रदर्शन, खेल, रात्रि पाठशालाएं, पुस्तकालय तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं। शहरी सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अंतर्गत दूसरा कार्य

सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित था। विभिन्न स्थानों में क्षेत्रीय गोष्ठियों के आयोजन के अतिरिक्त वर्ष के दौरान बड़ौदा में परियोजना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये एक दो महीने का विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

15.18. स्थानीय स्वास्थ्य शासन मंत्रियों को केन्द्रीय परिषद् की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान के एक प्रभाग के रूप में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई। 1967 में विभिन्न राज्यों के 32 अधिकारियों तथा बाहर के कुछ अधिकारियों ने इसके पाठ्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से (1) अखिल भारतीय स्वास्थ्य संस्थान, बम्बई (2) भारतीय समाज कल्याण तथा उद्यम प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता तथा (3) लखनऊ विश्वविद्यालय में से प्रत्येक की 33,000 रूपये का अनुदान दिया गया।

4. जल संभरण तथा स्वच्छता

15.19. 1966-67 में इस दिशा में व्यय तथा भौतिक उपलब्धियों की कमी हुई। लेकिन 1967-68 में कुछ सुधार हुआ। 1966-67 में 30.12 करोड़ रूपये की तुलना में 1967-68 की वार्षिक योजना में 37.37 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई। जिला संभरण तथा स्वच्छता के निमित्त इन दो वर्षों में क्रमशः 33.31 करोड़ रूपये तथा 28.86 करोड़ रूपये व्यय हुए। 1967-68 का राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों का ब्यौरा परिशिष्ट 15.4 में दिया गया।

राज्य क्षेत्र :

15.20. जल संभरण तथा स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं के लिए अधिक प्रयास तथा वित्तीय व्यवस्था योजनाओं के अंग के रूप में सरकार तथा संघशासित क्षेत्रों द्वारा की गई है। आलोच्य वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से जारी जल संभरण योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। अभाव ग्रस्त गांवों के जल संभरण तथा हैजा एवं फिलेरिया से ग्रस्त क्षेत्रों के जल संभरण तथा मल व्यवस्था से सम्बन्धित योजनाओं पर अधिक गंभीरता से विचार किया गया। जहां उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित जल संभरण के लिये विशेष कदम उठाए गए। इसी वर्ष में अधिक महत्वपूर्ण चालू योजनाओं में से कुछ निम्न प्रकार थीं :

(1) घाटिपुडी जलाशय योजना (आन्ध्र प्रदेश)
(2) त्रिवेन्द्रम नालो व्यवस्था योजना (केरल)
(3) गेटलसूद परियोजना (बिहार)
(4) एर्नाकूलम माट्टनचेरी जल संभरण योजना (केरल)
(5) भाटसाई परियोजना (बम्बई शहर)
(6) कटक मल-व्यवस्था योजना (उड़ीसा)
(7) उदयपुर जल संभरण योजना (राजस्थान) तथा
(8) संघशासित क्षेत्र दिल्ली में जल संभरण को बढ़ाने से सम्बन्धित कार्यक्रम।

15.21. शहरी जल संभरण तथा स्वच्छता : 1967-68 में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण तथा स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम पर हुए व्यय के बारे में अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु 1967 के पचांग वर्ष में राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम

के अंतर्गत अनुमानतया लगभग 17.22 करोड़ रुपये की लागत की 52 जल संभरण एवं मल व्यवस्था की योजनाओं का अनुमोदन हुआ ।

15.22. **ग्रामीण जल संभरण तथा स्वच्छता :** इसी अवधि (पंचांग वर्ष 1967) के दौरान राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के ग्रामीण चरण के अंतर्गत लगभग 6.27 करोड़ रुपये लागत की 149 जल संभरण योजनाएं अनुमोदित की गई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत अनुमानत: 2.61 करोड़ रुपये की लागत की 521 भी अनुमोदित हुई। इस प्रकार 1967 के दौरान अनुमानत: 8.88 करोड़ रुपये की लागत की कुल 670 योजनाएं अनुमोदित हुई। ये योजनाएं उन ग्राम जल संभरण योजनाओं के अतिरिक्त है जिन्हें सामुदायिक विकास तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा जिनके सम्बन्ध में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

15.23. **केन्द्रीय क्षेत्र :** केन्द्रीय क्षेत्र में, विशेष अन्वेषण प्रभागों के लिये राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सहायता की व्यवस्था की गई है। इन प्रभागों की स्थापना ग्राम जल संभरण समस्या की विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में गंभीरता का निर्धारण करने के लिये केन्द्र संचालित योजना के अंतर्गत की गई है। इस प्रकार के प्रभागों की स्थापना अब सभी राज्यों में हो गई है। पूर्व वर्ष में 14 लाख की तुलना में 1967-68 मे इस उपशीर्ष के अन्तर्गत 24.2 लाख रुपये का योजना व्यय था ।

15.24. **भूमिगत जल-विकास कार्यक्रम** : संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तथा उड़ीसा में दुर्गम तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थित गांवों के लिए भूमिगत जल विकास मार्गदर्श परियोजनाओं का कार्यान्वयन हाथ में लिया गया। ये सामान्यतया पूर्ण हो चुकी है। अलोच्य वर्ष में इसी प्रकार की परियोजनाएं गुजरात तथा तमिलनाडु में भी चालू की गई ।

अध्याय 16

समाज कल्याण

1966-67 में 3.30 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की तुलना मे 1967-68 में समाज कल्याण के लिए 4.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। 70 लाख रुपये की कमी का आंशिक कारण संघीय शिक्षा मंत्रालय के समाज-कल्याण विभाग के अन्तर्गत आवंटित सहायक अनुदान को टाटा समाज विज्ञान संस्थान को हस्तांतरित करना था तथा आंशिक कारण कुछ राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ होना था।

16.2. निम्न सारणी में केन्द्र, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के व्यय का ब्यौरा दिया गया है :

सारणी 1 : समाज कल्याण का परिव्यय और व्यय : 1966-67 और 1967-68

(करोड़ रुपये)

	1966-67 (वास्तविक)	1967-68	
		परिव्यय	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्र	2.18	2.67	2.41
राज्य	0.92	1.42	1.12
संघ शासित क्षेत्र . . .	0.20	0.35	0.21
कुल . .	3.30	4.44	3.74

केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम-वार ब्यौरा परिशिष्ट 16.1 में दिया गया है।

परिवार तथा शिशु कल्याण योजना :

16.3. यह कार्यक्रम एक मुख्य कदम के रूप में नवम्बर, 1967 में चालू किया गया, इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के लिए कल्याण सेवा का पुनर्गठन तथा विस्तार किया गया। कल्याण सेवाओं की व्यवस्था कल्याण विस्तार परियोजनाओं तथा समेकित शिशु कल्याण प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से की जाती थी। नया कार्यक्रम इस सिद्धान्त पर आधारित था कि महिलाओं तथा बच्चों को परिवार के अंग के रूप में माना जाय। कल्याण विस्तार परियोजना की भांती उन्हें अलग नहीं माना जाय। शिशु कल्याण प्रदर्शन परियोजनाओं में भी पूर्ण रूप से ध्यान शिशु तथा बालवाड़ी से संबंधित कार्यों पर केन्द्रित रहा। नई परिवार तथा शिशु कल्याण योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तरों पर संस्थान स्थापित करने का विचार है। ये न केवल बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधाओं तथा स्कूल जाने से पहले की शिक्षा की व्यवस्था ही करेंगे अपितु महिलाओं तथा लड़कियों के लिए गृह-शिल्प, मातृ-शिल्प, स्वास्थ्य पोषण, शिशु देखरेख आदि प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था भी करेंगे। मूलत: यह प्रस्ताव था कि प्रथम चरण में 1967-68 में 50 कल्याण विस्तार परियोजनाओं का परिवर्तन किया जाय। परन्तु साधनों

की कमी के कारण नए कार्यक्रम में केवल 32 परियोजनाएं ही परिवर्तित की जा सकीं। अभी नई परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन करने का समय नहीं आया है क्योंकि इसको लागू हुए अभी मुश्किल से छः महीने हुए हैं। इसकी सफलता मुख्य रूप से इस काम में संलग्न पंचायती राज संस्थाओं, राज्य कल्याण बोर्डों तथा स्वैच्छिक संगठनों के परस्पर सहयोग पर निर्भर है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम :

16.4. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के मुख्य क्रियाकलापों में ये सम्मिलित हैं—स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों के लिए सहायक अनुदान, परिवार तथा शिशु कल्याण परियोजनाएं, प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जरूरतमन्द महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, समाज सुरक्षा कार्यक्रम पहले ही पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण तथा बच्चों के लिए अवकाश शिविरों की व्यवस्था। निम्न पैराग्राफों में इन कार्याकलापों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

सहायक अनुदान-कार्यक्रम :

16.5. 1967-68 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने लगभग 3,000 स्वैच्छिक संगठन को लगभग 60 लाख रुपये का सहायक अनुदान दिया जब कि पूर्व वर्ष में 70 लाख रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था। यह सहायता महिलाओं, बच्चों, अपाहिजों, दुर्बल तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए दी गई। सेवाओं के गुणों में सुधार तथा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुछ निम्नतम मानकों की व्यवस्था पर बल दिया गया। पहले बोर्ड ने इस विशिष्ट कार्य के लिए अनुदानों की व्यवस्था नहीं की। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा हाल में गठित अध्ययन दल ने यह अनुभव किया कि स्वैच्छिक अभिकरणों के कार्यक्रमों के गुणों में कमी का कारण तथा उनके जारी रहने मे बाधक कारण विभिन्न स्तरो पर प्रशिक्षित तथा अनुभवी कर्मचारियों की कमी का होना था। कुछ चुने हुए स्वैच्छिक अभिकरणों को अपने तकनीकी तथा पर्यवेक्षण कर्मचारी-वर्ग को सबल करने के लिए वित्तीय सहायता देकर अब इस दिशा में कुछ प्रारंभिक कदम उठाए गए है।

16.6. **महिलाओं की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम :** केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने प्रौढ़ महिलाओं (18–30 आयु) के लिए माध्यमिक अथवा दसवीं स्तर तक की शिक्षा का सक्षिप्त पाठ्यक्रम चालू किया। इससे उन्हे नर्स, दाई, परिवार नियोजन कार्यकर्त्री आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। 1967-68 मे 100 संस्थाओ मे लगभग 2,000 अभ्यार्थियो का नामांकन किया गया। इन संस्थाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रमों को चाल करने के लिए 19.5 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया।

16.7. **सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम :** बोर्ड का दूसरे महत्वपूर्ण कार्यकलाप का संबंध सामाजिक आर्थिक इकाईयों की स्थापना है जिसका उद्देश्य जरूरतमन्द महिलाओं तथा शारीरिक रूप से अपाहिज लोगों के लिए कार्य तथा वेतन की व्यवस्था करना है। इसके लिए उन्हें ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग इकाईयों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। 1967-68 के दौरान इस प्रकार की 27 इकाईयां स्थापित की गईं जिससे एक दशक में कुल इकाईयां 97 हो गईं तथा लाभान्वितों की संख्या लग भग 2,850 हो गई। केरल में कम आय वर्ग की महिलाओं के लाभ के लिए आशुलिपि तथा टाइपिंग के प्रशिक्षण के लिए एक मार्गदर्शी योजना चलाई गई।

16.8. **अवकाश शिविर बोर्ड** : द्वारा चालू अन्य लाभदायक कार्य का संबंध गरीब बच्चों के लिए अवकाश शिविरों से है। इनकी व्यवस्था स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से भी की जाती है जिसके लिए राज्य समाज कल्याण बोर्डों से अनुदान तथा मार्ग दर्शन मिलता है। अवकाश-शिविर अनुशासन सहकारी प्रयत्नों, साहसिक कार्यों तथा साधन सम्पन्नता के विकास में सहायता करते हैं। अलोच्य वर्ष में कम आय-वर्गों के (12–16 वर्ष के) बच्चों के लिए 67 शिविरों की व्यवस्था की गई।

अपाहिजों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास :

16.9. एक मोटे अनुमान के आधार पर भारत में 100 लाख से भी अधिक अंधे, बहरे, विकलांग तथा मानसिक-मलिनता वाले लोग है। इनमें लगभग 25 लाख स्कूल जाने वाली आयु के बच्चे है। अपाहिजों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में 1967-68 में 11.44 लाख रुपये व्यय हुए जब कि पूर्व वर्ष में 7.56 लाख रुपये व्यय हुए थे। 1967-68 के दौरान इस दिशा में, कोई बड़ा नया कार्यक्रम चालू नहीं किया जा सका। फिर भी, अपाहिजों के कल्याण मे संलग्न 26 स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने क्रियाकलाप बढ़ाने में सहायता दी गई। वर्ष के दौरान उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियों देने हेतु शारीरिक रूप से असमर्थ 182 विद्यार्थियों को चुना गया। अपाहिजों के लिए विशेष रूप से स्थापित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 500 से भी अधिक अपाहिजों को नौकरियां दी गई। इनमें अधिकांश शारीरिक रूप से विकलांग थे।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम :

16.10. केन्द्र संचालित 'अनुरक्षण' तथा राज्य सरकारो के अन्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अधिकारी है। इनमें बाल अपराध का निवारण तथा नियंत्रण भिक्षावृत्ति का उन्मूलन, वयस्क अपराधियों के लिए अनुरक्षण तथा परिवीक्षा सेवाएं महिलाओ तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार का उन्मूलन तथा बन्दीगृह में कल्याण सेवाए। इन सेवाओ की प्रबन्ध व्यवस्था सामान्यतया संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत की जाती है तथा इनका समन्वय केन्द्रीय सुधार सेवा ब्यूरो द्वारा किया जाता है। यह ब्यूरो तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन भी करता है। कुछ राज्यो में बाल अपराध के विरोध तथा उपचार तथा महिलाओं तथा लड़कियो के अनैतिक व्यापार के उन्मूलन की संस्थागत सेवाओं का विस्तार किया गया। गुजरात तथा उत्तर प्रदेश मे दो नए प्रत्यर्पण गृहो की स्थापना की गई

16.11. 1967-1968 में बुरे धन्धे के विरुद शैक्षणिक प्रचार के लिए समाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य मे संबंधित संघ की सहायता के रूप में दी गई 24,000 रुपये की राशि पूर्व वर्ष में दो गई 77,000 रुपये की राशि से काफी कम थी। कुछ कमियों के कारण महिला एवं बालिका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के उसके कार्यान्वयन मे व्यवहारिक कठिनाइयां आई। नैतिक तथा सामाजिक खतरों का सामना करने वाली महिलाओ तथा लड़कियों से संबंधित वर्तमान संस्थाओं तथा अन्य सेवाओं का पुनरीक्षण करने के लिए श्रीमती रक्षाशरण की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1967 मे एक समिति नियुक्त की गई।

व्यवसाय पूर्व प्रशिक्षण :

16.12. वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातनिधि, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा यूनिस्को की सहायता से पहले ही पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए व्यवसायिक आधार

पर प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया । व्यवसाय पूर्व-प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों पर 1967-68 में 30.3 लाख रुपये व्यय हुए जब कि पूर्व वर्ष में लगभग 20 लाख रुपये व्यय हुए । योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा इस कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया ।

अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रशासन :

16.13. जन-सहयोग से संबंधित केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष के दौरान चार अध्ययन पूरे किये । हाल ही में यह संस्थान समाज कल्याण विभाग को हस्तांरित कर दिया गया है । 1967-68 में इस संस्थान को 4.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया । सामाजिक कल्याण के लिए प्रशिक्षण अनुसंधान तथा क्षेत्रीय सेवाओं से संबंधित अन्य कई कार्यक्रमों के लिए भी सहायक अनुदान दिया गया । परन्तु कोई नया अनुसंधान कार्यक्रम मंजूर नहीं किया गया ।

मद्यनिषेध :

16.14. मद्यनिषेध का विषय सितम्बर 1967 में गृह मंत्रालय से समाज-कल्याण विभाग को हस्तांरित कर दिया गया । कुछ कुछ राज्यों ने मद्यनिषेध के संबंध में गठित अध्ययन दल की चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया । मद्यनिषेध के सम्बन्ध में शैक्षणिक कार्य को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् का एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

विस्थापित लोगों का पुनर्वास :

16.15. असहाय महिलाओं तथा बच्चों तथा पाकिस्तान से आए वृद्ध तथा निर्बल लोगों के पोषण से संबंधित कार्य कुछ वर्ष पूर्व पुनर्वास मंत्रालय से समाज कल्याण विभाग को हस्तांरित कर दिया गया था । विभिन्न राज्यों में लगभग 40 शरण गृह तथा निरालम्बगृह है जिनमें 1967-68 तक लगभग 36,000 लोग थे । इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं से बाहर लगभग 2,600 लोग ऐसे थे जिन्हें नकद सहायता दी जा रही थी । शरणगृहों तथा निरालम्बगृहों में रहने वालों की गृह-निर्माण तथा उद्यम/कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे सामान्य जीवन बिता सकें । कई कठिनाइयों के कारण पुनर्वास कार्यक्रम में धीमी प्रगति हुई । 1966-67 में इस कार्य पर 15 लाख रुपए व्यय हुए तथा 1967-68 में 11 लाख रुपए व्यय हुए ।

अध्याय 17

पिछड़े वर्गों का कल्याण

पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 1967–68 की वार्षिक योजना में 17.98 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जो कि 1966–67 के 23.77 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्चे से काफी कम था। परन्तु वास्तविक खर्चा परिव्यय से 6 करोड़ रुपए अधिक था जो कि लगभग विगत वर्ष के स्तर के ही बराबर था। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, राज्य व संघशासित क्षेत्रों का ब्यौरा निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी 1 : पिछड़े वर्गों के कल्याण पर परिव्यय और व्यय :
1966-67 और 1967-68

(करोड़ रुपये)

	1966-67	1967-68	
	(वास्तविक खर्चा)	परिव्यय	वास्तविक खर्चा
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं . .	15.04	8.35	14.01
राज्य	8.16	8.75	9.19
संघ शासित क्षेत्र . .	0.57	0.88	0.61
कुल . .	23.77	17.98	23.81

17.2. 1967-68 के स्वीकृत परिव्यय से जो अधिक खर्चा हुआ वह मुख्यत: मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियों पर केन्द्रीय प्रायोजित योजाओं के अन्तर्गत हुआ। यह एक आम तरीका था कि वार्षिक योजना तैयार करते समय केन्द्र में, समाज कल्याण विभाग आरम्भ में इस कार्यक्रम के लिए नाममात्र की व्यवस्था कर देता था और बाद में वह सारा खर्चा वापिस कर देता था जिसे राज्य सरकारें मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां देने पर खर्च करती थी।

मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां :

17.3. पिछड़े वर्गों की शिक्षा योजनाओं पर किया गया अधिकांश खर्चा वृत्तिकाओं तथा छात्रवत्तियों पर था। मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियों की योजना के अन्तर्गत सभी अनुसूचित आदिम जातियां तथा अनुसूचित जातियां इन छात्रवृत्तियों के लिए हकदार हैं। आदिम जाति विद्यार्थियों की जांच के लिए किसी प्रकार के साधनों या योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। परन्तु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए योग्यता पर विचार किए बिना साधनों की जांच अनिवार्य

है। नीचे के विवरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि 1960-61 से छात्रवृत्तियों की संख्या और व्यय में लगभग अढ़ाई गुने की वृद्धि हुई :

सारणी 2 : छात्रवृत्तियों और व्यय : 1960-61 से 1967-68

(करोड़ रुपये)

वर्ष	दी गई छात्र-वृत्तियों की कुल संख्या	कुल किया गया खर्चा
(1)	(2)	(3)
1960–61	63369	2.87
1964–65	103853	4.95
1965–66	116554	5.70
1966–67	131664	6.49
1967–68	152629	7.32

मैट्रिक के बाद जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं उनमें से अधिकांश (70 प्रतिशत) विद्यार्थी अनुसूचित जाति के थे, 16 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के और 14 प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के थे।

लड़कियों के छात्रावास :

17.4. लड़कियों और लड़कों के दाखिले में असमानता को घटाने के उद्देश्य से, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास स्थापित करने के कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया था। वर्ष 1967-68 के लिए 20 लाख रुपए की धनराशि निश्चित की गई थी जबकि पिछले वर्ष में 25 लाख रुपए दिए गए थे। 1966-67 में लगभग 73 छात्रावासों को सहायता प्रदान की गई और यह संख्या 1967-68 में बढ़कर लगभग 80 हो गई। यद्यपि कुछ राज्यों ने छात्रावासों के रखरखाव पर किए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की लेकिन कई राज्य ऐसे थे जिनमें प्रति विद्यार्थी सहायता अनुदान की राशि बहुत कम 20 से 25 रुपये प्रति मास तक थी।

आदिम जाति विकास खंड :

17.5. आदिम जाति बहुत क्षेत्रों में सघन एवं समन्वित विकास में तेजी लाने के लिए आदिम जाति विकास खंड चालू किए गए। तीसरी योजना के अन्त तक 458 आदिम जाति विकास खंड स्थापित किए गए और 1966-67 के अन्त तक 31 नये खंड स्थापित किए गए। इस प्रकार आदिम जाति विकास खंडों की संख्या 489 हो गई। साधनों के अभाव के कारण, 1967-68 के दौरान कोई नया खंड स्थापित करना संभव न हो सका। 1967-68 के दौरान आदिम जाति खंडों का कुल आवंटन घटाकर 4.30 करोड़ रुपए रह गया जबकि विगत वर्ष लगभग 9 करोड़ रुपए था। वास्तविक खर्चा 5.00 करोड़ रुपये था। चरण–1 और चरण–2 के वर्तमान खंडों पर रखरखाव का खर्चा 2 लाख रुपए और एक लाख रुपए से घटकर क्रमशः 1.0 लाख रुपये और 0.7 लाख रुपए रह गया।

17.6. जिन आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों को राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 1967-68 के दौरान चालू रखा गया उनमें कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता अर्थात हलों, बैलों, अच्छे बीजों और उर्वरकों, मुर्गीपालन का विकास, मत्स्यपालन और पशुपालन थे। अन्य आर्थिक विकास की योजनाएं भूमि बस्तियां बसाना, खेतिहर मजदूरों में भूमि का वितरण, परिवर्ती कृषकों को बसाना, छोटी सिंचाई, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, तकनीकी प्रशिक्षण और संचार-साधनों का सुधार थे।

सहकारिता :

17.7. सहकारी क्षेत्र में वन श्रम सहकारी समितियां और विपणन एवं उपभोक्ता ऋणदात्री सहकारी समितियों जैसी योजनाएं आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए। विपणन एवं उपभोक्ता ऋणदात्री समितियों मे अनुसूचित जातियों ने दिलचस्पी दिखाई। सहकारी कार्यकलापों के लिए आदिम जाति विकास खंडों से अंशदान प्राप्त करने के अलावा 1966-67 में और 1967-68 में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रमशः 53 लाख रुपए और 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

अनुसंधान और प्रशिक्षण :

17.8. तीसरी योजना में पिछड़े वर्गों की दशाओं से सम्बद्ध विकास कार्यक्रमों के प्रभाव के संबंध मे निरन्तर भरपूर व अधिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था ताकि प्राप्त अनुभव के आधार पर नई प्रणालियां और नीतियां अपनाई जा सके और यदि आवश्यक समझा जाय तो पुरानी व्यवस्थाओं में हेरफेर किया जा सके। इस योजना को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल कर उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। नौ आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान थे—असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश मे से प्रत्येक मे एक। वर्ष 1967-68 के दौरान इन कार्यक्रमो पर 12 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

17.9. सघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व सम्बद्ध परीक्षाएं ली जाती है। इनमे बैठने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए इलाहाबाद और मद्रास मे दो परीक्षा पूर्व क्षेत्रीय केन्द्र थे, जिनके रखरखाव के लिए केन्द्र ने शत प्रतिशत अनुदान दिया। 1967 में इन दो केन्द्रों से 105 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। इनमे से 37 ने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की और 27 चुने गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान योजना का विस्तार किया गया। राज्य असैनिक सेवाओं के अलावा संघ लोक सेवा आयोग की—अन्य अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी बैठना चाहें उनके प्रशिक्षण के लिए केन्द्र स्थापित करने हेतु आठ राज्यों को, प्रत्येक को 50,000 रुपए दिए गए। इस योजना पर 1967-68 के दौरान 1.75 लाख रुपए व्यय किए गए।

काम करने और रहने की दशा में सुधार :

17.10. यह एक केन्द्रीय संचालित योजना है, जिसके दो अंग हैं :

(1) मेहतरों और सफाई कर्मचारियों के काम करने की दशों में सुधार; और

(2) मेहतरों और सफाई कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता तथा मलिन व्यवसाय करने वालों या भूमिहीन श्रमिकों के रूप में काम करने वाले अनुसूचित जातियों के सदस्यो के लिए मकान बनाने की जगह के लिए प्रावधान। योजना के प्रथम अंश के रूप मे पाखाने को आदमी द्वारा उठाये जाने की प्रथा को शनैः शनैः समाप्त करने के उद्देश्य से, नगरपालिकाओं को पहिएदार गाड़िया खरीदने के लिए अनुदान दिए गए। गंदे कामों को करने के लिए ठेको को अपनाने के लिए स्थानीय निकायो को प्रोत्साहित करना, योजना का उद्देश्य था। जैसा कि पिछली प्रगति रिपोर्ट मे बनाया गया था, कतिपय कारणों की वजह से यह योजना अधिकांश राज्यो मे समुचित प्रगति न कर सकी। जहां तक (2) का सबंध है 1967-68 के दौरान इस योजना पर 17 0 लाख रुपये खर्च किए गए जबकि 1966-67 में 47 2 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

अनुसूचित तथा खानाबदोश जातियां :

17.11. अनुसूचित जातियो के कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य इन लोगो को भूमि पर बसाना तथा इनके लिए मकान बनाने, कृषि सबधी उपकरण व दुधारू पशु उपलब्ध करने मे सहायता प्रदान करना था। आपराधिक तथा असामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य गतिविधियो से बच्चों को दूर रखने के लिए आश्रम केन्द्र तथा संस्कार केन्द्र चालू किए गए। इन योजनाओ के लिए 1966-67 की योजना में 92 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था जो कि 1967-68 में घटाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया। अनुसूचित जाति के लोगो को बसाने के काम की बहुत ही कम प्रगति हुई क्योंकि प्राय. यह देखा गया है बहुत दिनो से जो मनोवृत्ति बनी चली आ रही है उसे एकदम छोड़ना कठिन होता है। इस विशिष्ट क्षेत्र में, शान्तिपूर्वक काम करने वाले प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी कमी थी। इसके अतिरिक्त, इस कार्य के लिए उचित साधनो की कमी के कारण भी प्रगति मे बाधा पडी।

आदिम जाति विकास कार्यक्रम संबंधी अध्ययन दल :

17.12. पुरानी चौथी योजना के प्रारूप की रूपरेखा (1966 में जारी की गई) मे दिए गए सुझावो को ध्यान मे रखते हुए, योजना आयोग के कहने पर, योजना कार्य समिति ने सितम्बर, 1966 मे आदिम जाति विकास कार्यक्रमो के सबध मे एक अध्ययन दल का गठन किया। इसका उद्देश्य समन्वित एव क्रमबद्ध विकास कार्यक्रमो को तैयार करने मे राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना था। 1967-68 के अन्त मे विभिन्न राज्यो के सम्बन्ध मे दल के प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे थे।

अध्याय 18

शिल्पियों का प्रशिक्षण और श्रम कल्याण

पिछले वर्षों की भांति, 1967-68 के दौरान श्रम नीति वर्तमान कानून-व्यवस्था के अलावा उद्योग में अनुशासन संहिता, आचार संहिता और औद्योगिक सन्धि प्रस्ताव जैसे स्वैच्छिक व्यवस्थाओं से शासित होती रही। सामान्य आर्थिक स्थिति के दबाव ने श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति को भी प्रभावित किया। जीवन-निर्वाह के खर्चे में निरन्तर वृद्धि और आवश्यक सामग्री की कमी, उत्पादक क्षमता का कम उपयोग तथा मांग घटने के कारण कई औद्योगिक तथा वेतन संबंधी झगड़े पैदा हो गये। तदनुसार, कई उपक्रम, विशेषकर इंजीनियरिंग तथा सूती कपड़ा उद्योग बन्द हो गये।

18.2. मजदूर तथा प्रबन्धक के मध्य पारस्परिक सहयोग का क्षेत्र बढ़ाने के प्रयत्न किये गये। वर्ष के अन्त में 130 औद्योगिक प्रतिष्ठानों (84 निजी क्षेत्र तथा 46 सरकारी क्षेत्र) में संयुक्त प्रबन्धक परिषदें काम कर रही थी। कामगारों की शिक्षा के कार्यक्रम के विस्तार पर अधिक बल दिया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 3,200 कामगार-अध्यापकों तथा 1,47,200 कामगारों को प्रशिक्षित किया गया और इस प्रकार कुल संख्या क्रमशः 13,600 और 6,71,000 हो गई।

18.3. वर्ष के दौरान कोयला खान भविष्य निधि योजना, 30,000 से भी अधिक नये सदस्यों पर लागू की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना की सदस्यता 1966-67 के अन्त में 49 लाख थी वह मार्च, 1968 के अन्त में 51 लाख हो गई। यह योजना 112 उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के वर्गों पर लागू है। अंशदान की आठ प्रतिशत की बढ़ी हुई दर 17 और उद्योगों पर लागू की गई और इस प्रकार इसके अन्तर्गत उद्योगों की संख्या 71 हो गई। कामगारों की जमा पूंजी पर पिछले वर्ष 4.75 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा था, यह दर इस वर्ष बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई थी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा-शुदा व्यक्तियों में 1,40,000 की वृद्धि हुई और इस प्रकार 1967-68 के अन्त में यह संख्या 36.8 लाख हो गई। वर्ष के दौरान बीमा-शुदा व्यक्तियों के परिवार एककों में 2,10,000 की वृद्धि हुई और कुल संख्या 35 लाख एकक हो गई तथा 1967-68 के अन्त में 300 केन्द्रों पर लाभान्वितों की संख्या 137.6 लाख हो गई। योजना के अन्तर्गत, कामगारों को चिकित्सा, नकद तथा जो अन्य लाभ दिए गए उन पर होने वाला खर्चा 1966-67 में 21.55 करोड़ रुपये था, यह रकम 1967-68 में बढ़कर 23.90 करोड़ रुपये हो गई। कोयला खान मजदूर कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत चिकित्सा, शिक्षा, आवास तथा अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्चा 1967-68 में बढ़कर लगभग 3.98 करोड़ रुपये हो गया जबकि गत वर्ष यह 3.76 करोड़ रुपये था। कोयला, अभ्रक तथा कच्चे लोहे की खानों से संबंधित सांविधिक कल्याण निधि संस्थाओं ने चिकित्सा, आवास, शिक्षा तथा मनोरंजन संबंधी सुविधाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध की।

18.4. श्रम नीति, कार्यक्रमों तथा कानूनों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 1966 में जो राष्ट्रीय श्रम आयोग नियुक्त किया गया था उसने वर्ष के दौरान अपने कार्य में कुछ प्रगति की। श्रम कानून, पारिश्रमिक, उत्पादकता, औद्योगिक संबंध, मजदूर संघ श्रम कल्याण

इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समस्याओं की जांच करने के लिए इसने 38 कार्यकारी अध्ययन दल तथा समितियां नियुक्त की ।

प्रशिक्षण तथा श्रम कल्याण कार्यक्रम :

18.5. वर्ष 1967-68, की वार्षिक योजना में 15.31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था । परन्तु खर्चा लगभग 11.51 करोड़ रुपये हुआ । इसमें से 6.99 करोड़ रुपये केन्द्र में, 4.29 करोड़ रुपये राज्यों में और 0.23 करोड़ रुपये केन्द्र शासित प्रदेशों में हुआ । कमी का कारण यह है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 10,000 अतिरिक्त स्थानों की परिकल्पना की गई थी परन्तु वर्ष 1967-68 के दौरान केवल 6000 सीटें बढ़ाई गई । इसकी तुलना 1966-67 के दौरान बढ़ाई गई 21,000 सीटों की संख्या से की जा सकती है ।

18.6. वर्ष के दौरान, शिल्पियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नये प्रवेशों को सीमित कर दिया गया । तीसरी योजना के अन्त में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल क्षमता लगभग 1,13,000 स्थानों की थी यह बढ़कर 1967-68 के अन्त में लगभग 1,40,600 स्थानों की हो गई । इस प्रकार कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल क्षमता में वृद्धि हुई । प्रशिक्षण की किस्म में सुधार, व्यवसायों की विविधता और कम प्रचलित व्यवसायों के स्थान पर अन्य प्रकार के व्यवसाय शुरू कर दृढ़ीकरण के जो प्रयत्न किये गये उनसे विस्तार कार्यक्रम मे बढ़ोतरी हुई ताकि प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ाई जा सकें । तदनुसार प्रशिक्षण संस्थानों को औजार और उपकरण, बिजली की उपलब्धि, शैक्षणिक कर्मचारी, भवन इत्यादि से पूरी तरह सुसज्जित करने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था ।

18.7. शिक्षुता (अप्रेंटिशिप) प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, औद्योगिक परियोजनाओं तथा प्रतिष्ठानों की प्रशिक्षण क्षमता की छानबीन करने के सर्वेक्षण कार्य में वृद्धि की गई और कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये गये । मार्च, 1968 के अन्त में, निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में 195 उद्योगों के लगभग 2500 प्रतिष्ठानों में लगभग 33,000 शिक्षु (अप्रैन्टिस) चालीस व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । रोजगार सेवा तथा रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुविधाओं का भी विस्तार किया गया ।

18.8. केन्द्रीय श्रम संस्थान और तीन क्षेत्रीय श्रम संस्थानो ने औद्योगिक क्षमता, स्वच्छता तथा अन्य विषयों पर अध्ययन किया । विभिन्न संगठनों के लाभ के लिए संस्थानों द्वारा, सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किये गये । श्रम आसूचना के क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधान व अध्ययनों में निरन्तर प्रगति होती रही । भारत सरकार के लेबर-ब्यूरो द्वारा, गांव के श्रमिक के व्यापक किस्म के अध्ययन की योजना हाथ में ली गई ।

18.9. राज्य क्षेत्र में जो मुख्य विकास हुआ वह और अतिरिक्त श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना श्रम कानूनों की व्यवस्था पर अधिक अच्छा नियंत्रण रखने के लिए और श्रम निरीक्षणालयों को मजबूत करने से संबंधित थे ।

अध्याय 19

जन-सहयोग

1967–68 में जन सहयोग से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के वार्षिक योजना परिव्यय को तथा व्यय को नीचे दर्शाया गया है। राज्यवार व्यय संघ शासित क्षेत्रों के व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट 19.1 में दिया गया है :

सारणी 1 : जन सहयोग पर परिव्यय और व्यय :
1967-68

(लाख रुपये)

योजनाएं	1967-68	
	परिव्यय	व्यय
(1)	(2)	(3)
लोक कार्य क्षेत्र (ग्रामीण)	24.00	6.67
लोक कार्य क्षेत्र (शहरी)	8.00	—
आयोजन संगोष्ठियां	6.20	1.43
अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शी . .	11.00	3.52
परियोजनाएं तथा स्वैच्छिक संगठनों को सबल बनाने के लिए उपाय	—	—
राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा	1.00	—
मद्यनिषेध के सम्बन्ध मे शैक्षणिक कार्य . . .	2.67	2.67
अनैतिक व्यापार का उन्मूलन . . .	1.19	0.85
स्वेच्छिक संगठनों तथा श्रम सहकारी समितियों की निर्माण सेवाओं के लिए ऋण सहायता	5.00	—
कुल	59.06	15.14

19.2. वर्ष के दौरान जन-सहयोग के क्षेत्र में प्रगति धीमी पड़ गई। ऐसा विशेषकर भारत सेवक समाज द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में हुआ। जन-सहयोग से सम्बन्धित कार्यक्रमों को चलाने के लिये यह सबसे प्रमुख अभिकरण था। 1967–68 के लिए इस समाज को कोई अनुदान नहीं दिया गया जिसका कारण इस समाज द्वारा संसद की सार्वजनिक लेखा समिति के सुझाव के अनुसार पूर्व वर्षों के हिसाब का समेकित विवरण न दिया जाना था।

लोक कार्य क्षेत्र (ग्रामीण तथा शहरी) :

19.3. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने लोक कार्य क्षेत्रों (ग्रामीण) का मूल्यांकन अध्ययन किया। इसने 1967 में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि यद्यपि लोक कार्य क्षेत्रों का कार्यक्रम एक साधारण कार्यक्रम है तथापि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिससे इन दो उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है : (1) आवश्यकताओं पर आधारित यथार्थ विकास योजनाएं तैयार करने में स्थानीय लोगों को क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा सहायता का पहुंचाना, तथा (2) विशिष्ट क्षेत्रों के लिए योजना व्यय-व्यवस्था के लिए स्थानीय साधन जुटाना अथवा विशिष्ट कार्यक्रमों के किए धन की व्यवस्था करना। लोक क्षेत्रों द्वारा किए गए अधिकांश उल्लेखनीय कार्यों में ये सम्मिलित हैं—स्वच्छता व्यवस्था, गांव की सड़कों कुओं तथा स्कूल भवनों का निर्माण अथवा मरम्मत, कम्पोस्ट के गड्ढों का निर्माण तथा साक्षरता-कक्षाओं की व्यवस्था, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार इस कार्यक्रम को ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने में विशेष सफलता नहीं मिली है। इसमें केवल बाहरी सहायता विशेषकर सरकार की सहायता लेने की प्रवृत्ति रही है। लोक कार्य क्षेत्रों तथा अन्य स्थानीय अभिकरणों, सामुदायिक विकास खण्डों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों में सम्पर्क तथा संचार के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। ये संस्थाएं कार्यक्रमों को तैयार करने में तथा उनके कार्यान्वयन में काफी भूमिका अदा कर सकती हैं।

19.4. लोक कार्य क्षेत्रों (शहरी) के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त मूल्यांकन दल ने भी आलोच्य वर्ष में अपना कार्य पूरा कर दिया। दल ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ क्षेत्रों ने बहुत अच्छा काम किया है जब कि कुछ अन्यों का काम लक्ष्य के अनुकूल नहीं रहा। अधिकांशत: क्षेत्रों के आर्थिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। समग्र रूप से लोक कार्य क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक रही है तथापि परिवार नियोजन के बारे में अभी बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। दल ने सिफारिश की है कि लोक कार्य क्षेत्रों के परिवेश को धीरे-धीरे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका सुझाव था कि व्यवस्थापकों को चाहिये कि वे परिवार नियोजन के समान राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली बातों तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों के पक्ष में जनमत तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखें। इसने यह सिफारिश भी की कि प्रत्येक क्षेत्र की वार्षिक योजना होनी चाहिए तथा सामाजिक कार्य स्कूल तथा गृह विज्ञान कालेज, जैसे व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में आयोजन गोष्ठियों तथा सामाजिक कार्य में रुचि लेने वाले क्लबों तथा अन्य संगठनों को कार्यक्रम चालू करने तथा शहरी लोक कार्य क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दल ने यह भी कहा है कि इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से नगरपालिका-अभिकरणों को भी सम्मिलित किया जाय। यह देखा गया कि अब तक इन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

आयोजन गोष्ठियां :

19.5. आलोच्य वर्ष में आयोजन गोष्ठियों ने लाभदायक कार्य किए। आयोजन गोष्ठियों की संख्या 1964-65 में 846 से बढ़कर 1967-68 में 1051 हो गई। इनकी सदस्य संख्या 1,50,000 विद्यार्थी से अधिक हो गई। इन गोष्ठियों ने अन्य कामों के साथ साथ श्रमदान के माध्यम से सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत की व्यवस्था की, वयस्क साक्षरता-कक्षाएं चलाई तथा कई स्थानों में निर्धन विद्यार्थियों के लिए किताबों तथा लेखन-सामग्री की नि:शुल्क व्यवस्था की।

अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शी परियोजनाएं :

19.6. जन सहयोग के सम्बन्ध में फरवरी, 1966 में स्थापित केन्द्रीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रशिक्षण, अनुसन्धान गोष्ठी व्यवस्था तथा कर्मशाला सम्बन्धी कार्यक्रमों को जारी रखा ताकि जन सहयोग को सबल किया जाये तथा आगे बढ़ाया जाय और राष्ट्रीय विकास में सहयोग प्रदान किया जा सके। इसने क्षेत्रीय अधिकारियों, विभिन्न स्वैच्छिक अभिकरणों के कर्मचारियों विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों तथा विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की। इसने लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए पद्धतियों तथा तकनीको, दुर्भिक्ष जैसे दैवीय प्रकोप के समय तुरंत सहायता की व्यवस्था, ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविरो की व्यवस्था शहरी लोक कार्य क्षेत्र, अपाहिज आदि लोगों के पुनर्वास व्यवस्था का अनुसंधान तथा मूल्यांकन-अध्ययन भी किया।

19.7. वर्ष के दौरान "भारतीय सामाजिक कार्य का वृहदकोश" पूर्ण किया गया। यह स्वेच्छिक संगठनों तथा गैर सरकारी अभिकरणों के क्रियाकलापो के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी देता है।

19.8. भारतीय ग्रामीण महिला संघ द्वारा ग्रामीण महिलाओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखा गया। इस संघ ने अग्नि-समन, हवाई हमलो से बचाव, सहायता हेतु सूटिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, परिवार नियोजन कार्य, कृषि पशुपालन तथा मुर्गीपालन आदि के सम्बन्ध में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए शिविरो की व्यवस्था की।

मद्यनिषेध के सम्बन्ध में शैक्षणिक कार्य :

19.9. इस कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों के लिए अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् ने केन्द्रीय समन्वय संस्था के रूप में कार्य किया। इनमें देश के विभिन्न भागो में फैले 44 नशाबन्दी लोक कार्य क्षेत्र सम्मिलित थे।

नैतिक तथा समाजिक स्वास्थ्य संघ :

19.10. इस संघ के क्रियाकलाप महिलाओं तथा बालिकाओं के अनैतिक व्यापार को समाप्त करने के लिए जनमत तैयार करने पर केन्द्रित रहे। प्रबन्ध-व्यवस्था तथा गोष्ठियो/प्रशिक्षण शिविरों आदि की व्यवस्था के लिए इस संघ को तथा इसकी राज्यकीय शाखाओं को समाज-कल्याण विभाग तथा राज्य सरकारों ने अनुदान दिए।

स्वैच्छिक संगठनों की निर्माण सेवा :

19.11. वर्ष के दौरान निर्माण कार्य के लिए स्वैच्छिक सगठनो के लिए कोई नए ऋण स्वीकृत नही किए गए।

प्रशासनिक व्यवस्था :

19.12. 1 जनवरी, 1968 स जन-सहयोग कार्यक्रमों को योजना आयोग से निम्नलिखित सम्बन्धित कार्यकारी मन्त्रालयों/विभागों को हस्तांतरित किया गया :

ग्रामीण लोक कार्य क्षेत्र तथा लोक कार्य क्षेत्र के कर्मचारियों, सामुदायिक विकास विभाग का प्रशिक्षण।

शहरी लोक कार्य क्षेत्र तथा शहरी लोक कार्य क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।	स्वास्थ्य मन्त्रालय
ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण	समाज कल्याण विभाग
जन-सहयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थान ।	समाज कल्याण विभाग
श्रम सहकारी समितियों की निर्माण सेवा	सहकार विभाग
स्वेच्छिक संगठनों की निर्माण सेवा	सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय
आयोजन गोष्ठियां	शिक्षा मन्त्रालय
उपभोक्ता सेवा	आन्तरिक व्यापार विभाग

जन सहयोग से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम प्रशासनिक मंत्रालयों को हस्तांतरित हो जानेस अब योजना आयोग का सम्बन्ध मुख्य रूप से राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने से है ।

अध्याय 20

पुनर्वास

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पुनर्वास विभाग ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में अपने विभिन्न कार्यकलाप जारी रखे। इस कार्य के लिए योजना में 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं पर वास्तविक व्यय 11.9 करोड़ रुपये का हुआ। खर्चा कम होने का आंशिक कारण यह है कि बर्मा से बहुत ही कम लोग स्वदेश वापिस आये और लंका से कोई भी स्वदेश वापिस नहीं आया। इसके अतिरिक्त, कतिपय कारणवश पश्चिम बंगाल से पुराने विस्थापितों को बसाने के काम की प्रगति सम्भावना से कम रही।

20.2. 30,000 परिवारों को बसाने का लक्ष्य था—15,000 विस्थापित परिवार पूर्वी पाकिस्तान के और इतनी ही संख्या बर्मा से स्वदेश लौटे हुये परिवारों की। इसके विपरीत लगभग 12,000 (8,400 पूर्वी पाकिस्तान के और 3,600 बर्मा के) परिवार बसाये गये। दण्डकारण्य परियोजना में 2250 परिवारों को बसाने का लक्ष्य लगभग प्राप्त हो गया। दण्डकारण्य के बाहर खेती के काम पर केवल 6217 परिवार बसाये गये जबकि लक्ष्य 13,300 परिवारों का था। पुनर्वास और भूमि उद्धार संगठन के माध्यम से नये क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के काम में कमी आई, क्योंकि सम्बद्ध राज्य सरकारों से वन भूमि को कृषि काम के लिए प्राप्त करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः केवल 53,000 हैक्टर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जा सका जबकि समीक्षाधीन वर्ष के लिए 100,000 हैक्टरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विभिन्न व्यवसायों में लगभग 3860 व्यक्तियों को रोजगार मुहैय्या किया गया और 2130 व्यक्तियों को व्यावसायिक कामों में प्रशिक्षण दिया गया। पुनर्वास कार्यक्रम के अंग के रूप मे, वर्ष के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया।

अध्याय 21

अन्य कार्यक्रम

इस शीर्षक के अन्तर्गत शामिल किये गये महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है : पहाड़ी क्षेत्र और विशेष क्षेत्र, सांख्यिकी योजना प्रचार, राज्य मूल्यांकन संगठन, अनुसंधान कार्यक्रम समिति, राज्यों की राजधानी परियोजनायें, मुद्रण क्षमता का विस्तार, महत्वपूर्ण आंकड़े और नमूना अध्यन, स्थानीय विकास कार्य, प्राकृतिक साधनों के अध्ययन और अन्य विविध कार्यक्रम । पर पुनर्वास का कार्यक्रम इसम शामिल नहीं है, इसकी चर्चा पूर्व-अध्याय में की जा चुकी है । इन विविध कार्यक्रमों के लिए 1967-68 के दौरान 26·69 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । पर वास्तविक व्यय लगभग 19·41 करोड़ रुपये हुआ था । वर्ष 1966 के दौरान हुए व्यय का ब्यौरा और 1967-68 के लिए परिव्यय और व्यय नीचे दिया गया है :

सारणी–1 : अन्य कार्यक्रमों के लिए परिव्यय और व्यय
1966–67 और 1967–68

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या		1966-67		1967-68
		वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय
(1)		(2)	(3)	(4)
1	केन्द्र	2.42	10.94	2.84
2	राज्य	10.76	13.93	13.68
3	संघ शासित क्षेत्र	2.70	1.82	2.89
4	योग	15.88	26.69	19.41

21.2. कुछ कार्यक्रमों/स्कीमों की यहां आगे संक्षेप में समीक्षा की गई है ।

सांख्यिकी

21.3. 1967–68 में इस उप-मद के आधीन योजना परिव्यय और व्यय यहां नीचे दिया जा रहा है :

सारणी 1 : सांख्यिकी पर परिव्यय और व्यय :
1966-67 और 1967-68

(लाख रुपये)

	1966–67	1967–68	
	वास्तविक व्यय	व्यय व्यवस्था	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्र	99	81	71
राज्य और संघीय क्षेत्र . .	23	52	37
कुल	122	133	108

21.4. यह देखा गया कि यद्यपि केन्द्रीय क्षेत्र में व्यय-व्यवस्था का पर्याप्त अंश खर्च किया गया, राज्य क्षेत्र के व्यय में काफी कमी थी। इसका मुख्य कारण स्कीमों की स्वीकृति में प्रशासनिक विलम्ब होना था।

21.5. 1967–68 में सांख्यिकी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय) के संगणक केन्द्र में एक और "हनीवेल" कम्प्यूटर उपलब्ध किया गया था। इस वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। 1960–61 से 1964–65 के राष्ट्रीय उत्पादों की पुनरीक्षित अंकमाला तैयार की गई थी। राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा तुलनात्मक आधार पर राज्य आय अनुमान विकास से सम्बन्धित कार्य इस वर्ष भी पूर्ववत जारी रहा। 1960–61 से 1965–66 तक के छः जिन्स उत्पादक क्षेत्रों के पुनरीक्षित तुलनात्मक अनुमान तैयार किये गए थे और सेवा क्षेत्रों के लिए भी एक सी रीति विधान तैयार करने के लिए कदम उठाये गये। सभी 45 केन्द्रों से सम्बन्ध जनवरी-सितम्बर 1967 की अवधि के लिए बुद्धिजीवी कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक संकलित किये गये। 1966 के उद्योगों के वार्षिक सवक्षण में औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मंत्रालय की पहल पर पूर्ण मूल्यांकन के आधार पर धातु-आधारित उद्योगों वाली सभी फैक्ट्रियों के लिए एक विशेष स्कीम क्रियान्वित की गई। जमा माल, माल की बिक्री तथा इन प्राथमिकता वाले वर्गों के आयात प्रतिस्थापन के लिए आयातित माल की खपत के अतिरिक्त आंकड़े एकत्रित किये गये।

21.6. सांख्यिकी की बड़ी खामियों को पूरा करने के उद्देश्य से तथा एक समान स्तर अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के क्षेत्र में पिछले वर्ष बनाई गई नौ "आन्तरिक" स्कीमों को इस वर्ष भी पूर्ववत् प्राथमिकता मिलती रही। इन सब स्कीमों में वितरणशील व्यापार का सर्वेक्षण सड़कों द्वारा सामान का यातायात, आवास सम्बन्धी आंकड़े, साधनों की सांख्यिकी, राज्य आय अनुमान, ग्रामीण एवं छोटे उद्योगों का सर्वेक्षण, मशीन से सारणीकरण, नगरपालिका एवं जिला सांख्यिकीय पुस्तिकाएं और सांख्यकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है।

योजना : सूचना और प्रसार

21.7. विकास कार्यक्रमों को आगे बढाने के उद्देश्य से प्रचार गतिविधियों को तेज किया गया। प्रचार एकक श्रव्य–दृश्य–शिक्षा को सहायता से जनता में योजना को सफलताओं का प्रचार करते रहे। परिवार नियोजन के प्रचार को भी आगे बढाया गया।

21.8. योजना प्रचार कार्यक्रम, विकास के विभिन्न क्षेत्रों की सफलताओं पर प्रकाश डालते है। ये प्रसारण सामान्य, ग्रामीण, औद्योगिक तथा अन्य विशेष श्रोताओं के लिए किए जाते हैं। 1966–67 में दस 'खेत और घर एकक' शुरु किए गए थे, और 1967–68 में छः और बढ़ा दिये गये इस प्रकार वर्ष की समाप्ति तक यह संख्या कुल 16 हो गई। इन एककों का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक जैसे कृषि क्षेत्रों के किसानों एवं गृहणियों के लिए ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किये जायें जिनमें उनकी समस्याओं की चर्चा हो। साथ ही उनमें तकनीकी तथा अन्य उपयोगी जानकारी भी दी जाती थी। इन एककों से आशा की जाती थी कि वे किसानों को शिक्षा और कार्यकारी साक्षरता परियाजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देंगे जिन्हें सूचना और प्रसारण, शिक्षा तथा खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय संयुक्त रूप से चला रहे थे। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा लगभग तीन वर्ष पूर्व शुरू की गई सीमा क्षेत्र में प्रचार की स्कीम को 1967–68 में और अधिक तेजी से चलाया गया।

21.9. 1967-68 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 'योजना : सूचना एवं प्रचार' पर 1.28 करोड़ रुपया व्यय किया गया जब कि 1966–67 में 1.13 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। केन्द्र, राज्यों और संघीय क्षेत्रों का व्यय का ब्यौरा यहां नीचे दिया जा रहा है :

सारणी 3 : सूचना और प्रचार परिव्यय और व्यय : 1966-67 और 1967-68

(लाख रूपये)

	1966–67	1967–68	
	वास्तविक व्यय	व्यय व्यवस्था	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्र . .	34.00	61.05	43.00
राज्य . .	69.00	81.17	66.00
संघीय क्षेत्र .	9.75	27.75	18.73
जोड़ . .	112.75	169.97	127.73

राज्य मूल्यांकन संगठन

21.10. राज्य मूल्यांकन संगठन (पीईओं) जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने वाली एक प्रमुख संस्था है वही राज्यों के मूल्यांकन कार्य को समन्वित करने के लिए भी उत्तरदायी है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन राज्य मूल्यांकन मशीनरी को सुदृढ़ करने में अन्य सहायता तथा वित्तीय सहायता देता रहा है। इसके अलावा मूल्यांकन कार्य मे लगे लोगो को प्रशिक्षण सुविधाएं देता रहा है तथा मुल्याकन की पद्धति के लिए तकनीकी सलाह देता रहा है। सभी राज्यों तथा अधिकांश संघीय क्षेत्रों में मूल्यांकन एकक स्थापित किये जा चुके थे और उनके अच्छा काम करने की सूचना मिली थी तथा उन्होंने अपने क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमो के मूल्यांकन अध्ययन किये थे।

21.11. राज्यों में मूल्यांकन तंत्र स्थापित करने और मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता वास्तविक खर्च के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई थी, जब कि सभी राज्यों के लिए कुल 8 लाख रूपये की अधिकतम सीमा रखी गई थी। 1967–68 में इस स्कीम पर खर्च (राज्यों के अंश सहित) 10.94 लाख रुपया था जब कि इससे पिछले वर्ष 8.14 लाख रूपया था।

मुद्रण क्षमता का विस्तार

21.12. मुद्रण क्षमता के विस्तार से सम्बन्धित विकास कार्यक्रम के लिए 1967-68 के बजट में 172.9 लाख रूपये की व्यवस्था रखी गई थी। इसके मुकाबिले मे वास्तविक खर्च 140.3 लाख रूपया हुआ। इस वर्ष तीसरी योजना से चली आ रही स्कीमो को पूरा करने पर ही विशेषरूप से ध्यान दिया गया था जैसे भारत सरकार मुद्रणालय (रिंग रोड), नई दिल्ली तथा संतरागाछी कलकत्ता के प्रेस की पुनस्थापना। रिंग रोड मुद्रणालय की स्थापना में देरी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की कमी तथा अनेक कारणों से भवन निर्माण कार्यक्रम का निर्धारित समय से पीछे रह जाना था।

पहाड़ी क्षेत्रों तथा विशेष क्षेत्रों का विकास

21.13. 1967–68 की वार्षिक योजना में असम, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और तमिलनाडु के पहाड़ी तथा विशेष क्षेत्रों के विकास के विशिष्ट कार्यक्रम लिये गये थे। असम पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था में से वास्तविक व्यय 7.1 करोड़ रुपया हुआ। कृषि (बागबानी सहित) पशु–पालन, भूमि संरक्षण, ग्रामीण बिजलीकरण, सड़कों के निर्माण और समाज सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया था। योजना व्यवस्था सड़कों तथा सड़क परिवहन का उपयोग मिजो पहाड़ियों में अशान्त स्थिति होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेशों के उत्तरा खंड प्रभाग की विकास योजना के लिए 3.5 करोड़ रुपये की व्यय व्यवस्था की कल्पना की गई थी यह मुख्यरुप से सघन कृषि विकास (बागबानी) सहित, पशुपालन, वन, सड़कें बनाना, शिक्षा जैसी सामाजिक सुविधाएं, स्वास्थ्य और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए थी। वास्तविक खर्च 3.2 करोड़ रुपया था, खर्च में कमी अनेक कार्य-क्रमों में कमी किये जाने के कारण हुई थी। उत्तर प्रदेश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में 2.76 करोड़ रुपया खर्च किया गया था।

21.14. जम्मू एवं काश्मीर में 96 लाख रूपये की योजना व्यवस्था का पूरा उपयोग हुआ था। लद्दाख में सम्पूर्ण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया और इस कार्य पर 48 लाख रूपया खर्च हुआ था। सघन सीमान्त खंड विकास कार्यक्रम का कार्य भी चालू रहा था।

21.15. नीलगिरी जिले में कृषि तथा पशुपालन के सम्पूर्ण विकास के लिए 1966-67 में शुरु की गई मंडी–टाइप परियोजना ने अच्छी प्रगति की थी।

—परिशिष्ट—

परिशिष्ट-सूची

	पृष्ठ
2.1 योजना परिव्यय, 1967–68 – केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र .	139
2.2 योजना व्यय, 1965–66 से 1967–68 तक केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	140
2.3 राज्य–योजना परिव्यय तथा व्यय (1965–66 से 1967–68)	146
2.4 संघ शासित क्षेत्र – योजना परिव्यय तथा व्यय (1965–66 से 1967–68)	147
2.5 चुनीदा भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां (1967–68)	148
2.6 केन्द्र तथा राज्यों में योजना परिव्यय के लिए धन की व्यवस्था, 1967–68	151
3.1 कृषि क्षेत्र के अंतर्गत परिव्यय तथा व्यय, 1967–68 (केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र)	154
7.1 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण . .	156
8.1 अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता के लक्ष्य तथा उपलब्धियां, 1967–68	159
8.2 बिजली के अंतर्गत योजना परिव्यय तथा वास्तविक व्यय, 1967–68 (केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र)	161
9.1 योजना व्यय की प्रगति – ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के अंतर्गत उद्योग वार (केन्द्र, राज्य तथा संघशासित क्षेत्र) 1966–67 तथा 1967–68 .	163
9.2 राज्य – ग्रामोद्ययोग तथा लघु उद्योग के अंतर्गत परिव्यय तथा व्यय (1967–68)	165
9.3 संघ शासित क्षेत्र – ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के अंतर्गत परिव्यय तथा व्यय (1966–68)	166
10.1 उद्योग तथा खनिज – 1966–67 तथा 1967–68 के दौरान उपलब्ध क्षमता तथा उत्पादन	167
10.2 केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज–परियोजनाओं पर योजना व्यय (1967–68)	175
12.1 शिक्षा के अंतर्गत योजना–परिव्यय तथा व्यय (1966–68) . .	179
13.1 वैज्ञानिक तथा शिल्प वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत योजना परिव्यय तथा व्यय (1966–67 तथा 1967–68)	180

पृष्ठ

14.1 स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम—1967–68 में भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां 181

15.1 आवास के अंतर्गत योजना—परिव्यय तथा व्यय—केन्द्रीय क्षेत्र (1967–68) 183

15.2 आवास के अंतर्गत योजना—परिव्यय तथा व्यय—राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र 184

15.3 आवास—भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धिया (1967–68) . . 186

15.4 जल संभरण तथा स्वच्छता पर योजना—व्यय—केन्द्र, राज्य तथा सघ शासित क्षेत्र (1967–68) 188

16.1 समाज कल्याण के अतर्गत योजना परिव्यय तथा व्यय—1967-68 . 190

19.1 जन–सहयोग के अतर्गत योजना—व्यय—1967-68. . . 192

परिशिष्ट 2.1

योजना परिव्यय-केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र :

1967–68 (करोड़ रुपये)

मुख्य मद	परिव्यय			
	केन्द्र	राज्य	संघ-शासित क्षेत्र	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कृषि कार्यक्रम . .	59.37	226.69	9.28	295.34
सामुदायिक विकास तथा सहकारिता . .	36.91[1]	40.75	2.14	79.80
बड़ी तथा मध्यम सिंचाई (बाढ़ नियंत्रण सहित)	1.64	137.54	1.62	140.80
बिजली . .	62.64	306.49	15.52	384.65
उद्योग तथा खनन .	483.03	36.32	0.88	520.23
ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	24 68	16.20	1.73	42.61
परिवहन तथा संचार .	337.49	65.73	13.96	417.18
समाज सेवाएं . .	139.22	155.74	22.23	317.19
अन्य कार्यक्रम[2] . .	27.02	13.93	1.82	42.77
कुल . .	1172.00	999.39	69.18	2240.57

[1]इसमें कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपये तथा भूमि बन्धक बैंकों के लिए निर्धारित 15 करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित है।

[2]इनमें पहाड़ी क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र, सांख्यिकीय योजना, प्रचार, राज्य मूल्यांकन संगठन, अनुसंधान कार्यक्रम समिति, बृहद् सांख्यिकीय, पुनर्वास तथा अन्य प्रकीर्ण कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट

योजना व्यय—1965-66 से 1967-68

रस मद	1965-66 (वास्तविक)				
	केन्द्र	राज्य	सघ-शासित क्षेत्र	कुल	केन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कृषि उत्पादन	879	5672	161	6712	1370
छोटी सिंचाई	5	8491	48	8544	217
भूमि सरक्षण	316	2265	39	2620	380
आयकट विकास कार्यक्रम	—	107	—	107	120
पशुपालन	128	1244	49	1421	200
दुग्ध उद्योग तथा दुग्ध सभरण	76	747	9	832	
वन	172	1111	105	1388	282
मत्स्य पालन	95	598	31	724	293
भण्डारण तथा विपणन	621	123	12	756	698
कृषि कार्यक्रम	2292	20358	454	23104	3560
सहकारिता	257	1344	61	1662	2271
सामुदायिक विकास	43	5568	123	5977	34
पचायतें		225	18		
1. कृषि सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	**2592**	**27495**	**656**	**30743**	**5865**
सिंचाई	344	15222	11	15577	108
बाढ़ नियत्रण	—	1745	137	1882	—
बिजली	4346	31221	726	36293	7037

2·2 संघ शासित क्षेत्र

तक—केन्द्र, सहायता (लाख रुपये)

1966–67 (वास्तविक)			1967–68 (वास्तविक)			
राज्य	संघशासित क्षेत्र	कुल	केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	कुल
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4729	137	6236	1303	5170	194	6667
10790	35	11042	172	10358	123	10653
2623	33	3036	234	2456	47	2737
359	—	479	—	263	—	263
1101	31	2026	197	950	47	1194
679	15		57	657	11	725
912	111	1305	336	904	174	1414
782	33	1108	113	792	33	938
77	3	778	130	88	3	221
22052	398	26010	2542	21638	632	24812
1037	44	3352	2799	970	54	3829
3772	134	4065	38	2894	119	3145
113	12			82	12	
26974	**588**	**33427**	**5379**	**25590**	**817**	**31786**
13364	11	13483	136	12975	18	13129
1319	137	1456	—	1206	133	1339
31892	**1440**	**40369**	**5042**	**32510**	**1616**	**39168**

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सिंचाई तथा बिजली .	**4690**	**48188**	**874**	**53752**	**7145**
बड़े तथा मध्यम उद्योग .	35658	3270	24	38958	48853
खनिज विकास	13480	264	—	13744	
ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग .	2860	2368	103	5331	2653
3. उद्योग तथा खनिज .	**51998**	**5908**	**127**	**58033**	**51236**
रेलवे	28474	—	—	28474	19868
सड़कें .	4735	5897	622	11254	5164
सड़क परिवहन	25	626	141	792	15
पत्तन तथा बन्दरगाह .	1307	128	41	1476	1261
जहाजरानी	906	—	—	906	63
गैर समुद्री परिवहन तथा अन्य परिवहन	149	199	16	364	82
प्रकाश स्तम्भ	59	—	—	59	63
नागरिक वायु परिवहन .	765	—	—	765	2047
पर्यटन .	50	75	13	138	28
फरक्का बांध	—	—	—	—	1435
डाक तथा तार	3015	—	—	3015	3881
अन्य संचार	20	—	—	20	105
प्रसारण	210	—	—	210	194
परिवहन तथा संचार	**39715**	**6925**	**833**	**47473**	**34206**
सामान्य शिक्षा	2835	10469	1062	14366	2403
तकनीकी शिक्षा	1710	1244	60	3014	1540

2.2 (जारी)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
46575	**1588**	**55308**	**5178**	**46691**	**1767**	**53636**
2401	31	51424	43738	3038	76	47219
408	1			365	2	
1562	83	4298	2655	1622	105	4382
4371	**115**	**55722**	**46393**	**5025**	**183**	**51601**
—	—	19868	16441	—	—	16441
5152	760	11086	3953	4816	870	9639
1580	133	1728	6	1416	176	1598
119	21	1401	1653	123	28	1804
—	—	63	1090	—	—	1090
283	39	404	327	148	17	492
—	—	63	63	—	—	62
—	—	2047	1859	—	—	1859
73	10	111	165	104	18	287
—	—	1435	1485	—	—	1485
—	—	3881	3944	—	—	3944
—	—	105	164	—	—	164
—	—	194	491	—	—	491
7217	**963**	**42386**	**31640**	**6607**	**1109**	**39356**
3633	**343**	**6380**	**1992**	**5029**	**565**	**7586**
948	**59**	**2547**	**1617**	**913**	**71**	**2601**

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्य कार्यक्रम	1	1	1	1	1
अमुक अनुसंधान	2391	—	—	2391	1454
स्वास्थ्य .	660				703
परिवार नियोजन	824	6951	1261	9746	1338
जल संभरण .	50				14
आवास					959
	1513	1723	415	3651	
शहरी विकास					492
पिछड़े वर्ग का कल्याण .	1205	1497	99	2801	1504
समाज कल्याण	326	204	33	563	218
दस्तकार प्रशिक्षण तथा श्रम कल्याण .	1121	786	49	1956	668
वन-पहयोग	33	—	—	—	580
ग्राम निर्माण	843	—	—	843	750
5. समाज सेवाएँ	**13511**	**22874**	**2972**	**39364**	**12623**
6. अन्य कार्यक्रम	**1601**	**1530**	**418**	**3549**	**1384**
कुल योग	114107	112920	5887	232914	112459

[1]सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित हैं ।

[2]पुनर्वास के अंतर्गत इसमें 11.91 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

2·2 (जारी)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1	1	52	66	2	120
—	—	1454	1582	–	—	1582
3602	177	5820	762 2653	3528 172	205 20	4495 2845
2526	346	2886	24	2856	451	3331
776	308	2043	849	687	232	1768
128	1	621	427	145	1	573
816	57	2377	1401	919	61	2381
92	20	330	241	112	21	374
399	18	1085	699	429	23	1151
4	1	585	11	5	—	16
—	—	750	650	—	—	650
12924	1331	26878	12950	14861	1652	29473
1,076	270	2730	1474	1368	289	3131[2]
99137	4855	216451	103024	100142	5817	208983

परिशिष्ट 2.3

राज्य-योजना परिव्यय तथा व्यय :

1965–66 से 1967–68

(करोड़ रुपये)

राज्य	1965–66 वास्तविक	1966–67 वास्तविक	1967–68		कोष्ठक 4 से कोष्ठक 5 में प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा कमी (–)
			परिव्यय	वास्तविक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आन्ध्र प्रदेश	101.75	93.59	68.98	66.30	(–) 3.9
असम .	30.23	27.17	30.00	30.52	(+) 1.7
बिहार .	34.85	79.96	66.36	68.88	(+) 3.8
गुजरात .	57.35	60.67	72.56	65.12	(–) 10.3
हरियाणा .	[1]	22.65	24.16	26.74	(+) 10.6
जम्मू तथा कश्मीर	16.94	16.98	20.25	20.43	(+) 0.9
केरल .	51.10	43.38	42.63	46.20	(+) 8.4
मध्य प्रदेश .	71.35	55.92	60.38	54.26	(–) 10.1
महाराष्ट्र .	140.60	117.86	122.38	126.77	(+) 3.6
मैसूर .	56.96	54.94	60.25	64.24	(+) 6.6
नागालैण्ड .	4.87	4.82	6.25	5.84	(–) 6.6
उड़ीसा .	57.76	47.05	46.00	46.86	(+) 1.9
पंजाब .	71.43	31.26	42.00	43.40	(+) 3.3
राजस्थान .	53.54	48.75	43.00	40.53	(–) 5.7
तमिलनाडु .	84.74	82.62	77.28	87.64	(+) 13.4
उत्तर प्रदेश .	172.31	150.70	156.04	154.28	(–) 1.1
पश्चिम बंगाल	73.33	53.03	60.87	53.41	(–) 12.3
कुल : .	1129.20	991.37	999.39	1001.42	(+) 0.2

[1]ये पंजाब के अंतर्गत सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 2.4

संघ शासित क्षेत्र—योजना परिव्यय तथा व्यय :

1965–66 से 1967–68

(लाख रुपये)

संघ शासित क्षेत्र	1965-66	1966-67	1967–68		कोष्ठक 4 से कोष्ठक 5 में प्रतिशत (+) वृद्धि तथा कमी (—)
	वास्तविक	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह .	121	106	278	125	(—) 55.0
चंडीगढ़ .	956	192	103	219	(+) 112.6
दादरा तथा नगर हवेली .	25	24	34	27	(—) 20.6
दिल्ली .	2382	2187	2775	2251	(—) 18.9
गोआ, दमन इयू	527	522	840	770	(—) 8.3
हिमाचल प्रदेश	740	946	1572	1379	(—) 12.3
लकादिव, अमिन-दिव तथा मिनिकाय द्वीप समूह .	22	44	56	28	(—) 50.0
मणिपुर .	323	209	292	263	(—) 9.0
नेफा .	233	202	250	205	(—) 18.0
पाण्डिचेरी .	167	142	218	168	(—) 23.0
त्रिपुरा .	391	281	500	382	(—) 23.6
कुल .	5887	4855	6918	5817	(—) 15.9

परिशिष्ट 2.5

चुनौती भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां : 1967-68

मद	एकक	1966-67		1967-68
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कृषि उत्पादन				
खाद्यान्न .	दस लाख मी० टन	74.23	100 00	95.59
कपास .	180 किलो की गांठे दस लाख मे	4.97	7.00	5.56
गन्ना (गुड़) .	दस लाख मी० टन	9.50	12.00	9.96
तिलहन . .	वही	6.43	9.00	8 24
जूट . .	180 किलो की गांठे दस लाख में	5.36	7.50	6 37
प्रयुक्त उर्वरक				
नाइट्रोजनीय (एन) .	हजार मीट्रिक टन	840	1350	1035
फास्फेटिक ($पी_2ओ_5$)	वही	250	500	446
पोटासिक ($के_2ओ$)	वही	115	300	204
उन्नत बीजों के अंतर्गत क्षेत्र				
अधिक उपज वाली किस्में (खाद्यान्न) .	दस लाख एकड	4.66	15.0	14.96
पौध संरक्षण .	वही	60	126	90
लघु सिंचाई	दस लाख एकड	3.4	3.5	3.0
क्षमता .	दस लाख हैक्टर	7.6	8.5	8.1
उपयोग . .	वही	6.0	7.0	6.7
बिजली				
स्थापित क्षमता (संचित) .	दस लाख किलोवाट	11.47	13.50	13.13
ग्राम बिजलीकरण (संचित)	संख्या	53406	—	62237
बिजलीकृत पम्प .	संख्या हजार में	651	792	852

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उद्योग तथा खनिज उत्पादन विक्रय के लिए कच्चा				
लोहा . .	दस लाख मी० टन	1.0	1.2	1.12
इस्पात की सिलें .	वही	6.6	7.5	6.31
धातु तथा अन्य भारी यांत्रिक उपकरण .	हजार मी० टन	14.3	20.0	14.66
मशीनी औजार (व्यवस्थित क्षेत्र, अनुभंगी सहित)	करोड़ रुपये	29.95	29.0	23.50
औद्योगिक मशीनरी[2] .	वही	38.6	4.50	36.96
छेदन उपकरणों सहित . कोयला तथा अन्य खनन मशीनरी	हजार मी० टन	7.0	10.0	7.3
व्यापारिक वाहन .	संख्या हजार में	35.6	40.0	31.0
विद्युत चालित पम्प .	वही	319.7	325.0	331.56
कृषि उपकरण .	वही	8.8	13.0	11.39
सल्फ्यूरिक अम्ल .	हजार मी० टन	702.0	850.0	912.9
सीमेंट . .	दस लाख मी० टन	11.1	13.2	11.48
सूती वस्त्र (मिल निर्मित)	दस लाख मी० टन	4202	4200	4258
जूट की वस्तुएं .	हजार मीट्रिक टन	1117	1400	1156
चीनी . .	लाख मी०टन	21.5	22.0	22.48
उर्वरक				
नाइट्रोजनीय (एन के रूप में)	हजार मी० टन	308	520	367
फास्फेटिक ($पी_2 ओ_5$ के रूप में)	वही	145	266	190
कोयला . .	लाख मी० टन	68.6	72.5	68.52
पेट्रोलियम (कच्चे पैट्रोलियम सहित)	वही	11.9	14.2	14.4
ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग हथकरघा, विद्युत हतकरघा तथा खादी	दस लाख मी० टन	3180	3300	3260

[2]इसमें कपास, पटसन, चीनी, कागज और गूदा तथा सीमेन्ट मशीनरी शामिल है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
औद्योगिक बस्तियां (पूर्ण)	संख्या	336	360	361
परिवहन तथा संचार :				
रेलवे माल भाड़ा–मूल-यातायात . .	दस लाख मीट्रिक टन	201.6	210.2	196.6
रेल के डिब्बों की उपलब्धि (अतिरिक्त)				
लोकोमोटिव .	संख्या	292	319	308
वैगन (4 पहियों के रूप में)	वही	21207	19321	17634
कोच . .	वही	1264	1523	1258
जहाजरानी .	लाख जी० आर० टी०	18.7	21.0	18.0
मुख्य बन्दरगाह :				
गत यातायात . .	मीलियन मीट्रिक टन	53.2	56.0	55.7
टेलीफोन संयोजन .	संख्या लाख में (अतिरिक्त)	75086	126000	85000
शिक्षा :				
पाठशालाओं में अतिरिक्त नामांकन (6–17 वर्ष आयु वर्ग) .	संख्या लाख में	39.4	44.0	30.9
तकनीकी शिक्षा —				
प्रवेश क्षमता				
डिप्लोमा .	संख्या (अतिरिक्त)	531	–	
डिग्री स्तर .	वही	311	–	–
स्वास्थ्य :				
अस्पतालों में शय्याएं	हजार संख्या	247	255	250
कार्यरत चिकित्सक .	वही	90	–	96
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	4606	4873	4759
आवास :				
निर्मित मकान/आवास	हजार संख्या (अतिरिक्त)	23.5	26.3	21.1

परिशिष्ट 2.6

1967–68 में केन्द्र तथा राज्यों में योजना परिव्यय के लिए धन की व्यवस्था

(करोड़ रुपये)

	मूल अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान [1]			वास्तविक		
	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
क. योजना परिव्यय . . .	1236[2]	1010[2]	2246[2]	1205	1000	2205	1089	1001	2090
ख. योजना परिव्यय के लिए धन की व्यवस्था									
1. घरेलू बजट साधन									
1965-66 की कराधान दरों पर वर्तमान राजस्व का बकाया . . .	173	73	246	−17	6	−11	23	48	71
(2) 1965-66 की किराए तथा मालभाड़े की दरों पर रेलवे का अंशदान	−29	—	−29	−62	—	−62	−62	—	−62

[1] जैसा कि जुलाई, 1968 में तैयार किया गया था।

[2] 1967-68 की वार्षिक योजना तैयार करते समय अनुमोदित रूप में/आलोच्य वर्ष में किए गए कुछ समायोजनों के परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्यों के अनुमोदित परिव्ययों को संशोधित कर क्रमश: 1241 करोड़ रुपए तथा 999 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस प्रकार कुल संशोधित परिव्यय 2240 करोड़ रुपया हो गया।

परिशिष्ट 2.6 (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(3) अन्य सरकारी उद्यमों का अधिशेष जिसमें योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए उठाए गए कदमों की उपलब्धि सम्मिलित नहीं है। .	168	71	239	119	55	174	114	63	177
(4) अतिरिक्त कराधान जिसमें सरकारी उद्यमों के अधिशेष को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम भी सम्मिलित हैं[3]									
(क) केन्द्र द्वारा उठाए गए कदम (रेलवे सहित)									
(1) 1966-67 के कदम .	115	40	155	107	37	144	107	37	144
(2) 1967-68 के कदम . .	106	19	125	90[4]	17	107	90[4]	17	107
(ख) राज्यों द्वारा उठाए गए कदम									
(1) 1966-67 के कदम . .	—	26	26	—	23	23	—	23	23
(2) 1967-68 के कदम . .	—	26	26	—	25	25	—	23	23
(5) जनता से ऋण (शुद्ध) . .	95	109	204	93	107	200	126	98	224
(6) अल्प बचत . . .	35	101	136	36	74	110	43	80	123
(7) स्वर्ण बांड, इनामी बांड तथा अनिवार्य जमा	−3	—	−3	−1	—	−1	—	—	—
(8) वार्षिकी जमा . . .	22	—	22	28	—	28	35	—	35
(9) राज्य भविष्य निधियां . .	55	30	85	74	46	120	75	38	113

(10) प्रकीर्ण पूंजी आय (शुद्ध) .	94	−144	−50	186	−152	34	126	−208	−82
कुल—1 . . .	831	351	1182	653	238	891	677	219	896
2. बाहरी सहायता के अनुरूप बजट-आय[5]									
(1) पी० एल० 480 के अतिरिक्त .	712	—	712	590	—	590	597	—	597
(2) पी० एल० 480 की सहायता .	284	—	284	365	—	365	373	—	373
कुल—2 . . .	**996**	—	**996**	**955**	—	**955**	**970**	—	**970**
3. राज्य योजनाओं के लिए सहायता .	−590	590	—	−595	595	—	−580	580	—
4. केन्द्र से राज्यों को तदर्थ ऋण . .	—	—	—	−108	108	—	−118	118	—
5. कुल—बजट साधन . . .	**1237**	**941**	**2178**	**905**	**941**	**1846**	**949**	**917**	**1866**
6. घाटे की वित्त-व्यवस्था . . .	**−1**	**15**	**14**	**300**	**59**	**359**	**140**	**84**	**224**
7. कुल साधन	**1236**	**956**	**2192**	**1205**	**1000**	**2205**	**1089**	**1001**	**2090**
8. साधनों की कमी . . .	—	54[6]	54[6]	—	—	—	—	—	—

[3]कर छूट के कारण शुद्ध हानि।

[4]इसमें 1968-69 के बजट को प्रस्तुत करते समय घोषित सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के परिवर्तनों की अनुमानित आय भी सम्मिलित है।

[5]सरकारी उद्यमों में विदेशी अंशदाताओं के निवेश तथा विदेशी ऋणों के संबंध में उद्यमों की पुनः अदायगी को ध्यान में रखे बिना उद्यमों के अंशदान का पता लगाने पर इनको ध्यान में रखा गया था।

[6]इस कमी को पूरा करने के लिए कदमों का निर्धारण बाद में किया जाना था।

परिशिष्ट 3.1

कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय तथा व्यय—1967–68 (केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र)

(करोड़ रुपये)

मद	परिव्यय				वास्तविक			
	कुल	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	कुल	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
कृषि उत्पादन . .	96.79	33.58	60 18	3.03	66.67	13.03	51.70	1.94
आयकर विकास .	6.39	1.25	5.14	—	2.63	—	2.63	—
लघु सिंचाई . .	108.20	4.21	102.26	1.73	106.53	1.72	103.58	1.23
भूमि संरक्षण . .	24 37	2.97	20.73	0.67	27.37	2.34	24.56	0.47
पशु पालन . .	22.30	1.18	19.04	1.17	11.94	1.97	9.50	0.47
दुग्ध उद्योग तथा दुग्ध संभरण		0.91			7.24	0.57	6.57	0.10
वन . . .	16.33	4.66	9.66	2.01	14.14	3.36	9.04	1.74
मत्स्य पालन . .	17.57	8.13	8.85	0 59	9.38	1.13	7.92	0.33
भण्डार, विपणन तथा भण्डारण	3.39	2.48	0.83	0.08	2.21	1.30	0.88	0.03

उपयोग-कृषि कार्यक्रम .	**295.34**	**59.37**	**226 69**	**9.28**	**248.11**	**25.42**	**216.38**	**6.31**
सहकारिता . .	47.26	36.09[1]	10.50	0.67	38.29	27.99	9.76	0.54
सामुदायिक विकास .	30.84	0.62	28.93	1.29	31.45	0.38	28.94	1.19
पंचायतें . .	1.71	0.20	1.32	0.19			0.82	0.12
कुल: कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास तथा पंचायत .	375.15	96.28	267.44	11.43	317.85	53.79	255.90	8.16

[1]इसमें कृषि पुनर्वित निगम के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपए तथा भूमि बंधक बैंकों के लिए 15 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं ।

अनुबन्ध 7.1

महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण

(1) नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश)

परियोजना की पुनरीक्षित लागत 164.9 करोड़ रुपये आंकी गई है। परियोजना की पूरी सिंचाई क्षमता 831,580 हैक्टर है। 1967-68 के दौरान 121 करोड रुपए व्यय किए गए जिससे कुल व्यय 133 करोड रुपए हो गया। 1967-68 के अन्त तक 263,170 हैक्टर-क्षमता पैदा की गई तथा उपयोग 24,290 हैक्टर हो गया।

(2) कोसी (बिहार)

कोसी बहूद्देशीय परियोजना की लागत का पुनरीक्षित प्राक्कलन लगभग 92 करोड रुपये है जिसमें से 60 करोड रुपए सिंचाई के लिए तथा 32 करोड़ रुपए बा नियन्त्रण के लिए है। इस परियोजना से लगभग 568,800 हैक्टर क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। 1966-67 के अन्त तक कुल 64 करोड़ रुपए व्यय हुए जिसमें से 39 करोड़ रुपए सिंचाई पर तथा शेष 25 करोड़ रुपए बाढ़ नियन्त्रण पर व्यय किए गए। 1967-68 के दौरान 3 करोड़ रुपए सिंचाई पर तथा 1 करोड रुपए बाढ़ नियन्त्रण पर खर्च किए गए। 1967-68 के अन्त तक 404,000 हैक्टर क्षमता पैदा की गई तथा 161,000 हैक्टर उपयोग किया गया।

(3) गंडक (बिहार तथा उत्तर-प्रदेश)

यद्यपि इस परियोजना से नेपाल को भी कुछ लाभ होगा तथापि यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों का सम्मिलित उपक्रम है। परियोजना का कुल पुनरीक्षित लागत 159 करोड़ रुपए है जिसमें बिहार का अंश 95 करोड़ रुपए, उत्तर-प्रदेश का 51 करोड रुपए तथा नेपाल का 13 करोड़ रुपए है। अन्तिम सिंचाई क्षमता 1,490,000 हैक्टर है जिसमें से 1,150,000 हैक्टर बिहार में, 290,000 हैक्टर उत्तर प्रदेश में तथा 50,000 हैक्टर नेपाल में है। परियोजना के नेपाली क्षेत्र के कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता अनुदानों के रूप में दी गई है। 1966-67 के अन्त तक 36.6 करोड़ रुपए व्यय हुए जिसमें से 27.3 करोड़ रुपए बिहार में तथा 9.3 करोड रुपए उत्तर प्रदेश में व्यय हुए। 1967-68 में 14.2 करोड़ रुपए व्यय हुए जिसमें से 9.3 करोड़ रुपए बिहार में तथा 4.9 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में व्यय हुए। आशा है बांध का काम जून, 1969 तक पूरा होगा तथा चौथी योजना अवधि से इस परियोजना के लाभ प्राप्त होने लगेंगे।

(4) चम्बल परियोजना (मध्य-प्रदेश तथा राजस्थान)

बहूद्देशीय चम्बल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का सम्मिलित उपक्रम है। परियोजना के तीन चरणों में ये सम्मिलित हैं—गान्धीसागर बांध, प्रतापसागर बांध, कोटा बांध, कोटा बांध तथा नहर-सिस्टम का निर्माण बिजली सहित समस्त परियोजना

की लागत 134 करोड़ रुपए है जिसमें से 86 करोड़ रुपए सिंचाई पर लगने का अनुमान है—48 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश तथा 36 करोड़ रुपए राजस्थान में। 1967-68 तक परियोजना की सिंचाई मद पर 66 करोड रुपए लगे जिसमें से 44 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में तथा 22 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च हुए। 566,000 हैक्टर अन्तिम सिंचाई क्षमता की तुलना मे 1967-68 के अन्त तक 330,000 हैक्टर क्षमता पैदा की गई जिसमें से 142,000 हैक्टर का उपयोग हुआ। प्रथम चरण के कार्य को अच्छी प्रगति हुई है। गांधीसागर बिजलीघर नवम्बर, 1960 में चालू हो गया था। गांधीसागर बांध 1962 में पूरा हुआ। मुख्य नहर का काम समाप्त हो गया है जब कि शाखा-नहरो तथा वितरण-व्यवस्था का काम चालू है।

(5) परम्बिकुलम अलियार (तमिलनाडु)

यह एक बहूद्देशीय परियोजना है। इसके अन्तर्गत सात बांधों, एक बीयर, कई परस्पर-सम्बद्ध सुरंगो, मुख्य नहर तथा वितरण नालियों का निर्माण सम्मिलित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत 67.5 करोड रुपए है जिसमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की लागत 50 करोड़ रुपए तथा बिजली के कार्यों की लागत 17 5 करोड रुपए है। 1966-67 के अन्त तक परियोजना के सिंचाई से सम्बन्धित कार्यों पर 33.6 करोड़ रुपये खर्च हुए तथा 1967-68 में 2·5 करोड़ रुपये परियोजना की अन्तिम सिंचाई क्षमता 97,000 हैक्टर है। 1967-68 के अन्त तक 58,000 हैक्टर क्षमता पैदा हुई तथा 27,000 हैक्टर का उपयोग हुआ।

(6) तुंगभद्रा निम्नस्तर नहर (आंध्र प्रदेश तथा मैसूर)

यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर का सम्मिलित उपक्रम है जिसकी केवल सिंचाई की लागत अनुमानतया 50 करोड रुपए है। परियोजना की अन्तिम सिंचाई क्षमता 332,400 हैक्टर है। 1966-67 के अन्त तक 43 करोड रुपए व्यय हुए तथा 1967-68 में फिर 1.2 करोड रुपए व्यय हुए। वितरण नालियो के कुछ भाग के निर्माण तथा कुछ जल मार्गों के निर्माण को छोडकर अन्य अधिकाश कार्यपूर्ण हो गए है। 1967-68 के अन्त तक 270,790 लाख हैक्टर क्षमता पैदा की गई तथा 223,100 हैक्टर उपयोग किया गया। यह वास्तव में एक अच्छा रिकार्ड है।

(7) महानदी डेल्टा (उड़ीसा)

महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना की लागत अनुमानतया 34.34 करोड़ रुपए है। पूर्ण हो जाने पर परियोजना मे लगभग 651,000 हैक्टर क्षेत्र पर सिंचाई होगी। 1966-67 के अन्त तक 24 करोड रुपए व्यय हुए तथा 2.7 करोड़ रुपए 1967-68 में व्यय हुए। 1967-68 के अन्त तक 372,000 हैक्टर क्षमता पैदा हुई तथा 324,000 हैक्टर का उपयोग हुआ। यह एक अच्छा रिकार्ड है।

(8) राजस्थान नहर (राजस्थान)

राजस्थान नहर परियोजना में हारिके बांध (सतलज नदी पर) से निकलने वाली राजस्थान फीडरमुख्य राजस्थान नहर तथा जल वितरण व्यवस्था सम्मिलित है। परियोजना का काम दो चरणों में चल रहा है। परियोजना के चरण-1 की पुनरीक्षित

लागत 84 करोड़ रुपए है जिसकी अन्तिम सिचाई क्षमता 526,000 हैक्टर है। 1966-67 के अन्त तक परियोजना पर 47 करोड़ रुपए व्यय हुए तथा 1967-68 में 3 करोड़ रुपए और व्यय किए गए। 1967-68 के अन्त तक 133,000 हैक्टर क्षमता पैदा की गई तथा 80,000 हैक्टर का उपयोग हुआ।

(9) कंसावती (पश्चिम बंगाल)

मूलतः 25.26 करोड रुपए की मंजूरी की तुलना में परियोजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन 45 करोड रुपए है। 1966-67 के अन्त तक 17 करोड रुपए व्यय हुए। 1967-68 के दौरान 3.35 करोड़ रुपए और व्यय हुए। अन्तिम सिचाई क्षमता 384,810 हैक्टर है। 1967-68 के अन्त तक 54,000 हैक्टर क्षमता पैदा की गई तथा 51,000 हैक्टर का उपयोग हुआ। चौथी पचवर्षीय योजना मे काफी हद तक संभावना है, यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

परिशिष्ट 8·1

अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता के लक्ष्य तथा उपलब्धियां: 1967-68

राज्य/परियोजना	अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (मेगावाट)		कमी के मुख्य कारण
	लक्ष्य	उपलब्धियां	
(1)	(2)	(3)	(4)
आन्ध्र प्रदेश			
अपर सिलेरु	60	120	
कोठागुदम चरण-2	120	120	
असम			
उमिम चरण-2	2.8	—	बनाने में देरी
बिहार			
बरौनी विस्तार	50	—	पाकिस्तान द्वारा अधिकृत उपकरणों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में देरी।
पाथरातू	100	50	बनाने में देरी
जम्मू तथा कश्मीर			
कालाकोटे	7.5	—	कूलिंगटावर और साज सामान को नुकसान।
दायमेन (श्रीनगर)	—	5	
केरल			
शोलार	36	18	बाहर से इरेक्टर के आने में देरी हुई। एक्क चालू हो चुका है।
सबरीगिरि	150	150	
मध्य प्रदेश			
सतपुड़ा[1]	125	125	
कोर्बा	100	100	

[1]संयुक्त परियोजनाएं।

परिशिष्ट-8·1-(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)
महाराष्ट्र			
पूर्णा . .	22.5	7.5	बनाने में देरी।
कोयना चरण-2 .	75	75	एकक चालू हो चुका है।
पारस . .	—	62.5	
मैसूर			
शारावती . .	267.3	178.2	बनाने में देरी।
उड़ीसा			
तलचेर . .	125.0	62.5	
पंजाब			
भाखड़ा का दायां किनारा[1] .	240	120	बनाने में देरी।
राजस्थान			
राणाप्रताप सागर[1] .	—	43	
तमिलनाडु			
परम्बिकुलम . .	130	—	निर्माण कार्य तथा पोत लदान में देरी।
नेवेली . .	100	100	
उत्तर प्रदेश			
ओबरा 'थरमल' . .	100	100	
कानपुर (पंकी) . .	64	64	
हरदुआगंज चरण-3 .	50	50	
हिन्दुस्तान ऐल्यूमिनियम .	—	62.5	
पश्चिम बंगाल			
जलढाका . .	9	18	
दिल्ली			
इन्द्रप्रस्थ स्टेशन विस्तार .	125	125	
कुल . . .	2059·1	1756·2	

[1]संयुक्त परियोजनाएं

परिशिष्ट 8.2

बिजली के अन्तर्गत योजना परिव्यय तथा व्यय—केन्द्र, राज्य यथा संघ शासित क्षेत्र :

1967-68

(लाख रुपय)

	योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)
राज्य		
आन्ध्र प्रदेश	2384	2730
असम	700	853
बिहार	1900	1715
गुजरात	1457	1463
हरियाणा	995	1231
जम्मू तथा कश्मीर	485	515
केरल	1285	1641
मध्य प्रदेश	1750	1517
महाराष्ट्र	3568	3756
मैसूर	1805	2020
नागालैंड	78	58
उड़ीसा	978	1078
पंजाब	1870	2173
राजस्थान	1494	1394
तमिल नाडु	2910	3370
उत्तर प्रदेश	5990	6344
पश्चिम बंगाल	1000	652
कुल—राज्य . . .	30649	32 510

परिशिष्ट-8.2—(जारी)

(1)	(2)	(3)
संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह . .	24	13
चण्डीगढ़	—	12
दादर तथा नगर हवेली	4	3
दिल्ली	1000	924
गोवा, दमन, तथा द्वीव	128	150
हिमाचल प्रदेश	255	395
लकादिव, मिनिकाय तथा अमिनदीव द्वीपसमूह .	3	3
मणिपुर	28	25
नेफा	15	12
पाडिचेरी	25	16
त्रिपुरा	70	63
कुल—संघ शासित क्षेत्र . .	1552	1616
केन्द्रीय योजना		
सिचाई तथा बिजली मन्त्रालय . . .	155	
दामोदर घाटी निगम (केन्द्र का भाग) . .	509	
बदरपुर	400	
नेवेली	1250	
परमाणु ऊर्जा स्टेशन	3950	
कुल—केन्द्र . . .	6264	5042
कुल योग	38465	39168

परिशिष्ट 9.1

योजना व्यय की प्रगति—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के अन्तर्गत योजनावार—केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र : 1966-67 तथा 1967-68

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1966-67			1967-68					
	व्यय			परिव्यय			व्यय		
	केन्द्र तथा केन्द्र संचालित	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	कुल	केन्द्र तथा केन्द्र संचालित	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	कुल	केन्द्र तथा केन्द्र संचालित	राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
हथकरघा उद्योग	0.40	4.69	5.09	0.33	3.66	3.99	0.34	4.03	4.37
विद्युत चालित करघे	—	—	—	—	0.83	0.83	—	0.15	0.15
खादी तथा ग्रामोद्योग	18.11	0.49	18.60	16.04	0.28	16.32	18.32	0.35	18.67
रेशम उद्योग	0.29	0.69	0.98	0.30	1.04	1.34	0.31	0.99	1.30

परिशिष्ट 9·1—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नारियल जटा उद्योग	0 11	0 22	0 33	0 11	0 30	0 41	0 26	0 30	0 56
दस्तकारी	0 59	0 76	1 35	0 76	1 15	1 91	0 51	0 91	1 42
छोटे उद्योग	4 80	7 17	11 97	4 86	8 05	12 91	4 89	8 10	12 99
औद्योगिक बस्तिया	—	2 43	2 43	—	2 62	2 62	—	2 44	2 44
ग्रामोद्योग परियोजनाए	2 23	—	2 23	2 28	—	2 28	1 92	—	1 92
कुल	**26 53**	**16·45**	**42 98**	**24 68**	**17 93**	**42 61**	**26 55**	**17 27**	**43 82**

परिशिष्ट 9.2

राज्य : ग्रामउद्योग तथा लघु उद्योग के अन्तर्गत परिव्यय तथा व्यय : 1967-68

(लाख रुपये)

राज्य	परिव्यय	व्यय
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	96	80
असम	54	56
बिहार	50	47
गुजरात	59	39
हरियाणा	40	28
जम्मू तथा कश्मीर	45	40
केरल	170	169
मध्य प्रदेश	75	67
महाराष्ट्र	125	131
मैसूर	95	86
नागालैंड	15	14
उड़ीसा	70	71
पंजाब	140	237
राजस्थान	13	8
तमिल नाडु	345	316
उत्तर प्रदेश	124	127
पश्चिम बंगाल	104	106
कुल	1620	1622

परिशिष्ट 9.3

संघ शासित क्षेत्र : ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के अन्तर्गत परिव्यय तथा व्यय : 1966-68

(लाख रुपये)

संघ शासित क्षेत्र	1966-67		1967-68	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह . .	2.00	1.49	4.13	2.23
चण्डीगढ़ . .	—	—	5.00	—
दादर तथा नगर हवेली .	1.00	—	1.00	0.63
दिल्ली . .	81.00	46.33	67.00	50.48
गोवा, दमन तथा द्वीव .	13.00	/	17.00	/
हिमाचल प्रदेश . .	31.00	12.21	39.30	16.77
लकादिव, मिनिकाय तथा अमिनदीव द्वीपसमूह .	1.00	0.22	1.00	0.81
मणिपुर . .	13.00	4.00	8.00	6.06
नेफा . .	9.00	4.14	7.00	6.82
पाण्डिचेरी . .	7.00	6.00	12.00	9.00
त्रिपुरा . .	20.00	8.71	11.26	12.05
कुल .	178.00	83.10	172.69	104.85

/ ये बड़े तथा मध्यम उद्योगों में सम्मिलित है ।

परिशिष्ट 10·1

उद्योग तथा खनिज : 1966-67 तथा 1967-68 में उपलब्ध क्षमता तथा उत्पादन

उद्योग	एकक	1966-67 (वास्तविक)		1967-68 (लक्ष्य)		1967-68 (वास्तविक)	
		क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इस्पात तथा अलोह धातु							
लोहा तथा इस्पात							
इस्पात की मिलें	दस लाख मा० टन	7 6	6 61	8 9	7 5	8 60	6 31
तैयार इस्पात	—वही—	5 5	4 43	6 5	5 7	6 30	4 15
विक्रय के लिए कच्चा लोहा	हजार मा० टन	1 2	1 01	1 2	1 2	1 20	1 12
मिश्रधातु, ओजार तथा विशेषक इस्पात	—वही—	50 0	41 9	90 0	70 9	50 00	52 2
एल्यूमिनियम	—वही—	9 3	88 4	113 0	113 0	115 80	100 40
तांबा	—वही—	9 6	9 1	9 6	9 3	9 60	9 2
जस्ता	—वही—	—	—	23 5	12 5	38 00	2 99
सीसा	—वही—	5 1	2 5	5 1	3 0	5 4	2 5

परिशिष्ट 10.1—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इंजीनियरी उद्योग							
इस्पात की गढ़ाई (मिश्र इस्पात सहित)	—वही—	128 4	51 49	182 0	75 0	130 20	52 74
इस्पात की ढलाई	—वही—	79 7	51 9	132 0	60 0	100 80	47 68
क्रेन	—वही—	25 0	9 2	25 6	10 0	32 0	7.00
इस्पात तार के रस्से	—वही—	21 84	13 19	34 4	15 0	31 44	15 00
पाइप तथा ट्यूब (लोहस)							
ढले लोहे की पाइपें .	—वही—	382 54	223 00	500 0	270 0	406 51	170 60
इस्पात की पाइपें तथा ट्यूबें (काली तथा जस्ती ट्यूबों, इ० आर० डब्ल्यू० तथा सीवनहीन ट्यूबो सहित) . .	—वही—	378 78	297 24	484 0	408 0	468 68	267.36
बाल तथा बेलन-बेयरिंग	संख्या दस लाख में	11 6	9 2	14 0	12 0	12 14	10.58
औद्योगिक मशीनरी							
धातु तथा अन्य भारी यांत्रिक उपकरण .	हजार मी० टन	65 0	14 3	100·0	20 0	85 00	14 66
कोयला तथा अन्य खनन मशीनरी (छेदन उपकरणों सहित) . .	—वही—	45 0	7 0	45 0	10 0	45.00	7.30
सूती वस्त्र मशीनरी . .	रु० दस लाख में	400 00	180 0	400 0	200 0	400 0	150.00

पैटेसन मशीनरी . . .	—वही—	50.0	25.0	50.0	40.0	50.00	25.0
कागज तथा लुगदी की मशीनरी .	—वही—	64.0	23.0	64.50	30.0	59.00	23.50
चीनी की मशीनरी . .	—वही—	146 0	94 0	100.00	80.0	148 70	105.80
सीमेन्ट मशीनरी . . .	—वही—	239 0	64 0	190 00	100.0	230 00	65.80
छपाई की मशीनरी . .	—वही—	4.60	1.30	4.6	2.0	4.80	1.40
दुग्ध मशीनरी . . .	—वही—	25.70	9 00	25.70	10.0	25.70	12.0
मशीनी औजार (संगठित क्षेत्र उप-साधनों सहित) . . .	—वही—	450 00	299 50	453 0	290.0	453 00	235.00
निर्माण उपकरण							
उत्खनक तथा फावड़ा . .	संख्या	130	66	130	75	130	70
सड़क रोलर . . .	—वही—	1600	1078	1626	1110	1600	202
औद्योगिक बायलर . .	रु० दस लाख में	100.00	41.80	100 0	45 0	—	—
औद्योगिक तथा वैज्ञानिक उपकरण							
सूक्ष्म उपकरण . . .	—वही—	80.00	61.66	210.0	100.0	180.00	68.52

परिशिष्ट 10·1—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आटोमोबाइल							
व्यापारिक वाहन	हजार संख्या	56.4	35.6	57.0	40.0	63.00	31.00
सवारी—कारें	—वही—	30.0	29.46	34.0	34.0	30.0	32.50
जीप तथा स्टेशन वैगन	—वही—	10.0	10.12	12.0	10.0	10.0	4.20
मोटर साइकिल, स्कूटर तथा मोपेड	—वही—	140.00	53.70	140.00	75.0	140.00	71.00
कृषि मशीनरी							
विद्युत चालित पम्प	—वही—	188.5	319.7	350.0	325.0	350.0	331.56
डीजल इंजन (निश्चल)	—वही—	74.06	110.0	125.0	125.0	125.0	116.60
कृषि ट्रैक्टर	—वही—	11.0	8.8	15.0	13.0	15.00	11.39
रेलवे वैगन (4 पहियों के रूप में)	—वही—	29.11	16.5	40.0	27.0	30.4	13.15
टरबाइन (वाष्प)	दस लाख किलोवाट	0.6	0.01	0.8	0.11	1.20	0.09
टरबाइन (जल)	—वही—	0.5	0.03	0.5	0.06	0.50	0.05
जनित्र (उपमीय)	—वही—	0.6	0.01	0.8	0.11	1.20	0.09
जनित्र (जल)	—वही—	0.5	0.03	0·5	0·06	0·50	0·05
बिजली के मोटर, 200 अश्व शक्ति अथवा अधिक	दस लाख अश्व शक्ति	0.24	0.06	2.55	1.25	0.80	0·10
बिजली के मोटर, 200 अश्व शक्ति	—वही—	2.24	2.08	2.5	2.5	2.24	2.02

परिणामित 33 के० वी० अथवा कम .	दस हजार के०वी०	3 0	3.0	4 0	4.0	10.62[1]	5.31
33 के०वी० से अधिक परिणामित .	--वही--	4.0	2.3	5.0	3 0	4.50	2,80
हल्के इंजीनियरी उद्योग							
बिजली के पंखे . . .	संख्या दस लाख में	1.58	1 34	1 58	1.30	1.79	1.37
रेडियो रिसीवर . . .	--वही--	0.55	0.76	0 90	0.90	0.70	0 93
बिजली के लैम्प (जी०एल०एस० तथा अन्य) . . .	--वही--	60.85	76.61	85.0	85.0	59.35	73 40
शुष्क बैटरी . . .	--वही--	282.0	358.52	450.0	450.0	450.0	314 02
बाइसाईकल . . .	संख्या हजार में	1679.0	1719 0	2000.0	2000.0	1640.0	1707.00
टाइपराइटर . . .	--वही--	66.0	45 3	66.0	52.0	66.0	45.0
भण्डारण बैटरी . . .	--वही--	795 80	752.17	900.0	900.0	1068.01	810.0
रसायन तथा संबद्ध उद्योग							
उर्वरक							
नाइट्रोजनीय (एन० के रूप मे)	हजार मी० टन	585.0	307.9	894.0	520 0	849.0	366.8
फास्फेटिक (P_2O_5 के रूप में)	--वही--	237.0	144.9	395.7	266.0	383.40	190.4

[1]दो पारी में।

परिशिष्ट 10.1—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कीट नाशक							
डी०डी०टी०	हजार मी० टन	2 8	3 1	2 8	3 0	2 80	3 10
पी०एच०सी०	—वही—	9 2	8 1	26 5	12 0	11 80	8 70
भारी रसायन							
कास्टिक सोडा . . .	—वही—	296 0	233 0	400 0	312 0	378 00	274.20
सोडा राख . . .	—वही—	363 0	348 0	431 0	370 0	398 8	374.0
सल्फ्यूरिक अम्ल . . .	—वही—	1353 0	702 0	1450 0	850 0	1828 0	912 9
कैल्सियम कार्बाइड .	—वही—	58 5	53 4	80 0	65 0	58 5	55 0
सोडियम हाइड्रो सल्फाइड .	—वही—	7 2	3 7	7 1	5 5	7 2	4 5
डाइस्टफ . . .	—वही—	10 7	6 8	12 0	8 5	12 60	7 00
काला कार्बन . . .	—वही—	31 8	17 6	31 5	24 0	31 8	24 0
पेट्रो-रसायन							
पी०वी०सी० . . .	—वही—	9 6	10 7	21 6	20 6	22 60	14 40
पोलिथाइन . . .	—वही—	17 5	11 3	28 5	14 0	17 50	10.00
पोलिस्ट्राइन . . .	—वही—	6 7	6 0	17 5	16.0	10.00	5.40
संश्लिष्ट रबड .	—वही—	30 0	22 3	30 0	16.0	30.00	22.00
कागज तथा पेपर बोर्ड . .	—वही—	711 2	580 0	723.0	650.0	730 0	629 00

अखबारी कागज . . .	—वही—	30.0	29.5	30.0	30.0	30.0	31.0
सीमेन्ट रेयन . . .	दस लाख मी० टन	12.2	11.1	15.5	13.2	13.78	11.48
तन्तु सूत (टायर डोरी सहित)[1] .	हजार मी० टन	47.5	46.6	50.0	50.0	50.50	37.50
तुल्तुक	—वही—	26.00	45.6	26.0	50.0	26.0	54.70
संश्लिष्ट रेशे							
नाइलोन तन्तु रेशे . . .	दस लाख किलोग्राम	2.2	2.0	3.4	3.0	4.00	2.50
नाइलोन टायर डोरी तथा अन्य औद्योगिक सूत . .							
पोलिस्टर रेशे . . .	—वही—	2.0	2.6	4.5	3.5	4.50	3.60
औषधि तथा औषधि निर्माण . .	रु० दस लाख में	—	1900.0	—	1900.0	—	2100.00
रंग तथा वार्निश . . .	हजार मी० टन	106.0	70.1	106.0	80.0	106.0	70.00
आटोमोबाइल टायर . .	संख्या दस लाख में	3.16	2.66	3.3	3.0	3.34	2.70
बाइसाइकल टायर . .	—वही—	20.57	20.34	20.5	20.0	20.55	22.79
कांच	हजार मी० टन	595.3	292.6	566.9	300.0	596.80	305.00
पटसन वस्त्र . . .	—वही—	1219.0	1117.0	1200.0	1400.0	1500.0	1156.00

[1]लाइसेन्स प्राप्त क्षमता 26000 मी० टन थी, परन्तु स्थापित क्षमता इससे कहीं अधिक थी।

परिशिष्ट 10·1—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सूती वस्त्र							
सूत	दस लाख किलोग्राम	16.70[2]	802.0	16.70[2]	900.0	17.09[2]	926.32
कपड़ा (मिल क्षेत्र) . .	दस लाख मीटर	2.08[3]	42.02	2.08[3]	4200	2.08[3]	4257.55
ऊनी वस्त्र . . .	—वही—	43.6	9.5	43.6	16.0	43.6	9.2
चीनी	लाख मी० टन	33.8	21.5	33.8	22.0	34.70	22.48
वनस्पति (तेल सहित) . .	—वही—	5.92	4.06	5.92	4.10	6.23	4.22
खनिज							
कोयला . . .	दस लाख मी० टन	—	68.56	—	72.5	—	68.52
खनिज लोहा . . .	—वही—	—	26.3	—	26.5	—	26.0
कच्चा तेल . . .	—वही—	—	4 8	—	6.0	—	5.80
पेट्रोलियम[4] (कच्चे पेट्रोलियम के रूप में)	—वही—	12.7	11.9	15.50	14.2	15.50	14.43

[2]क्षमता दस लाख तकुओं में दर्शायी गई है जब कि उत्पादन दस लाख मी० किलो ग्राम में दर्शाया गया है।

[3]क्षमता लाख करघों में दर्शायी गई है जब कि उत्पादन दस लाख मी० मीटर में दर्शाया गया है।

[4]ये आंकड़े पंचांग वर्ष के हैं।

परिशिष्ट 10.2

केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं पर योजना व्यय : 1967-68

(लाख रुपये)

परियोजना का नाम	योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)
इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय		
लोहा तथा इस्पात विभाग		
हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड (भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला आदि) . .	6000.00	5095 00
बोकारो इस्पात संयंत्र . . .	7500.00	5500.00
मैसूर लोहा तथा इस्पात कम्पनी . .	350.00	1157 00
खान तथा धातु विभाग		
कोयला ऐल्यूमिनियम . . .	100.00	3.37
कोर्बा ऐल्यूमिनियम . . .	500.00	38 20
हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड ज्वार खान का विस्तार	289 00	236 00
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम . .	2215.00	1882 00
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . .	1625.00	1178.00
नेवेली लिग्नाइट निगम . . .	1390.00	100 00
सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी . .	362.00	राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित
केन्द्रीय रज्जुमार्ग . . .	270.00	130.00
दुर्गापुर कोक भट्टी . . .	10.00	—
भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था .	400.00	199.72
भारतीय खान ब्यूरो . . .	10.00	0.11
हवाई सर्वेक्षण . . .	248.00	65.96
हिन्दुस्तान कापर . . .	—	72.81
कोयला नियंत्रण संगठन में उत्पादन सेल .	—	0.39
अनुसंधान समिति का मूल्यांकन . .	—	0.64

परिशिष्ट 10·2—(जारी)

(1)	(2)	(3)
औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय		
हैवी लैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल .	1169.00	959.00
भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (हरद्वार, रामचन्द्र पुरम तथा तिरूची जिनमें ए० टी० स्विचगीयर परियोजना तथा ढलाई घर भी सम्मिलित हैं) . . .	2779 00	3300.88
भारी इंजीनियरी निगम (एच० एम० बी० पी०, एच० एम० टी० पी० और एफ० एफ० पी०, राची) . . .	2906 00	2686.00
खान तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम . .	143.00	713.00
हिन्दुस्तान मशीनी औजार विस्तार (पिंजौर, कालामासरी तथा हैदराबाद) . .	255.00	441.49
नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड (आफ्थेलिमक ग्लास परियोजना) . . .	145.00	110.00
इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (कोटा तथा पालघाट)	127.00	152.00
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड . .	170.00	167.00
मशीनी औजार परियोजना (अजमेर तथा भावनगर)	106.00	87.00
हैवी प्लेट तथा वैसल्स परियोजना . .	374.00	150.00
उर्वरक तथा रसायनों के लिए निर्माणशाला .	10.00	0.02
पम्प तथा कम्प्रेसर परियोजना . .	5 00	0.54
कृषि ट्रैक्टर्स परियोजना . . .	30.00	0.21
ढलाईघर वर्धा . . .	2.10	2.22
हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड दूसरा केबल कारखाना, नरेट . .	173.00	40.00
रा फिल्म परियोजना . . .	135 00	150.00
नेफा मिलों का विस्तार . . .	275.00	152.00
भारतीय सीमेन्ट . . .	353.00	206.00
कागज तथा लुग्दी योजनाएं . .	10.00	—
साल्ट वायरी-एवं-सोडियम सल्फेट सयंत्र मण्डी और खरघोड़ा साल्ट वर्क्स . .	5.00	0.34
ट्रावनकोर टिटानियम उत्पादन . .	30.00	30.00
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास विभाग .	71.00	43.11
राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् . .	25.00	23.37
भारतीय मानक संस्थान . .	49.00	45.15

परिशिष्ट 10·2 (जारी)

(1)	(2)	(3)
बिजली के उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास संगठन . . .	—	1.89
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		
रसायन विभाग		
भारतीय उर्वरक निगम		
नामरूप उर्वरक . . .		
गोरखपुर उर्वरक . . .		
दुर्गापुर उर्वरक . . .		
सिन्दरी और राउरकेला . .		
उर्वरकों का विस्तार और आधुनिकीकरण .	1231.00	1859.00
ट्राम्बे उर्वरक . . .		
बरौनी उर्वरक . . .		
नामरूप विस्तार . . .		
मद्रास उर्वरक . . .	765.00	693.00
कोचीन उर्वरक . . .	700.00	700.00
एफ० ए० सी० टी० का चतुर्थ चरण विस्तार	215.00	175.00
संश्लेषी औषधि संयंत्र . . .	760.00	1134.00
एंटीबाइटिक्स संयंत्र . . .		
हिन्दुस्तान एंटीबाइटिक्स लिमिटेड .	66.00	64.14
फास्फाइट्स और रसायन विकास निगम (विस्तार सहित) . . .	285.00	285.00
ऐरोमैटिक एक्सट्रैक्शन संयंत्र, गुजरात .	35.00	47.50
डी० डी० टी० और बी० एच० सी० का विस्तार	57.00	44 91
हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन . .	400.00	85.00
प्लास्टिक इत्यादि के लिए प्रशिक्षण संस्थान गुंटी	10.00	—
कानपुर उर्वरक परियोजना (केवल केन्द्र का भाग)	—	47.50
पैट्रोलियम विभाग		
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग . .	4467.00	4403.40
भारतीय तेल निगम (कोचीन रिफाइनरी सहित)	2190.00	942.00
मद्रास रिफाइनरी . . .	442.00	2051.76
लूबे, इंडिया	396.00	958.94
लुब्रिजोल, इंडिया . . .	74.00	70.09
आयल इंडिया, लिमिटेड . .	38.00	666.00
हाल्दिया रिफाइनरी . . .	5.00	

परिशिष्ट 10·2 (जारी)

(1)	(2)	(3)
परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय		
हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम (शुष्क गोदी सहित) . . .	110.00	104.57
हिन्दुस्तान शिपयार्ड को सहायता . .	100.00	199.32
दूसरा शिपयार्ड, कोचीन . .	20 00	2.55
वित्त मन्त्रालय		
कोलार गोल्ड माइन्स . . .	36.59	28 37
हुट्टी गोल्ड माइन्स . . .	—	—
सुरक्षा कागज मिल . . .	207.00	101.76
नई अल्कोलायड फैक्टरी . .	30.00	0.79
आई० डी० बी०, आई० एफ० सी०, आई० सी० आई०, सी० आई० को ऋण सहायता .	4000.00	3000.00
बम्बई और अलीपुर टकसाल (क्वार्टर्स) .	—	2.54
मुद्रा नेट प्रेस . . .	—	1.06
वाणिज्य मंत्रालय		
मीट्रिक प्रणाली का सूत्रपात . .	22.00	17.70
बागान	199.00	193.63
राष्ट्रीय कपड़ा निगम . . .	—	0.80
प्रमाणु ऊर्जा योजनाएं . . .	525.00	737.06
कुल जोड़	48301.70	43738.41

परिशिष्ट 12.1

शिक्षा के अन्तर्गत योजना परिव्यय और खर्चा :

1966–68

(करोड़ रुपये)

उप-शीर्ष	1966-67 (वास्तविक)			1967-68 (बजट)			1967-68 (वास्तविक)		
	राज्यों	केन्द्र	जोड़	राज्य[3]	केन्द्र	जोड़	राज्य[3]	केन्द्र	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
प्राथमिक शिक्षा	12.36	0.16	12.52	25.45	0.24	25.69	21.74	0.17	21.91
माध्यमिक शिक्षा	11.00	2.28	13.28	17.43	1.97	19.40	15.21	0.78	15.99
विश्वविद्यालय शिक्षा	9.05	17.68	26.73	11.09	16.18	27.27	10.25	15.61	25.86
अध्यापक शिक्षा	2.57	[1]	2.57	3.62	[1]	3.62	3.19	[1]	3.19
समाज शिक्षा	0.34	0.02	0.36	0.58	0.04	0.62	0.70	0.05	0.75
सांस्कृतिक कार्यक्रम	0.49	0.51	1.00	1.36	0.75	2.11	0.68	0.52	1.20
अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम	3.97	3.38	7.35	5.61	4 04	9.65	4.85	3.31	8.16
जोड़—सामान्य शिक्षा	39.78	24.03	63.81	65.14	23.22	88.36	56.62	20.44	77.06
जोड़—तकनीकी शिक्षा	10.06	15.40	25.46	13.03	20.68	33.71	9.84	16.17	26.01
जोड़—शिक्षा	49.84	39.43	89.27	78.17	43.90	122 07[2]	66.46	36.61	103.07

[1]'अन्य कार्यक्रमों' के अन्तर्गत शिक्षा, अनुसंधान प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के कार्यक्रमों सहित।

[2]वार्षिक योजना दस्तावेज में 112 करोड़ रुपये का परिव्यय दर्शाया गया था। 42 करोड़ रुपये केन्द्र में और लगभग 70 करोड़ रुपये राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में। वर्ष के दौरान जो समंजन किया गया उसके अनुसार परिव्यय बढ़कर 122.07 करोड़ रुपये हो गया।

[3]संघ शासित क्षेत्रों सहित।

परिशिष्ट 13.1

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसन्धान के अन्तर्गत योजना परिव्यय और खर्चा : 1966–67 और 1967–68

(लाख रुपये)

	1966-67 (वास्तविक)				1967-68 (बजट अनुमान)				1967-68 (वास्तविक)			
	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	जोड	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	जोड	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
प्रमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसधान विकास)	708.43	—	—	708.43	993 79	—	—	993.79	804.71	—	—	804.71
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	697.17	—	—	697 17	759 94	—	—	759.94	684.62	—	—	684.62
शिक्षा मत्रालय (वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विकास प्रभाग)	47 98	—	—	47 98	158 09	—	—	158.09	92.63	—	—	92.63
जोड़	1453.58	—	—	1453 58	1911.82	—	—	1911.82	1581.96	—	—	1581.96

परिशिष्ट 14.1

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1967–68 के दौरान भौतिक/ लक्ष्य और उपलब्धियां

	इकाई	1965-66	1966-67	1967-68 के अन्त में स्थिति	
				लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अस्पताल में रोगी शय्याएं	संख्या	240100	246682	255482	250200
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	,,	4481[1]	4606[1]	4873	4759[1]
मेडिकल कालेज	,,	87	69	93	91
वार्षिक प्रवेश (एम० बी० बी० एस०)	,,	10520	11090	[3]	11200
दन्त कालेज	,,	13	14	[3]	15
वार्षिक प्रवेश (दन्त)	,,	506	550	[3]	575
जनशक्ति					
डाक्टर	,,	86000	90000	[3]	96000
परिचारिकाए[2]	,,	45000	50000	[3]	55000
सहायक परिचारिकाएं-दाइयां	,,	36000	41000	[3]	48000
बीमारियों का नियंत्रण					

[1]उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 875 बताई थी, परन्तु अब बताया है कि केवल 688 केन्द्र राज्य में कार्य कर रहे थे।

[2]काम कर रहे हैं।

[3]वार्षिक योजना 1967-68 के वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

परिशिष्ट 14.1 (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम					
(1) आक्रमण चरण	एकक	80.26	55 85	30.00	68 50
(2) दृढ़ीकरण चरण	,,	170.36	134 09	108.25	121.61
(3) रख रखाव चरण	,,	**142.63**	**203.31**	**255.00**	**203.14**
कुल एकक		393 25	393.25	393 25	393.25
टी० बी० नियंत्रण					
(1) क्लीनिक	संख्या	427	500	525	502
(2) प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र	,,	15	15	15	15
परिवार नियोजन					
मुख्य केन्द्र	,,				
ग्रामीण	,,	3676	4564	4784	4700
शहरी	,,	1381	1580	1760	1806
उपकेन्द्र					
(सभी ग्रामीण)	,,	7081	13550	16395	19168

परिशिष्ट 15·1

आवास के अन्तर्गत योजना परिव्यय और खर्चा– केन्द्रीय क्षेत्र:

1967–68

(लाख रुपये)

योजना का नाम	परिव्यय	वास्तविक
(1)	(2)	(3)
गोदी श्रम आवास	21.00	7.39
गंदी बस्तियों की सफाई (केन्द्र का भाग) .	430.97	301.10
भूमि अधिग्रहण और विकास . . .	2.60	—
कार्यालय और रिहायशी स्थान . .	750.00	533.00
कोशीय कंक्रीट फैक्टरियां . . .	—	—
परीक्षात्मक आवास . . .	11.00	6.66
परीक्षात्मक आवास . . .	4.00	0.40
कुल	1219.57	848.55

परिशिष्ट 15.2

आवास के अन्तर्गत योजना परिव्यय और खर्चा—राज्य और संघ शासित क्षेत्रः

1967–68

(लाख रुपये)

राज्य/संघशासित	परिव्यय	वास्तविक
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	17.00	13.00
असम	10.00	7.00
बिहार	22 00	13.00
गुजरात	53.00	49.00
हरियाणा	20.00	1.00
जम्मू और कश्मीर . . .	20.00	21.00
केरल	30.00	26.00
मध्य प्रदेश	30.00	30.00
महाराष्ट्र . . .	239.00	194.00
मैसूर . . .	44.00	45.00
नागालैण्ड . . .	10.00	10.00
उड़ीसा	31.00	32.00
पंजाब	20 00	14.00
राजस्थान	11.00	10.00
तमिलनाडु	119.00	68.00
उत्तर प्रदेश	50.00	40.00
पश्चिम बंगाल	104.00	162.00
कुल-राज्य	905.00	687 00

परिशिष्ट 15·2 (जारी)

(1)	(2)	(3)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	3.10	0.60
चण्डीगढ़	—	—
दादर और नागर हवेली . . .	—	—
दिल्ली	280.00	187.98
गोवा, दमन और दीव . . .	17.00	9.61
हिमाचल प्रदेश	8.00	11 71
लकदीव, मिनिकोय और अमिनदिव द्वीप समूह .	नगण्य	0.01
मनिपुर	6.00	6.00
नेफा	—	—
पाण्डिचेरी	17.00	14.0
त्रिपुरा	4.50	2.38
कुल—संघ शासित प्रदेश . .	335.60	232.29
कुल—राज्य और संघ शासित प्रदेश .	1240.60	919.29

परिशिष्ट 15.3

आवास : भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां:

1967–68

(आवासो की संख्या)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)
आंध्र प्रदेश	1720	241
असम	281	76
बिहार	520	656
गुजरात	2545	1997[1]
हरियाणा	—	86
जम्मू और कश्मीर . . .	400	355
केरल	362	698[1]
मध्य प्रदेश	918	313
महाराष्ट्र	3677	4036
मैसूर	2907	2115
नागालैण्ड	100[3]	100[3]
उड़ीसा	622	317
पंजाब	500	476
राजस्थान	512	512
तमिलनाडु	2230	3175
उत्तर प्रदेश	880	880
पश्चिम बंगाल	2850	2227
कुल—राज्य . . .	21024	18260

परिशिष्ट–15·3(जारी)

(1)	(2)	(3)
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	15	15[1]
चण्डीगढ़	11	—
दादर और नागर हवेली . . .	—	—
दिल्ली	4671 3700[2]	2145 486[2]
गोवा, दमन और दीव . . .	50	36
हिमाचल प्रदेश	211	342
लकादीव, मिनिकोय और अमिनदीव द्वीप समूह .	2	2
मनिपुर	185[3]	185[3]
नेफा	—	—
पाण्डिचेरी	84	71
त्रिपुरा . . .	76	46
जोड़—संघ शासित क्षेत्र . .	5305 3700[2]	2840 586[2]
जोड़—राज्य और संघ शासित क्षेत्र .	26329 3700[2]	21100 586[2]

[1]सम्भावित उपलब्धि

[2]भूमि खण्ड

[3]अनुमानित

परिशिष्ट 15.4

जल संभरण और सफाई सम्बन्धी योजना व्यय केन्द्र, राज्य और संघ शासित प्रदेश:

1967–68

(लाख रुपये)

	परिव्यय	खर्च
(1)	(2)	(3)
केन्द्र	**40.00**	**24.28**
राज्य		
आंध्र प्रदेश	235.00	183.00
असम	60.00	64.00
बिहार	228.00	207.00
गुजरात	167.00	155.00
हरियाणा	40.00	42.00
जम्मू तथा कश्मीर	90.00	78.00
केरल	120.00	141.00
मध्य प्रदेश	171.00	212.00
महाराष्ट्र	547.00	507.00
मैसूर	229.00	294.00
नागालैण्ड	36.00	37.00
उड़ीसा	63.00	63.00
पंजाब	55.00	34.00
राजस्थान	300 00	150.00
तमिलनाडु	326.00	316.00
उत्तर प्रदेश	298.00	298.00
पश्चिम बंगाल	190.00	75.00
कुल-राज्य	3155.00	2856.00

परिशिष्ट 15·4 (जारी)

(1)	(2)	(3)
संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	11.90	10.47
चण्डीगढ़	—	—
दिल्ली	365.00	249.70
दादर और नागर हवेली	1.00	0.07
गोवा दमन और दीव	75.00	119.00
हिमाचल प्रदेश	44.00	38.76
लकादीव, मिनिकोय और आमिनदीव द्वीपसमूह .	—	—
मनीपुर	13.00	9.92
नेफा	13.00	8.25
पाण्डिचेरी	14.00	11.00
त्रिपुरा	5.00	3.48
जोड़–संघ शासित क्षेत्र . .	541.90	450.65
कुल जोड़ . . .	3736.90	3330.93

परिशिष्ट 16.1

समाज कल्याण के अन्तर्गत योजना परिव्यय और खर्च—1967–68

(लाख रुपये)

(1)	परिव्यय (2)	वास्तविक (3)
केन्द्रीय क्षेत्र		
1. परिवार और बाल कल्याण योजनाएं तथा कल्याण विस्तार योजनाओं को जारी रखना . . .	63.20	61.80
2 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा ऐच्छिक संगठनों को अनुदान	67 00	60 00
3. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम :		
(1) अवकाश गृह	1 50	2.00
(2) प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के लिए समेकित पाठ्यक्रम	18 00	19.50
(3) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम . .	4.00	3.00
(4) रैन बसेरे	0.30	0 10
(5) कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी) .	2.50	2.00
(6) अन्य कार्यक्रम	8.50	5 73
4. विकलांगों के लिए कल्याण कार्यक्रम . .	9.20	11 44
5. पूर्व-व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र . . .	37.25	30.28
6. ऐच्छिक संगठनों का दृढ़ीकरण . . .	4.00	5.08
7. सामाजिक सुरक्षा		
(1) भारतीय सामाजिक और नैतिक स्वच्छता संघ को अनुदान	0.81	0.24
(2) राज्य सरकारों के परिषदोत्तर और अन्य कार्यक्रम	20.00	20.00
8. प्रशिक्षण, अनुसंधान व प्रशासन . . .	6.79	3.50

परिशिष्ट—16·1 (जारी)

(1)	(2)	(3)
9. घरों और रुग्णावासों से विस्थापितों का पुनर्वास .	18.10	11.00
10. मद्य निषेध सम्बन्धी शिक्षा . . .	2.00	1.00
11. जन सहयोग इत्यादि में अनुसंधान और प्रशिक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय संस्थान को अनुदान . . .	4.00	4.21
जोड़—केन्द्र . .	267.25	240.88
जोड़—राज्य[1] . .	142.00	112.00
जोड़—संघ शासित क्षेत्र .	35.00	21.00
कुल जोड़ .	444.25	373.88

[1] कार्यक्रम वार ब्यौरा नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट 19.1

जन सहयोग के अन्तर्गत योजना व्ययः 1967-68

(करोड रुपये)

(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	0.31
असम	0.38
बिहार	—
गुजरात	0.61
हरियाणा	—
जम्मू तथा काश्मीर	—
केरल	0.45
मध्य प्रदेश	0.42
महाराष्ट्र	0.65
मैसूर	0.47
नागालैण्ड	—
उड़ीसा	0.14
पंजाब	0.03
राजस्थान	0.20
तमिलनाडु	0 13
उत्तर प्रदेश	0.12
पश्चिम बंगाल	0.23
जोड़—राज्य	4.14
जोड़—संघशासित क्षेत्र	0.31
जोड़—केन्द्र	10.69
कुल जोड़	15.14

M9PC(NP)/69—2,,000—26-4-71—GIPF.